रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73.

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1984/पौष 1, 1906
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 1984/PAUSA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1984

का०आ० 4453:—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार की सहमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों के और उक्त अपराध के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के तथा दिसम्बर, 1981 के प्रथम सप्ताह में श्रीमती स्मिता झावेरी की मृत्यु से संबंधित कोरोनर्स कोर्ट मामला सं 4875-60 तारीख 5 दिसम्बर, 1981 गामदेवी पुलिस जांच संख्या 247/81, तारीख 5 दिसम्बर, 1981 मुम्बई नगर, महाराष्ट्र के संबंध में वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर करती है ।

[संख्या 228/27/84-ए वी डी (II)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

ORDERS

New Delhi, the 11th December, 1984

S.O. 4453.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Maharashtra, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Maharashtra for the investigation of offences punishable under section 302 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offence committed in the course of the same transaction in regard to the death of Smt. Smita Zaveri during the 1st week of December, 1981—Cornoner's Court Case No. 4875-60 of 5th December, 1981, Gamdevi Police Inquest No. 247|81 of 5th December, 1981 Bombay City in the State of Maharashtra.

[No. 228|27|84-AVD.II]

का०आ० 4454:—केन्द्रीय सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों के और उक्त अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के तथा उत्तर प्रदेश राज्य में हमीरपुर जिला के पुलिस थाना सुमेरपुर के मामला संख्या 153/84 तारीख 25 जून, 1984 की बाबत उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है ।

[संख्या 228/21/84-ए वी डी-II]

S.O. 4454.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the

Central Government with the consent of the Government of Uttar Pradesh hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for the investigation of offences punishable under section 302 Indian Penal Code 1860 (45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with, the said offences and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts in regard to case No. 153/1984 dated 25th June, 1984 of Police Station Sumerpur, District Hamirpur in the State of Uttar Pradesh.

[No. 228/21/84-AVD.II]

का०आ० 4455 :—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 225/20/78-ए वी डी (II) तारीख 6-4-78 में उल्लिखित श्री एस० जी० सामंत, अधिवक्ता की नियुक्ति को अधिक्रांत करते हुए, श्री जे० जी० अलीमचंदानी, अधिवक्ता मुम्बई को, श्री वी० एम० दलाल और एम० एस० मुथाना के विरुद्ध आर सी 65/75 मुम्बई में, विशेष न्यायाधीश, मुम्बई के न्यायालय में राज्य की ओर से उपसंजात होने और अभियोजन का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[संख्या 225/22/84-ए वी डी -(II)]

एम० एस० प्रसाद, अवर सचिव

S.O. 4455.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and in supersession of appointment of Shri S. G. Samant, Advocate, mentioned in notification No. 225/20/78-AVD.II, dated 6-4-1978, the Central Government hereby appoints Shri J. G. Alimchandani, Advocate, Bombay, as a Special Public Prosecutor to appear and conduct prosecution on behalf of the State in the Court of the Special Judge, Bombay, in RC 65/75-Bombay against Shri V. M. Dalal and M. S. Muthanna.

[No. 225/22/84-AVD.II]

M. S. PRASAD, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर 1984

(आयकर)

का०आ० 4456 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है अर्थात् :—

1. यह कि मुलजीभाई पटेल सोसाइटी फार रिसर्च नेफ्रो-यूरोलोजी नाडियाद वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

मुलजीभाई पटेल सोसाइटी फार रिसर्च इन नेफ्रो-यूरोलाजी

नाडियाद, गुजरात

यह अधिसूचना 15 जुलाई 1984 से 31 मार्च 1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6006-II/फा. सं. 203/139/84-आ. क. नि.-II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 26th September, 1984

(INCOME-TAX)

S.O. 4456.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

(i) That the Muljibhai Patel Society for Research in Nephro-urology, Nadiad will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Muljibhai Patel Society for Research in Nephro-Urology, Nadiad, Gujarat.

This notification is effective for a period from 15th July, 1984 to 31st March, 1986.

[No. 6006/F. No. 203/139/84-ITA.II]

का. आ. 4457 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए संस्था

प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है अर्थात् :—

1. यह कि वर्ल्ड वाइल्डलाइफ़ फ़ंड (इंडियन नेशनल अपील) बम्बई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।

संस्था

दि वर्ल्ड वाइल्डफ़ाइफ़ फ़ंड, बम्बई।

यह अधिसूचना 1 जनवरी 1984 से 31 दिसम्बर, 1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6007/फ़ा. स. 203/26/84—आ. क. नि.-II]

S.O. 4457.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed authority for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the World Wildlife Fund (Indian National Appeal), Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June, each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

The World Wildlife Fund, Bombay

This notification is effective for a period of two years from 1st January, 1984 to 31st December, 1985.

[No. 6007/F. No. 203/26/84 ITA II]

नई दिल्ली 27 अक्तूबर 1984

का. आ 4458 :—इस कार्यालय की दिनांक 23-3-82 की अधिसूचना सं. 4524 (फ़ा. सं. 203/145/81-आ. क. नि.-II) के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (2) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

1. यह कि रिसर्च सोसायटी ऑफ़ द बांबे कॉलेज ऑफ़ फ़ार्मेसी, बॅंबई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी, जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।

संस्था

रिसर्च सोसायटी ऑफ़ द बांबे कॉलेज ऑफ़ फ़ार्मेसी बंबई

यह अधिसूचना 24-1-1984 से 31-3-1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6022/फ़ा. सं. 203/58/84—आ. क. नि.-II]

New Delhi, the 27th October, 1984

S.O. 4458.—In continuation of this Office Notification No. 4524 (F. No. 203/145/81-ITA.II) dated 23-3-82 it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

(i) That the Research Society of the Bombay College of Pharmacy, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Society will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Society will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Research Society of the Bombay College of Pharmacy, Bombay

This notification is effective for a period from 24-1-1984 to 31-3-1985.

[No. 6022/F. No. 203/58/84-I.T.A.II]

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1984

का. आ 4459: —इस कार्यालय की दिनांक 9-1-1981 की अधिसूचना सं. 3838 [फा. स. 20/3282 80—आ. क. नि.-2] के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खँड (3) के प्रयोजनों के लिए "सँस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है: —

1. यह कि इँडियन नैशनल थिएटर बम्बई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संक्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त सँस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति प्रतिवर्ष आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

इंडियन नैशनल थिएटर, बम्बई।

यह अधिसूचना 1-4-1983 से 31-3-1986 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6030/फा. सं. 203/48/83—आ. क. नि -II]

New Delhi, the 12th November, 1984

S.O. 4459.—In continuation of this Office Notification No. 3838 (F. No. 203/282/80-ITA. II) dated 9-1-1981 it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Indian National Theatre, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Indian National Theatre, Bombay.

This notification is effective for a period of three years from 1-4-1983 to 31-3-1986.

[No. 6030/F. No. 203/48/83-ITA.II]

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1984

का. आ. 4460: —इस कार्यालय की दिनांक 20-8-1981 की अधिसूचना सं. 4172 (फा. सं. 203/273/80—आ. का. नि.-2) के सिलसिले में, सर्वसाधारणकी जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (2) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि एसोसिएटिड एग्रीकल्चरल डिवेल्पमेंट फाउंडेशन, नई दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त फाउंडेशन अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त फाउंडेशन अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

"एसोसिएटिड एग्रिकल्चरल डिवेल्पमेंट फाउंडेशन, नई दिल्ली"

यह अधिसूचना 27-4-1984 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6036 फा. सं. 203/21/84—आ. क. नि.-II]

New Delhi, the 15th November, 1984

S.O. 4460.—In continuation of this Office Notification No. 4172 (F. No. 203/273/80-ITA.II) dated 20-8-1981, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the Associated Agricultural Development Foundation, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Foundation will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Foundation will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"Associated Agricultural Development Foundation, New Delhi."

This notification is effective for a period from 27th April, 1984 to 31st March, 1987.

[No. 6036/F. No. 203/21/84-ITA.II]

का० आ० 4461 :—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 4-5-1981 की अधिसूचना सं. 3946 के द्वारा निम्नलिखित संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) (2) के तहत मिली मंजूरी को एतद्द्वारा 14-4-1981 से वापिस लिया जाता है।

संस्था

नैचुरल प्रॉडक्टस रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई।

[सं. 6033 फा. सं. 203/290/80—आ. क. नि.-II]

S.O. 4461.—It is hereby notified for general information that the approval granted to the following Institution under Section 35(1) (ii) of the Income-tax Act, 1961 vide Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 3946 dated 4-5-1981 is hereby withdrawn with effect from 14-4-1981.

INSTITUTION

Natural Products Research Association, Bombay.

[No. 6033/F. No. 203/290/80-ITA-II]

का. आ. 4462:—इस कार्यालय की दिनांक 3-12-1981 की अधिसूचना सं. 4360 (फा. सं. 203/293/80—आ. क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (3) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि सेंटर फार वीमेन्स डिवेल्पमेंट स्टडीज, नई दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देनदारियों, दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।

संस्था

सेंटर फार वीमेन्स डिवेल्पमेंट स्टडीज, नई दिल्ली

यह अधिसूचना 1-10-1984 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6034/फा. सं. 203/192/84—आ. क. नि.-II]

S.O. 4462.—In continuation of this Office Notification No. 4360 (F. No. 203/293/80-ITA.II) dated 3-12-1981, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the Centre for Women's Development Studies, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research ;

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year;

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Centre for Women's Development Studies, New Delhi.

This notification is effective for a period from 1st October, 1984 to 31st March, 1987.

[No. 6034/F. No. 203/192/84-ITA.II]

का. आ. 4463 :—इस कार्यालय की दिनांक 8-10-1982 की अधिसूचना सं. 4942 (फा. सं. 203/46/81-आ. क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (3) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि सेंटर फार अप्लाइड सिस्टम्स अनैलिसिस इन डिवेलपमेंट, बम्बई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों का वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देनदारियों दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

सेंटर फार अप्लाइड सिस्टम्स अनैलिसिस इन डिवेलपमेंट, बम्बई।

यह अधिसूचना 16-9-83 से 31-3-1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6035/फा. सं. 203/49/84—आ. क. नि.-II]

S.O. 4463.- In continuation of this Office Notification No. 4942 (F. No. 203/46/81-ITA-II) dated 8-10-1982, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

(i) That the Centre for Applied Systems Analysis in Development, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Centre for Applied Systems Analysis in Development, Bombay.

This notification is effective for a period from 16-9-1983 to 31-3-1985.

[No. 6035 F. No. 203/49/84-ITA-II]

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1984

का. आ. 4464 :—इस कार्यालय की दिनांक 31-12-83 की अधिसूचना सं. 5040 (फा. सं. 203/150/82—आ. क. नि.-2) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (3) के प्रयोजनों के लिए "कालेज" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि महात्मा गांधी मेमोरियल कालेज, उदुपी, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।

संस्था

महात्मा गांधी मेमोरियल कालेज, उदुपी।

यह अधिसूचना 3-12-1983 से 31-3-86 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6041/फा. सं. 203/234/83-आ. क. नि.-II]

New Delhi, the 17th November, 1984

S.O. 4464.—In continuation of this Office Notification No. 5040 (F. No. 203/150/82-ITA.II) dated 31-12-1983, it is here by notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technoloby, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "College" subject to the following conditions :—

(i) That the Mahatama Gandhi Memorial College, Udupi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activites to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi.

This notification is effective for the period from 3-12-1983 to 31-3-1986.

[No. 6041/F. No. 203/234/83-ITA II]

का. आ. 4465 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि दि बाई जेरबाई वाडिया होस्पिटल फॉर चिल्ड्रन एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हैल्थ रिसर्च सोसाइटी, बम्बई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी पारसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

दि बाई जेरबाई वाडिया हास्पिटल फॉर चिल्ड्रन एण्ड इंस्टीट्यूट आफ चाइल्ड हैल्थ रिसर्च सोसाइटी, बम्बई।

यह अधिसूचना 7-9-1984 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6043/फा. सं. 203/74/84-आ. क. नि.-II]

S.O. 4465.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

(i) That the Bai Jerbai Wadia Hospital for Children & Institute of Child Health Research Society, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

The Bai Jerbai Wadia Hospital For Children & Institute of Child Health Research Society, Bombay.

This notification is effective for a period from 7-9-1984 to 31-3-1986.

[No. 6043/F. No. 203/74/84-ITA.II]

का. आ. 4466 :—इस कार्यालय की दिनांक 12-6-81 की अधिसूचना सं. 4024 (फा. सं. 203/261/80-आ. क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि ज्ञान प्रबोधिनी, पुणे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

"ज्ञान प्रबोधिनी, पुणे"।

यह अधिसूचना 1-1-1984 से 31-3-1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6042/फा. सं० 203/233/83-आ. क. नि.-II]

S.O. 4466.—In continuation of this Office Notification No. 4024 (F. No. 203/261/80-ITA.II) dated 12-6-1981, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the Jnana Prabodhini, Pune, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific reseach activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year

(iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"Jnana Prabodhini, Pune".

This notification is effective for a period from 1-1-1984 to 31-3-1985.

[No. 6042/F. No. 203/233/83-ITA.II]

नई दिल्ली, 21 नवम्बर 1984

का. आ 4467:—इस कार्यालय की दिनांक 3-9-81 की अधिसूचना सं. 4201 फा. सं. 203/266/80-आ. का. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि जयरामदास पटेल वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था, बंबई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगी।

2. यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

"जय राम दास पटेल वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था, बंबई"।

यह अधिसूचना 3-7-1984 से 30-6-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6046/फा. सं. 203/163/84-आ. क. नि.-II]

S.O. 4467.—In continuation of this Office Notification No. 4201 (F. No. 203/266/80-ITA.II) dated 3-9-1981, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the income tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

(i) That the Jayaramdas Patel Scientific Research Foundation, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Association will furnish annual returns or its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilties with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"Jayaramdas Patel Scientific Research Foundation, Bombay."

This notification is effective for a period from 3-7-1984 to 30-6-1986.

[No. 6046/F. No. 203/163/84-ITA.II]

का. आ. 4468.—इस कार्यालय की दिनांक 18-9-1981 की अधिसूचना सं. 4223 (फा. सं. 203/29/81-आ. क. नि. II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि दि मदर्स सर्विस सोसायटी, पांडिचरी, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए ।

(ii) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी ।

संस्थान

"दि मदर्स सर्विस सोसायटी, पांडिचरी"

यह अधिसूचना 1-4-1984 से 31-3-1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं. 6047/फा. सं. 203/46/84-आ.क.नि.-II]

S.O. 4468.—In continuation of this Office Notification No. 4223 (F. No. 203/29/81-ITA.II) dated 18-9-1981, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the Mother's Service Society, Pondicherry will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"The Mother's Service Society, Pondicherry".

This notification is effective for a period from 1-4-1984 to 31-3-1985.

[No. 6047/F. No. 203/46/84-ITA-II]

का. आ. 4469.—इस कार्यालय की दिनांक 18-5-1983 की अधिसूचना सं. 5186 (फा. सं. 203/1/83-आ०क०नि० II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(1) यह कि अपर्णा आश्रम, नई दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा ।

(ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए ।

(iii) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

"अपर्णा आश्रम, नई दिल्ली" ।

यह अधिसूचना 25-4-1984 से 31-3-1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं. 6048/फा. सं. 203/193/84-आ.क. नि. II]

S.O. 4469.—In continuation of this Office Notification No. 5186 (F. No. 203/1/83-ITA.II) dated 18-5-1983, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the "Aparna Asrama New Delhi" will maintain a separate account of the sum received by it for scientific research.

(ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"Aparna Asrama, New Delhi".

This notification is effective for a period from 25-4-1984 to 31-3-1985.

[No. 6048/F No. 203/193/84-ITA.II]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 4470.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 9-5-1983 की अधिसूचना सं. 5166 (फा. 203/16/83-आ. क. नि.-II) की पांचवीं पंक्ति के अन्त में आने वाले शब्द "संगम" के स्थान पर "विश्व विद्यालय" पढ़ा जाए ।

[सं. 6049/फा. सं. 203/16/83-आ. क. नि.-II]

गिरीश दवे, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1984

आदेश

आयकर

का. आ. 4471.—आयकर (प्रमाण-पत्र संबंधी कार्यवाही) नियम, 1962 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12-11-84 की अधिसूचना सं. 6031 (फा. सं. 398/32/84-आ.क. (ब.) के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत श्री एफ. एस. परमार-गुजरात राज्य के और गोवा, दमण और दीव संघ -राज्य क्षेत्रों के दमण और दीव और दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकारी का प्रयोग करेंगे ।

2. यह आदेश, श्री एफ. एस. परमार द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगा ।

[सं. 6032/फा. सं. 398/32/84-आ. क. ब.]

बा. नागराजन, उप-सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 12th November, 1984

ORDER

INCOME-TAX

S.O. 4471.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri F. S. Parmar, being a gazetted officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri F. S. Parmar takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6032/F.No. 398/32/84-IT(B)]

B. NAGARAJAN. Dy. Secy.

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1984

आयकर

का. आ. 4472.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के उपखण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ "ओचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम संस्था ट्रस्ट" को कर निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए

S.O. 4476.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby makes the following amendment in the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) S.O. No. 273(E) (No. F. 4-134/76-AC(I) namely :—

In the said notification for the words "district of Santhal Parganas" the words "Districts of Dumka, Deoghar, Godda, Sahibganj" shall be substituted.

New Delhi, the 4th December, 1984

S.O. 4478.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri M. R. Vijairania as the Chairman of the Saran Kshetriya Gramin Bank, Chapra and specifies the period commencing on 21-7-84 and ending with the 31-7-87 as the period for which the said Shri M. R. Vijairania shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-94/84-RRB]

(आयकर)

का. आ. 4473.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के उपखण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, मथुरा" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 6062/फा. सं. 197-क/35/82-आ. क. (नि-1)]
आर. के. तिवारी, अवर सचिव

(INCOME-TAX)

S.O. 4473.—In exercise of the powers conferred by sub clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Krishna Janmasthan Seva-Sansthan, Mathura" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6062/F. No. 197-A/35/82-IT(AI)]
R. K. TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1984

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 4474.—भारतीय स्टाम्प नियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा हिन्दुस्तान विकास निगम लिमिटड को मात्र छः लाख, सैंतीस हजार, पांच सौ रुपय के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त निगम द्वारा जारी कि जाने वाले आठ करोड़, पचास लाख रुपय के अंकित मूल्य के सुरक्षित ऋण पत्रों (श्रृंखला IV) के रूप में बन्धपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है ।

[सं. 61/84-स्टाम्प-फा० सं. 33/54/84-वि. क.]
भगवान दास,
अवर सचिव

New Delhi, the 3rd December, 1984

ORDER

STAMPS

S.O. 4474.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Hindustan Development Corporation Ltd. to pay consolidated stamp duty of six lakhs thirty seven thousand and five hundred rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of secured debentures (series IV) of the face value of Eight crores and fifty lakhs of rupees to be issued by the said corporation.

[No. 61/84-Stamps-F. No. 33/54/84-ST]
BHAGWAN DAS, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1984

का.आ. 4475.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 447 (ई) स. एफ. 1-9/80-आर. आर. बी. (I) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना में "रांची जिला" शब्दों के स्थान पर "रांची, लहरडग्गा और गुमला जिले" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. एफ. 1(8)/84-आर.आर. बी.]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 19th November, 1984

S.O. 4475.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby makes the following amendment in the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) S.O. No. 447(E) [No. F. 1-9/80-RRB(I)] namely :—

In the said notification for the words "district of Ranchi" the words "Districts of Ranchi, Lahardagga and Gumla" shall be substituted.

[No. F. 1(8)/84-RRB]

का. आ. 4476.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 273 (इ) सं. एफ. 4-134/76-ए.सी. (I) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :

उपर्युक्त अधिसूचना में "संथाल परगना जिला" शब्दों के स्थान पर "दुमका देवघर गोड्डा, साहिबगंज के जिले" शब्द रखे जाएंगे ।

[संख्या एफ 1(8)/84-आर. आर. बी.]

S.O. 4476.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby makes the following amendment in the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) S.O. No. 273(E) (No. F. 4-134/76-AC(I) namely :—

In the said notification for the words "district of Santhal Parganas" the words "Districts of Dumka, Deoghar, Godda, Sahibganj" shall be substituted.

[No. F. 1(8)/84-RRB]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1984

का. आ. 4477.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार वित्त मंत्रालय (वार्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 787 (ई) (सं. एफ. 4-90/76-ए.सी. (I) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना में "कन्नानोर जिला" शब्दों के स्थान पर "कन्नानौर और कासरगोड़ जिले" शब्द रखे जाएंगे ।

[संख्या 10(34)81-आर.आर. बी.]

New Delhi, the 22nd November, 1984

S.O. 4477.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Bank Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby makes the following amendment in the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Banking) S.O. No. 787(E) No. F. 4-90/76-AC(I).

In the said notification for the words "district of Cannanore" the words "Districts of Cannonore and Kasaragod" shall be substituted.

[No. F. 10(34)/81-RRB]

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1984

का. आ 4478—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा II की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एम. आर. विजयरानिया को सरन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 21-7-84 से प्रारम्भ होकर 31-7-87 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एम. आर. विजयरानिया अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ. 2-94/84-आर. आर. बी.]

New Delhi, the 4th December, 1984

S.O. 4478.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri M. R. Vijairania as the Chairman of the Saran Kshetriya Gramin Bank, Chapra and specifies the period commecning on 21-7-84 and ending with the 31-7-87 as the period for which the said Shri M. R. Vijairania shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-94/84-RRB]

का. आ. 4479.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री खगेश्वर पूहन को धेनकनाल ग्राम्य बैंक, धेनकनाल का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 24-9-84 से प्रारम्भ होकर 30-9-87 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री खगेश्वर पूहन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ. 2-103/84-आर. आर. बी.]

S.O. 4479.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Bank Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Khageswar Puhan as the Chairman of the Dhenkanal Gramya Bank, Dhenkanal and specified the period commencing on the 24-9-84 and ending with the 30-9-1987 as the period for which the said Shri Khageswar Puhan shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-103/84-RRB]

का०आ० 4480.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस. के. घटक को मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 13-9-84 से प्रारम्भ होकर 30-9-87 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एस. के. घटक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ. 2(45)/81-आर. आर. बी.]
एस. एस. हुसूरकर, निदेशक

S.O. 4480.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. K. Ghatak as the Chairman of the Monghyr Kshetriya Gramin Bank, Monghyr and specifies as the period commencing on the 13-9-84 and ending with the 30-9-87 as the period for which the said Shri Ghatak shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2(45)/81-RRB]
S. S. HASURKAR, Director

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1984

का.आ. 4481—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसरण में केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने भारत सरकार को 30 जून 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है —

[संख्या एफ० 12/88/84-बी० ओ-1]

भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट

1 जुलाई 1983 से 30 जून 1984 तक

भाग 1—आर्थिक स्थिति

1983-84 में अर्थ-व्यवस्था ने विशेष रूप से कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की । हालांकि औद्योगिक उत्पादन ने भी पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर वृद्धि दर्शायी, फिर भी यह वृद्धि दर योजना लक्ष्य से काफी नीचे थी । राष्ट्रीय आय 1982-83 की 2 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि की तुलना में लगभग 8.5 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है । व्यापार अंतराल में बढ़ोतरी के बावजूद विदेशी भुगतानों की स्थिति में भी सुधार हुआ । इन सब अनुकूल गतिविधियों के बावजूद मूल्य स्थिति लगातार चिंता का कारण बनी रही ।

कृषि उत्पादन

2. वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी । खाद्यान्न उत्पादन के अद्यतन आकलनों के अनुसार वर्ष के दौरान कुल उत्पादन 150 मिलियन टन से ऊपर रहा । यह 1981-82 के उत्पादन के उच्चतम स्तर से लगभग 13 प्रतिशत अधिक था । अधिकतर वाणिज्यिक फसलों ने पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में सुधार दर्शाया । हां इस मामले में रुई तथा गन्ना विशेष अपवाद रहे ।

3. हालांकि कृषि के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम बुनियादी तौर पर मौसमी उपादनों के कारण रहे फिर भी इनके पीछे उपयुक्त कृषि नीति ने भी अपनी भूमिका निभाई है । उर्वरकों के मूल्य में कमी और उसकी वितरण प्रणाली में विस्तार से उर्वरकों के उपभोग को बढ़ावा मिला । सिंचाई वाले क्षेत्र में भी विस्तार हुआ । इनके साथ ही बेहतर किस्म के बीजों तथा अन्य निवेश वस्तुओं के वितरण में भी और प्रगति हुई ।

4. खाद्यानों का कुल उत्पादन अब तक के सर्वाधिक स्तर 150.6 मिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है । इसमें 88.8 मिलियन टन खरीफ उत्पादन तथा 61.8 मिलियन टन रबी उत्पादन शामिल है । उत्पादन का यह स्तर 1981-82 के 133.3 मिलियन टन के पिछले रिकार्ड उत्पादन से 17.3 मिलियन टन अधिक और 1982-83 के दौरान के 128.4 मिलियन टन के उत्पादन से 22.2 मिलियन टन अथवा 17.3 प्रतिशत अधिक है । 1983-84 का उत्पादन वर्ष के लिये की गयी अपेक्षाओं को पीछे छोड़ गया है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में 1984-85 के लिये निर्धारित किये गये 153.6 मिलियन टन के लक्ष्य से सिर्फ 2.00 प्रतिशत नीचे है । चावल का 59.4 मिलियन टन उत्पादन 1978-79 में प्राप्त किये गये 53.8 मिलियन टन के पिछले सर्वाधिक उत्पादन पर 5.6 मिलियन टन अथवा 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । गेहूं का उत्पादन भी 1982-83 में प्राप्त किये गये 42.5 मिलियन टन के पिछले बेहतरीन स्तर से बढ़ कर 44.7 मिलियन टन के नये सर्वोच्च स्तर पर जा पहुंचा है ।

5. जहां तक वाणिज्यिक फसलों का सवाल है तिलहनों, कच्चे जूट तथा मेस्ता का उत्पादन अधिक होने के आसार हैं जबकि गन्ने और रुई के उत्पादन में गिरावट की आशंका है । तिलहनों का उत्पादन 12.6 मिलियन टन के नये सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने की आशा है । जूट और मेस्ता का उत्पादन 1982-83 के 7.2 मिलियन गांठों की तुलना में 7.5 मिलियन गांठों के उच्चतर स्तर पर है । रुई के उत्पादन का अनुमान फिलहाल 7.7 मिलियन गांठें लगाया जा रहा है । पिछले वर्ष रुई का उत्पादन 8.3 मिलियन गांठें रहा था । गन्ने का उत्पादन 1982-83 के 189 मिलियन टन की तुलना में 165.170 मिलियन टन के आस पास होने की आशा है ।

6. छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र का निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है । छठी योजना ने खाद्यान्नों के लिये वार्षिक बढ़ोतरी की चक्रवृद्धि दर 1979-80 के प्रवृत्ति आधार उत्पादन-स्तर पर 3.9 प्रतिशत रखी थी । इसकी तुलना में योजना अवधि के चार वर्षों में वार्षिक वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत रही है । खाद्यान्नों में से चावल के लिये बढ़ोतरी की वार्षिक चक्रवृद्धि दर 4.2 प्रतिशत गेहूं के लिये 4.3 प्रतिशत मोटे अनाजों के लिये 1.8 प्रतिशत तथा दालों के लिये 4.6 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था । इन लक्ष्यों की तुलना में 1983-84 तक वास्तविक वृद्धि दरें चावल के लिये 3.8 प्रतिशत, गेहूं के लिये 5.9 प्रतिशत, मोटे अनाजों के लिये 3.5 प्रतिशत तथा दालों के लिये 2.5 प्रतिशत रही हैं ।

7. वाणिज्यिक फसलों के संबंध में योजना में रुई के लिये 4.6 प्रतिशत, कच्चे जूट और मेस्ता के लिये 3.9 प्रतिशत तिलहनों के लिये 5.0 प्रतिशत, तथा गन्ने के लिये 4.1 प्रतिशत, की बढ़ोतरी की मिश्रित वार्षिक चक्रवृद्धि दरों का अनुमान लगाया गया था । योजना के पहले चार वर्षों के दौरान वास्तविक निष्पादन से पता चलता है कि सभी का उत्पादन लक्ष्यों से नीचे रहा सिवाय तिलहनों के, जिनका उत्पादन 5.4 प्रतिशत बढ़ा । रुई के लिये वास्तविक मिश्रित वृद्धि दर केवल 1.3 प्रतिशत थी । कच्चे जूट तथा मेस्ता ने कोई वृद्धि नहीं दर्शायी जबकि गन्ने के लिये 0.8 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि रही ।

8. उत्पादन में वृद्धि होने तथा खरीद लागतों में बढ़ोतरी होने की वजह से खाद्यान्नों की अधिक मात्राएं सार्वजनिक वितरण के लिये खरीदी गई हैं । विपणन वर्ष 1983-84 (अक्तूबर 1983—जून 1984) के दौरान चावल की खरीद 7.5 मिलियन टन रही जो 1982-83 की इसी अवधि के दौरान की गयी 6.9 मिलियन टन की खरीद से 8.7 प्रतिशत अधिक थी । विपणन वर्ष 1983-84 (अप्रैल-मार्च) के दौरान की गयी 8.3 मिलियन टन गेहूं की खरीद भी 1982-83 में की गयी 7.7 मिलियन टन की खरीद की तुलना में अधिक थी । 1984-85 के दौरान गेहूं की खरीद 9 मिलियन टन के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गयी है और ये 1983-84 मौसम की इसी अवधि के दौरान की गयी 8 मिलियन टन की तुलना में 12.5 प्रतिशत अधिक थी । कुल खाद्यान्न उत्पादन प्रतिशत के रूप में खाद्यान्न की कुल खरीद 1979-80 के लगभग 9 प्रतिशत से बढ़कर पिछले दो वर्षों में 11.12 प्रतिशत हो गयी है । गेहूं उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत और चावल उत्पादन का लगभग 13 प्रतिशत खरीदा जा रहा है । खाद्यान्न की अधिकतर खरीद कुछ ही राज्यों तक सीमित रखी गयी है । इस तरह खरीदे गये गेहूं का लगभग 98 प्रतिशत मुख्य रूप से 3 ही राज्यों अर्थात् पंजाब (60 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (20 प्रतिशत), हरियाणा (18 प्रतिशत) से है । इसी तरह खरीदे गये चावल का लगभग 89 प्रतिशत 5 राज्यों अर्थात् पंजाब (44 प्रतिशत), हरियाणा (11 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (18 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (10 प्रतिशत) और तमिलनाडु (6 प्रतिशत) से है ।

9. खुले बाजार में उपलब्धताओं में सुधार होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न उठाये जाने में 1982-83 से वृद्धि की जो प्रवृत्ति दिखायी दे रही थी वह सितम्बर 1983 से कम होती चली जा रही है । परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के सरकारी क्षेत्र के स्टॉक जो एक वर्ष पहले 16.9 मिलियन टन थे, मई 1984 के अंत में 22.6 मिलियन टन हो गये ।

औद्योगिक उत्पादन

10. वर्ष के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन हालांकि कृषि क्षेत्र के निष्पादन की तरह प्रभावशाली नहीं था, फिर भी पिछले वर्ष की तुलना मे बेहतर था । वर्ष भर के दौरान सुधार परिलक्षित होता रहा लेकिन हाल ही के महीनों में अधिक स्पष्ट रूप से सामने आया । वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान औद्योगिक उत्पादन के सूचक में वृद्धि 5.4 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 3.9 प्रतिशत ही थी। सामान्य सूचक के तीनों ही घटकों में वर्ष के दौरान वृद्धि दर्ज की गयी। यह वृद्धि "खनन और उत्खनन" में 1982-83 के 10.8 प्रतिशत की तुलना में 11.4 प्रतिशत, विनिर्मित वस्तुओं में 2.5 प्रतिशत की तुलना में 4.0 प्रतिशत और "विद्युत" में 7.1 प्रतिशत की तुलना में 6.8 प्रतिशत रही । चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 के पहले दो महीनों के दौरान सूचक ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की 3.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7.6 प्रतिशत की और वृद्धि दर्ज की । तीनों ही क्षेत्रों ने इस अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक बड़ी वृद्धियां दर्ज कीं।

11. तिमाही निष्पादन विश्लेषण से पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन एक तिमाही से दूसरी तिमाही में निरंतर बढ़ता हुआ अंतिम तिमाही में 7.3 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर जा पहुंचा । 1983-84 में केवल पहली तिमाही को छोड़कर बाकी तिमाहियों में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी जैसा कि इस सारणी में दिखाया गया है :—

सारणी—1 औद्योगिक उत्पादन सूचक में तिमाही उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत रूप में)

	1982-83	1983-84
पहली तिमाही	+6.0	+3.5
दूसरी तिमाही	+2.1	+4.9
तीसरी तिमाही	+3.5	+5.7
चौथी तिमाही	+4.0	+7.3

12. वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान औद्योगिक उत्पादन के उपयोग आधारित वर्गीकरण के विश्लेषण से पता चलता है कि "उपभोक्ता वस्तु" उद्योग समूह के अलावा सभी समूहों ने वृद्धि दर्ज की पूंजीगत वस्तु उद्योगों ने 1982-83 में दर्ज की गयी 2.7 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत वर्ष 1983-84 के दौरान 10.8 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। "मूल उद्योगों" ने पिछले वर्ष की 8.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 6.9 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर्ज की। "माध्यमिक वस्तु उद्योगों" ने 6.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो 1982-83 की 2.6 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक थी । "उपभोक्ता वस्तु उद्योगों" में 1982-83 में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत 0.4 प्रतिशत की गिरावट मुख्य रूप से गैर-टिकाऊ माल के उत्पादन में 0.7 प्रतिशत की गिरावट के कारण हुई थी । दूसरी ओर टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

13. कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादन ने 1983-84 के दौरान 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो 1982-83 की 2.7 प्रतिशत की वृद्धि से कम थी । इसका मुख्य कारण 1983-84 की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च में) 5 प्रतिशत की गिरावट थी । जनवरी मार्च में हुई गिरावट चीनी, जूट की वस्तुओं तथा पेय पदार्थों के काफी कम उत्पादन के कारण हुई थी ।

14. छः आधारभूत उद्योगों अर्थात् बिजली, कोयला, बिक्री योग्य इस्पात, कच्चा पट्रोलियम, पट्रोलियम रिफायनरी उत्पाद तथा सीमेंट सामान्य सूचक में जिनका भार 23.2 प्रतिशत है, ने वित्तीय वर्ष 1983-84 में 6.7 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्ज की । यह वृद्धि 1982-83 में प्राप्त की गयी 8.8 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा थी । बिक्री योग्य इस्पात के अलावा सभी आधारभूत उद्योगों ने वर्ष 1983-84 के दौरान उच्चतर उत्पादन दर्ज किया । अप्रैल-जून 1984 की तिमाही में इन उद्योगों के उत्पादन में कुल जमा वृद्धि 14.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी जबकि पिछले वर्ष को इसी अवधि में 2.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी ।

15. वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान कुल बिजली उत्पादन 139.9 बिलियन किलोवाट रहा जो वर्ष 1982-83 के दौरान हुई 5.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । फिर भी, यह खास तौर पर जलविद्युत उत्पादन में धीमी वृद्धि के कारण 144 बिलियन किलोवाट के लक्ष्य से कम रहा । दक्षिण तथा पूर्व में जलविद्युत उत्पादन औसत से काफी नीचे था । जलविद्युत को वर्ष के दौरान कई अड़चनों जैसे पुरानी मशीनरी, खराब रखरखाव तथा जलाशयों में पानी के अपर्याप्त स्तर और साथ ही निर्धारित की तुलना में कम क्षमता स्थापित किए जाने आदि का सामना करना पड़ा । वर्ष 1983-84 के दौरान ताप बिजली उत्पादन (परमाणु बिजली सहित) ने 10.2 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की । कोयले (लिग्नाइट को छोड़कर) का उत्पादन 1983-84 के दौरान 1982-83 में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 138.6 मिलियन टन रहा लेकिन यह फिर भी 142 मिलियन टन के लक्ष्य से 3.4 मिलियन टन कम रहा हालांकि इसके लिए नई खदानों से कोयला निकालना वर्तमान खदानों का गहरा खनन आदि कई उपाय किए गए थे। वर्ष की दूसरी छमाही में खानों और कामगारों की परिचालनगत क्षमता म उल्लेखनीय सुधार हुआ। कोयले के उठाव में वृद्धि होने और प्रमुख उपभोगताओं द्वारा स्टाक बना लिए जाने के बावजूद मार्च 1984 के अन्त में कोयले के 22.91 मिलियन टन के विशाल पिट हैड स्टॉक जमा हो गए थे।

16 अप्रैल-जून 1984 की तिमाही के दौरान बिजली उत्पादन 37.4 बिलियन किलोवाट था जो 1983 की इसी अवधि की 1.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 15.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । इस वृद्धि के लिए आणविक सहित ताप तथा जल विद्युत उत्पादन उत्तरदायी थे । इनमें इस अवधि के दौरान क्रमशः 14.3 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । इसी तरह इस अवधि के दौरान कोयले का उत्पादन 14.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 33.4 मिलियन टन रहा जबकि 1983 की इसी अवधि के दौरान इसके उत्पादन में 1.8 प्रतिशत की गिरावट आयी थी ।

17. पिछले कुछ वर्षों से कच्चे पैट्रोलियम और पैट्रोलिम रिफायनरी-उत्पादों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है और इनमें 1983-84 के दौरान क्रमशः 23.6 प्रतिशत और 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह वृद्धि 1982-83 के दौरान हुई 30.1 प्रतिशत और 10.2 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा थी । सीमेंट का उत्पादन भी 1982-83 के दौरान की 10.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ काफी सुधरा । दूसरी ओर बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 12.3 प्रतिशत की गिरावट आयी जबकि 1982-83 में इसमें 0.5 प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि हुई थी स्वदेश और विदेश दोनों में ही मांग में मंदी के कारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ी । कच्चे पैट्रोलियम रिफायनरी उत्पादों के उत्पादन में 1984-85 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान क्रमशः 22.5 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । जबकि 1983 की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 19.8 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत की रही । सीमेंट के उत्पादन में 1983 की इसी अवधि के दौरान 7.7 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 13.9 प्रतिशत की और वृद्धि हुई जबकि बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 18.8 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी ।

18. अन्य प्रमुख उद्योगों में से कपड़े (मिल क्षेत्र) तथा ट्रैक्टरों में क्रमशः 14.0 प्रतिशत और 21.0 प्रतिशत की भारी वृद्धियां दर्ज की गयीं जबकि 1982-83 में मुख्य रूप से बम्बई मिलों में लम्बी हड़ताल के कारण मिल कपड़े के उत्पादन में 17.8 प्रतिशत और ट्रैक्टरों में 25.3 प्रतिशत की गिरावटें आयी थीं । दूसरी ओर चीनी के उत्पादन में 16.4 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गयी ।

तीव्र वृद्धि में अड़चनें

19. हालांकि आधारभूत उद्योगों के आंकड़े उत्साहजनक निष्पादकता दर्शाते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि विनिर्माण क्षेत्र को अनुपातिक

अंश तक सहायता मिली हो क्योंकि शक्ति की उपलब्धता और जरूरतों के बीच अभी भी एक अन्तराल बना हुआ है जिसने विशेष रूप से दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित किया है। हालांकि कोयले और सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन फिर भी ये लक्ष्यों से कम रहे, साथ ही वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण उन्हें उपभोक्ता केन्द्रों तक ले जाने में कठिनाई सामने आयी। पंजाब में और औद्योगिक सम्बन्धों में अशान्ति की स्थिति के कारण भी विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

20. 1970 की आधार अवधि के साथ औद्योगिक उत्पादन का सूचक, तेजी से बढ़ते हुए कुछ उद्योगों, जैसे, पैट्रोलियम, कृत्रिम रेशा उद्योग, इलैक्ट्रॉनिक उद्योग आदि, जिसका सूचक में भार कम है, के उच्च उत्पादन के प्रभाव को शायद पूरी तरह नहीं दर्शाता और इस कारण, हो सकता है, वास्तविक समय वृद्धि उस सूचक में उतार-चढ़ाव द्वारा कम आंकी जाती हो इस प्रयोजन के लिये सरकार ने एक पैनल नियुक्त किया है जो इन सभी घटकों पर विचार करने के बाद औद्योगिक उत्पादन में वास्तविक उतार-चढ़ाव को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिये नयी सूचक श्रृंखला की सिफारिश करेगा।

21. कुछ विशेष उद्योगों के साथ भी समस्यायें जुड़ी रही हैं। उदाहरण के लिये, सूती वस्त्र उद्योग के मामले में, उद्योग अन्य समस्याओं के साथ-साथ इस समय कच्चे माल की कमी की समस्या का सामना कर रहा है। जूट वस्त्र उद्योग को लागत में वृद्धि, अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता और पश्चिम बंगाल में जूट मिल कर्मचारियों की 1984 की पहली तिमाही की हाल ही की हड़ताल का सामना करना पड़ा। उद्योग को अब कच्चे जूट की कमी की स्थिति का भी सामना करना पड़ रहा है। कतिपय निवेश वस्तुओं की अपर्याप्त उपलब्धता और लागतों में बढ़ोतरी के कारण कागज उद्योग अल्प क्षमता-उपयोग से पीड़ित रहा जिसकी वजह से बड़ी इकाइयों के उत्पादन में गिरावट आयी और कई छोटी इकाइयां बंद हो गयीं। इंजीनियरी उद्योग पर अफ्रीकी देशों से कम निर्यात मांग और पश्चिमी यूरोप में धीमी वसूली की वजह से संकट जारी रहा। इसके अलावा कई मूल और पूंजीगत उद्योगों को अपने संयंत्रों और मशीनरी के आधुनिक न होने का सामना करना पड़ा।

राष्ट्रीय आय, बचत और निवेश

22. रिजर्व बैंक आकलनों के अनुसार निरपेक्ष रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एन० एन०पी०) की दर 1983-84 में, 1978-79 के बाद सर्वोच्च अर्थात् 8.5 प्रतिशत के आसपास रहेगी। यह दर 1982-83 में 1.7 प्रतिशत और 1981-82 में 4.9 प्रतिशत थी। 1983-84 के लिये सकल शुद्ध देशी बचत का अस्थायी अनुमान चालू बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का 16.6 प्रतिशत लगाया गया है। यह 1982-83 के 16.9 प्रतिशत से मामूली-सी गिरावट दर्शाता है। 1981-82 में शुद्ध देशी बचत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की 16.5 प्रतिशत थी। 1983-84 के दौरान शुद्ध देशी बचत के निरपेक्ष स्तर में वृद्धि हुई है और इस वर्ष के लिये बचत अनुपात में थोड़ी-सी गिरावट बचत की तुलना में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में काफी तीव्र वृद्धि के कारण हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की बचत में लगातार दूसरे वर्ष भी गिरावट हुई, 1983-84 में यह गिरावट 0.9 प्रतिशत पाइंट थी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में देशी निगम क्षेत्र की बचत का हिस्सा 0.8 प्रतिशत बना रहा। घरेलू क्षेत्र की बचत 1982-83 के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 13.3 प्रतिशत से बढ़कर 1983-84 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्रतिशत हो गयी। सकल देशी बचत 1983-84 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 22.1 प्रतिशत निकलने का अनुमान है जबकि यह 1981-82 और 1982-83 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की क्रमशः 21.6 प्रतिशत और 22.7 प्रतिशत थी। क्रमशः शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एन०एन०पी०) और सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी० एन०पी०) की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध और सकल देशी बचत और निवेश के अनुमान, सारणी 2 में दिये गये हैं।

सारणी—2 शुद्ध देशी बचत एवं निवेश के अनुमान (चालू बाजार कीमतों पर)

क्षेत्र/मद	राजकोषीय वर्ष		
	1981-82	1982-83 (अनंतिम)	1983-84 (अस्थायी अनुमान)
1	2	3	4
1. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में घरेलू क्षेत्र की शुद्ध बचत जिसमें से वित्तीय परिसंपत्तियों में बचत	12.1 6.0	13.3 7.9	13.9 7.9
2. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र की शुद्ध बचत	3.5	2.8	1.9
3. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में देशी निजी निगम क्षेत्र की शुद्ध बचत	0.9	0.8	0.8
4. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कुल शुद्ध देशी बचत (1+2+3)	16.5	16.9	16.6
5. सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कुल सकल देशी बचत	21.6	22.7	22.1
6. शुद्ध देशी बचत में विदेशी स्रोतों का आगमन	2.3	1.6	1.4
7. शुद्ध देशी बचत में कुल शुद्ध निवेश (4+6)	18.8	18.5	18.0
8. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कुल सकल निवेश	23.7	24.2	23.3

टिप्पणी : 1981-82 तथा 1982-83 के अनुपात पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के अनुपात से मेल नहीं खाते क्योंकि राष्ट्रीय आय के अनुमानों में बाद में तथा और आंकड़े उपलब्ध होने पर बचत एवं निवेश में संशोधन किये गये।

23. भौतिक आस्तियों में घरेलू क्षेत्र की बचत 1982-83 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 1983-84 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 6.0 प्रतिशत के बराबर हो गयी जबकि वित्तीय आस्तियों के रूप में वर्ष 1983-84 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 7.9 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी रही। कुल वित्तीय आस्तियों में मुद्रा और जमा के रूप में वर्ष के दौरान थोड़ी-सी गिरावट आयी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात के रूप में जमाराशियां 1982-83 के 5.4 प्रतिशत से गिरकर 1983-84 में 5.2 प्रतिशत रह गयीं। मुद्रा के रूप में बचत में थोड़ी सी वृद्धि हुई और वह 1982-83 के 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 1983-84 में 1.5 प्रतिशत हो गयी। सरकार पर दावे, जो पिछले वर्ष बहुत तेजी से कम हो गये थे, 1983-84 में उनमें कुछ वृद्धि हुई। घरेलू क्षेत्र में देयताएं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 2.8 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी रहीं।

24. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बचत निष्पादन ने 1983-84 में कोई खास सुधार नहीं दर्शाया। केन्द्र सरकार के प्रशासन के बचत न करने पर भी 1983-84 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कुल बचतों में 1982-83 की तुलना में गिरावट आयी। अलबत्ता, इस संदर्भ में यह नोट किया जाये कि तेल कंपनियों ने 1982-83 और 1983-84 के दौरान तेल समन्वयन समिति को काफी मात्रा में निधियां अंतरित कीं। यदि इन अंतरणों को हिसाब में लिया जाये तो सार्वजनिक क्षेत्र का समग्र बचत निष्पादन गिरावट नहीं दर्शाता।

25. वर्ष के दौरान स्रोतों के शुद्ध आवक में वृद्धि हुई लेकिन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में 1982-83 के 1.6 प्रतिशत से थोड़ी सी गिरावट आयी क्योंकि चालू बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में काफी वृद्धि हो गयी थी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात के रूप में शुद्ध निवेश 18.9 प्रतिशत से गिरकर 1983-84 में 18.0 प्रतिशत रह

गया तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में सकल निवेश भी 1982-83 में 24.2 प्रतिशत से गिरकर 1983-84 में 23.3 प्रतिशत रह गया।

ऋण नीति विषयक गतिविधियां

26. राजकोषीय वर्ष 1983-84 के दौरान ऋण नीति विषयक प्रतिक्रियाओं में, प्रारक्षित मुद्रा में बहुत अधिक वृद्धि पर और समूची नकदी निधि की वृद्धि पर उसके प्रभाव पर चिंता परिलक्षित हुई। प्रारक्षित मुद्रा बैंकों द्वारा भिन्नात्मक प्रारक्षित प्रणाली (फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम) के अन्तर्गत ऋण बढ़ाने और निक्षेप सृजन के लिये आधार के रूप में कार्य करती है और प्रणाली को नकदी निधि में समग्र वृद्धि के लिये साधन मिलते हैं। ऋण नीति का सारा ध्यान नकदी की समग्र वृद्धि को नियमित करने पर लगा रहे, इसके वास्ते किये जाने वाले उपाय कारगर सिद्ध हों, इस लिये यह जरूरी है कि वे प्रारक्षित मुद्रा आधार की वृद्धि को कम करने और अर्थव्यवस्था में पहले ही सृजन की जा चुकी प्राथमिक मुद्रा को निष्क्रिय बनाने की दिशा में कार्य करें।

27. इसलिये राजकोषीय वर्ष 1983-84 के दौरान किये गये ऋण नीति विषयक उपायों का प्रमुख लक्ष्य प्राथमिक मुद्रा में तीव्र बढ़ौतरी के फैलाववादी असर को कम करना रहा। ऐसा करते समय ऋण नीति का मूल मंत्र, ऋण के विस्तार के लिये आवश्यक शर्तों के रूप में सामान्य ऋण मानदण्डों और अनुशासन के पालन के साथ, सभी उत्पादक गतिविधियों को पूरा समर्थन देने वाला बना रहा। 1983 के मंदी के मौसम में नकदी निधि को सक्षम बनाने की दृष्टि से नकदी प्रारक्षित अनुपात को बढ़ा दिया गया था और खाद्यान्न पुनर्वित्त के लिये कट ऑफ पाईंट में वृद्धि की गयी थी। हां, चूंकि प्रारक्षित मुद्रा और जमा वृद्धि में विस्तार लगातार बढ़ते रहे और मूल्य स्थिति चिंता का कारण बनी रही। नकदी निधि के विस्तार को काबू में रखने के लिये और भी उपाय करने पड़े। तदनुसार नकदी प्रारक्षित अपेक्षाएं अगस्त 1983, नवम्बर 1983 तथा फरवरी 1984 में बढ़ा दी गयीं, खाद्यान्न पुनर्वित्त के लिये कटऑफ पाईंट में नवम्बर 1983 में वृद्धि की गयी।

28. हाल ही के वर्षों में नकदी निधि में तीव्र वृद्धि की पृष्ठभूमि प्रारक्षित मुद्रा सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि और रिकार्ड खाद्यान्न फसल के बावजूद मूल्यों में वृद्धि विपरीत 1984 मंदी के मौसम के लिए ऋण नीति ने एक बार फिर इस बात की जरूरत पर बल दिया कि नकदी की वृद्धि दर को कम किया जाये और इसके जरिये स्फीति अपेक्षाओं पर अंकुश लगाया जाये। बिना प्रारक्षित मुद्रा उत्पन्न किये राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के ढांचे के भीतर ही सार्वजनिक क्षेत्र के विशाल निवेश के लिए साधन जुटाने के वास्ते सांविधिक नकदी अनुपात में एक प्रतिशत पाईंट की वृद्धि का निर्णय किया गया। यह निर्णय किया गया कि 1984-85 के व्यस्त मौसम की शुरूआत से पहले 31 अक्तूबर 1980 की स्थिति के अनुसार अवरुद्ध नकदी शेष राशियों का एक हिस्सा जारी कर दिया जाय ताकि अपेक्षित उत्पादन में अधिकतर वृद्धि में सहयोग के आवश्यक संसाधनों में आने वाली कमी को उभरने से रोका जा सके।

नीति विषय उपाय—अगस्त 1983

29. अप्रैल 1983 में नकदी प्रारक्षित अनुपात में एक प्रतिशत पाईंट की वृद्धि करते हुए उसे सात प्रतिशत से आठ प्रतिशत करने की घोषणा की गयी थी। नकदी प्रारक्षित अनुपात में 27 अगस्त 1983 से, आधे प्रतिशत पाईंट की और वृद्धि करके उसे 8.5 प्रतिशत कर दिया गया ताकि मंदी के मौसम में बैंकिंग तंत्र में अतिरिक्त नकदी का कारगर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

नीति विषयक उपाय—अक्तूबर 1983

30. 1983-84 के व्यस्त मौसम से कुछ ही पहले अक्तूबर 1983 में मौद्रिक नीति की समीक्षा की गयी और कतिपय नीति विषयक उपाय घोषित किये गये। अनुकूल मानसून की वजह से खरीफ की फसल शानदार रहने की संभावना थी। हालांकि औद्योगिक उत्पादन में मजबूती पकड़ने के आसार अभी तक दिखाई नहीं दिये थे, फिर भी कृषि उत्पादन की तेजी से सुधरती स्थिति से वित्तीय वर्ष 1983-84 की दूसरी छमाही में औद्योगिक सुधार को मजबूती मिलने की आशा थी। ऐसे वक्त पर यूं लग रहा था कि 1983-84 में वृद्धि की समग्र दर 6-7 प्रतिशत के आसपास रहेगी। साथ ही, 1983-84 में उस वक्त तक अर्थव्यवस्था में समग्र नकदी (एम 3) की वृद्धि दर भी पिछले वर्ष की तुलना में ऊंची रही थी। हालांकि प्रमुख पण्यों के मूल्यों में वृद्धि की गति में कुछ धीमापन आया था, फिर भी सितम्बर 1983 के अंत में मुद्रास्फीति की वर्ष-दर-वर्ष दर पिछले वर्ष के 2 प्रतिशत से भी कम की तुलना में 10 प्रतिशत के आस-पास थी और इसलिए यह जरूरी समझा गया कि 1983-84 में समग्र नकदी निधि की वृद्धि को कम करने लिए उपाय किए जाएं और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वास्तविक उत्पादक जरूरतों के लिए ऋण की मांगे पूरी की जाएं।

31. रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त की गणना के आधार में आवधिक परिवर्तनों के एक भाग के रूप में दो परिवर्तनों की घोषणा की गयी थी। पहला परिवर्तन था बकाया खाद्यान्न ऋण का कट-आफ्-पाईंट, जिस पर 100 प्रतिशत पुनर्वित्त उपलब्ध था, 25 नवम्बर 1983 से 2,800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,300 करोड़ रुपये कर दिया गया, तथा दूसरा परिवर्तन यह था कि निर्यात ऋण पुनर्वित्त फार्मूले में परिवर्तन किया गया। बैंकों को दो स्तरीय फार्मूले के अन्तर्गत निर्यात पुनर्वित्त दिया जा रहा था और उसकी हकदारी, 1980 के मासिक औसत स्तर से 1981 के मासिक औसत स्तर पर निर्यात ऋण में हुई वृद्धि के 50 प्रतिशत और 1981 में निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर पर वृद्धि के 100 प्रतिशत के जोड़ के बराबर थी। निर्यात ऋण में वृद्धि को सुदृढ़ प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की दृष्टि से 25 नवम्बर 1983 से दो स्तरीय पुनर्वित्त फार्मला हटा दिया गया और उसके स्थान पर 1982 के लिए मासिक औसत स्तर पर निर्यात ऋण में वृद्धि के 125 प्रतिशत की एक समान दर का फार्मूला लागू किया गया।

32. ऋण संबंधी नीति के लक्ष्यों की सुविधा के लिए किये गये अन्य उपाय इस प्रकार थे :—

(1) राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सड़क परिवहन निगमों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बिल पुनर्भुनाई सुविधा की मात्रा बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये करने और सुविधा को जून 1984 के अंत तक बढ़ा कर कतिपय बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश प्रेरित करने के लिए अक्तूबर 1982 में किये गये उपायों को मजबूत करना

(2) ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत आने वाली पार्टियों के लिए कट-ऑफ पाईंट 3 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 4 करोड़ रुपये करना,

(3) निम्नलिखित पर ब्याज दरें कम करना (क) किसानों को चयनित अल्पकालिक ऋण, (ख) दालों और तिलहनों में मूल्य समर्थन कार्यों के लिए ऋण। ऋण दरों में भी कटौतियां नये बीस-सूत्री कार्यक्रम में निर्धारित किये गये लक्ष्यों में अधिक उद्देश्यपूर्णता लाने तथा साथ ही ऋणगत नीति के पुनर्वितरण-कारी प्रभाव को मजबूत बनाने के लिए की गयी थीं तथा

(4) सड़क परिवहन परिचालकों के मामले में ब्याज की रियायती दर पर ऋण की पात्रता में विस्तार करना ताकि वाणिज्यिक वाहन उद्योग की वृद्धि को और सहारा मिले और साथ ही छोटे सड़क परिवहन परिचालकों की और सहायता की जा सके।

33. बैंकों से कहा गया था कि वे समूचे प्राथमिक क्षेत्रों के लक्ष्यों और विशेष रूप से विनिर्दिष्ट किये गये उप लक्ष्यों की तुलना में अपने निष्पादन का मूल्यांकन करें कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष वित्त मार्च 1985 तक कुल ऋण के कम-से-कम 15 प्रतिशत तक के स्तर तक और मार्च 1987 तक कुल ऋण के कम-से-कम 16 प्रतिशत तक पहुंचना चाहिए और कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम मार्च 1985 के अंत तक प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों के 25 प्रतिशत तक के स्तर तक अथवा कुल बैंक ऋणों के 10 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाने चाहिए।

हालांकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादन में सुधार हुआ फिर भी इन क्षेत्रों में तथा नये 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में बैंकिंग तंत्र को सौंपे गये कार्यों में और प्रगति की जानी थी। बैंकों को शिक्षित बेकार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नयी योजना को कारगर ढंग से लागू करने तथा उसकी देखरेख करने के लिए कहा गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि छोटे उधारकर्ताओं की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बैंकों से यह भी कहा गया कि वे मझौले और बड़े औद्योगिक क्षेत्र में अपने ग्राहकों पर अपना प्रभाव इस्तेमाल करें ताकि लघु उद्योगों में सप्लायरों को देय राशियों के भुगतान में विलम्ब न हो।

नीति संबंधी उपाय—नवम्बर 1983

34. जमाराशियों में वृद्धि की स्थिति मजबूत बनी रही और ऋण गतिविधियां धीमी रहीं। इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग तंत्र के पास नकदी निधि के विपुल भण्डार जमा हो गये। प्राथमिक मुद्रा में विस्तार की मात्रा काफी अधिक रही और मूल्य स्थिति भी चिंता का कारण बनी रही। इसलिए बैंकिंग तंत्र की नकदी निधि को और स्थिर करने की जरूरत थी ताकि जमाराशियों की वृद्धि और बैंक ऋण में अपेक्षित विस्तार के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त किया जा सके। इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए एक वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित अनुपात निर्धारित किया गया। बैंकों को 12 नवम्बर 1983 से शुरू होने वाले सप्ताह से शुक्रवार 11 नवम्बर 1983 के स्तर पर शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं में वृद्धि के 10 प्रतिशत का वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित अनुपात रखना था। जमाराशियों में वृद्धि के साथ बैंकों से यह आशा की गयी कि व्यस्त मौसम के दौरान उत्पादन में वृद्धि के समर्थन में पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। जिस सीमा तक अलग-अलग बैंकों को नकदी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वहां उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि ऐसे बैंकों को गुणदोषों के आधार पर अल्प अवधियों के लिए विवेकाधीन पुनर्वित उपलब्ध कराया जायेगा।

नीति संबंधी उपाय—जनवरी 1984

35. जनवरी 1984 तक यह स्पष्ट हो चला था कि भुगतान संतुलन में सुधार से मिली आंशिक सहायता के साथ प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि मजबूत बनी रही। वित्तीय वर्ष 1983-84 (जनवरी 1984 के शुरू तक) यह पूरे वित्तीय वर्ष 1982-83 की वृद्धि की तुलना में स्पष्ट रूप से लगभग दुगुने तक पहुंच गयी थी और वर्ष दर वर्ष आधार पर मुद्रा स्फीति दर 10 प्रतिशत से भी अधिक थी। इन गतिविधियों को देखते हुए इस बात की तत्काल जरूरत महसूस की गयी कि बैंकिंग तंत्र में अतिरिक्त नकदी को और स्थिर किया जाये। तदनुसार 27 जनवरी 1984 को, 4 फरवरी 1984 से शुरू होने वाले सप्ताह से नकदी प्रारक्षित अनुपात में आधा प्रतिशत पाइंट की वृद्धि करके उसे 8.5 प्रतिशत से 9.0 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया।

ऋण संबंधी नीति के लिए पृष्ठभूमि—1984-85 की पहली छमाही

36. 1983-84 में मौद्रिक तथा ऋण गतिविधियों और 1984-85 की पहली छमाही में अपेक्षित गतिविधियों की पृष्ठभूमि में अप्रैल 1984 के अंतिम सप्ताह में ऋण संबंधी नीति की समीक्षा की गयी। हालांकि वास्तविक आय वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक थी और मुद्रा स्फीति दर अंतिम तिमाही में नीचे आती प्रतीत हुई थी, फिर भी यह 1983-84 में समग्र रूप में 9 प्रतिशत से अधिक रही। वित्तीय वर्ष 1983-84 में नकदी (एम 3) की समग्र वृद्धि जो 17 प्रतिशत थी अपेक्षित रूप से बहुत अधिक थी और प्राथमिक मुद्रा में वृद्धि भी बहुत ऊंची दर पर थी। यह मान लेना स्वाभाविक ही था कि मौसम स्थितियां बेहतर होने के बावजूद 1984-85 में आर्थिक वृद्धि की समग्र दर, 1983-84 में रही वृद्धि की रिकार्ड दर से काफी कम ही होगी। हाल ही के वर्षों में नकदी में तीव्र विस्तार रिकार्ड खाद्यान्न फसल के बावजूद वित्तीय वर्ष 1983-84 में प्रारक्षित मुद्रा सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि और थोक मूल्यों में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी समझा गया कि व्यवस्थित वित्तीय प्रबंध और उचित मूल्य स्थिरता बनाए रखने के हित में 1984-85 में वित्तीय नीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह होना चाहिए कि समग्र नकदी के विस्तार और प्रारक्षित मुद्रा सृजन की गति को कम किया जाए। यह भी महत्वपूर्ण था कि छठी योजना के अंतिम वर्ष 1984-85 के दौरान उच्च प्राथमिक उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश ठीक ठाक बना रहा। यह भी माना गया कि आधार भूत उद्योगों के सुधरे हुए निष्पादन और 1983-84 में रिकार्ड कृषि उत्पादन को देखते हुए 1984-85 में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। तदनुसार ऋण नीति को यह सुनिश्चित करना था कि प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के अलावा अपेक्षित औद्योगिक विस्तार के वित्तपोषण के लिए कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताएं पूरी की जाएं। हालांकि उत्पादक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण विस्तार के वास्ते काफी गुंजाइश रखी जानी थी, फिर भी ऋण नीति का सारा जोर नकदी की वृद्धि दर को धीमा बनाये रखने और मुद्रा स्फीतिगत अपेक्षाओं को बढ़ने से रोकने पर था।

37. 1984-85 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों में 9600 करोड़ रुपये (1.9 प्रतिशत) की वृद्धि को कार्यशील अनुमान के रूप में मान लेना उचित समझा गया। भूतकाल में जमा वृद्धि को आम तौर पर वित्तीय वर्ष के दो अर्धांशों में बराबर बराबर बांटा जाता रहा। तदनुसार बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने परिचालनों की योजनायें यह मान कर बनायें कि 1984-85 की पहली छमाही में जमाराशियों में वृद्धि 4,800 करोड़ रुपये के आसपास होगी। अनुमानित जमाराशि वृद्धि के स्तर पर बैंक 1984-85 की पहली छमाही में नकदी निधि में लगभग 800 करोड़ रुपये की वृद्धि करने और साथ ही 1,700 करोड़ रुपये का ऋण विस्तार उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा।

38. 1984 की रबी फसल अच्छी होने की वजह से खाद्यान्न की खरीद विपुल मात्रा में होगी और इसलिए बैंकों से कहा गया था कि वे मार्च 1984 के अंत और जून 1984 के अन्त के बीच बैंकिंग तंत्र में खाद्यान्न ऋण में वृद्धि के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखें। इसके बाद सितम्बर 1984 के अन्त तक खाद्यान्न ऋण में लगभग 600 करोड़ रुपये की गिरावट का अनुमान लगाया गया था। कुल मिला कर बैंकिंग तंत्र इस स्थिति में होना चाहिए कि 1984-85 की पहली छमाही में खाद्यान्न ऋण में पूरी वृद्धि का वित्तपोषण अपने ही स्रोतों से कर सकें।

नीति संबंधी उपाय—अप्रैल 1984

39. अपर्याप्त स्रोतों के समूचे परिवेश में राशनिंग करना निहायत जरूरी हो गया था। राष्ट्रीय प्राथमिकता और अनिवार्य सार्वजनिक क्षेत्र निवेशों की जरूरत को देखते हुए और साथ ही राष्ट्रीय बचतों में बैंक जमा राशियों को देखते हुए बैंक जमाराशियों के विभिन्न क्षेत्रों के दावों के रूप में स्रोतों के वितरण की समीक्षा की गयी थी। अप्रैल 1984 में घोषित विभिन्न नीति संबंधी उपाय इस प्रकार थे।

(क) सांविधिक नकदी अनुपात—

40. वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में नकदी को नियमित करने और साथ ही बिना प्रारक्षित मुद्रा उत्पन्न किये राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के ढांचे के भीतर ही, विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों के लिए स्रोत जुटाने की दृष्टि से सांविधिक नकदी अनुपात को कुल मांग और मीयादी देयताओं के 35 प्रतिशत से दो चरणों में बढ़ाकर 36 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया। इसे 28 जुलाई 1984 से 35.5 प्रतिशत और पहली सितम्बर 1984 से 36 प्रतिशत किया जाना था। रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि ऐसे बैंकों को अल्प अवधियों के लिए गुणदोषों के आधार पर विवेकाधीन पुनर्वित उपलब्ध कराया जायेगा जिन्हें उच्चतर प्रारक्षित जरूरतों से समायोजन करने के लिए इस प्रकार की सहायता की जरूरत हो।

(ख) अवरुद्ध नकद राशियां जारी करना—

41. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 (1ए) के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 14 जनवरी 1977 और 31 अक्तूबर 1980 के बीच जमा होने वाली वृद्धिशील शुद्ध मांग पर मयादी देयताओं के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त नकदी प्रारक्षित निधि बनाये रखने

की जरूरत थी। ये नकदी शेष राशियां अवरुद्ध रही हैं। चूंकि बैंकों को वर्ष बीतने के साथ-साथ स्रोत जुटाने में कुछ हद तक अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, अतः बैंक 1984-85 के व्यवस्त मौसम की शुरुआत के पहले अपने स्रोतों का आबंटन बेहतर तरीके से कर सकें इसके लिए निर्णय किया गया कि 31 अक्तूबर, 1980 की स्थिति के अनुसार 10 प्रतिशत वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित अनुपात के अन्तर्गत रखी गयी अतिरिक्त नकदी शेष राशियों का 5 वां हिस्सा 29 सितम्बर 1984 और 27 अक्तूबर 1984 को दो बराबर किस्तों में जारी कर दिया जाये। चूंकि 31 अक्तूबर 1980 की स्थिति के अनुसार अवरुद्ध नकदी शेष राशियां 1859 करोड़ रुपये की थी अतः लगभग 372 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की जायेगी।

(ग) ऋणों के लिए कट-ऑफ-पॉइंट—

42. निजी क्षेत्र के प्रत्येक उधारकर्ता को 50 लाख रुपए से अधिक और सार्वजनिक क्षेत्र के उधारकर्ता अथवा निजी क्षेत्र की निर्यातोन्मुख विनिर्माण इकाई को एक करोड़ रुपये से अधिक के (3 वर्ष से अधिक) की अवधि के एकल मीयादी ऋणों को मंजूर करने के लिए, चाहे वे किसी बैंक द्वारा अकेले दिये जा रहे हों या दूसरे बैंकों के साथ संयुक्त रूप से रिजर्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। यदि उधारकर्ता पहले ही ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत आते हों तो पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता 3 वर्ष से अधिक की अवधि में चुकाये जाने वाले मीयादी ऋणों के लिए ही होती है, चाहे ऋण की राशि कुछ भी क्यों न हो। ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत न आने वाली निजी क्षेत्र की पार्टियों के मामले में बैंकों को अधिक विवेक शक्ति प्रदान करने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व प्राधिकरण की जरूरत वाले (3 वर्ष से अधिक के) मीयादी ऋणों के लिए कट-ऑफ-पॉइंट 50 लाख रुपये के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया। इस प्रकार रिजर्व बैंक द्वारा ऋण प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए मीयादी ऋणों के लिए कट-ऑफ पॉइंट अब एक करोड़ रुपये के एक समान स्तर पर रहेगा।

(घ) विवेकाधीन पुनर्वित्त—

43. उस सीमा तक जहां तक अलग-अलग बैंकों के सामने निर्धारित तारीखों तक प्राक्षण अपेक्षाओं के साथ समायोजन की वास्तविक समस्यायें थीं, वहां ऐसे बैंकों को अल्पावधि के लिए उपयुक्त विवेकाधीन पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वे बढ़ी हुई प्रारक्षित अपेक्षाओं के अनुरूप ठीक-ठाक समायोजन कर सकें। हां, इस बात पर जोर दिया गया था कि ऋण मानदण्डों और अनुशासन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।

(ङ) ऋण मानदंड और अनुशासन—

44. समूची बैंकिंग नीति के हिस्से के रूप में बैंकों से अपने ऋण संविभागों की व्यवस्थित और नियमित समीक्षा करने के लिए कहा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गतिविधियों के एक क्षेत्र में अनुचित रूप से अधिक ध्यान न देते रहें या किसी अकेले ग्रहक या ग्रहकों के समूह के प्रति जरूरत से ज्यादा वचनबद्धता न दिखायें। भारतीय बैंकों के परिचालनों के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीयकरण के कारण विदेशी ऋण परिचालनों पर कड़ी निगाह रखने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत थी ताकि अवांछित जोखिम और सुविधा देने की गुंजाइश न रहे। इसके लिए बैंकों के लिए यह जरूरी था कि वे विदेशी शाखाओं के परिचालन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए कारगर प्रणाली की व्यवस्था करें।

45. इस तरह, मंदी के मौसम की शुरुआत में घोषित नीति संबंधी उपायों की अधिकल्पना इस बात की जरूरत को ध्यान में रखते हुए की गयी थी कि वास्तविक उत्पादन में, विशेषत : औद्योगिक क्षेत्र में, अपेक्षित वृद्धि के समर्थन के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जा सके और साथ ही नकदी निधि में वृद्धि पर रोक लगायी जा सके ताकि शक्तिशाली मुद्रास्फीतिगत प्रवृत्तियां फिर न उभर सकें।

मुद्रा, ऋण तथा मूल्यों की प्रवृत्तियां

मुद्रा आपूर्ति

46. राजकोषीय वर्ष 1983-84 में मौद्रिक विस्तार पिछले वर्ष की तुलना में निरपेक्ष और प्रतिशत दोनों ही रूपों में अधिक था। एम 1 जिसमें जनता के पास मुद्रा, बैंकों की मांग जमाराशियां, और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाराशियां शामिल हैं, में 1982-83 की 3806 करोड़ रुपये अथवा 15.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 4491 करोड़ रुपये अथवा 15.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एम 3 (अर्थात् एम 1+बैंकों के पास मीयादी जमा राशियां) में पिछले वर्ष 10,442 करोड़ रुपये अथवा 16.7 प्रतिशत की तुलना में 12,699 करोड़ रुपये अथवा 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि जनता के पास मुद्रा और बैंकों के पास मीयादी जमाराशियों ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक विस्तार दर्शाया जबकि मांग जमाराशियों में विस्तार कम रहा। (सारणी 3)

47. 1983-84 के दौरान मौद्रिक विस्तार की गति बढ़ाने में जिन तत्वों का योगदान रहा, वे ये थे : सरकार को शुद्ध बैंक ऋण में 1982-83 के 4,734 करोड़ रुपये की तुलना में 1983-84 में 5,818 करोड़ रुपये की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि तथा बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में गिरावट का अल्प संकुचनशील प्रभाव (895 करोड़ रुपये की तुलना में 104 करोड़ रुपये) : दूसरी ओर वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक में 1982-83 के 8,796 करोड़ रुपये की तुलना में 7,929 करोड़ रुपये की अल्प वृद्धि दर्ज की गयी।

48. 1984 की अप्रैल जून की तिमाही के दौरान भी मुद्रा आपूर्ति में तेज वृद्धि जारी रही और एम 1 ने 1983-84 की इसी तिमाही की 1,576 करोड़ रुपये (5.5 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में 2,285 करोड़ रुपये (6.9 प्रतिशत) की और वृद्धि दर्ज की। तीव्र वृद्धि में तीनों घटकों का योगदान रहा। जनता के पास मुद्रा में 1,289 करोड़ रुपये की तुलना में 1,605 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, मीयादी जमाराशियों ने 306 करोड़ रुपये की तुलना में 584 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शायी और रिजर्व बैंक के पास जमाराशियां पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की 19 करोड़ रुपये गिरावट के विपरीत 96 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ तीव्र वृद्धि की दिशा में सक्रिय रहीं। बैंकों के पास मीयादी जमा राशियों में पिछले वर्ष की 2,605 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 2,732 करोड़ रुपये की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप अप्रैल-जून 1984 में एम 3 में हुई 5,017 करोड़ रुपये (5.9 प्रतिशत) की वृद्धि 1983-84 की इसी अवधि में 4,181 करोड़ रुपये (5.7 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में अधिक थी।

49. 1984-85 की पहली तिमाही के दौरान विशाल मौद्रिक विस्तार को प्रेरणा, सरकार को उपलब्ध कराये गये शुद्ध बैंक ऋण तथा वाणिज्य क्षेत्र को उपलब्ध कराये गये बैंक ऋण से मिली थी। सरकार को उपलब्ध कराये गये शुद्ध बैंक ऋण में अप्रैल-जून 1984 की तिमाही में 4,335 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई तथा इसमें 1983 की इसी तिमाही में 3,519 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। हालांकि वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये बैंक-ऋण में 1983-84 की पहली तिमाही की 892 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 1984-85 की पहली तिमाही में 2,281 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, यह वृद्धि खास तौर पर खाद्यान्न ऋण में हुई काफी बड़ी वृद्धि के कारण थी। इस विस्तारवादी प्रभाव को कुछ हद तक बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध आस्तियों में अप्रैल-जून 1984 में 87 करोड़ रुपये की अल्प वृद्धि ने निष्प्रभावी कर दिया था। अप्रैल-जून 1983 में यह वृद्धि 149 करोड़ रुपये थी।

प्रक्षित निधियां

50. राजकोषीय वर्ष 1983-84 के दौरान प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि दर 5,712 करोड़ रुपये अथवा 24.7 प्रतिशत के उच्चस्तर पर थी जो 1982-83 में हुई 2,647 करोड़ रुपये (12.9 प्रतिशत) के दुगुने के आसपास बैठती है। 1983-84 में इस अपेक्षाकृत बड़े विस्तार में जिन घटकों का योगदान रहा वे थे सरकार पर रिजर्व बैंक के दावों में बहुत अधिक वृद्धि और रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में गिरावट में काफी कम कटौती। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में प्रारक्षित

सारणी 3—मुद्रा स्टॉक (एम 3) में घट-बढ़

(करोड़ रुपये)

अंतिम शुक्रवार	निम्नलिखित के दौरान परिवर्तन							
	1982-83		1983-84		1983-84		1984-85	
	अप्रैल-मार्च		अप्रैल-मार्च		अप्रैल-जून		अप्रैल-जून	
	पूर्ण	प्रतिशत	पूर्ण	प्रतिशत	पूर्ण	प्रतिशत	पूर्ण	प्रतिशत
एम 3 (क+ख+ग)	+10442	+16.7	+12699	+17.4	+4181	+5.7	+5017	+5.9
(क) जनता के पास मुद्रा	+2167	+15.0	+2914	+17.5	+1289	+7.7	+1605	+8.2
(ख) बैंकों के पास कुल जमा राशियां (i+ii)	+8239	+17.2	+9654	+17.2	+2911	+5.2	+3316	+5.0
(1) मांग जमा राशियां	+1603	+15.9	+1446	+12.4	+306	+2.6	+584	+4.4
(2) मीयादी जमा राशियां	+6636	+17.6	+8208	+18.5	+2605	+5.9	+2732	+5.2
(ग) रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां	+36	+24.0	+131	+70.4	−19	−10.2	+96	+30.3
II. (क+ख+ग)	+3806	+15.4	+4491	+15.7	+1576	+5.5	−2285	+6.9
III. (एम3) में घट-बढ़ के स्रोत (1+2+3 4—5)								
1. सरकार को शुद्ध बैंक ऋण (अ+आ)	+4734	+15.7	+5818	+16.7	+3519	+10.1	+4335	+10.7
(अ) रिजर्व बैंक को शुद्ध ऋण (i—ii)	+2772	+14.1	+4311	+19.3	+2068	+9.3	+2624	+9.9
(i) सरकार पर दावे (क+ख)	+6354	+31.9	+706	+2.7	−246	−0.9	+5303	+19.7
(क) केन्द्र सरकार	+7869	+43.6	−273	−1.1	−972	−3.8	+6088	+23.8
(ख) राज्य सरकारें	+1515	+79.5	+979	+368.0	+726	+272.9	−785	−63.1
(ii) रिजर्व बैंक के पास सरकारी जमा-राशियां (क+ख)	+3582	+1297.8	−3605	−93.4	−2314	−60.0	+2679	+1056.9
(क) केन्द्र सरकार	+3571	+1308.1	−3596	−93.5	−2309	−60.1	+2671	+1077.0
(ख) राज्य सरकारें	+11	+366.7	−9	−64.3	−5	−35.7	+8	+160.0
(आ) सरकार को अन्य बैंकों का ऋण	+1962	+18.7	+1507	+12.1	+1451	+11.7	+1711	+12.3
2. वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (अ+आ)	+8796	+20.5	+7929	+15.5	+892	+1.7	+2281	+3.9
(अ) वाणिज्य क्षेत्र का रिजर्व बैंक का ऋण*	+564	+29.5	+451	+23.4	−4	−0.2	+15	+0.6
(आ) वाणिज्य क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण (I+II+III)	+8232	+20.1	+7478	+15.2	+896	−1.8	−2266	+4.0
(i) वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	+5812	+19.6	+5504	+15.5	+514	+1.4	+2061	+5.0
उसमें से सार्वजनिक क्षेत्र को	—	—	—	—	—	—	—	—
(ii) सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	+1111	+18.7	+332	+4.7	+142	+2.0	—	—
(iii) वाणिज्य एवं सरकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	+1309	+24.3	+1642	+24.6	+240	+3.6	+205	+2.5
3. बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (अ+आ)	−895	−34.7	−104	−6.2	+149	+8.8	+87	+5.5
(अ) रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (I—II)	−894	−34.1	−105	−6.1	+149	+8.6	+88	+5.4
(i) सकल विदेशी परिसंपत्तियां	+993	+28.4	+1232	+27.4	+474	+10.6	+266	+4.6
(ii) मुद्रेतर विदेशी देयताएं	+1888	+216.0	+1337	+48.4	+325	+11.8	+178	+4.3
(आ) दूसरे बैंकों की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जनता की सरकार की मुद्रा देयताएं	+25	+3.8	+37	+5.4	+12	+1.8	+12	+1.7
5. मीयादी जमाराशियों के अलावा बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध मुद्रेतर देयताएं (अ+आ)	+2218	+16.0	+981	+6.4	+391	+2.5	+1698	+10.4
(अ) रिजर्व बैंक की शुद्ध मुद्रेतर देयताएं	+239	+3.9	+458	−8.2	+238	+4.3	+683	+13.4
(आ) अन्य बैंकों की शुद्ध मुद्रेतर देयताएं (गृहीत)	+1979	+25.5	+1439	+14.6	+153	+1.6	+1015	+9.0

टिप्पणी : (1) आंकड़े अनंतिम आंशिक रूप संशोधित हैं।

(2) चूंकि अलग-अलग मदों के आंकड़े पूर्णांकित किये गये हैं, इसलिए जोड़ों में वे वृद्धि नहीं कर सकते।

*नाबार्ड की स्थापना के बाद से बैंकों को पुनर्वित्त, वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक के ऋणों में शामिल नहीं है।

मुद्रा में हुई 8.1 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 5.9 प्रतिशत की वृद्धि से काफी तेज थी। वि 1984-85 की पहली तिमाही में अधिक विस्तार के पीछे जो कारण थ वे थे सरकार पर तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर रिजर्व बैंक के दावों में उल्लेखनीय वृद्धि । (सारणी–4)

बैंकिंग चल-राशियों में घट-बढ़

51. वर्ष 1983-84 (अप्रैल-मार्च) के दौरान बैंकिंग चल-राशियों में घट-बढ़ की गति से पता चलता है कि जमा राशियों की वृद्धि दर निरपेक्ष और प्रतिशत दोनों ही रूपों में 1982-83 के क्रमशः 7,625 करोड़ रुपये तथा 17.4 प्रतिशत की तुलना में अधिक अर्थात् 9,179 करोड़ रुपये और 17.9 प्रतिशत थी। हां, बैंक ऋण के विस्तार की गति धीमी रही और वह 1982-83 के 5,812 करोड़ रुपये अथवा 19.6 प्रतिशत की तुलना में केवल 5,504 करोड़ रुपये अथवा 15.5 प्रतिशत ही बढ़े। खाद्यान्न ऋण जो 1983-84 में 1,057 करोड़ रुपये रहे, पिछले वर्ष के 838 करोड़ रुपये की तुलना में विस्तार दर्शाते हैं परन्तु गैर-खाद्यान्न ऋण 1982-83 के 4,973 करोड़ रुपये की तुलना में कम बढ़े और 4,447 करोड़ रुपये रहे। बैंक निवेशों के वृद्धि निरपेक्ष और प्रतिशत दोनों ही रूपों में धीमी रही। यह 1982-83 के 3,193 करोड़ रुपये अथवा 21.1 प्रतिशत की तुलना में 2,956 करोड़ रुपये अथवा 16.1 प्रतिशत रही। रिजर्व बैंक के पास बैंकों की नकदी शेष राशियां 1983-84 में 325 करोड़ रुपये की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से अधिक वृद्धि के साथ 2,575 करोड़ रुपये रहीं। इससे वर्ष के दौरान, बैंकों द्वारा बढ़ी हुई नकदी प्रारक्षण अपेक्षाओं के अनुपालन का पता चलता है।

52. वित्तीय वर्ष 1984-85 की पहली तिमाही (अर्थात् अप्रैल से जून) में जमा राशियों में 3,315 करोड़ रुपये की वृद्धि 1983-84 की तदनुरूपी तिमाही के दौरान हुई 2,681 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में अधिक थी। इसी अवधि के दौरान 2,061 करोड़ रुपये पर बैंक ऋण में विस्तार की गति 1983-84 की इसी अवधि के दौरान 513 करोड़ रुपये के विस्तार की गति से तेज थी। इस अवधि के दौरान खाद्यान्न ऋणों में 1,211 करोड़ रुपये की तथा गैर-खाद्यान्न ऋणों में 850 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि एक वर्ष पहले की तदनुरूपी अवधि में इनमें क्रमशः 624 करोड़ रुपये की वृद्धि और 111 करोड़ रुपये की कमी हुई थी। (सारणी–5)

ऋण का क्षेत्रवार वितरण

53. सारणी 6 में दर्शाये गये सकल बैंक ऋण* के क्षेत्रवार वितरण के आंकड़ों से वित्तीय वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के ऋण प्रवाह की दिशा का पता चलता है। वर्ष 1983-84 के दौरान सकल बैंक ऋण में 5,963 करोड़ रुपये (17.3 प्रतिशत) का विस्तार दर्ज किया गया जबकि 1982-83 में यह विस्तार 5,329 करोड़ रुपये (18.3 प्रतिशत) का था। खाद्यान्न वसूली ऋणों ने पिछले वर्ष की 837 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 1,066 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शायी और गैर-खाद्यान्न ऋणों में 1983-84 में 4,897 करोड़ रुपये (15.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि 1982-83 में इनमें 4492 करोड़ रुपये (16.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उपलब्ध कराये गये ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि की 1983-84 के दौरान गैर-खाद्यान्न ऋणों में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

54. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों ने 1983-84 में पिछले वर्ष की 1,646 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 2,512 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। कुल वृद्धिशील गैर-खाद्यान्न सकल ऋण में इन क्षेत्रों का कुल हिस्सा 1982-83 के 36.6 प्रतिशत से बढ़ कर 51.3 प्रतिशत हो गया। मार्च 1984 के अंत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये अग्रिम कुल ऋणों का 38.0 प्रतिशत थे जबकि एक वर्ष पहले यह प्रतिशत 36.8 था। कृषि और लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों में वर्ष के दौरान क्रमशः 858 करोड़ रुपये (16.3 प्रतिशत) तथा 926 करोड़ रुपये (20.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष के दौरान क्रमशः 660 करोड़ रुपये (14.3 प्रतिशत) तथा 585 करोड़ रुपए (15.0 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी थी। मार्च 1984

सारणी 4—प्रारक्षित मुद्रा : घटक तथा उतार-चढ़ाव के स्रोत

(करोड़ रुपये)

	मार्च 1979 के अंतिम शुक्रवार के अनुसार बकाया	निम्नलिखित के दौरान उतार-चढ़ाव					मार्च 1984* के अंतिम शुक्रवार के अनुसार बकाया	निम्नलिखित के दौरान उतार-चढ़ाव	
		1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84*		अप्रैल 1983 से जून 1983	अप्रैल 1984 से जून 1984*
प्रारक्षित मुद्रा (1+2+3+4)	13716	+2749 (+20.0)	+2323 (−14.1)	+1675 (+8.9)	+2647 (+12.9)	+5712 (+24.7)	28822	+1369 (+5.9)	+2323 (+8.1)
1. जनता के पास मुद्रा	10212	+1475 (+14.4)	+1777 (−15.2)	+1028 (+7.6)	+2167 (+15.0)	+2914 (+17.5)	19573	+1289 (+7.7)	+1605 (+8.2)
2. रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां	203	+208 (+102.5)	−94 (+22.9)	−167 (+52.9)	+36 (+24.0)	+131 (+70.4)	−317	−19 (−10.2)	+96 (+30.3)
3. बैंकों के पास नकदी	615	+67 (+10.9)	+162 (+23.8)	+30 (+3.6)	+106 (+12.1)	+54 (+5.5)	1034	+156 (+15.9)	+252 (+24.4)
4. रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियां	2686	+999 (+37.2)	+478 (+13.0)	+784 (+18.8)	+338 (+6.8)	+2613 (+49.4)	7898	−57 (−1.1)	+369 (+4.7)

* आंकड़े रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 50 बैंकों से संबंधित हैं। सारणी 6 की पाद टिप्पणी भी देखें।

सारणी 4—प्रारक्षित मुद्रा : घटक तथा उतार-चढ़ाव के स्रोत (जारी)

(करोड़ रुपये)

	मार्च 1979 के अंतिम शुक्रवार के अनुसार बकाया	निम्नलिखित के दौरान उतार-चढ़ाव					मार्च 1984* के अंतिम शुक्रवार के अनुसार बकाया	निम्नलिखित के दौरान उतार चढ़ाव	
		1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84*		अप्रैल 1983 से जून 1983	अप्रैल 1984 से जून 1984*
प्रारक्षित मुद्रा के स्रोत (1+2+3+4)									
1. निम्नलिखित पर रिजर्व बैंक के दावे (क+ख+ग+घ)	10919	+3389 (+31.0)	+3891 (+27.2)	+5099 (+28.0)	+3755 (+16.1)	+5322 (+20.3)	31586	+1446 (+5.5)	+2906 (+9.2)
(क) सरकार (शुद्ध)	8568	+2966 (+34.6)	+3698 (+32.1)	+4435 (+29.1)	+2772 (+14.1)	+4311 (+19.3)	26625	2068 (+9.3)	+2624 (+9.9)
(ख) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	546	+193 (+35.3)	−150 (−20.3)	+242 (+41.1)	−16 (−1.9)	+521 (+63.9)	1336	−306 (−37.5)	+432 (+32.2)
(ग) राज्य सहकारी बैंक	557	−69 (−12.4)	+187 (+38.3)	+216 (+32.0)	−716 (−80.4)	−5 (−8.6)	53	−8 (−13.8)	+8 (−15.1)
(घ) वित्तीय संस्थाएं (I+II+III)	1248	+191 (+15.3)	+261 (+18.1)	+209 (+12.3)	+1716 (+89.9)	+495 (+16.1)	3572	−308 (−10.0)	−142 (−4.0)
(i) कृ. पु. वि. नि./नाबार्ड	209	+68 (+32.5)	+31 (+11.2)	+52 (+16.9)	+1340 (+372.2)	+44 (+3.8)	1196	−304 (−26.4)	−157 (−13.1)
(ii) भा. औ. वि. बैंक	868	+212 (+24.4)	+223 (+20.6)	+187 (−14.4)	+338 (+22.7)	+257 (+14.1)	2085	—	—
(iii) अन्य	171	−89 (−52.0)	+7 (+8.5)	−30 (−33.7)	+38 (+64.4)	+194 (+200.0)	291	−4 (−4.1)	+15 (+5.2)
2. रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा देयतायें	5506	−12 (−0.2)	−784 (−14.3)	−2087 (−44.3)	−894 (−34.1)	−105 (−6.1)	1624	+149 (+8.6)	+88 (+5.4)
3. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयतायें	604	−12 (−2.0)	+27 (+4.6)	+38 (+6.1)	+25 (+3.8)	+37 (+5.4)	719	+12 (+1.8)	+12 (+1.7)
4. रिजर्व बैंक की शुद्ध गैर मुद्रा-आस्तियां	3312	+618 (+18.7)	+811 (+20.6)	+1375 (+29.0)	+239 (+3.9)	−458 (−8.2)	5107	+238 (+4.3)	+683 (+13.4)

*आंकड़े अनंतिम/आंशिक रूप से संशोधित हैं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत उतार-चढ़ाव दर्शाते हैं ।

2. चूंकि अलग-अलग मदों के आंकड़े पूर्णांकित किये गये हैं, इसलिए जोड़ों में वे वृद्धि नहीं कर सकते।

3. इन उतार-चढ़ावों पर, नाबार्ड की स्थापना की वजह से आवश्यक हो गये सकल राशियों के पुनर्वर्गीकरण के बाद 12 जुलाई, 1982 को स्रोतों के घटकों में परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पड़ता।

सारणी 5 महत्वपूर्ण बैंकिंग निर्देशकों में उतार-चढ़ाव

(अनुसूचित वाणिज्य बैंक)

(करोड़ रुपये)

मदें	निम्नलिखित तारीखों को बकायाँ राशि			वित्तीयवर्षों में उतार-चढ़ाव			
	31 मार्च 1983	30 मार्च 1984*	29 जून 1984*	1982-83	1983-84	1983-84 (24 जून 1983 तक)	1984-85 (21 जून 1984 तक)*
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
कुल मांग एवं मीयादी देयताएं (इसमें भा० रि० बैं० तथा नाबार्ड से लिये गये उधार शामिल नहीं हैं)	56420	68369	71925	+8827	+11949	+1847	+3556
कुल जमा-राशियां	51358	60537	63852	+7625 (+17.4)	+9179 (+17.9)	+2681 (+5.2)	+3315 (+5.5)
भा० रि० बैं० से उधार/बैंक ऋण	815	1336	1769	−16	+521	−306	+433
	35493	40097	43058	+5812 (+19.6)	+5504 (+15.5)	+513 (+1.4)	+2061 (+5.0)
खाद्यान्न ऋण	2965	4022	5233	+838	+1057	+624	+1211
गैर-खाद्यान्न बैंक ऋण	32528	36975	37825	+4973 (+18.0)	+4447 (13.7)	−111 (−0.3)	+850 (+2.3)
निवेश	18334	21290	23207	+3193 (+21.1)	+2956 (+16.1)	+1636 (+8.9)	+1917 (+9.0)
(क) सरकारी प्रतिभूतियां	12078	13497	15208	+1921 (+18.9)	+1418 (+11.7)	+1455 (+12.0)	+1711 (+12.7)
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	62.56	7794	7999	+1272 (+25.5)	+1538 (+24.6)	+181 (+2.9)	+205 (+2.6)
हाथ में नकदी	878	926	1179	+90	+48	+134	+253
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशियां	5208	7783	8105	+325 (+6.7)	+2575 (+49.4)	−65 (−1.2)	+322 (+4.1)
ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)	69.1	67.7	67.4				
गैर-खाद्यान्न ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)	63.3	61.1	59.2				

*अंशत: संशोधित

टिप्पणी 1. चूंकि पुनर्भुनाई बिल योजना के अंतगत पुनर्भुनाई किय जाने वाले बिल नहीं हैं अत: सकल बैंक ऋण बैंक ऋण के बराबर ही है।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े उतार-चढ़ाव का प्रतिशत दर्शाते हैं।

के अंत में कृषि क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि 6133 करोड़ रुपये थी जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों की 41.3 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 42.8 प्रतिशत) थी, जबकि लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि 5412 करोड़ रुपये थी जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिये गये कुल अग्रिमों की 36.5 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 36.4 प्रतिशत) थी ।

सारणी 6—सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

(करोड़ रुपये)

	बकाया			उतार-चढ़ाव	
	मार्च 1982	मार्च 1983	मार्च 1984 (अनंतिम)	अप्रैल मार्च 1982-83	अप्रैल मार्च 1983-84 (अनंतिम)
I. सार्वजनिक खाद्यान्न वसूली	2127	2964	4030	+837	+1066
II. (क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	10676	1222	14834	+1646 (36.6)	+2512 (51.3

1	2		4	5	6
(i) कृषि	4615	5275	6133	+660 (14.7)	+858 (17.5)
(ii) लघु उद्योग	3901	4486	5412	+585 (13.0)	+926 (18.9)
(iii) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2160	2561	3289	+401 (8.9)	+728 (14.9)
(ख) उद्योग (मझोले और बड़े)	11155	13276	14964	+2121 (47.2)	+1688 (34.5)
(ग) थोक व्यापार (खाद्यान्न-वसूली के अतिरिक्त)	2198	2353	2338	+155 (3.5)	—15 (—0.3)
(i) भारतीय कपास निगम	255	290	193	+35 (0.8)	—97 (—2.0)
(ii) भारतीय खाद्य निगम (उवरक ऋण)	411	412	241	+1 (—)	—171 (—3.5)
(iii) भारतीय जूट निगम	115	74	49	+41 (+0.9)	—25 (—0.5)
(iv) अन्य व्यापार	1417	1577	1855	+160 (3.6)	+278 (5.7)
(घ) अन्य क्षेत्र	3006	3576	4288	+570 (12.7)	+712 (14.5)
III. गैर-खाद्यान्न सकल बैंक ऋण (क+ख+ग+घ)	27035	31527	36424	+4492 (100.0)	+4897 (100.0)
उनमें से : निर्यात ऋण	1796	1726	2042	—70	+316
सकल बैंक ऋण (1+3)	29162	34491	40454	+5329	+5963

टिप्पणी 1. आंकड़ों का संबंध उन 50 बैंकों से है जो सकल बैंक ऋण का लगभग 96 प्रतिशत प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन आंकड़ों में रिजर्व बैंक के पास पुनर्भुनाये गये बिलों को शामिल करने के अलावा वे बिल भी शामिल हैं जो भा० औ० वि० बैंक तथा अन्य अनुमोदित संस्थाओं के पास पुनर्भुनाये जाते हैं और इसमें सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं ।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े गैर-खाद्यान्न वर्धमान ऋण के अनुपात के अनुसार हैं।

55. मझोले और बड़े उद्योगों के बुद्धिशील बैंक ऋण 1983-84 के दौरान 1688 करोड़ रुपये रहे जबकि 1982-83 के दौरान ये ऋण 2121 करोड़ रुपये के थे। कुल बुद्धिशील गैर-खाद्यान्न सकल बैंक ऋण में इनका हिस्सा 34.5 प्रतिशत रहा जो एक वर्ष पहले के 47.2 प्रतिशत की तुलना में कम था। मार्च 1984 के अंत में मझोले और बड़े उद्योगों पर बकाया ऋण 14,964 करोड़ रुपये थे जो सकल बैंक ऋण के 37.0 प्रतिशत थे (एक वर्ष पहले 38.5 प्रतिशत)।

56. लघु उद्योग सहित औद्योगिक ऋण का वितरण सारणी 7 में दिया गया है। जिन प्रमुख उद्योगों की वजह से ऋण में 1983-84 के दौरान वृद्धि हुई वे थे इंजीनियरी (603 करोड़ रुपये) सूती वस्त्र उद्योग (268 करोड़ रुपये) तथा अन्य वस्त्र (234 करोड़ रुपये) पेट्रोलियम (211 करोड़ रुपये) तथा रसायन 201 करोड़ रुपये) जबकि चाय के संबंध में गिरावट (21 करोड़ रुपये) दर्ज की गयी थी।

सारणी 7—सकल बैंक ऋण का उद्योगवार नियोजन

(करोड़ रुपये)

मद	बकाया			उधार-चढ़ाव	
	मार्च 1982	मार्च 1983	मार्च 1984 (अनंतिम)	अप्रैल-मार्च 1982-83	अप्रैल-मार्च 1983-84 (अनंतिम)
उद्योग (लघु, मझोले एवं बड़े उद्योगों का योग)	15056	17762	20376	+2706	+2614
1. कोयला	53	60	132	+7	+72
2. लोहा और इस्पात	856	1565	1591	+709	+26
3. अन्य धातुएं एवं उनके उत्पाद	527	593	675	+66	+82
4. सभी इंजीनियरी	3817	4375	4978	+558	+603

1	2	3	4	5	6
5. विद्युत (निर्माण एवं ट्रान्समिशन)	259	260	318	+1	+58
6 सूती वस्त्र उद्योग	1281	1380	1648	+99	+268
7 जूट वस्त्र उद्योग	187	208	213	+21	+5
8. अन्य वस्त्र उद्योग	842	957	1191	+115	+234
9. चीनी	403	588	607	+185	+19
10. चाय	265	265	244—		—21
11. वनस्पति तेल (वनस्पति सहित)	215	234	267	+19	+33
12. तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	133	127	170	—6	+43
13. कागज एवं कागज के उत्पाद	357	407	483	+50	+76
14. रबड़ एवं रबड़ के उत्पाद	280	319	390	+39	+71
15. रसायन, रंजक रंग, दवाईयां एवं औषधियों	1672	1891	2092	+219	+201
उनमें से : उर्वरक	329	327	378	—2	+51
16. सीमेंट	158	205	231	+47	+26
17. चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	220	237	265	+17	+28
18. निर्माण	143	189	219	+46	+30
19. नयीयोजना के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज	307	327	368	+20	+41
20. पेट्रोलियम	431	163	374	—268	+211
21 शेष उद्योग	2650	3412	3920	+762	+508

57. थोक व्यापार (खाद्यान्न खरीद से इतर) को दिये गये अग्रिमों ने 1983-84 में 15 करोड़ रुपये की गिरावट दर्शायी जबकि 1982-83 के दौरान 15 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गयी थी। भारतीय कपास निगम तथा भारतीय खाद्य निगम को (उर्वरक वितरण के लिए) दिये गये अग्रिमों में क्रमशः 97 करोड़ रुपये तथा 171 करोड़ रुपये की गिरावट आयी (पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में वृद्धि क्रमशः 35 करोड़ रुपये तथा एक करोड़ रुपये थी), जबकि अन्य उद्योगों को दिये गये ऋणों में 278 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। पिछले वर्ष इनमें 160 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

58. "अन्य क्षेत्रों" को, जो शेष क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनमें वित्तीय संस्थाएं, किराया, खरीद एजेंसियां, वैयक्तिक ऋण आदि शामिल हैं, दिये गये ऋणों में वर्ष के दौरान 712 करोड़ रुपये की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर्ज की गयी थी। 1982-83 में 570 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक की सहायता

59. वर्ष 1983-84 के दौरान रिजर्व बैंक की पुनर्वित्त सुविधा में कुछ मूलभूत परिवर्तन किये गये। ये खाद्यान्न पुनर्वित्त के संबंध में कट ऑफ पॉइंट को बढ़ाने तथा निर्यात पुनर्वित्त को उल्लेखनीय रूप से उदार बनाने के बारे में है तथा इनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक की सहायता के संबंध में आंकड़े नीचे सारणी 8 में दिये गये हैं।

सारणी 8—अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक की सहायता

(जहाजरानी ऋणों पर विशेष पुनर्वित्त तथा शुल्क वापसी को छोड़कर)

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को	खाद्यान्न-पुनर्वित्त		निर्यात पुनर्वित्त		सहयर्ती पुनर्वित्त		विवेकाधीन पुनर्वित्त		कुल पुनर्वित्त	
	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
जून 1982	341	28.6	163.3	31.9	—	—	—	—	510.4	60.5
जून 1983	1086.5	112.9	161.2	33.4	20.0	—	20.0	—	1287.7	146.3
जून 1984	1932.8	885.0	678.6	358.0	5.0	—	128.0	121.5	2744.4	1364.5

खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त

60. जून 1983 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कुल 1087 करोड़ रुपये की खाद्यान्न पुनर्वित्त सीमायें मंजूर की गयी थीं जिनमें केवल 113 करोड़ रुपये (अथवा 10.4 प्रतिशत उपयोग में लाये गये थे) बैंकिंग क्षेत्र की खाद्यान्न पुनर्वित्त सीमाएं 29 जून 1984 को 1,933 करोड़ रुपये के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गयीं और वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया राशियां 29 जून 1984 को 885 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी थीं जबकि उपभोग अनुपात 46 प्रतिशत के आस पास पहुंच गया था। तथापि सर्वाधिक उपभोग अनुपात 66 प्रतिशत 30 मार्च 1984 को रहा।

निर्यात ऋण पुनर्वित्त

61. 24 जून 1983 की स्थिति के अनुसार बैंकों की निर्यात पुनर्वित्त सुविधायें 161 करोड़ रुपये रहीं जिनमें से उस तारीख तक 33 करोड़ रुपये से कुछ अधिक राशि उपभोग में लायी गयी थी। निर्यात पुनर्वित्त फार्मूला उदार बनाये जाने के साथ ही नवम्बर 1983 के अंत से बैंकों की निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधाओं में वृद्धि की गयी थी। इसकी सर्वाधिक सीमा 680 करोड़ रुपये 22 जून 1984 को रही। सीमाओं का 358 करोड़ रुपये का अधिकतम उपभोग 29 जून 1984 को रहा, जब लगभग 77 प्रतिशत सीमाओं का उपभोग किया गया था। वर्ष 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान बैंकों की निर्यात ऋण सुविधा सीमाओं में 517 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और बकाया राशियों में 325 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

सहवर्ती पुनर्वित्त

62. बैंकों को जून 1983 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार मंजूर की गयी सहवर्ती पुनर्वित्त सीमायें 20 करोड़ रुपये थीं जिनका उसी तारीख को पूरी तरह उपभोग कर लिया गया था। उसके बाद सीमा की राशि में गिरावट आयी और अक्तूबर-दिसम्बर 1984 की तिमाही के दौरान सहवर्ती सीमाएं शून्य थीं। जनवरी 1984 के बाद से बैंकों की सहवर्ती पुनर्वित्त सीमाएं फिर से मंजूर की गयीं और सर्वाधिक मंजूरियां 23 मार्च 1984 को 59 करोड़ रुपये थीं। 16 मार्च 1984 की स्थिति के अनुसार बैंकों ने 39 करोड़ रुपये की अपनी सहवर्ती सीमाओं का पूरी तरह उपभोग कर लिया था। वर्ष 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान बैंकों को मंजूर की गयी सहवर्ती पुनर्वित्त सीमायें जून 1983 के अंतिम शुक्रवार के 20 करोड़ रुपये से गिरकर जून 1984 को 5 करोड़ रुपये रह गयीं थीं। इन दोनों तारीखों को कोई भी राशि बकाया नहीं थी।

विवेकाधीन पुनर्वित्त

63. रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया था कि बढ़ी हुई प्रारक्षित जरूरतों के साथ समायोजन करते समय महसूस की जाने वाली अस्थायी नकदी समस्याओं की सीमा तक उन्हें अल्पावधि के लिए गुणदोषों के आधार पर विवेकाधीन पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जायेगा। कुछ बैंकों को जनवरी 1984 के मध्य से विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमायें मंजूर की गयी थीं। मंजूर की गयी अधिकतम राशि 18 मई 1984 की स्थिति के अनुसार 187 करोड़ रुपये थी। उपभोग में लायी गयी अधिकतम राशि 11 मई 1984 को 137 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान विवेकाधीन पुनर्वित्त की राशि जून 1983 के अंतिम शुक्रवार के 20 करोड़ रुपये से बढ़कर 18 मई 1984 को 187 करोड़ रुपये हो गयी थी। हां, बकाया राशियां जून, 1983 के अंतिम शुक्रवार के शून्य से बढ़कर 29 मई, 1984 को 122 करोड़ रुपये हो गयीं।

समग्र स्थिति

64 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक की विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सीमाओं की कुल राशि (जहाज रानी ऋणों तथा शुल्क वापसी पर विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर) में 1982-83 के दौरान, 777 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में, 1983-84 के दौरान 1457 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। उन सीमाओं पर बकाया राशियों में 1218 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी जबकि पिछले वर्ष 86 करोड़ रुपये की अपेक्षाकृत अल्प वृद्धि की गयी थी। वर्ष के दौरान बैंकों को मंजूर की गयी विभिन्न सीमाओं का जोड़ 29 जून 1984 को 2745 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और अधिकतम उपभोग उस तारीख की स्थिति के अनुसार 1365 करोड़ रुपये था।

ऋण बजट

65. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रमुख बैंकों से 1983-84 के लिए उनके ऋण बजटों पर जून-जुलाई 1983 में चर्चाएं की गयी थीं। इस बात पर जोर दिया गया था कि बैंक अपने ऋण परिचालनों की योजनायें अपने स्रोतों के यथार्थवादी मूल्यांकन के आधार पर बनायें और रिजर्व बैंक से उपलब्ध पुनर्वित्त सुविधायें शुरू से अंत के रूप में नहीं मानी जानी चाहिए। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सभी प्रमुख बैंकों को अलग-अलग भेजी गयी विस्तृत सूचना के आधार पर अपने बजटों को अंतिम रूप दें। बैंकों से यह भी अपेक्षा की गयी थी कि वे घोषित किये गये नीति संबंधी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए व्यस्त मौसम के शुरू के दौर में ही अपने ऋण बजटों को संशोधित कर लें।

सरकारी वित्तपोषण

66. भारत सरकार के 1984-85 के बजट में कराधान की 1983-84 की दरों पर कुल मिलाकर, 235 करोड़ रुपये के घाटे की व्यवस्था की गयी है। अब 1984-85 के दौरान, केन्द्र के अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयासों के फलस्वरूप, 273 करोड़ रुपये* (अन्तिम) के शुद्ध राजस्व की व्यवस्था की जाती है तो यह बजट घाटा 1762 करोड़ रुपये रह जायेगा जबकि 1983-84 के संशोधित अनुमानों में इसके लिए 1659 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। राज्य सरकारों की संयुक्त समग्र बजट स्थिति कुल मिलाकर 1984-85 के लिए 934 करोड़ रुपये के समग्र घाटे की स्थिति दर्शाती है, जबकि 1983-84 के लिए संशोधित अनुमानों में 853 करोड़ रुपये† का घाटा दर्शाया गया था। बजट प्रस्तावों से राज्यों के खाते में जमा होने वाली 326 करोड़ रुपये‡ की शुद्ध आय के समायोजन के बाद 1984-85 के लिये घाटा 608 करोड़ रुपये का ही रह जायेगा।

समेकित स्थिति केन्द्र और राज्य

67. केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्राप्तियों और वितरणों की संयुक्त स्थिति सारणी 9 में दर्शायी गयी है। 1984-85 में कुल प्राप्तियां 63,338 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने का बजट रखा गया है। यह क्रमोवेश पिछले वर्ष की तरह 1983-84 में 53,736 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है (संशोधित अनुमान से संशोधित अनुमान)। **1984-85 में कुल वितरण, पिछले वर्ष के बजट अनुमानों के 55,832 करोड़ रुपये की तुलना में 65,708 करोड़ रुपये रहने

*इसमें 18 अप्रैल, 1984 को घोषित बजट के बाद की कर रियायतें शामिल नहीं है। बजट प्रस्तावों से बिजली उत्पाद शुल्क के प्रस्तावित रूप से हटाये जाने के परिणाम भी नहीं आये हैं।

†केन्द्र और साथ ही राज्य सरकारों के 1983-84 के (संशोधित अनुमान) बजट घाटे में, केन्द्र द्वारा राज्यों को विशेष ऋण सहायता के रूप में उपलब्ध करायी गयी 400 करोड़ रुपये की वह राशि शामिल नहीं है। उन्हें मार्च 1983 की स्थिति के अनुसार अपनी ओवरड्राफ्ट की स्थिति सुधारने के लिए दी गयी थी।

‡इसमें राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाने के उपायों से 405 करोड़ रुपये की अनुमानित आय और केन्द्रीय बजट 1984-85 में घोषित रियायतों और राहतों की वजह से केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से में 79 करोड़ रुपये की अनुमानित कमी शामिल है।

**यदि 1984-85 के बजट अनुमानों की पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना की जाये तो कुल प्राप्तियों में वृद्धि 8.8 प्रतिशत और कुल व्यय में वृद्धि 8.2 प्रतिशत बैठती है। इसी तरह यदि 1983-84 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1982-83 के लेखों से तुलना की जाये तो प्राप्तियों में वृद्धि 17.4 प्रतिशत तथा व्यय में वृद्धि 16.7 प्रतिशत आती है।

का अनुमान लगाया गया है। यह 1983-84 में 16.5 प्रतिशत की तुलना में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। विकासशील व्यय में 1984-85 में वृद्धि दर पिछले वर्ष की 13.4 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक होकर 18.3 प्रतिशत होने की संभावना है, जबकि गैर-विकासशील व्यय की दर 1983-84 के 22.3 प्रतिशत से काफी गिर कर 14.8 प्रतिशत रह जाने की संभावना है।*

बाजार ऋण

68. 1983-84 के दौरान केन्द्र सरकार ने सात बार बाजार का सहारा लिया, जिसमें से अंतिम श्रृंखला पूरी तरह रिजर्व बैंक को दे दी गयी थी और 4001 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि उधार ली गयी। यह पिछले वर्ष के उधार की तुलना में 201 करोड़ रुपये अधिक थी। राज्य सरकारों के 508 करोड़ रुपये के शुद्ध बाजार ऋण, पिछले वर्ष की 63 करोड़ रुपय की अल्प वृद्धि की तुलना में, 189 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। स्थानीय प्राधिकरणों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं द्वारा ऋणों में 239 करोड़ रुपय की वृद्धि हुई और वे 1739 करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गये। पिछले वर्ष के दौरान 141 करोड़ रुपय की वृद्धि हुई थी। सारणी 10 में इस संबंध में ब्यौरे दिये गय हैं। 1983-84 के दौरान राज्य सरकारों के सकल ऋण 763 करोड़ रुपये के रहे जिसमें से 675 करोड़ रुपये नकद आधार पर और 88 करोड़ रुपये, ऋणों की अवधि पूर्ण होने पर, परिवर्तन के रूप में थे। 175 करोड़ रुपये के ऋणों की अवधि समाप्ति तक चुकौती के लिए समायोजित करने के बाद राज्यों के शुद्ध बाजार ऋण 588 करोड़ रुपये के थे। सकल देशी उत्पाद (चालू बाजार मूल्यों पर) के रूप में सकल शुद्ध बाजार ऋण (केन्द्र और राज्य) 1983-84 के दौरान 2.34 प्रतिशत रहे जबकि 1982-83 में यह प्रतिशत 2.55 था। बाजार ऋणों से प्राप्तियों ने योजना परिव्यय के 18 प्रतिशत का वित्तपोषण किया जबकि 1982-83 में परिव्यय का 19.7 प्रतिशत वित्तपोषित किया गया था। 1984-85 के लिए केन्द्र सरकार ने 4100 करोड़ रुपये के बाजार ऋणों का बजट रखा है।

सारणी-9 केन्द्र तथा राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां एवं संवितरण

(1982-83—1984-85)

(करोड़ रुपये)

	1982-83 (संशोधित अनुमान)	1982-83 (लेखा)	1983-84 (बजट अनुमान)	1983-84 (संशोधित अनुमान)		1984-85 (बजट अनुमान)*	
				राशि	पिछले वर्ष के तदनुरूपी संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशत का अंतर	राशि	पिछले वर्ष के तदनुरूपी बजट, अनुमानों की तुलना में प्रतिशत का अंतर
	1	2	3	4	5	6	7
1. कुल प्राप्तियां (अ+आ)	49411	49586	53736	58200	+17.8	63338	+17.9
अ. राजस्व प्राप्तियां	34929	34752	39230	39947	+14.4	44718	+14.0
उनमें से कर प्राप्तियां	27484	27175	31662	31741	+15.5	35335	+11.6
आ. पूंजीगत प्राप्तियां	14482	14829	14506	18253	+26.0	18620	+28.4
2. कुल संवितरण (अ+आ+इ)	52125	52061	55832	60748	+16.5	65708	+17.7
अ. विकासात्मक व्यय (क+ख+ग)	34281	33644	35446	38870	+13.4	41950	+18.3
(क) राजस्व	19906	19490	21329	22961	+15.3	24826	+16.4
(ख) पूंजीगत	7883	7748	8075	9126	+15.8	9748	+20.7
(ग) ऋण एवं अग्रिम	6492	6406	6042	6783	+4.5	7376	+22.1
आ. गैर-विकासात्मक व्यय (क+ख+ग)	16576	16473	19532	20269	+22.3	22421	+14.8
(क) राजस्व	15454	15381	18356	18551	+20.0	20977	+14.3
(ख) पूंजीगत	811	830	876	1374	+69.4	1095	+25.0
(ग) ऋण एवं अग्रिम	311	262	300	344	+10.6	349	+16.3
इ. अन्य	1268	1944	854	1609	+26.9	1337	+56.6
3. समग्र अधिशेष (+) या घाटा (—) (1-2)	—2714	—2480	—2096	—2548		+2370	

टिप्पणी :—

1. इन आंकड़ों में विधानमंडल वाले संघराज्य क्षेत्र नहीं आते।

2. अन्य संवितरणों में देशी एवं विदेशी ऋण देना, स्थानीय निकायों तथा पंचायत राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति एवं सुपुर्दगी आकस्मिकता निधियों, प्रेषणों (शुद्ध) के विनियोजन शामिल है और राज्य सरकारों ने अपने-अपने बजटों में केन्द्र सरकार को ऋणों की जो चुकौती की है उनके आंकड़ों के अंतर समायोजित किये गये हैं।

*इसमें भारत सरकार के बजट के संबंध में 18 अप्रैल, 1984 को घोषित बजट के बाद कर-रियायतों के आंकड़े शामिल नहीं है, लेकिन बजट प्रस्तावों के आंकड़े शामिल हैं।

*यदि 1984-85 के बजट अनुमानों की तुलना पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से की जाये तो विकासशील व्यय में वृद्धि 7.9 प्रतिशत तथा गैर-विकासशील व्यय में वृद्धि 10.6 प्रतिशत आती है। इसी तरह यदि 1982-83 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना 1982-83 के लेखों से की जाये तो विकासशील व्यय में वृद्धि 15.5 प्रतिशत तथा गैर-विकासशील व्यय में वृद्धि 23.0 प्रतिशत बैठती है।

सारणी 10— केन्द्र तथा राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं के बाजार ऋण-राजकोषीय वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 (करोड़ रुपये)

	सकल बाजार	चुकौतियां		शुद्ध बाजार		
	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84
1. केन्द्र सरकार	4,166	4,345	366	344	3800	4,001
2. राज्य सरकारें	556	763	157	175	399	588
3. निम्नलिखित द्वारा प्रायोजित संस्थाओं के शुद्ध बाजार ऋण	4,722	5,108	523	519	4,199	4,589
4. केन्द्र सरकार	929	1,117	21	35	908	1,082
5. राज्य सरकारें (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	789	871	197	214	592	657
6. कुल संस्थायें	1,718	1,988	218	249	1,500	1,739
7. समग्र बाजार ऋण (3+6)	6,440	7,096	741	768	5,699	6,328

69. केन्द्र सरकार ने ऋणों की अपनी पहली शृंखला में पहली जून 1984 को 3 ऋण जारी किये । ये थे, 8.50 प्रतिशत ऋण 1994—9.50 प्रतिशत ऋण 2004 और 10.52 प्रतिशत ऋण 2012। ये ऋण नकदी-सह-परिवर्तन आधार पर थे और इनसे 881 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। इनमें से 735 करोड़ रुपये नकद और शेष राशि परिवर्तन के जरिये प्राप्त हुई।

70. 9 जुलाई, 1984 को भारत सरकार ने नकदी सह-परिवर्तन आधार पर 8.50 प्रतिशत ऋण 1994 (दूसरे निर्गम) 9.50 प्रतिशत ऋण 2004 (दूसरा निर्गम) और 10.25 प्रतिशत ऋण 2012 (दूसरा निर्गम) के निर्गम के साथ दूसरी बार बाजार में प्रवेश किया और कुल 774 करोड़ रुपये की राशि जुटाई। इसमें से 691 करोड़ रुपये नकद और शेष राशि परिवर्तन के जरिए जुटाई गयी थी। इन दो शृंखलाओं के साथ केन्द्र सरकार ने 1263 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि जुटाई जो 1984-85 के लिए कुल बजट बाजार ऋणों (शुद्ध) का 30.9 प्रतिशत थी।

केन्द्र सरकार के ऋणों पर कूपन दरें

71. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर लाभ में वृद्धि करने की दृष्टि से पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न समाप्ति अवधियों वाली प्रतिभूतियों की कूपन दरों में धीरे-धीरे वृद्धि की गयी है। कम समाप्ति अवधि वाली प्रतिभूतियों की ब्याज दरों में की गयी वृद्धि इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी लेकिन अधिक समाप्ति-अवधि वाली कुछ प्रतिभूतियों की ब्याज दरों में की गयी वृद्धि बहुत आकर्षक थी। ऐसी प्रतिभूतियों की ब्याज दरों में पिछले तीन वर्षों में 1.75 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी। उदाहरण के लिए 20 वर्षीय ऋण के संबंध में 1982 में कूपन दर 7.5 प्रतिशत थी जबकि इसे 1984 में बढ़ा कर 9.50 कर दिया गया। इसी अवधि में 28 वर्षीय ऋण के मामले में कूपन दर को 8.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.25 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही 1982 में पहली बार 31 वर्षीय ऋण प्रारंभ किये गये जिन पर कूपन दर 9 प्रतिशत रखी गयी थी जिसे 1983 में, एकदम बढ़ा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया।

केन्द्रीय ऋणों की रिजर्व बैंक की सहायता

72. केन्द्रीय सरकार के बाजार उधार कार्यक्रमों में धीमी वृद्धि हुई। साथ ही, पिछले वर्षों में केन्द्रीय सरकार के ऋणों में रिजर्व बैंक के बढ़ते हुए हिस्से का उल्लेख भी पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था। 1983-1984 के दौरान इस हिस्से में वृद्धि जारी रही जो सकल बाजार ऋणों का 30.8 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष यह हिस्सा 25.2 प्रतिशत था। लेकिन, यहां यह उल्लेखनीय है कि 1980-81 और 1981-82 में यह अनुपात 43.1 प्रतिशत तथा 38.6 प्रतिशत की उच्च सीमा में था। (सारणी 11) यद्यपि, पिछले कुछ वर्षों में रिजर्व बैंक के इस हिस्से में कमी आयी है तथापि आठवें दशक के अंतिम वर्षों के दौरान अर्थात 1978-79 तथा 1979-80 के क्रमशः 1.6 प्रतिशत तथा 18.1 प्रतिशत की अपेक्षा यह अभी भी बहुत अधिक है।

सारणी 11—बजटीय घाटा, बाजार ऋण तथा केन्द्र सरकार के बाजार ऋणों में रिजर्व बैंक की सहायता (1981-82 से 1984-85)

(करोड़ रुपये)

मद	1981-82 (लेखे)	1982-83 (लेखे)	1983-84 (बजट अनुमान)	1983-84 (संशोधित अनुमान)	1984-85(क) (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6
1. राजस्व लेखा					
(क) राजस्व	15574.2	18091.3	20593.9	20964.3	24016.4
(ख) व्यय	15867.7	19345 6	22418.8	23339.4	26342.0
(ग) अधिशेष (+)/घाटा (—)	—293.5	—1254.3	—1824.9	—2375.1	—2325.6
2. पूंजीगत लेखा					
(क) प्राप्तियां	10155.7	13286.3	13451.5	16770.4	17717.3
(ख) संवितरण	11254.1	13687,5	13212.7	16090.7	17153.9
(ग) अधिशेष (+)/घाटा(+)	—1098.4	—401.2	+238.8	+679.7	+563:4
3. कुल प्राप्तियां 1 (क)+2(क)	25729.9	31377.6	34045.4	37734.7	41733.7
4. समग्र अधिशेष (+)/घाटा(—)	—1391.9*	—1656.5(ख)	—1586.1	1695.4(ग)	—1762.2
5. (3) के प्रतिशत के रूप में (4)	5.4	5.3	4.7	4.5	4.2
6. सकल बाजार ऋण	3198.3	4136.2	4344 0	4344.0	4591.0
7. (3) के प्रतिशत के रूपमें (6)	12.4	13.3	12.8	11.5	11.0

1	2	3	4	5	6
8. रिजर्व बैंक के अधिकार में विनांकित प्रतिभूतिया (वृद्धियां)†	1235.9	1041.0	1338.1	1338.1	
9. (6) के प्रतिशत के रूप में (8)	38.6	25.2	30.8	30.8	

टिप्पणी: (क) इसमें बजट प्रस्तावों के परिणाम शामिल हैं लेकिन 18 अप्रैल 1984 को घोषित बजट के बाद की कर-रियायतें शामिल नहीं है।

(ख) राज्य सरकारों को उनके घाटे पाटने के लिए 31 मार्च 1982 को दिये गये 1743.4 करोड़ रुपये के ऋण शामिल नहीं हैं।

(ग) राज्य सरकार को उनके ओवरड्राफ्ट निपटाने के लिए 31 मार्च 1983 को दिये गये 400 करोड़ रुपये के ऋण शामिल नहीं है।

*निधि उपलब्ध कराये गये तदर्थ खजाना बिलों के बदले रिजर्व बैंक के पक्ष में जारी 3,500 करोड़ रुपये की विशेष प्रतिभूतियां शामिल नहीं है।

†विशेष प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड

73. 7 वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों तथा 3 वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों से क्रमशः 9 जुलाई 1979 तथा 7 जुलाई 1983 से धन प्राप्त हो रहा है। इन दोनों ही बांडों पर ब्याज की दर 7.5 प्रतिशत वार्षिक है। इन दोनों ही बांडों में निवेश करने वाला निर्धारित पूंजीगत आस्तियों के अंतरण/बिक्री से प्राप्त पूंजीगत लाभ पर कर से छूट की सुविधा ले सकता है। 7 वर्षीय बांडों के जारी होने से लेकर मार्च 1984 के अंत तक इनके विक्रय से 1982.5 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई जबकि 3 वर्षीय बांडों से जून 1984 के अंत तक प्राप्त राशि 55.3 करोड़ रुपये थी।

सामाजिक सुरक्षा प्रमाण पत्र

74. पहली जुलाई 1984 से शुरू किये गये सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्रों में मार्च 1984 के अंत तक कुल 15.0 करोड़ रुपये के अभिदान प्राप्त हुए।

पूंजीगत निवेश बांड

75. 28 जून 1982 से शुरू किये गये पूंजीगत निवेश बांडों में 1983-84 के दौरान 40,6 करोड़ रूपये की राशि के अभिदान प्राप्त हुए जबकि इस वास्ते बजट में प्राक्कलित राशि 200 करोड़ रुपए तथा संशोधित अनुमानों के अनुसार 60 करोड़ रुपये थी। 1984-85 के बजट में इन बांडों से 60 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन बांडों के निर्गम से लेकर जून 1984 के अंत तक विक्रय से प्राप्त हुई राशि 124.7 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय जमा योजना

76. सार्वजनिक कार्यों में निवेश के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने की दृष्टि से सरकार ने "राष्ट्रीय जमा योजना" प्रारंभ की है जो बैंकों की दोधविधि जमा योजना से बहुत कुछ मिलती जुलती है। यह योजना 30 जुलाई 1984 से लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत 4 वर्ष की समाप्ति-अवधि वाले जमा प्रमाणपत्र भारतीय स्टेट बैंक तथा 14 राष्ट्रीकृत बैंकों की कुछ निर्दिष्ट शाखाओं से खरीदे जा सकते हैं। इनमें निवेश करने वाला व्यक्ति एक वर्ष के बाद कभी भी इन्हें भुना सकेगा। इस योजना में 4 वर्षों तक किये गये निवेश पर 10.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा तथा तीन, दो और एक वर्ष के लिए किये गये निवेश पर ब्याज की दर क्रमशः 10,9 और 7 प्रतिशत होगी। इन निक्षेपों से प्राप्त ब्याज, आयकर अधिनियम की धारा 80 एल के अन्तर्गत उपलब्ध 10,000 रुपये सहित (यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों से आय पर 3,000 रुपये सहित) की छूट के अतिरिक्त 2000 रुपये तक कर मुक्त होगा। साथ ही, ऐसी जमा राशियों के संबंध में 25000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट सम्पदा कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गयी है। एक निश्चित अवधि में इस योजना से 500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद अथवा मौद्रिक गतिविधियों के अनुसार यदि आवश्यक हुआ तो पहले ही इस योजना की समाप्ति का सरकार का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

77. पहली मई 1981 से निर्गमित छह वर्षीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम तथा छह वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम को पिछले वर्ष सम्पदा कर अधिनियम तथा आय कर अधिनियम के अन्तर्गत उदार लाभ देकर और अधिक आकर्षक बनाया गया। इन प्रमाणपत्रों में किया गया निवेश आय कर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत 40,000/- रुपये की अधिकतम सीमा तक अन्य विनिर्दिष्ट आस्तियों के साथ कर योग्य आय से घटाने जाने के लिए पात्र है। इसी प्रकार ऐसे निवेश अधिकतम 2.65 लाख रुपये तक के अन्य विनिर्दिष्ट निवेशों के साथ मूल्यांकन वर्ष, 1985-86 से संपत्ति कर से छूट के लिए भी पात्र हैं। इसके अलावा, इन प्रमाणपत्रों पर अर्जित ब्याज, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों तथा बैंक जमाराशियों पर अर्जित ब्याज के साथ 7,000 रुपये प्रति वर्ष की सीमा तक आयकर अधिनियम की धारा 80 एल के अन्तर्गत छूट के लिए पात्र है। इसके परिणामस्वरूप, इन प्रमाणपत्रों के विक्रय से प्राप्त राशियों में तीव्र वृद्धि हुई। 1983-84 (अप्रैल,मार्च) के दौरान इनके विक्रय से प्राप्त कुल राशि 1,546 करोड़ रुपये थी जबकि वर्ष 1982-83 के दौरान यह 962 करोड़ रुपये थी।

राज्य सरकारों को ओवरड्राफ्ट

78. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कुछ राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का सहारा लिये जाने का उल्लेख किया गया था। यद्यपि केन्द्रीय सहायता जारी होने से राज्यों द्वारा जून 1983 के अन्त तक के बकाया ओवरड्राफ्ट समाप्त कर दिये गये थे लेकिन 1 जुलाई, 1983 को ही तुरन्त यह प्रवृत्ति फिर दिखाई दी। तब से ओवरड्राफ्ट पर अवलंबित रहने की प्रवृत्ति काफी बढ़ गयी है। पहली जुलाई 1983 को तीन राज्यों का ओवरड्राफ्ट 66.10 करोड़ रुपये था जो 21 जनवरी 1984 को 9 राज्यों के संबंध में 739.59 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर तक बढ़ गया। चूंकि स्थिति काफी बिगड़ गयी अतः जनवरी 1984 में केन्द्र सरकार ने उन राज्यों के साथ एक बार फिर इस समस्या पर विचार-विमर्श किया जिनके ओवरड्राफ्ट रिजर्व बैंक के साथ बहुत अधिक थे। कई राज्यों ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने तथा ओवरड्राफ्ट पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की। 1983-84 के संशोधित बजट अनुमानों में राज्यों के लिए 400 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सहायता का प्रावधान किया गया है ताकि वे 1982-83 के अपने घाटों के कुछ भाग को पाट सकें। राज्यों को यह भी सूचित किया गया कि रिजर्व बैंक से अनुमत अर्थोपाय सीमाओं तक 1983-84 के अंतिम घाटों को 1984-85 के योजना संसाधनों से समायोजित नहीं किया जायेगा। ये उपाय किये जाने के बावजूद 31 मार्च 1984 को 17 राज्य सरकारों के कुल ओवरड्राफ्ट 531.26 करोड़ रुपये के थे जबकि 31 मार्च 1983 को 14 राज्यों के ओवरड्राफ्ट 384.92 करोड़ रुपये के थे। दोनों ही मामलों में ये राशियां सरकारी लेखें बन्द होने के बाद की हैं। बाद में ओवरड्राफ्ट की मात्रा तथा उनके बकाया रहने के दिनों की संख्या से संबंधित स्थिति और बिगड़ गयी। अब तक चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान ओवरड्राफ्ट का उच्चतम स्तर 23 अप्रैल 1984 को रहा जब 14 राज्यों का कुल ओवरड्राफ्ट 949.86 करोड़ रुपये हो गया था। केन्द्र सरकार ने 1983-84 में राज्य सरकारों को अपने ओवरड्राफ्ट चुकाने के लिए 499.13 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण दिये। इसके बाद ओवरड्राफ्टों के स्तर में कमी आयी। 28 जून 1984 तक के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 9 राज्यों का कुल ओवरड्राफ्ट 517.60 करोड़ रुपये था। केन्द्र सरकार द्वारा 29 जून 1984 को राज्य सरकारों को जारी की गयी 570.02 करोड़ रुपये की सहायता की मदद से संबंधित राज्य सरकारों ने अपने ओवरड्राफ्ट चुका दिये और जून 1984 के अंत में कोई ओवरड्राफ्ट बकाया नहीं रहा। बहुत बड़ी मात्रा में ओवरड्राफ्टों का बार बार सहारा लिया जाना तथा इसी प्रवृत्ति का बढ़ते जाना वित्तीय

प्रबंध में कुछ गंभीर खामियों की ओर इंगित करता है और समग्र वित्तीय स्थिति के हित में इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देता है।

पूंजीगत बाजार की गतिविधियां

79. हाल ही के कुछ वर्षों के दौरान, सरकार ने पूंजीगत बाजार की संस्थाओं के कार्य के पुनर्विन्यास तथा औद्योगिक निवेश की गति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कई कदम उठाये। सरकार ने स्टाक बाजार कार्यों के प्रोत्साहन के लिए तथा साथ साथ स्टाक एक्सचेंज पर सट्टे को प्रतिबंधित करने के लिए कई उपाय किये। औद्योगिक निवेश के लिए अक्षत राशि जुटाने को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से पिछले तीन वर्षों के दौरान चार नये स्टाक एक्सचेंजों को मान्यता दी गयी जिसके परिणामस्वरूप देश में स्टाक एक्सचेंजों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गयी। साथ ही, औद्योगिक प्रतिभूतियों, विशेष रूप से ऋण पत्रों परिवर्तनशील तथा अपरिवर्तनशील दोनों के लिए सक्रिय बाजार का निर्माण करने की दृष्टि से इनके निर्गम की शर्तों में अभिनव परिवर्तन किये गये।

80. इन विविध नीति संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप पूंजीगत बाजार उत्साहवर्धक बना रहा। पूंजीगत निर्गमों के नियंत्रक द्वारा मंजूर पात्रतियों/सहमतियों पर 1983-84 (अप्रैल-मार्च) के दौरान गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा 556.4 करोड़ रुपये की पूंजी वृद्धि (प्रवत) के अंतिम आंकड़ों से यह प्रकट होता है कि यह वृद्धि 1982-83 के दौरान हुई 420.1 करोड़ रुपये की वृद्धि से 32.4 प्रतिशत अधिक है। (सारणी 12) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किये गये नये पूंजीगत निर्गम (पूंजीगत छूट) आदेश, 1969 के अन्तर्गत जारी किये गये सहित) के अनुसार, जो स्थूल रूप से बाजार से जुटायी जाने वाली पूंजी की मात्रा दर्शाते हैं, 1983-84 (अप्रैल-मार्च) में यह कुल 809.2 करोड़ रुपये होगी जो 1982-83 के दौरान जुटायी गयी राशि 732.4 करोड़ रुपये से 10.5 प्रतिशत अधिक है।

81. 1983-84 के दौरान ईक्विटी शेयरों के निर्गम में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये 353.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गये। लेकिन, अधिमान शेयरों के निर्गम में नवम्बर 1981 में इन पर लाभांश की अधिकतम सीमा को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत कर दिये जाने के बावजूद, कोई वृद्धि नहीं हुई और यह सामान्य बने रहे। अधिमान शेयरों पर लाभांश की अधिकतम सीमा को मई 1984 में और बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

82. हाल ही के कुछ वर्षों में कम्पनियों द्वारा पूंजी जुटाने में डिबेंचरों पर बढ़ती हुई निर्भरता एक प्रमुख बात रही है। इसका कारण मुख्यतः सरकार द्वारा अप्रैल 1982 में अपरिवर्तनशील डिबेंचरों पर ब्याज की सीमा को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाना तथा छोटे धारकों के संबंध में पुनर्खरीद सुविधा द्वारा उनके नकदीकरण में वृद्धि करना है। इन उपायों के कारण अपरिवर्तनशील डिबेंचरों के गौण बाजार को सक्रिय बनाने में भी सहायता मिली जो 1983-84 के दौरान डिबेंचर निर्गमों पर हावी थे और कुल निर्गम के 93 प्रतिशत से अधिक थे। विद्यमान कंपनियों द्वारा अपने विस्तार/विशाखन के लिए डिबेंचरों पर बढ़ती हुई निर्भरता रिजर्व बैंक द्वारा किये गये 486 बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (जिनमें से प्रत्येक की प्रवत पूंजी एक करोड़ रुपये अथवा अधिक थी) के अध्ययन से भी प्रकट होती है। 1982,83 के दौरान (लेखे पहली अप्रैल 1982 से 31 मार्च 1983 की अवधि के दौरान बन्द किये गये) इन कंपनियों ने डिबेंचरों के माध्यम से 372 करोड़ रुपये की पूंजी जुटायी (यह 1981-82 के दौरान 133 करोड़ रुपये थी) जबकि उक्त अवधि में संस्थागत एजेंसियों (बैंकों को छोड़कर) से उनका उधार 418 करोड़ रुपये से घटकर 362 करोड़ रुपये रह गया।

सारणी 12—निजी निर्गम क्षेत्र द्वारा पूंजीगत निर्गम तथा जुटाई गई पूंजी (चुकता)

(करोड़ रुपये)

प्रतिभूतियां	पूंजीगत निर्गम		जुटाई गयी पूंजी (चुकता)	
	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84
इक्विटी शेयर	270.30	353.86	132.37	146.82
वर्तमान शेयर	2.05	2.39	2.77	1.29
डिबेंचर	460.00	452.96	285.00	408.28
(1) परिवर्तनीय	288.95	30.49	उपलब्ध नहीं	
(2) अपरिवर्तनीय	171.05	422.47	उपलब्ध नहीं	
जोड़	732.35	809.21	420.14	556.39

स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

83. औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में हाल ही की एक नयी बात निजी क्षेत्र के प्रवर्तकों द्वारा पट्टा तथा निवेश कंपनियों की स्थापना करना रही है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम जैसी कुछ मीयादी ऋण देने वाली संस्थाओं ने अपने कार्यों को उपकरण पट्टे पर देने के कार्य की ओर मोड़ दिया है। बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 के अनुसार अब बैंक भी उपकरण पट्टे पर देने का काम कर सकते हैं।

84. जुलाई 1983 से जून 1984 के दौरान देश में प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों का व्यापार नवम्बर 1983 से जनवरी 1984 के प्रथम सप्ताह को छोड़कर जिसमें ईक्विटी का मूल्य तेजी से बढ़ा और वर्ष के दौरान अधिकतम रहा, ईक्विटी के मूल्यों में कम वृद्धि हुई। साधारण शेयर के मूल्यों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अखिल भारतीय सूचकांक (1970-71=100) 7 जनवरी 1984 को समाप्त हुए सप्ताह में 211.7 पर पहुंच गये। इसके बाद ईक्विटी के मूल्यों में कमी आयी जो 1984 के अंत तक मंद बनी रही। जून 1984 के महीने में ईक्विटी के मूल्य में वृद्धि दिखायी दी। 30 जून 1984 को समाप्त हुए सप्ताह का सूचकांक 202.3 था जो एक वर्ष पूर्व के स्तर की अपेक्षा सीमान्त रूप से 0.8 प्रतिशत अधिक था। लेकिन 1983-84 का औसत सूचकांक 200.4 तथा जो 1982-1983 के स्तर से 9.8 प्रतिशत अधिक था।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता

85. 1983-84 (अप्रैल-मार्च) के दौरान अखिल भारतीय मीयादी ऋण संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा सामान्य बीमा निगम, द्वारा मंजूर और वितरित की गयी कुल सहायता राशि क्रमशः 3766 करोड़ रुपये तथा 2675 करोड़ रुपये थी। यह 1982-

1983 के दौरान की, 18.3 प्रतिशत की मंजूरी में तथा 17.5 प्रतिशत की वितरण में हुई वृद्धि की अपेक्षा क्रमशः 27.5 प्रतिशत तथा 22.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आधुनिकीकरण के वित्तपोषण की योजना सभी औद्योगिक इकाइयों पर लागू कर दी गई है और 4 करोड़ रुपये तक के ऋण पर ब्याज की राशि को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 11.5 प्रतिशत कर दिया गया है। कमजोर इकाइयों के मामले में 10 प्रतिशत ब्याज की दर पर सहायता दी जाती है।

भुगतान संतुलन

86. भुगतान संतुलन की समग्र स्थिति में सुधार होना राजकोषीय वर्ष 1983-84 में भी जारी रहा और इस सुधार से प्रोत्साहित होकर, भारत सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किये गये तीन वर्षीय विस्तारित निधि सुविधा करार को, छह माह पूर्व ही, पहली मई 1984 से समाप्त कर दिया। तदनुसार, विस्तारित निधि सुविधा के अन्तर्गत भारत ने 3900 मिलियन विशेष आहरण अधिकारों अथवा 8 नवम्बर 1984 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि में आहरित किये जाने वाले 5000 मिलियन विशेष आहरण अधिकारों से 1,100 मिलियन कम विशेष आहरण अधिकारों का आहरण किया।

87. राजकोषीय वर्ष 1982-83 के बाद के भुगतान संतुलन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों की गतिविधियों तथा अन्य सूचनाओं से यह पता चलता है कि राजकोषीय वर्ष 1983-84 के दौरान विदेशी आर्थिक कार्य सम्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। राजकोषीय वर्ष 1983-84 के दौरान रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों में 1233 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि 1982-83 के राजकोषीय वर्ष में 911 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी, जिसमें विस्तारित निधि सुविधा के अन्तर्गत विदेशी मुद्राओं के क्रमशः 1,197 करोड़ रुपये तथा 1,893 करोड़ रुपये के आहरण शामिल नहीं हैं। 1983-84 में विदेशी मुद्रा आस्तियों में 36 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि 1982-83 में 982 करोड़ रुपये की कमी आयी थी। विशेष आहरण अधिकारों के धारण में राजकोषीय वर्ष 1983-84 तथा 1982-83 में क्रमशः 51 करोड़ रुपये तथा 140 करोड़ रुपये की गिरावट आयी। यदि विस्तारित निधि सुविधा के अन्तर्गत 217 करोड़ रुपये के बराबर के विशेष आहरण अधिकारों, के आहरण क्षतिपूरक वित्तीय सुविधा के अन्तर्गत 72 करोड़ रुपये के बराबर विशेष आहरण अधिकारों के निवल पुनर्क्रय, तथा निधि के साथ भारत के कोटे में वृद्धि के लिए 133 करोड़ रुपये के बराबर विशेष आहरण अधिकारों के भुगतान को छोड़ दिया जाये तो विशेष आहरण अधिकारों के धारण में राजकोषीय वर्ष 1983-84 में हुई गिरावट 64 करोड़ रुपये के बराबर थी जबकि उसमें 1982-83 के दौरान 140 करोड़ रुपये की तुलनीय गिरावट आयी थी।

88. नीचे दी गयी सारणी में, हाल ही में, भारत की कुल प्रारक्षित निधियों तथा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा निधि से आहरणों और अदायगियों की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी 13—भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में उतार-चढ़ाव

	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां (बकाया)			क्षतिपूर्ति निधि सुविधा तथा विस्तारित निधि सुविधा के अन्तर्गत सकल आहरण (मिलियन वि. आ. अ.) +	पुनर्खरीदें * (मिलियन विशेष आहरण अधिकार)
	विशेष आहरण अधिकार (मिलियन)	स्वर्ण (रु० लाख)	विदेशी मुद्रा (रु० लाख)		
मार्च 1982	425.1	225.58	3354,47	866.00	शून्य
जून 1982	398.6	225,58	3274,19	1166.00	शून्य
मार्च 1983	270.2	225.58	4265,26	2666.00	शून्य
जून 1983	219.8	225,58	4805,18	2966.00	शून्य
मार्च 1984	216.4	225,58	5497,85	3966.0	66.50
जून 1984	330.8	225,58	5712.18	4166.00	99.75

+सकल आहरण तथा पुनर्खरीदें अगस्त 1980 से हैं जब क्षतिपूर्ति निधि सुविधा का आहरण किया गया था।
*पुनर्खरीदें क्षतिपूर्ति निधि सुविधा के कारण हैं।

व्यापारिक कारोबार

89. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा हाल ही में जारी किये गये आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि वाणिज्य वस्तुओं के व्यापार का अन्तर राजकोषीय वर्ष 1982-83 के 5,526 करोड़ रुपये से 1983-84 में 5,781 करोड़ रुपये का हो गया। निर्यातों के मूल्य में पिछले वर्ष के 13.2 प्रतिशत की तुलना में 1983-84 के दौरान 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वे 9,676 करोड़ रुपये के हो गये। आयातों के मूल्य में होने वाली वृद्धि दर में, जो पिछले वर्षों में बराबर गिर रही थी अर्थात् 1980-81 के 40.6 प्रतिशत से गिर कर 1981-82 में 9.2 प्रतिशत तथा 1982-83 में 5.0 प्रतिशत रह गयी थी, 1983-84 के दौरान 8.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वे 15,457 करोड़ रुपये के रहे। 1983-84 में कुल निर्यातों में वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। यदि मार्च 1984 में बंदरगाह हड़ताल न हुई होती तो वार्षिक निर्यात वृद्धि 12 प्रतिशत के आसपास की उच्च दर पर होती गैर तेल-निर्यातों में वृद्धि 7.0 प्रतिशत से काफी अधिक हो सकती है जबकि 1982-83 में उसमें 1.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी। विशेष आहरण अधिकार के रुपये के मूल्य ह्रास की व्यवस्था करने के बाद 1982-83 विनिमय दरों पर गैर-तेल निर्यातों में वृद्धि 1983-84 में 3.5 प्रतिशत के आसपास हो सकती है।

90. 1983-84 में निर्यातों के वर्गवार वितरण से संबंधित ब्योरे अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। 1983-84 में गैर-तेल निर्यात में मात्रा और मूल्य की दृष्टि से जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वह जवाहरात तथा तैयार वस्त्रों को शामिल करते हुए वस्त्रोद्योग के कारण हुई है। चाय के निर्यात में मूल्य के रूप में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन यह सारी वृद्धि विश्व में चाय के मूल्यों में हुई वृद्धि का परिणाम है। रसायनों तथा तैयार खाद्य पदार्थों के निर्यातों में वृद्धि होने के भी संकेत मौजूद हैं।

91. जहां तक आयातों का संबंध है, 1983-84 के दौरान जहां कुल आयातों में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहां गैर-तेल आयातों में, 1982-83 की 3.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, 22.4 प्रतिशत

की पर्याप्त रूप से तीव्रतर वृद्धि हुई है। यह वृद्धि जिन वस्तुओं के कारण हुई, वे हैं, खाद्य तेल, मोती, कीमती तथा अर्ध-कीमती पत्थर और गैर लौह धातुएं। देश में औद्योगिक गतिविधियों के पुनर्जीवन के कारण औद्योगिक कच्चे माल, उपस्करों तथा पूंजीगत माल के आयातों में भी भारी वृद्धि की संभावना है। आयातों के क्षेत्र में जो एक प्रमुख बात दिखायी दी है, वह है—कच्चे तेल और तेल-उत्पादों में आयात प्रतिस्थापना का जारी रहना। तेल आयात (निर्यातों को घटा देने के बाद शुद्ध) 1982-83 के 4,440 करोड़ रुपये से घटकर 1983-84 में 3,400 करोड़ रुपये के आसपास रह गये।

परोक्ष वस्तुएं

92. 1982-83 के दौरान, सरकारी अनुदानों को छोड़कर परोक्ष वस्तुओं का निवल अधिशेष 3210 करोड़ रुपये का था। विदेशी उधार तथा मुद्राकोष से आहरणों पर ब्याज की अदायगियों में वृद्धि होने के कारण निवल निवेश आय अदायगी में पर्याप्त वृद्धि हुई जबकि निजी अन्तरणों तथा यात्राओं से प्राप्तियों में भी सुधार हुआ। परिवहन के अन्तर्गत निवल अदायगियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखायी देती है। इस बात की संभावना नहीं है कि 1983-84 में शुद्ध परोक्ष प्राप्तियों के आकार में पिछले वर्ष की तुलना में काफी अन्तर हो।

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता तथा अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता योजनाओं के अन्तर्गत जमा राशियों में वृद्धि

93. पूंजीगत खाते में, 1983-84 के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना तथा अनिवासी विदेशी रुपया खाता योजनाओं के अन्तर्गत लगभग क्रमशः 330 करोड़ रुपये तथा 360 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि 1982-83 में इनमें क्रमशः 110 करोड़ रुपये तथा 350 करोड़ रुपये (अनिवासी विदेशी रुपया खाता योजना के अन्तर्गत ब्याज घटक को छोड़ते हुए) की वृद्धि हुई थी। विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में, 1984-85 की प्रथम छमाही के दौरान की शुद्ध प्राप्तियां 1983-84 की इसी तिमाही की अपेक्षा कम रहीं जो आंशिक रूप से, विदेशों में ब्याज की बढ़ती हुई दरों का प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। विदेशी सहायता, द्विपक्षीय लेनदेन, तथा निधि आहरण।

94. सकल विदेशी सहायता में वृद्धि की प्रवृत्ति लगातार दूसरे वर्ष भी दिखायी दी जो 1983-84 (अप्रेल-मार्च) के दौरान 2576 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी, और 1982-83 से 326 करोड़ रुपये अधिक थी। ऋण परिशोधन अदायगियां भी 1982-83 के 587 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित) से बढ़कर 1983-84 में 622 करोड़ रुपये हो गयीं। इसके परिणामस्वरूप 1983-84 के दौरान, 1,954 करोड़ रुपये की कुल विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है, जब कि 1982-83 में यह 1,663 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित) थी। 1983-84 तथा 1982-83 के दौरान भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसकी विस्तारित निधि सुविधा के अधीन क्रमशः 1,414 करोड़ रुपये तथा 1,893 करोड़ रुपये आहरित किये। 1983-84 में मुद्राकोष से कुल आहरण-राशि प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा के अन्तर्गत 72 करोड़ रुपये की पुनर्खरीद को घटाकर 1,342 करोड़ रुपये थी जबकि 1982-83 में ऐसे आहरणों की राशि 1,893 करोड़ रुपये थी। द्विपक्षीय पूंजीगत लेनदेनों की स्थिति में तीव्र परिवर्तन हुआ। 1982-83 में बड़ी मात्रा में राशियां बाहर गयी थीं जबकि 1983-84 में वे देश में आयीं।

ऋण शोधन

95. भुगतान-शेष से संबंधित 1982-83 के आंकड़ों के अनुसार कुल ऋण-शोधन भुगतान वर्ष के दौरान हुई कुल निर्यात आय के 14 प्रतिशत से कम थे। कुल चालू प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ऋण शोधन भुगतान, सरकारी अनुदानों को छोड़कर, 8.5 प्रतिशत होंगे तथा सकल राष्ट्रीय उत्पादन के संबंध में 0.8 प्रतिशत से कम होंगे।

विदेशी मुद्रा आस्तियां

96. वर्ष 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों में 9.07 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 5,712 करोड़ रुपये हो गयी। यदि मुद्राकोष से विस्तारित निधि सुविधा के अधीन आहरित किये गये 916 करोड़ रुपये तथा प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा की पुनर्खरीद के 39 करोड़ रुपये शामिल नहीं किये जायें तो इन आस्तियों में 30 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखायी देगी जबकि 1982-83 की इसी अवधि के दौरान इनमें 377 करोड़ रुपये की गिरावट आयी थी। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये 1,908 करोड़ रुपये के आहरण शामिल नहीं हैं।

विशेष आहरण अधिकार

97. 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान धारित विशेष आहरण अधिकारों में 111 मिलियन विशेष आहरण अधिकारों की वृद्धि हुई और वे बढ़ कर 331 मिलियन हो गये जबकि 1982-83 के दौरान इनमें 179 मिलियन विशेष आहरण अधिकारों की कमी आयी थी। 1983-84 के दौरान विशेष आहरण अधिकारों में हुई वृद्धि का मुख्य कारण निम्नलिखित के अन्तर्गत प्राप्तियां रहीं (i) प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से 360 मिलियन विशेष आहरण अधिकारों का आहरण और (ii) विदेशी मुद्राओं पर 247.6 मिलियन विशेष आहरण अधिकारों की खरीद, तथा निम्नलिखित के अन्तर्गत भुगतान. (iii) 1982-83 के दौरान के 220.3 मिलियन विशेष आहरण अधिकारों की तुलना में, 1983-84 के दौरान कोष ऋण के उपयोग के लिए 334.2 मिलियन विशेष आहरण अधिकारों को प्रभारों के भुगतान के लिए, (iv) प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा आहरणों के 66.5 मिलियन की पुनर्खरीद के लिए तथा (v) कोष में भारत के कोटे में वृद्धि के कारण 122.6 मिलियन विशेष आहरण अधिकारों के भुगतान के लिए।

स्वर्ण

98. रिज़र्व बैंक की स्वर्ण धारिताएं दिसम्बर 1980 से बिना किसी परिवर्तन के 226 करोड़ रुपये (प्रति 10 ग्राम 84.39 रुपयों के सांविधिक धारण मूल्य पर आंकी गयी) ही बनी रहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संबंध

99. जिस प्रकार औद्योगिक देशों की मंदी का प्रभाव एक वर्ष के बाद गैर-तेल विकासशील देशों के आर्थिक विकास पर पड़ा था, उसी प्रकार औद्योगिक देशों में हुए सुधार का प्रभाव भी, एक वर्ष बाद, 1984 में उन पर भी दिखाई देने की आशा है। लेकिन गैर-तेल विकासशील देशों में विकास की गति 1985 में 1967-78 की अवधि के दौरान की विकास की गति से काफी कम रहने की आशा है। समूह के रूप में एशियाई देशों की स्थिति में तुलनात्मक रूप से अधिक सुधार हुआ। कई गैर-तेल विकासशील देशों, विशेष रूप से सब-सहारा अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका में 1983 के दौरान भी प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आना जारी रहा तथा वर्तमान संकेतों के अनुसार 1984 में भी इनमें से कई देशों की प्रति व्यक्ति आय में और गिरावट आ सकती है। भावी अनुमानों के अनुसार 1984 और/अथवा 1985 में इन देशों की आर्थिक दशा में यदि सुधार होता भी है तो 1980 के जीवन-स्तर को पुनः प्राप्त करने में इन्हें कई वर्ष लगेंगे।

100. गैर-तेल विकासशील देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति निरुत्साहित जनक ही बनी रही। इनमें से अधिकांश देशों को विदेशी ऋण समस्या का समाधान नहीं मिल सका, यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय अस्थायी व्यवस्थाओं के माध्यम से विदेशी ऋण अदायगियों में व्यतिक्रम न करने में सफल रहा। गैर-तेल विकासशील देशों को रियायती तथा गैर-रियायती दोनों प्रकार की निवल विदेशी सहायता की संभावना क्षीण बनी रही जो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (vii) द्वारा दी जाने वाली सहायता में तीव्र कटौती तथा आधिकारिक विकास सहायता के विस्तार की धीमी

कमी के साथ-साथ वाणिज्यिक उधार में उल्लेखनीय कमी होने तथा विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली सहायता की राशि के संबंध में अनिश्चितता का परिणाम है। वर्ष के दौरान कोष के सदस्यों का कोटा 46 प्रतिशत बढ़ गया अर्थात् 61.1 बिलियन विशेष आहरण अधिकार से बढ़कर 89.2 बिलियन विशेष आहरण अधिकार हो गया। लेकिन, इस वृद्धि का प्रमुख भाग सदस्यों को चयनात्मक आधार पर आबंटित किया गया। कुल कोटे में गैर-तेल विकासशील देशों का हिस्सा 27.8 प्रतिशत से घटाकर 26.2 प्रतिशत कर दिया गया ; साथ ही, नीतियों में दृढ़ता तथा शर्तों में कठोरता के कारण, वास्तव में कोष से साधन प्राप्त करने में गैर-तेल विकासशील देशों में से अधिकांश देशों की पहुंच और कम हो गयी। गैर-तेल विकासशील देशों की रुचि की वस्तुओं के निर्यात मूल्यों में सार्थक सुधार होने की संभावनाएं भी काफी क्षीण हुई हैं। इस प्रकार, यद्यपि 1983 में गैर-तेल प्राथमिक वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सूचकांक में कुछ सुधार हुआ है तथापि 1980 में प्राप्त किए गये स्तर से यह लगभग 20 प्रतिशत कम रहा। इसी प्रकार गैर विकासशील देशों की व्यापारिक स्थिति में लगातार तीन वर्षों तक गिरावट आने के बाद 1983 में एक प्रतिशत से कुछ अधिक का सुधार हुआ और आशा की जाती है कि इसमें 1984 में 1.5 प्रतिशत का और सुधार होगा। ये सुधार सीमांत स्वरूप के हैं और सूचकांक 1979 में प्राप्त किये गये स्तर से लगभग 10 प्रतिशत कम बना रहेगा। विश्व व्यापार से संबंधित स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है लेकिन गैर-तेल विकासशील देशों की दृष्टि से यह अभी भी असंतोषजनक है। कुछ औद्योगिक देशों की स्थिति में सुधार आने के कारण, कुछ गैर-तेल विकासशील देशों के विदेशी व्यापार में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इस समूह के देशों के विदेशी उधारों पर, ब्याज दरों में वृद्धि के कारण इस सुधार का एक भाग प्रभावहीन हो जायेगा। औद्योगिक देशों की स्थिति में सुधार होने तथा खुली व्यापार प्रणाली बनाये रखने की सार्वजनिक घोषणाओं के बावजूद व्यापारिक रुकावटों में कमी नहीं आयी है बल्कि इसके विपरीत संरक्षणवाद का विस्तार हुआ है। किसी संगठित अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई के अभाव में संरक्षणवाद के और अधिक बढ़ने की आशा की जाती है।

101. गैर-तेल विकासशील देशों के चालू खातों के संयुक्त घाटे में जो और गिरावट आयी थी तथा 1983 के दौरान जिसमें उल्लेखनीय गिरावट हुई थी, उसमें 1984 में कुछ मामूली कमी हुई है। लेकिन, पिछले वर्ष जो सुधार हुआ था वह आयातों में और कमी के कारण हुआ था जिसके परिणामस्वरूप गैर-तेल विकासशील देशों के निवेश, उत्पादन प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। आयातों की कमी के कारण औद्योगिक देशों को आर्थिक गतिविधियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। प्रमुख औद्योगिक देशों के बीच चालू खाते का असंतुलन तेजी से बढ़ा तथा अमरीका के घाटे में नाटकीय वृद्धि हुई। इन गतिविधियों के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि हुई। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं की विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव हुए तथा कई औद्योगिक देशों में संरक्षणवाद को बल मिला। विदेशी ऋण समस्या के समाधान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इसकी असफलता से अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए वसूली की अवधि को बढ़ाने, संरक्षणवाद को समाप्त करने, अधिकारिक सहायता के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने तथा औद्योगिक देशों में ब्याज दरों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है।

विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव :

102. इस वर्ष के दौरान भी प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव की तीव्रता बनी रही, यद्यपि पिछले वर्ष की अपेक्षा इसका स्तर कुछ कम था। पिछले वर्ष की भांति, अमरीकी अल्पावधि ब्याज दरों में वृद्धि, अमरीकी अर्थव्यवस्था में सुधार तथा विश्व के राजनैतिक तनावों के कारण अमरीकी डालर मजबूत बना रहा। 1983-84 (जुलाई—जून) के दौरान विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में अमरीकी डालर के मूल्य में वृद्धि की वार्षिक औसत दर पिछले वर्ष की दर से कम रही। अच्छे आर्थिक कार्य निष्पादन के कारण जापानी येन में भी मजबूती आयी। वास्तव में, 1982-83 के दौरान अमरीकी डालर के संदर्भ में, वार्षिक औसत आधार पर इसमें जो भी गिरावट आयी उसकी क्षतिपूर्ति 1983-84 में इसके मूल्य में हुई वृद्धि से हो गयी। लेकिन, पौंड, स्टर्लिंग तथा ड्यूश मार्क के मूल्य में अमरीकी डालर के मुकाबले और कमी आयी। 1983-84 के दौरान पौंड स्टर्लिंग के मूल्य में 10.1 प्रतिशत की कमी हुई, यद्यपि इसके मूल्य में गिरावट की गति अपेक्षाकृत कम थी। ड्यूश मार्क के मूल्य में गिरावट की दर में वृद्धि हुई।

103. रुपये का विनिमय मूल्य एक मुद्रा समूह के संबंध में निर्धारित किया जाता रहा। वर्ष के दौरान, पौंड स्टर्लिंग के संदर्भ में रुपये की मध्य दर में 118 बार परिवर्तन किये गये जो पिछले वर्ष किये गये 113 बार के परिवर्तनों से सीमान्त रूप से अधिक थे। रुपये की मध्य दर, जून 1983 के 15.45 रुपये प्रति पौंड से बढ़कर 29 जून 1984 (30 जून को भारत और लंदन के बैंकों में छुट्टी के कारण) को 15.15 रुपये प्रति पौंड हो गयी जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 1.98 प्रतिशत अधिक थी। रुपये की दर में फ्रेंच, फ्रांक तथा इटली के लीरा के मुकाबले भी क्रमशः 0.97 प्रतिशत तथा 2.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी लेकिन उक्त अवधि में इसके मूल्य में अमरीकी डालर (9.76) प्रतिशत ड्यूश मार्क (1.25 प्रतिशत), जापानी येन (10.53 प्रतिशत) तथा विशेष आहरण अधिकार (0.62 प्रतिशत) जैसी अन्य मुद्राओं के मुकाबले कमी आयी।

मूल्य संबंधी स्थिति

104. यद्यपि 1983-84 में वास्तविक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई तथापि वर्ष के अधिकांश भाग में मूल्य संबंधी स्थिति गंभीर बनी रही वास्तव में, "सभी वस्तुओं" के थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1970-71=100) के आधार पर राजकोषीय वर्ष 1983-84 में मूल्यों में बिन्दुवार आधार पर 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1982-83 के सूखाग्रस्त वर्ष में हुई मूल्य वृद्धि अर्थात 6.4 प्रतिशत की अपेक्षा अधिक है। सूचकांक में औसत वृद्धि भी 9.3 प्रतिशत रही जो 1982-83 के 2.6 प्रतिशत से अधिक थी। 1983-84 में मूल्यों में होने वाली यह वृद्धि यद्यपि पिछले दो वर्षों में मूल्यों में हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक है तथापि 1979-80 तथा 1980-81 में हुई वृद्धि की अपेक्षा कम है।

105. 1984-85 के चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में, बिन्दुवार आधार पर हुई 4.3 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि 1983-84 की इसी अवधि में हुई 5.3 प्रतिशत की वृद्धि से कुछ कम है। औसत आधार पर भी एक वर्ष पूर्व की इसी अवधि में हुई 8.5 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा 8.0 प्रतिशत की यह वृद्धि कम स्तर को दर्शाती है।

106. जबकि 1982-83 के सूखाग्रस्त वर्ष में अच्छे पूर्ति प्रबंध के कारण मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सका, 1983-84 के शुरू के भाग में आवश्यक वस्तुओं के स्टाक में कमी के प्रभाव को अनुभव किया गया और मूल्य तेजी से बढ़े। वास्तव में, पहले पांच महीनों में अर्थात, अगस्त 1983 के तीसरे सप्ताह तक मूल्यों में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1982-83 की इसी अवधि में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस अवधि के दौरान, मूल्यों में जो वृद्धि हुई वह प्राथमिक वस्तुओं जैसे अनाजों, दालों, दूध तथा दूध से बनी वस्तुओं तिलहनों, खाद्य तेलों और गुड़ के मूल्यों में वृद्धि से हुई 20 अगस्त, 1983 से 24 दिसम्बर, 1983 के बीच मूल्यों में 0.1 प्रतिशत की सीमांत वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 2.2 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। इसके बाद की अवधि में अर्थात् (24 दिसम्बर 1983 से मार्च 1984 के अंत तक) हुई 0.8 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 2.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले कम रही।

107. वर्ष 1983-84 में, तीनों प्रमुख समूहों अर्थात् प्राथमिक वस्तुओं ईंधन, शक्ति, बिजली तथा चिकनाई पदार्थों और निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि से मूल्य स्तर बढ़ा। लेकिन, निर्मित वस्तु समूह के भारित योगदान से पता चलता है कि मूल्य सूचकांक पर इस समूह का सबसे अधिक दबाव था। यदि पिछले वर्ष से तुलना की जाये तो पता चलता है कि मूल्य प्राथमिक वस्तुओं तथा ईंधन, शक्ति, बिजली और चिकनाई पदार्थ दोनों का योगदान कम महत्वपूर्ण था जबकि निर्मित वस्तुओं का योगदान अधिक था। (देखें सारणी 14)

108. राजकोषीय वर्ष 1983-84 तथा अब तक के चालू राजकोषीय वर्ष में प्रतिबंधित मूल्यों में कई बार वृद्धि की गयी। इनका आगे के पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है। 1983-84 में मूल्य वृद्धि में इन मदों का भारित योगदान 14.2 प्रतिशत था जबकि 1982-83 में यह 20.4 प्रतिशत था।

109. यद्यपि चालू राजकोषीय वर्ष के पहली तिमाही के दौरान मूल्यों में वृद्धि जारी रही तथापि बिन्दुवार आधार तथा औसत आधार दोनों पर प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की इसी तिमाही की अपेक्षा कम रही। अपवाद स्वरूप, दालों तथा खाद्य तेलों को छोड़कर, अनाज, फल और सब्जियां, दूध और दूध से बनी वस्तुएं, चीनी, खाण्डसारी और गुड़ जैसी अधिकांश अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में चालू वर्ष की तिमाही के दौरान पिछले वर्ष की इस तिमाही की अपेक्षा कम वृद्धि हुई। (सारणी 15)

प्रतिबंधित मूल्यों में परिवर्तन

110. पिछले वर्षों की भांति, इस वर्ष के दौरान भी विभिन्न वस्तुओं के प्रबंधित मूल्यों में किये गये परिवर्तनों ने मूल्य वृद्धि में योगदान दिया। प्राथमिक वस्तुओं में, साधारण किस्म के धान के वसूली मूल्य में 10 रुपये की वृद्धि करके उसे विपणन वर्ष 1983-84 के लिए 182 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। साधारण किस्म तथा उत्तम किस्म और उत्तम तथा अति उत्तम किस्मों के मूल्यों के बीच 4 रुपये का अंतर बनाये रखा गया। गेहूं का वसूली मूल्य जो विपणन वर्ष 1983-84 में

सारणी 14—मूल्य वृद्धि की सीमा तथा थोक मूल्य सूचक (1970-71 = 100) में प्रमुख पण्य समूहों का भारित अंशदान

	भार	थोक मूल्य सूचक					प्रतिशत में घटबढ़				भारित अंशदान (अनुमानित)			
		मार्च अन्त 1982	मार्च अन्त 1983	मार्च अन्त 1984	जून अन्त 1983	जून अन्त 1984	राजकोषीय वर्ष 1982-83	1983-84	पहली तिमाही 1983-84	पहली तिमाही 1984-85*	1982-83	1983-84	पहली तिमाही 1983-84	पहली तिमाही 1984-85*
सभी पण्य	1000.00	277.1	294.8	322.2	310.5	336.0	+6.4	+9.3	+5.3	+4.3	+100.0	+100.0	+100.0	+100.0
प्राथमिक वस्तुएं	416.67	260.7	281.6	309.2	298.6	324.6	+8.0	+9.8	+6.0	+5.0	+49.2	+42.0	+45.5	+46.5
ईंधन, शक्ति, बिजली तथा चिकनाई	84.59	555 437.7	477.2	508.6	489.6	509.2	+9.0	+6.6	+2.6	+0.1	+18.9	+9.7	+6.6	+0.4
विनिर्मित उत्पाद	498.74	263.5	274.8	301.4	290.1	316.1	+4.3	+9.7	+5.6	+4.9	+31.9	+48.3	+48.4	53.1

*अनंतिम

सारणी 15—थोक मूल्यों के सूचकांकों में घट-बढ़ (1970-71 = 100)

प्रमुख/समूह उप-समूह/पण्य	भार	प्रतिशत घट-बढ़ (बिन्दुवार) मार्च, 1982 के अन्त से मार्च, 1983 के अन्त में	मार्च, 1983 के अन्त से मार्च, 1984 के अन्त में	मार्च, 1983 के अन्त से जून, 1983 के अन्त में	मार्च, 1984 के अन्त से जून, 1984 के अन्त में (अनंतिम)
	1	2	3	4	5
सभी पण्य	1000.00	+6.4	+9.3	+5.3	+4.3
1. प्राथमिक वस्तुएं	416.67	+8.0	+9.8	+6.0	+5.0
खाद्य पदार्थ	297.99	+12.0	+7.1	+6.6	+5.6
(क) अनाज	107.43	+16.4	−5.3	+1.6	+0.8
(i) चावल	51.31	+18.0	−0.7	+8.5	+3.1
(ii) गेहूं	34.17	+17.5	−12.4	−11.5	−2.2
(ख) दालें	21.79	−3.2	+28.0	+7.8	+8.6
(ग) फल तथा सब्जियां	61.32	+16.7	+2.5	+14.5	+12.0
(घ) दूध तथा दूध से बनी वस्तुएं	61.56	+1.0	+18.1	+4.9	+0.8

	1	2	3	4	5
(ङ) अन्य खाद्य वस्तुएं	16.04	+39.9	+36.6	+20.2	+13.7
चाय	11.49	+50.3	+36.1	+18.7	+3.9
रेशे	31.73	+5.2	+25.2	+8.5	+7.2
कच्चा सूत	22.46	−0.1	+26.1	+10.0	+7.6
तिलहन	42.01	+7.8	+28.2	+14.6	+2.0
खनिज	12.47	−11.3	+2.1	+0.1	
कच्चा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	6.02	−13.3			
2. ईंधन, शक्ति, बिजली तथा चिकनाई पदार्थ	84.59	+9.0	+6.6	+2.6	−0.1
कोयला	10.39	+18.7	+25.2	—	—
खनिज तेल	49.12	+4.3	+0.5	+0.4	+0.1
3. विनिर्मित वस्तुएं	498.74	+4.3	+9.7	+5.6	+4.9
चीनी, खाण्डसारी तथा गुड़	72.41	−5.5	+28.5	+25.5	+13.5
(i) चीनी	21.91	−7.8	+4.8	+5.1	+5.1
(ii) गुड़	45.58	−3.6	+41.1	+34.9	+15.9
(iii) खाण्डसारी	4.92	−13.5	+8.4	+19.3	+17.3
खाद्य तेल	37.16	+5.9	+16.0	+7.6	+10.3
वस्त्र	110.26	+5.5	+8.6	+0.7	+1.8
कागज तथा कागज से बनी वस्तुएं	8.51	—	+11.2	+6.7	+6.0
सीमेंट	7.03	+9.4	+8.2	−0.2	+0.7
रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	55.48	+1.6	+4.1	+2.8	+1.2
लोहा, इस्पात तथा धातुएं	34.73	+12.6	+5.1	+2.8	+11.5

151 रुपये प्रति क्विंटल था। उसे 1984–85 के विपणन वर्ष (अप्रैल–मार्च) के लिए सीमांत रूप से और बढ़ाकर 152 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। वसूली मूल्यों में वृद्धि के बाद साधारण, उत्तम तथा अति उत्तम किस्म के चावल के मूल्यों में 6 जनवरी, 1984 से 20 रुपये प्रति क्विंटल की एक समान वृद्धि की गयी। 1983–84 के लिए मोटे अनाजों के समर्थन मूल्य में 6 रुपये की बढ़ोतरी करके उसे प्रति क्विंटल 124 रुपये तथा चने के समर्थन मूल्य में 5 रुपये की वृद्धि करके उसे प्रति क्विंटल 240 रुपये कर दिया गया। रुई के मूल्य लंबे रेशे वाली किस्म के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 25 रुपये प्रति क्विंटल तथा कच्चे जूट (डब्लू–5 ग्रेड) के न्यूनतम समर्थन मूल्य म 15 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी। कुछ प्रमुख तिलहनों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गयी। बिना छिला मूंगफली तथा सरसों के समर्थन मूल्य में क्रमश: 20 रुपये तथा 5 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी।

111. कुछ पैट्रोलियम उत्पादों के विक्रय मूल्य में वर्ष के दौरान वृद्धि की गयी। पहली सितम्बर 1983 से पैट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 10 पैसे की वृद्धि की गयी ताकि देश में पैट्रोल पम्पों द्वारा 87 ऑक्टेन वाले उन्नत किस्म के पैट्रोल की बिक्री की जा सके। सरकार ने, 2 जून 1984 से पैट्रोल, डीजल तथा खाना पकाने की गैस के मूल्यों में अलग-अलग दरों पर वृद्धि की ताकि कुछ राज्यों द्वारा अन्तर कम्पनी स्टॉक अंतरण पर बिक्री कर लगाने से तेल कंपनियों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। निर्मित वस्तुओं के मामले में, भारतीय खाद्य निगम के पास पड़े यूरिया तथा डाय-अमोनिया फास्फेट के उपभोक्ता मूल्यों में अगस्त 1983 में की गयी 10 प्रतिशत की कमी का उल्लेख किया जा सकता है। 2 जुलाई, 1983 से लेवी सीमेंट के मूल्यों में 52 रुपये प्रति टन की वृद्धि की गयी जिसके परिणामस्वरूप साधारण पोर्टलैंड सीमेंट तथा पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट की रेल पर्यंत कीमतें 492 रुपया प्रति टन तथा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का रेल पर्यंत मूल्य 477 रुपये निर्धारित किया गया जो क्रमश: 11.8 तथा 12.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप, सीमेंट का खुदरा बाजार मूल्य प्रति बोरी 2.60 रुपये बढ़ गया।

112. इस्पात संयंत्रों द्वारा काम में लाये जाने वाले कच्चे माल की विविध किस्मों पर रेल भाड़ा दरों में तीव्र वृद्धि, केन्द्रीय बजट में उत्पादन शुल्क की दरों में वृद्धि तथा बिजली की पूर्ति में कमी के कारण ईंधन लागतों पर अतिरिक्त भार को देखते हुए, संयुक्त संयंत्र समिति ने 24 जुलाई, 1983 से लोहे और इस्पात की कई मदों के मूल्य बढ़ाने की घोषणा की। ढलवां लोहे के मूल्य में 185 रुपये प्रति टन की तथा रेलवे मदों के मूल्यों में 3000 रुपये प्रति टन की वृद्धि की गयी। इस्पात-मदों के मामले में की गयी वृद्धि 1.1 प्रतिशत से 32.7 प्रतिशत के बीच रही। निविष्टि वस्तुओं की लागतों में हुई पर्याप्त वृद्धि, मूल्यह्रास तथा करभार में वृद्धि तथा मजदूरी में वृद्धि होने से कोयला कंपनियों पर पड़े भार की क्षतिपूर्ति करने की दृष्टि से संघ सरकार ने 8 जनवरी, 1984 से कोयले के मूल्यों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की। कोल इंडिया लिमिटेड तथा सिगरेनी कोयला खदानों के कोयले के औसत पिटहैड मूल्यों को बढ़ाकर क्रमश: 183 रुपये तथा 192 रुपये प्रति टन कर दिया गया। अल्यूमिनियम के सांविधिक मूल्यों में भी 9 मई, 1984 से 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रवृत्ति तथा घरेलू अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ गैर-लौह धातुओं के गोदाम पूर्व-मूल्यों में नियमित अन्तरालों पर परिवर्तन किये गये। संयुक्त संयंत्र समिति ने 22 जून, 1984 से, ढलवां लोहे तथा कुछ अन्य वर्ग के इस्पात के संयंत्रों तथा स्टॉक यार्डों से किये गये समस्त प्रेषणों और सुपुर्दगियों के आधार मूल्य में औसतन 15 प्रतिशत की वृद्धि की।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

113. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1982-83 की 9.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1983-84 में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसत आधार पर यह वृद्धि 1982-83 की 7.8 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा 12.6 प्रतिशत की थी। 1983-84 के दौरान, उपभोक्ता सूचकांक में मार्च 1983 के 502 से नवम्बर 1983 में 561 तक की धीमी वृद्धि हुई। इसके बाद यह मार्च 1984 में कम होकर 558 हो गया। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान, उपभोक्ता सूचकांक में 16

बिन्दुओं की वृद्धि हुई और यह मार्च के 558 से जून 1984 में बढ़कर 574 हो गया। दूसरे शब्दों में, इसमें 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1983 की तदनरूपी तिमाही में 6.2 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई थी।

114. औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 1960=100) में थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की अपेक्षा बिन्दुवार तथा औसत आधार दोनों में, लगातार तीसरे वर्ष अधिक वृद्धि हुई। यह बात नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 16 : थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की घट-बढ़ में तुलनात्मक प्रवृत्तियां

(प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	बिन्दु आधार पर		औसतवार आधार पर	
	थोक मूल्य सूचकांक	भुगतान मूल्य सूचकांक	थोक मूल्य सूचकांक	भुगतान मूल्य सूचकांक
1979-80	21.5	12.4	17.1	8.8
1980-81	16.7	12.6	18.2	11.4
1981-82	2.4	8.8	9.3	12.5
1982-83	6.4	9.9	2.5	7.8
1983-84	9.3	11.2	9.2	12.5

छठी योजना में मूल्य वृद्धि

115. 1980-81 से प्रारम्भ हुई छठी पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों के दौरान बिन्दुवार आधार पर थोक मूल्यों के सूचकांक में 8.7 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। औसत आधार पर यह वृद्धि 9.8 प्रतिशत अधिक रही। उपभोक्ता सूचकांक में बिन्दुवार आधार पर 10.6 प्रतिशत आधार पर 11.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि छठी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष को, जिसमें थोक मूल्य तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों में भारी वृद्धि हुई थी, छोड़ भी दिया जाये तो भी शेष तीन वर्षों में हुई औसत वृद्धि, थोक मूल्य सूचकांक के मामले में बिन्दुवार आधार पर 6.0 प्रतिशत तथा औसत आधार पर 7.0 प्रतिशत और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले में बिन्दुवार आधार पर 10.0 प्रतिशत तथा औसत आधार पर 10.9 प्रतिशत बैठती है।

मूल्यांकन और संभावनाएं

116. कुल मिलाकर 1983-84 का एक वर्ष अच्छा वर्ष रहा जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय में लगभग 8.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। विकास की उच्च दर का श्रेय कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि को जाता है क्योंकि औद्योगिक विकास की वृद्धि की गति कम रही। जैसा कि विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में हुई वृद्धि से परिलक्षित होता है, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ; जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ प्रतिपूरक निधि सुविधा की व्यवस्था को शेष 1.1 बिलियन विशेष आहरण अधिकारों (एस.डी. आर.) का उपयोग किये बिना स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का निर्णय किया।

117. विगत दो दशकों में प्रदर्शित पद्धति की तरह ही खाद्यान्नों का उत्पादन तीन वर्षों तक 130–133 मिलियन टन के लगभग रहने के बाद 1983-84 में तेजी से बढ़ा और 150 मिलियन टन से अधिक हो गया। मानसून की अनुकूल संभावनाओं को देखते हुए यह आशा की जाती है कि 1984-85 में खाद्यान्न उत्पादन का एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा जो छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 153.6 मिलियन टन के लक्ष्य के निकट होगा। 1970-71 से शुरू हुए 13 वर्षों पर नजर डालने से यह स्पष्ट होता है कि खाद्यान्नों का उत्पादन आधार वर्ष के 108.4 मिलियन टन से बढ़कर 1983-84 में 150.6 मिलियन टन हो गया जो 2.6 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर दर्शाता है। लेकिन, विभिन्न फसलों की वृद्धि दरों में बहुत अधिक अंतर रहा है। गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है और इसका उत्पादन 1970-71 के 23.8 मिलियन टन से बढ़कर 1983-84 में 44.7 मिलियन टन हो गया है जो 5.0 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर के बराबर होता है। इसी अवधि में 2.7 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर से चावल का उत्पादन 42.2 मिलियन टन से बढ़कर 59.4 मिलियन टन हो गया। मोटे अनाजों के मामले में वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर केवल 0.8 प्रतिशत तथा दालों के मामले में तो उससे भी कम, अर्थात् 0.6 प्रतिशत रही। एक फसल के मामले में भी, क्षेत्रों के बीच विकास दरों में उल्लेखनीय अन्तर रहा। हाल के वर्षों में चावल के उत्पादन का अधिक भाग पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे उन राज्यों में उत्पन्न हुआ है जहां पारंपरिक रूप से चावल की खेती नहीं होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 3144 किलोग्राम के उच्चतम स्तर पर रहा जबकि पारम्परिक रूप से चावल उगाने वाले राज्य तमिलनाडु में इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 1859 किलोग्राम था। राज्यों के बीच, सिंचित क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर कुल बुवाई क्षेत्र, उर्वरकों के उपयोग तथा अधिक उपज वाली किस्मों की बुवाई के क्षेत्र के प्रतिशत में काफी अन्तर रहा है। इस अन्तर का कारण निश्चित रूप से मिट्टी की दशाओं और मौसम संबंधी अन्य बातें भी है। लेकिन राज्यों के बीच उत्पादकता के इस अंतर से यह स्पष्ट होता है कि देश के कुछ भागों में उपयोग में लाई जा रही वर्तमान प्रौद्योगिकी के प्रयोग से भी उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन और उत्पादकता में लगातार वृद्धि होना आवश्यक है ताकि खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कुछ तो वृद्धि की जा सके।

118. 1983-84 में औद्योगिक विकास की दर 5.4 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष की विकास दर से 1.5 प्रतिशत बिन्दु अधिक थी। शक्ति के क्षेत्र में संभावित सुधार की आशा और पिछले वर्ष हुए कृषि के रिकार्ड उत्पादन के प्रभाव को देखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि 1984-85 में औद्योगिक विकास की दर 1983-84 से भी अधिक रहेगी। फिर भी, पिछले वर्षों में औद्योगिक उत्पादन की औसत दर 8–10 प्रतिशत की उस लक्ष्य दर से कम रही है जो कुल देशी उत्पादन की विकास दर को 5 प्रतिशत पर बनाये रखने के लिए आवश्यक समझी जाती है। कृषि उत्पादन के लगभग अनरूप ही वर्ष-दर-वर्ष विकास-दरों में भी पर्याप्त उतार-चढ़ाव आते रहे। वास्तव में मानसून की मनमानी से प्रभावित कृषिगत उत्पादन तथा जलविद्युत शक्ति में आए उतार-चढ़ावों के कारण भी यह आंशिक रूप से प्रभावित हुई। राष्ट्रीय आय में निवेश के अनुपात में वृद्धि होने पर भी औद्योगिक उत्पादन की विकास दर में कमी हुई। चालू मूल्यों पर यह अनुपात 1965-66 के 18.2 प्रतिशत से बढ़कर 1982-83 में 24.1 प्रतिशत हो गया लेकिन स्थिर मूल्यों के अनुसार, अनुपात में इतनी उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। ऐसा इसलिए हुआ कि कुल देशी उत्पाद (जी.डी.पी.) का अवस्फीतक, स्थायी पूंजी निर्माण के लिए मूल्य अवस्फीतक, की तुलना में तेजी से बढ़ा। इस बात के निर्विवाद प्रमाण मौजूद हैं कि वृद्धिगत पूंजी उत्पाद अनुपात, सकल तथा क्षेत्र दोनों ही रूपों में बढ़ा रहा है, जिसका परिणाम ऊंची तथा औद्योगिक प्रणाली के कम उत्पादकता के रूप में हुआ है। यदि औद्योगिक वस्तुओं की मांग आधार में वृद्धि की जानी है तो उत्पादन की इकाई लागत में कमी करनी ही होगी। यह तभी हो सकता है जबकि पूंजी के उपयोग की दक्षता में स्पष्ट सुधार हो। इसके लिए वर्तमान पूर्जागत आस्तियों के चयन, बेहतर उपयोग के साथ-साथ, अधिकतम आकार के संयंत्रों के साथ निवेश के लिए परियोजनाओं के चयन में भी अधिक सावधानी बरतनी होगी तथा इस वास्ते संयंत्रों के आदर्श आकार तथा उचित प्रौद्योगिकी का भी चुनाव करना होगा।

119. 1984-85 में भुगतान संतुलन की स्थिति काफी संतोषजनक है। निर्यातों के लिए विश्व में वातावरण 1980 के दशक के प्रारंभ की तुलना में बेहतर रहेगा। आशा की जाती है कि, बशर्ते कच्चे तेल का

उत्पादन काफी मात्रा में होगा और तेल के आयात में कोई वृद्धि नहीं करनी पड़ेगी। आशा है कि वर्ष के दौरान निवल परोक्ष वस्तुओं तथा शुद्ध विदेशी सहायता प्राप्ति की स्थिति यथावत रहेगी तथा 1985-86 तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित व्यवस्था के अन्तर्गत किये गये आहरणों की अदायगी शुरू नहीं होगी।

120. इस दशक का उत्तरार्ध, जिसमें सातवीं योजना की अवधि शामिल है, अधिक अनिश्चितता की तस्वीर प्रस्तुत करता है। 1983 तथा 1984 की शुरूआत के दौरान औद्योगिक देशों में उत्साहवर्धक आय वृद्धि के बावजूद मध्यावधि की विश्व संभावनाएं अनिश्चित बनी हुई हैं। इस अनिश्चितता का प्रभाव भारत की निर्यात संभावनाओं पर पड़ेगा। जब तक कि निकट भविष्य में तेल उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ी मात्रा में उत्पादन नहीं होता तब तक यह कहना बुद्धिसंगत नहीं होगा कि छठी योजना के बाद के हिस्से में प्राप्त हुए तेल के आयात प्रतिस्थापना से आगे कोई लाभ होगा। अन्य ज्ञात क्षेत्रों में आयात सक्रिय प्रतिस्थापना की गति काफी धीमी है और इसके लिए सतत तथा सक्रिय प्रयास करने होंगे। कई विकासशील देशों द्वारा ऋणशोधन की गंभीर समस्या का सामना करने तथा उन पर तत्संबंधी बाध्यताओं का समय पर पालन करने के लिए डाले जा रहे दबाव के कारण स्वयं विकासशील देशों के बीच उपलब्ध निर्यात बाजार के लिए कड़ी प्रतियोगिता हो सकती है जिससे भारत की तथा इस समूह के अन्य देशों की व्यापार स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हाल के वर्षों में, रुपये तथा विदेशी मुद्राओं में अभिधानित निजी प्रेषण तथा अनिवासी विदेशी खातों ने हमारे भुगतान संतुलन को बहुत सहारा दिया है। परिवर्तित दशाओं में इस समूह के देशों को साधनों के इस प्रकार के अंतः प्रवाह के ऐसे ही समर्थन की आशा नहीं की जा सकती। दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि से लिये गये उधारों की अदायगी में निरंतर वृद्धि होगी जो 1988-89 में लगभग 900 मिलियन विशेष आहरण अधिकार के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी। हाल ही में लिये गये वाणिज्यिक ऋणों की परिशोधन अदायगियों को पूरा करने का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा, लेकिन वाणिज्यिक उधार के संबंध में अपनायी जा रही विवेकपूर्ण नीति के कारण ऋण शोधन सापेक्षिक कम स्तर से धीरे-धीरे ऊपर उठेगा। वास्तव में प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता में कमी होगी। शायद यह कमी काफी अधिक होगी और सहायता की शर्तें भी और कठोर हो सकती हैं।

121. उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भुगतान संतुलन पर बहुत अधिक दबाव पड़ सकता है और इससे बचने के लिए काफी पहले से नीतियों का निर्धारण करना होगा। निर्यात निष्पादन में सुधार की आवश्यकता पर बराबर बल देना होगा। निर्यातों में लगभग 8 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि करनी होगी जिसका मतलब यह होगा कि निर्यात वस्तुओं में "गतिशील" मदों में लगभग 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि करनी होगी। विकास दर में इस प्रकार की वृद्धि को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। घरेलू बाजार के लिए उत्पादन की अपेक्षा निर्यातों के लिए उत्पादन की लाभप्रदता बढ़ाने तथा निर्यात योग्य वस्तुओं के लिए निर्यात की अधिक संभावनाएं बढ़ाने के वास्ते औद्योगिक नीति को सक्रियता प्रदान करनी होगी। साथ ही एक ऐसा सामान्य औद्योगिक वातावरण बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसमें कार्यकुशलता में सुधार तथा इकाई लागत में कमी पर बल दिया जाये। तेल को छोड़कर अन्य क्षेत्रों, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र की थोक मदों तथा कृषि क्षेत्र में खाद्य तेलों से संबंधित क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापना पर भी अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। लेकिन, आयातों के संबंध में नीति का निर्धारण करते समय प्रौद्योगिकी को उन्नत करने तथा सामान्य रूप में हमारी उत्पादन प्रणाली की दक्षता में सुधार की बात को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

122. मुद्रा और बैंकिंग के क्षेत्र में हाल की प्रवृत्तियों के कुछ पहलुओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। ये प्रवृत्तियां इस प्रकार की हैं जिनके संबंध में एक नियत समय में उचित नीति बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

123. सामान्यतः अर्थव्यवस्था में विकास के साथ-साथ कुल मुद्रा स्टॉक की संरचना में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन, मुद्रीकरण में वृद्धि, आय में वृद्धि तथा बैंकों द्वारा अधिक प्रभावी भूमिका अदा किये जाने के कारण आता है। भारत में, एम$_3$ से मुद्रा का जो अनुपात 1960 के दशक में 50 प्रतिशत के उच्चस्तर पर था, 1970-71 में घटकर 40 प्रतिशत रह गया। आठवें दशक में हुए बैंकिंग के विस्तार तथा बैंकिंग आदतों में वृद्धि के कारण 1980-81 में इस अनुपात में तीव्र गिरावट आयी और यह 24 प्रतिशत हो गया। किन्तु तबसे करेंसी के बजाय बैंक जमाराशियों की ओर रुझान धीमा हो गया और मुद्रा अनुपात 23 प्रतिशत के आसपास स्थिर हो गया है। हाल की अवधि में, मुद्रा की ओर फिर से झुकाव होता दिखायी दे रहा है। वित्तीय वर्ष 1983-84 में, औसत आधार पर, एम$_3$ का मुद्रा से वृद्धिशील अनुपात 21.5 था जबकि 1982-83 में यह 19.3 था। ऐसा संभवतः कई तत्वों के संयोजन से हुआ। इस संबंध में खाद्यान्न वसूली कार्यों के उल्लेखनीय उच्चस्तर जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी पहुंचती है तथा बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिक उधार देने, जिससे बैंक ऋण ऐसे हाथों तक पहुंचता है जिनकी बैंकिंग संबंधी आदत अभी शैशव अवस्था में है जैसे कुछ तत्वों के योगदान का उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रवृत्ति के अन्य अनिप्रेत अर्थों के अलावा, परिचालनगत रूप से यह प्रवृत्ति उपयुक्त मुद्रीकरण संरचना पर ध्यान देते हुए मुद्रा की मात्रा की आयोजना करने के लिए उपयुक्तता दर्शाती है।

124. वाणिज्य बैंकिंग के संबंध में तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। पहली बात यह है कि ऐसे कई तत्व सक्रिय रहे हैं जिन्होंने वाणिज्य बैंकों के लाभ मार्जिन कम करने का काम किया है। दूसरी, एक ओर विशेष कर लाभों तथा अधिक ब्याज वाले नये बचत पत्रों की शृंखला आने के कारण साधन जुटाने में बैंकों को बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है और जनता की रुचि लम्बी अवधि के उच्च लागत वाले निक्षेपों की ओर निरन्तर बढ़ने के कारण बैंक जमा राशियों की ब्याज लागत में भी वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिए बैंकों के संसाधनों को प्राप्त कर लेना भी बहुत अधिक अनुपात में बढ़ रहा है। जबकि मौद्रिक नीति को विवशताओं के कारण बैंकों द्वारा रखे जाने वाली औसत नकद प्रारक्षित निधियों को उनकी मांग और मीयादी देयताओं का लगभग 12 प्रतिशत तक पहुंचाना पड़ा है, वहीं विकास के लिए साधन जुटाने की बढ़ती हुई आवश्यकता ने एस.एल०आर. को 36 प्रतिशत कर दिया है। बैंकों की शेष ऋणयोग्य निधियों पर नीति अभिमुख प्रकृति के और भी पूर्वाधिकार हैं। हाल के समय में खाद्यान्न वसूली और वितरण के लिए ऋण कुल ऋण के 8 से 10 प्रतिशत के बीच है, जिस पर बैंकों को मात्र 12.5 प्रतिशत का ही ब्याज मिलता है। हालांकि बैंकों को खाद्यान्न ऋण पर कुछ पुनर्वित्त दिया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा अधिक महत्वपूर्ण मौद्रिक प्रयोजनों को ध्यान में रख कर तय की जाती है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकिंग नीति का एक प्रमुख उद्देश्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिक ऋण प्रदान करना है। अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुल ऋण का 40 प्रतिशत ऋण दिया जाता है और उसका एक बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत कम ब्याज की दर पर दिया जाता है। इस प्रकार बैंकों के पास अपने कुल साधनों का केवल 20 प्रतिशत भाग ही वाणिज्यिक ब्याज दर पर उधार देने के लिए बच रहता है। इन तत्वों के अलावा, भौगोलिक विस्तार तथा छोटे खातेदारों को अधिक ऋण जैसे विभिन्न सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करने के कारण भी बैंकों की परिचालनगत लागत में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंक अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और वे अपनी इस भूमिका को आगे तभी निभा सकेंगे जबकि एक व्यावसायिक इकाई के रूप में उनकी अर्थक्षमता बनाये रखी

जाये। रियायती तथा वरीयता प्राप्त क्षेत्रों की ऋण आवश्यकता पर निरन्तर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए ताकि बैंकिंग प्रणाली पर अनुपात से अधिक भार न पड़े।

125. वाणिज्य बैंकों से संबंधित दूसरी बात बैंकों के विदेशों में परिचालन से संबंधित है। पिछले दशक में ये परिचालन, मात्रा और क्षेत्र दोनों ही दृष्टि से बढ़े हैं तथा इनमें संलग्न बैंकों की संख्या भी बढ़ रही है। विदेशों में भारतीय बैंकों की 141 शाखाएं 5, सहायक बैंक तथा 11 प्रतिनिधि कार्यालय काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर विदेशी परिचालन लाभदायक सिद्ध हुआ है कुछ बैंकों के मामले में, उनके लाभ में इनका हिस्सा बहुत बड़ा है। ये परिचालन उच्च स्तर की प्रतियोगी तथा परिवर्तनशील दशाओं में करना होता है और उसमें निहित जोखिम भी अक्सर अधिक रहता है। अतः इन परिचालनों के नियंत्रण तथा विनिमय के लिए उचित कदम उठाने तथा उन्हें कठोरता पूर्वक कार्यान्वित करने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। देशों का उचित मूल्यांकन करने तथा उचित प्रबंध सूचना प्रणाली शुरू करने की भी आवश्यकता है ताकि, जहां आवश्यक हो, कुछ देशों और/अथवा ऋणकर्ता समूहों पर अनावश्यक रूप से बड़े जोखिम केन्द्रण से बचा जा सके अथवा उसे कम किया जा सके।

126. तीसरी बात उद्योग तथा कृषि को बैंक ऋण की गुणवत्ता से संबंधित है। जून 1983 के अंत में औद्योगिक क्षेत्र में बीमार इकाइयों को दिये गये बैंक ऋण की बकाया राशि 2793 करोड़ रुपये अथवा कुल बैंक ऋण की 7.9 प्रतिशत थी। कृषि को ऋण देने के संबंध में वसूली की स्थिति का शोचनीय होना एक गंभीर बात है। जून 1983 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मंजूर किये गये सीधे कृषि अग्रिमों के संबंध में मांग से वसूली का अनुपात केवल 53.3 प्रतिशत था। निधियों को इस प्रकार निष्क्रिय बना देना, चाहे वो औद्योगिक इकाई में हो अथवा कृषि इकाई में, निधियों के लाभदायक रूप में पुनर्विनियोजन की बैंकों की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। बैंकों के ऋण संविभाग की गुणवत्ता में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए, ऋण संबंधी प्रार्थना पत्रों का अधिक सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने तथा ऋण के उपयोग पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता है।

127. पिछले वर्ष मौद्रिक गतिविधियों में एक उल्लेखनीय बात थी मौद्रिक प्रणाली में नकदी विस्थिति में पर्याप्त रूप से सुधार होना। प्रारक्षित मुद्रा में 24.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्रारक्षित मुद्रा में राशि के रूप में, 1983-84 में 5,712 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 2,647 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। अपनाये गये विभिन्न नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हुए, एम 3 में हुई 17.4 प्रतिशत की वृद्धि दर पिछले वर्ष की वृद्धि दर अर्थात् 16.7 प्रतिशत से मात्र कुछ ही ऊंची रही। 1983-84 के दौरान मौद्रिक वृद्धि की गति बहुत अधिक रही होती लेकिन कुछ पूर्वानुमानित कदम उठाये जाने के कारण ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यह सत्य है कि मौद्रिक वृद्धि तथा जमा वृद्धि मूल रूप से अपेक्षित स्तर से काफी अधिक रहीं। जमाराशियों में वृद्धि से संबंधित पूर्वानुमान वास्तविक आय में संभावित वृद्धि बजट संबंधी स्थिति तथा भुगतान संतुलन की संभावित स्थिति जैसे कुल परिवर्ती तत्वों के आधार पर किया जाता है। वास्तविक आय में, 1983-84 में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वर्ष की शुरूआत में की गयी आशा से लगभग 2 प्रतिशत अधिक थी। साथ ही, विदेशी भुगतान की स्थिति भी उस स्थिति से बहुत भिन्न रही जिसकी मूल रूप में कल्पना की गयी थी। निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई गिरावट मूल रूप से अनुमानित गिरावट की अपेक्षा काफी कम रही। मूलभूत आर्थिक तत्वों में हुए शीघ्र परिवर्तनों के कारण वर्ष के दौरान ऋण नीति विषयक उपायों में बार-बार परिवर्तन करने पड़े वास्तव में, मौद्रिक तथा ऋण नीति की सुदृढ़ता, अल्पकालीन उतार-चढ़ावों के संदर्भ में तीव्र गति से सक्रिय होने की उनकी क्षमता पर निर्भर होती है।

128. 1983-84 में उत्पादन में हुई गिरावट वृद्धि को देखते हुए 1984-85 में अर्थ व्यवस्था की समग्र वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में कम रहेगी। यह आवश्यक है कि 1984-85 में मौद्रिक नीति का लक्ष्य समग्र नकदी की वृद्धि दर तथा प्रारक्षित मुद्रा निर्माण को कम करने का रखा जाये ताकि कुशल आर्थिक प्रबंध और उचित मूल्य स्थिरता को प्राप्त किया जा सके। मौसम की दशाओं से जुड़ी अनिश्चितता राजकोषीय संभावनाओं तथा भुगतान संतुलन के परिणामों को देखते हुए ऋण अनुशासन में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। साथ ही, चूंकि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में सुधार होने की आशा की जाती है अतः ऋण नीति को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपेक्षित औद्योगिक वृद्धि को सहारा देने के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो।

129. मौद्रिक प्रणाली में ऋण की दोहरी भूमिका होती है। यदि इसका उचित माध्यमों से प्रयोग किया जाये तो यह उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो सकता है। लेकिन, साथ ही साथ यह मुद्रा की पूर्ति पर अपने प्रभाव द्वारा मांग में भी वृद्धि करता है। यही कारण है कि मुद्रा और ऋण में वृद्धि की दर को वास्तविक उत्पादन में वृद्धि की दर के साथ उचित संबंध बनाकर चलना चाहिये खासकर तब जब मूल्य की समुचित स्थिरता का लक्ष्य भी प्राप्त करना होता हो।

भाग II बैंकिंग एवं अन्य गतिविधियां

130. वर्ष के दौरान मौद्रिक एवं ऋण नीति संबंधी प्रमुख गतिविधियों की चर्चा पहले भाग में की गयी थी। रिपोर्ट के इस भाग में रिजर्व बैंक के कार्य के अन्य विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा की गयी है। वर्ष 1983-84 (जुलाई—जून) के लिए बैंक का तुलनपत्र एवं लेखे अंत में दिये गये हैं।

वाणिज्य बैंकिंग से संबंधित गतिविधियां

शाखा विस्तार नीति और प्रगति

131. ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में सुविधाओं बैंकिंग सुधार करने और ऐसी सुविधाओं के विस्तार में अन्तक्षेत्रीय विषमताएं कम करने की बैंक की नीति के अनुसरण में राज्य सरकारों से कहा गया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बैंक रहित क्षेत्रों का पता लगायें जहां नये बैंक कार्यालय स्थापित किये जा सकें। उनकी सिफारिशों के आधार पर सभी राज्यों और 6 संघशासित क्षेत्रों के संबंध में शाखा विस्तार कार्यक्रम पूरा कर लिया गया। अप्रैल 1982 से, जबकि मार्च 1985 को समाप्त होनी वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसीकरण नीति लागू की गयी थी जुलाई 1984 के मध्य तक, 9610 स्थान शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में नये बैंक कार्यालय खोलने के लिए बैंकों को आवंटित किये गये थे। इसके अतिरिक्त 6160 स्थानों पर नये कार्यालय खोलने के लिए बैंकों के पास प्राधिकार मौजूद थे।

132. जुलाई 1983 से मार्च 1984 को अवधि के दौरान वाणिज्य बैंकों ने 2504 कार्यालय खोले। इनके साथ मार्च 1984 के अन्त में बैंक कार्यालयों की कुल संख्या 44,583 हो गयी। इनमें से 317 कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों द्वारा, 699 कार्यालय 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, 122 निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा तथा 1366 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोले गये। यह भी उल्लेखनीय है कि इन 2504 कार्यालयों में से 2129 अथवा 85.0 प्रतिशत बैंकरहित स्थानों पर खोले गये। प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या, जो जून 1969 में 65,000 के उच्च स्तर पर थी और जून 1983 में 16,250 हो गयी थी, मार्च 1984 के अंत में कम होकर 15,300 रह गयी। कुल बैंक कार्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात, जो जून 1983 के अंत में 53.9 प्रतिशत था, बढ़कर मार्च 1984 के अंत में 55.6 प्रतिशत हो गया। जून 1969 में यह अनुपात केवल 22.1 प्रतिशत था।

133. इस वर्ष के दौरान विदेशों में भारतीय बैंकों के विस्तार में और प्रगति हुई। भारतीय स्टेट बैंक ने जुलाई 1983 में एण्टवर्प बेल्जियम

में एक शाखा खोली। पंजाब नेशनल बैंक ने अक्तूबर 1983 में बरमिंघम (यू.के.) में एक शाखा और केनरा बैंक ने दिसम्बर 1983 में लंदन (यू.के.) में अपनी पहली विदेशी शाखा खोली। भारतीय स्टेट बैंक ने मिलान (इटली) में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला जबकि बेरुत (लेबनान) में अपना कार्यालय बंद कर दिया। जून 1984 के अंत में 25 देशों में 13 भारतीय वाणिज्य बैंकों की शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों की कुल संख्या क्रमशः 141 और 11 थी जबकि जून 1983 में यह संख्या क्रमशः 138 और 11 थी। एक राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात केनरा बैंक को दो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों, सिण्डीकेट बैंक और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से निक्षेप स्वीकार करने वाली एक कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी गयी। कुछ भारतीय बैंकों ने खाड़ी के क्षेत्र में कुछ निजी संस्थाओं के साथ प्रबंध सेवा संविदायें भी की हैं। जून 1984 के अंत की स्थिति के अनुसार भारतीय बैंकों ने ग्यारह विनिमय कंपनियों के साथ ऐसी संविदाएं की थीं जबकि जून 1983 के अंत में ऐसी विनिमय कंपनियों की संख्या पांच थी।

134. वर्ष के दौरान एक विदेशी बैंक अर्थात् ग्रिण्डलेज बैंक पीएलसी, ने अमृतसर में अपनी शाखा खोली, दो विदेशी बैंकों ने अक्तूबर 1983 में प्रतिनिधि कार्यालय खोले। ये थे—नई दिल्ली में लायड्स बैंक इन्टर-नेशनल लि. (यू.के.) द्वारा तथा बम्बई में इर्विंग ट्रस्ट क. (यू.एस.ए.) द्वारा। बैंक नोवा स्कोटिया ने बम्बई स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालय को मई 1984 में शाखा का दर्जा दे दिया तथा वेल्स फार्गो बैंक (यू.एस.ए.) ने सितम्बर 1983 में बम्बई स्थित अपना प्रतिनिधि कार्यालय बन्द कर दिया। इस तरह जून 1984 की स्थिति के अनुसार भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं तथा प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या क्रमशः 133 और 14 थी।

135. भारतीय बैंकों के विदेशी कार्यकलाप की सूचना प्रणाली के और अधिक प्रभावी अनुप्रवर्तन और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से वर्ष के दौरान, उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया गया। संशोधित प्रणाली के अनुसार प्रत्येक विदेशी शाखा अब सूचना देनेवाली (रिपोर्टिंग) इकाई होगी। नयी प्रणाली में जोखिम आस्तियों, समस्या ऋणों तथा देश/मुद्रा तथा उधारकर्तावार बैंकों के बारे में और अधिक प्रतिसूचना प्राप्त करने पर ज्यादा जोर दिया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

136. जून 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 20 नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गये। इनके साथ ही 286 जिलों को व्याप्त करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 162 हो गयी। इस तरह मार्च 1985 तक 270 जिलों को व्याप्त करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा मार्च 1985 तक 170 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का लक्ष्य भी पहुंच के भीतर प्रतीत होता है। सूचना देने वाले 152 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में, जून 1984 के अन्त की स्थिति के मुताबिक निक्षेपों और अग्रिमों की राशियां क्रमशः 722 करोड़ रुपये तथा 838 करोड़ रुपये थीं।

विशेष योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों की सहायता

137. ऋणों के क्षेत्रवार वितरण की प्रवृत्तियों की चर्चा भाग 1 में पहले ही की जा चुकी है। बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुछ विशेष योजनाओं, जैसे, नया 20-सूत्री कार्यक्रम शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता में हुई प्रगति की चर्चा नीचे की गयी है।

प्राथमिक क्षेत्र को ऋण

138. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बैंकों के लिए प्राथमिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के उसके कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष ऋणप्रदान करने के संबंध में विभिन्न उप-लक्ष्य निर्धारित करने के संबंध में उल्लेख किया गया था। राजकोषीय वर्ष 1983-84 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 28 बैंकों के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि इन लक्ष्यों को पूरा करने की स्थिति काफी संतोषजनक थी। बैंकों को मार्च 1985 तक प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों के लिए शुद्ध बैंक ऋण के 40 प्रतिशत का अनुपात प्राप्त करना था, उसमें से मार्च 1984 के अंत तक 39.4 प्रतिशत का अनुपात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्राप्त कर चुके थे और मार्च 1984 के अन्त में प्राथमिक क्षेत्र पर बकाया ऋण 14,482 करोड़ रुपये थे। कृषि क्षेत्र को दिये गये प्रत्यक्ष अग्रिमों में से मार्च 1984 के अन्त में 4,847 करोड़ रुपये बकाया थे जो मार्च 1985 के लिए निर्धारित कुल बैंक ऋण के 15 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 13.2 प्रतिशत थे तथा समाज के कमजोर वर्गों को दिये गये अग्रिमों में से 3,080 करोड़ रुपये बकाया थे जो 10 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 8.4 प्रतिशत थे।

नया बीस-सूत्री कार्यक्रम

139. सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के संबंध में उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर 1983 के अन्त तक 85.9 लाख खातों के अन्तर्गत हिताधिकारियों को वित्तीय सहायता दी गयी थी और सहायता की राशि 3,908 करोड़ रुपये थी। जैसा कि भाग 1 में दर्शाया गया है अक्तूबर 1983 में उधारकर्ताओं की कतिपय श्रेणियों के ऋणों की ब्याज दरें कम की गयी थीं ताकि नये 20-सूत्री कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों पर सार्थक बल दिया जा सके और ऋण नीति के पुनर्वितरणकारी प्रभाव को मजबूत किया जा सके।

शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना

140. रिजर्व बैंक के परामर्श से संघ सरकार द्वारा तैयार की गयी शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना लागू करने में वाणिज्य बैंकों की भूमिका के बारे में सितम्बर 1983 में रिजर्व बैंक ने बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये। इस योजना का उद्देश्य यह है कि ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवकों को, जो कम से कम मैट्रिक्युलेट हैं तथा 18 से 35 वर्ष के आयु समूह के भीतर हैं, उद्योग सेवाओं और कारोबार में स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। पात्र उद्यमियों को अधिक से अधिक 25,000 रुपये का समिश्र ऋण मिल सकता है। ऋण की चुकौती की अवधि 6 से 18 माह के आरंभिक ऋण स्थगन के साथ 3 से 7 वर्ष है। ऋणों पर ब्याज, पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत होगा। हिताधिकारी, ऋण की कुल राशि के 25 प्रतिशत के आधार पर निकाली गयी पूंजीगत सहायता सरकार से प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस योजना का लक्ष्य 15 अगस्त 1984 तक 2.50 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करना है, और यह 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को छोड़ कर देश के सभी क्षेत्रों पर लागू है। बैंकिंग तंत्र द्वारा उपलब्ध करायी जानेवाली निधियों की कुल मात्रा लगभग 325 करोड़ रुपये रखी गयी है। मार्च 1984 के अंत तक के आंकड़ों से पता चलता है कि बैंक 2.49 लाख हिताधिकारियों को इस योजना के अन्तर्गत व्याप्त कर चुके थे और 397 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर कर चुके हैं। इनमें से 149 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं।

बैंक तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

141. सरकारी सहायता और संस्थागत वित्त की सहायता से बिल्कुल गरीब लोगों का स्तर सुधारने के उद्देश्य से देश के सभी खण्डों में चल रहे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, राजकोषीय वर्ष 1983-84 के अन्तर्गत 36.9 लाख हिताधिकारियों की सहायता की गयी और बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित) द्वारा 773.5 करोड़ रुपये के मीयादी ऋण उपलब्ध कराये गये। इसकी तुलना में 1982-83 के दौरान 34.6 लाख हिताधिकारियों की सहायता की गयी थी और 714.0 करोड़ रुपये के मीयादी ऋण उपलब्ध कराये गये थे कार्यक्रम को लागू करने का कार्य सुचारु रूप से चलाने की दृष्टि से बैंक

ने वित्तीय संस्थाओं को कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये । इनमें इन बातों की व्यवस्था की गयी कि बैंक (क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को पास-बुक जारी करें ताकि उन्हें दिये गये ऋण की सही राशि, बकाया राशि चुकौती की अवधि आदि के बारे में ज्ञान रहे (ख) छोटे ऋणों के लिए अतिरिक्त जमानत, आवश्यक रुझान, कुशलता और विशेषज्ञता वाले स्टाफ की नियुक्ति, व्यावहारिक तरीके से वापसी अदायगी का कार्यक्रम बनाने आदि से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करें तथा (ग) चुकौती की क्षमता आदि की जीवनावधि आदि घटकों को ध्यान में रखते हुए चुकौती अवधि निर्धारित करें ।

विभेदक ब्याज दर योजना

142. विभेदक ब्याज की दर योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने और प्रगति की । अद्यतन आंकड़े जो दिसम्बर 1982 के अन्त तक उपलब्ध हैं, यह दर्शाते हैं कि इस योजना के अंतर्गत ऋण खातों की संख्या 4.19 लाख की वृद्धि के साथ 33.44 लाख हो गयी तथा बकाया ऋणों की राशि 54 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 311.50 करोड़ रुपये हो गयी । प्रति खाता ऋण की औसत राशि 880 रुपये से बढ़कर 932 रुपये हो गयी । दिसम्बर 1982 के अंत में इस योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम दिसम्बर 1981 के अन्त की स्थिति के उनके कुल अग्रिमों के लगभग 1.2 प्रतिशत के बराबर थे । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत लाये जाने की स्थिति में सुधार हुआ है और उनके खातों की संख्या दिसम्बर 1981 के अन्त के 13.76 लाख से बढ़कर दिसम्बर 1982 के अन्त में 16.36 लाख हो गयी । इसी अवधि के दौरान बकाया ऋणों की राशि 123 करोड़ रुपये से बढ़कर 154 करोड़ रुपये हो गयी । यह राशि कुल विभेदक ब्याज दर योजना के अग्रिमों के 40 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 49.6 प्रतिशत थी ।

143. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान द्वारा विभेदक ब्याज की दर योजना का गुणवत्ता के आधार पर एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया था और इसकी रिपोर्ट दिसम्बर 1982 में प्रस्तुत की गयी थी । इसके बाद अन्य बातों के साथ-साथ विभेदक ब्याज दर योजना के विभिन्न प्रावधानों और यथावश्यक संशोधनों इस योजना के अन्तर्गत ऋणों की वसूली के संबंध में बैंकों के अनुभव तथा निधियों के पुनर्भरण (रीसाइक्लिंग) में सुधार के लिए उपायों की जांच करने और सिफारिशें करने के लिए अप्रैल 1983 में एक कार्यदल गठित किया गया था । मई 1984 में इस कार्यदल द्वारा अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया ।

अग्रणी बैंक योजना

144. अग्रणी बैंक योजना की कार्यप्रणाली की समीक्षा विषयक कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1982 में प्रस्तुत कर दी थी । इसकी सिफारिशें कुछ संशोधनों के साथ बैंक द्वारा स्वीकार कर ली गयी थी और राज्य सरकारों और वाणिज्य बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये थे । 1983—85 के लिए जिला ऋण योजनाएं तथा 1983 की वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करके, पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ जिलों को छोड़कर, अन्य सभी जिलों में लागू कर दी गयी थी । अधिकतर जिलों के लिए 1983-84 की वार्षिक कार्य योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया जा चुका था ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण सुविधाएं

145. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में संसदीय समिति की 1983 के शुरू में आयोजित बैठक में हुई चर्चा के संदर्भ में यह जरूरी समझा गया कि वाणिज्य बैंक सार्वधिक रूप से इस बात का मूल्यांकन करें कि इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का कार्यान्वयन उनकी शाखाओं द्वारा किस प्रकार किया जा रहा है । इसलिए बैंकों को अगस्त 1983 में सूचित किया गया कि (1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण उपलब्ध कराने के कार्य का अनुप्रवर्तन करने के लिए प्रधान कार्यालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया जाय । यह कक्ष शाखाओं से संबंधित जानकारी/आंकड़े एकत्र कर उन्हें समेकित कर और अपेक्षित विवरणियां रिजर्व बैंक तथा सरकार को भेजे । (2) बैंकों के निदेशक मंडल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उधारकर्ताओं को ऋणों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए किये गये उपायों की तिमाही आधार पर समीक्षा करें तथा (3) बोर्ड को इन समुदायों को सीधे अथवा राज्य स्तरीय अनु. जाति/अनु. जनजाति निगमों के जरिये विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिये गये ऋणों की प्रगति पर भी विचार करना चाहिए । इसके लिए अन्य उपायों के अलावा प्रधान कार्यालय/नियंत्रक कार्यालयों से वरिष्ठ अधिकारियों के फील्ड दौरों को आधार बनाया जा सकता है । जनवरी 1984 में समस्त वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी आवेदन पत्र नामंजूर किये जायें तो नामंजूरी शाखा स्तर पर न करके उससे उच्चतर स्तर पर की जानी चाहिए । सिर्फ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋणों की प्राप्ति पर नजर रखने के लिए रिजर्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग में एक कक्ष स्थापित किया गया है ।

ऋण प्राधिकरण योजना

146. पहले भाग में बैंक के पूर्व प्राधिकरण से छूट के लिए कार्यशील पूंजी सीमाओं के लिए कट आफ पाइंट बढ़ा कर 3 करोड़ रुपये से 4 करोड़ रुपये करने और ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत न आने वाली निजी क्षेत्र की पार्टियों के लिए वैयक्तिक सीयादी ऋणों (3 वर्ष से अधिक) के लिए कट आफ पाइंट 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने के बैंक के निर्णय के बारे में उल्लेख किया गया था । कट-आफ पाइंट में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत आने वाली पार्टियों की संख्या जून 1983 के अन्त में 897 (सार्वजनिक क्षेत्र के 188 उपक्रमों सहित) से घटकर जून 1984 के अंत में 764 (सार्वजनिक क्षेत्र के 180 उपक्रमों सहित) रह गयी । योजना के अन्तर्गत आनेवाली पार्टियों के संबंध में लागू कुल सीमायें भी जून 1983 के अंत की 17,051 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1984 के अंत में 17,986 करोड़ रुपये हो गयीं । जून 1984 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का हिस्सा 11,186 करोड़ रुपये था जबकि जून 1983 के अंत में यह हिस्सा 10,380 करोड़ रुपये था ।

147. ऋण प्राधिकरण योजना की कार्यपद्धति की समीक्षा करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों को वर्ष के दौरान बैंक ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया । नयी व्यवस्थित कार्यविधियों का सेट बैंकों को भेज दिया गया इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत निधियां और अधिक तेजी से जारी हों । ये कार्यविधियां पहली अप्रैल 1984 से लागू हो गयीं । बैंक ऋण के इस्तेमाल में पर्याप्त अनुशासन बनाये रखने से संबंधित कतिपय अपेक्षाओं को पूरा करने की शर्त के साथ बैंक ऋण प्राधिकरण योजना के सीमा क्षेत्र के अन्दर आने वाली कार्यशील पूंजीगत सीमाओं की मंजूरी के लिए प्रस्तावों के लिए तेजी का रास्ता अपना सकते हैं तथा रिजर्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण की प्रतीक्षा किये बिना अपने विवेक पर, प्रमुख रूप से निर्यातोन्मुखी विनिर्माण इकाइयों के मामले में प्रस्तावित अतिरिक्त सीमाओं के 75 प्रतिशत तक तथा अन्य सभी मामलों में प्रस्तावित अतिरिक्त सीमाओं के 50 प्रतिशत तक निधियां जारी कर सकते हैं । यदि रिजर्व बैंक द्वारा जांच की सामान्य प्रक्रिया के दौरान पता चलता है कि बैंक द्वारा मंजूर की गयी ऋण सीमाएं आवश्यकता पर आधारित नहीं है, अथवा ज्यादा हैं तो बैंक को सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दे दी जायगी । बैंक अब पहले की 50 लाख रुपये की उच्चतम सीमा के स्थान पर 75 लाख रुपये की कुल उच्चतम सीमा के अधीन वर्तमान कार्यशील

पूंजीगत पैकिंग ऋण के अतिरिक्त) सीमाओं के 10 प्रतिशत तक और वर्तमान पैकिंग ऋण सीमाओं के 25 प्रतिशत तक की राशियों के लिए तीन महीने की अवधियों तक के लिए तदर्थ सीमायें मंजूर कर सकते हैं। पूंजीगत और साथ ही गैर-पूंजीगत माल के लिए मात्र-पत्र सुविधाओं को रिजर्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण की शर्त से मुक्त कर दिया गया है।

148. यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ऋण प्राधिकरण योजना को इस शर्त पर उदार बनाया गया है कि बैंक अपने-अपने संगठनात्मक ढांचे में कतिपय परिवर्तन करें। यह परिवर्तन है—ऋण प्राधिकरण योजना खातों को महानगरीय केन्द्रों पर चुने हुए कुछ विशिष्ट शाखा कार्यालयों में संकेन्द्रित करना, निर्णय के प्रत्येक सोपान पर स्तरों की संख्या को युक्ति संगत करना प्रस्तावों पर एक सम्यक नोट बैंक के प्रबंधक वर्ग को प्रस्तुत करना, स्टाफ रखने और जांच प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना और उधारकर्ताओं से बैंक को तथा बैंक से रिजर्व बैंक को दी जाने वाली सूचना के बारे में उचित सूचना-प्रणाली तैयार करना।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बिलों की पुनर्भुनाई योजना

149. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत क्रेतावार वार्षिक सीमा को 150 लाख रुपये से बढ़ाकर 300 लाख रुपये कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, जून 1984 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे इस योजना के अन्तर्गत आने वाली तथा इस योजना के अन्तर्गत न आने वाली लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की योजना की शर्तों से अनुरूपता रखने वाली आस्थगित अदायगी गारंटियां/स्वीकृतियां क्रेताओं की ओर से जारी कर सकते हैं और उनकी मंजूरी दे सकते हैं तथा उनके संबंध में ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उच्चतर क्रेतावार सीमाएं निर्धारित करता है, जैसा कि उसकी योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के संबंध में किया गया है, तो उस सीमा तक ऐसी सुविधाओं की मंजूरी के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

रुग्ण औद्योगिक उपक्रम

150. रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों पर आंकड़े केवल जून 1983 के अंत तक ही उपलब्ध हैं। इस तारीख के अनुसार ऐसी कुल 463 बड़ी रुग्ण औद्योगिक इकाइयां थीं जिनमें से प्रत्येक को बैंकिंग तंत्र से एक करोड़ रुपए और उससे अधिक की ऋण-सीमायें प्राप्त थी और इन इकाइयों पर कुल 1913 करोड़ रुपए के बैंक ऋण बकाया थे जबकि जून 1982 के अंत में 435 इकाइयों पर 1729 करोड़ रुपये बकाया थे। 463 अभिज्ञात इकाइयों में से 409 के संबंध में संभाव्यता अध्ययन पूरे कर लिये गये हैं और 345 इकाइयों में अर्धक्षमता की संभावना पायी गयी है तथा उनमें से 248 इकाइयों का पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है।

वित्तीय संस्थाओं को सहायता

151. रिजर्व बैंक प्रमुख वित्तीय संस्थाओं को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण सुविधायें प्रदान करता है। 1983-84 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को राज्य राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्त्तन) निधि में से मंजूर किये गये दीर्घकालीन ऋण 260 करोड़ रुपये के थे जबकि 1982-83 में 245 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पूरी सीमा का उपयोग किया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्त्तन) निधि से लिये गये उधार और दूसरे बकाया ऋण मिला कर, 30 जून 1984 को 2,085 करोड़ रुपये हो गये थे।

152. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) को 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्त्तन) निधि में से मंजूर किये गये दीर्घकालीन ऋण 55 करोड़ रुपये के थे जबकि 1982-83 में यह राशि 45 करोड़ रुपये थी। एक्जिम बैंक द्वारा उधार ली गयी और अन्य बकाया राशियां कुल मिला कर 30 जून, 1984 को 125 करोड़ रुपये थीं।

153. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 1982-83 के दौरान मंजूर की गयीं 125 करोड़ रुपये की अल्पकालीन ऋण सुविधाएं 30 सितम्बर 1983 तक बढ़ा दी गयी थीं। इन सीमाओं में से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1983-84 के दौरान 6.8 करोड़ रुपये की राशि के ऋणों का लाभ उठाया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उसके द्वारा पुनर्भुनाये गये बिलों की जमानत पर 1983-84 (जुलाई—जून) के लिए 200 करोड़ रुपये की अल्पकालीन ऋण सीमायें भी मंजूर की गयी थीं ये सीमायें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इसलिए मंजूर की गयी थी कि वह धन जुटाने में सामने आयी अस्थायी अड़चनों (रु० 50 करोड़) पर पार पा सके और साथ ही निवेश संस्थाओं जैसे जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाओं आदि द्वारा उसके पास छोड़ी गयी निधियों और उसके द्वारा वस्तुतः संवितरित निधियों के बीच रही कमी (रु० 150 करोड़) पूरी की जा सके। ये निधियां उसे राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सड़क परिवहन निगमों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बिल पुनर्भुनाई योजना के जरिये सहायता राशि बढ़ाने के लिए सौंपी गयी थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 50 करोड़ रुपये की सीमा का लाभ नहीं उठाया। अलबत्ता, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कमी पूरी करने के लिए ली गयी 150 करोड़ रुपये की पूरी सीमा 30 जून 1984 को बकाया थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को मंजूर की गयी 3 करोड़ रुपये की अल्पकालीन ऋण सीमा बैंक द्वारा दिसम्बर 1984 को समाप्त होने वाली एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गयी थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जून 1984 के अन्त में इस सीमा के अधीन कोई भी राशि बकाया नहीं थी। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को अगस्त 1983 में मंजूर की गयी 10 करोड़ रुपये की ऋण सीमा अक्तूबर 1984 में समाप्त हो जायेगी। निगम ने सुविधा का लाभ कई बार बिल्कुल छोटी छोटी अवधियों के लिए उठाया है। जून 1984 के अंत में इस सीमा में 9 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

154. बैंक ने पहली जुलाई 1983 से 30 जून 1984 की अवधि के बीच 10 राज्य वित्त निगमों को उनके तदर्थ बांडों पर कुल 36 करोड़ रुपये की नयी ऋण सीमायें मंजूर की और 6 राज्य वित्त निगमों के संबंध में 16.8 करोड़ रुपये की ऋण सीमाओं की अवधि बढ़ायी। जून 1984 के अंत में सभी राज्य वित्त निगमों पर 4.5 करोड़ रुपये के ऋण बकाया थे।

155. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को 1983-84 के लिए 1,300 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की गयी ताकि वह राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त के जरिये अल्पकालीन ऋण और अग्रिम दे सके। इस सहायता के वास्ते लिया जाने वाली ब्याज बैंक दर से 4.75 प्रतिशत कम है। इस ऋण सीमा के अधीन अधिकतम बकाया राशियां 31 मार्च 1984 को 1,218 करोड़ रुपये हो गयी थी। रिजर्व बैंक ने वर्ष 1982-83 के लिए अपने लाभ में से 225 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्त्तन) निधि में तथा 75 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि में दिये।

चीनी उद्योग को अग्रिम

156. नकदी की कमी के दौर से गुजर रही चीनी मिलों को 25 लाख रुपये प्रति यूनिट से अनधिक के आफ-सीजन व्ययों के लिए बेजमानती ऋण जारी करते समय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक से पूर्व-प्राधिकरण प्राप्त करने की जरूरत नहीं थी। किन्तु रिजर्व बैंक ने 14 जुलाई, 1983 को बैंकों को सूचित किया कि आगामी 1983-84 मौसम के लिए आफ सीजन व्ययों के लिए इस प्रकार के बेजमानती ऋण जरूरी नहीं कि, सामान्य नीति के रूप में दिए ही जायें। अलबत्ता,

अलग-अलग मामले गुणदोषों के आधार पर निपटाये जाने थे और कोई भी बेजमानती ऋण जारी करने से पहले बैंकों को रिजर्व बैंक का पूर्व-प्राधिकरण प्राप्त करना था।

157. नवम्बर, 1983 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि अलग-अलग चीनी मिलों के उत्पादन के अनुमानों के अध्यधीन बैंक 1983-84 के मौसम के लिये 1982-83 के मौसम के दौरान की (अस्थायी अतिरिक्त आहरणों को छोड़ कर) अधिकतम उपयुक्त राशि के 110 प्रतिशत तक, आवश्यकता आधारित ऋण सीमायें रिजर्व बैंक का पूर्व-प्राधिकरण प्राप्त किये बिना मंजूर कर सकते हैं। उधारकर्ताओं के खातों में वास्तविक आहरणों को मिलों के मासिक नकदी बजटों में घोषित घाटों के आधार पर नियमित किया जाना था। हालांकि समग्र आहरण-सीमा के भीतर उपयुक्त उप-सीमायें निर्धारित की जा सकती हैं और बंधक/दृष्टि बंधक रखे गये चीनी के स्टॉकों, खरीदे तथा पुनर्भुनाये गये बिलों आदि पर नकद ऋण के रूप में उनकी अनुमति दी जा सकती है, फिर भी बैंक रिजर्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण के बिना समग्र सीमा से बाहर कोई भी अन्य ऋण सुविधा चाहे वह बेजमानती आधार पर हो या अतिरिक्त पुर्जों, अन्य कच्चे माल, संयंत्र और मशीनरी आदि आस्तियों की जमानत पर, मंजूर न करे।

158. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक तैयार करने का उल्लेख किया गया था। वर्तमान बफर स्टॉक में 5 लाख टन खुली बिक्री की चीनी और मिला कर इसे दस लाख टन करने के सरकार के निर्णय के बाद रिजर्व बैंक ने 15 नवम्बर, 1983 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया कि वर्तमान बफर स्टॉक में शामिल किये गये खुली बिक्री की चीनी के स्टॉकों पर, 100 प्रतिशत आहरण प्रदान करने के फलस्वरूप जारी की गयी राशि, बैंकों द्वारा पहले चीनी मिलों के नकदी ऋण खातों में अनियमितताओं को दूर करने के काम में लायी जानी चाहिए और उसके बाद गन्ने की बकाया अदायगी करने के लिए काम में लायी जानी चाहिए।

159. भारत सरकार ने मार्च 1983 में खुली बिक्री की चीनी के लिए सांकेतिक टैरिफ मूल्य घोषित करने की प्रथा समाप्त कर दी। इसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक ने 5 अगस्त, 1983 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया कि वे उनके पास जमानत के रूप में धारित चीनी स्टॉकों का मूल्य, लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर लगायें। इस प्रयोजन के लिए लेवी स्टॉकों का मूल्य लेवी लागत पर तथा बफर अंश सहित खुली बिक्री के स्टॉकों का मूल्य बाजार लागत पर लगाया जाना था। इनके अतिरिक्त लेवी तथा बफर अंश सहित खुली बिक्री के स्टॉकों का मूल्य, लागत मूल्य पर एक समान रूप से लगाया जाना था। उचित मार्जिन घटाने के बाद, दोनों में से जो मूल्य कम रहे, उसे आहरण अधिकार तय करने के लिए लिया जाना था।

160. चीनी के स्टॉकों पर अग्रिमों के लिए जमानत के रूप में बैंकों को धारित, लेवी तथा खुली बिक्री की चीनी के मूल्यांकन के तरीके में 30 जनवरी, 1984 से और संशोधन किया गया। इस नये तरीके के अन्तर्गत लेवी चीनी के स्टॉकों का मूल्यांकन, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेवी मूल्य पर किया जाता है और खुली बिक्री की चीनी के स्टॉकों (बफर स्टॉकों सहित) का मूल्यांकन, पिछले तीन महीनों के दौरान तमुल किये गये औसत मूल्य (चल औसत) पर, या चालू बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए मूल्य में उत्पादन शुल्क शामिल नहीं होगा। चूंकि खुली बिक्री की चीनी के बाजार-मूल्यों में समय-समय पर उतार-चढ़ाव होता रहेगा, अतः बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि खुली बिक्री की चीनी के जारी न किये गये स्टॉकों पर आहरण शक्तियां निर्धारित करते समय उचित सावधानी बरतें।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

161. मूल्यों में उतार-चढ़ाव वाली वस्तुओं पर अग्रिम देने के संबंध में चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपाय वर्ष के दौरान जारी रहे; अग्रिमों को छूट प्राप्त श्रेणियों में कुछ परिवर्तन किये गये।

162. बैंकों को 4 जुलाई 1983, को सूचित किया गया था कि वे रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा गठित कृषि उत्पाद विपणन समितियों द्वारा बनाये गये गोदामों द्वारा जारी की गयी गोदाम रसीदों को, केन्द्रीय/राज्य गोदाम निगमों के गोदामों द्वारा जारी की गयी रसीदों के समान ही मानें, बशर्ते कि इस प्रकार के गोदाम वैज्ञानिक रूप से बनाये गये हों तथा इनका संचालन प्रशिक्षित स्टॉफ कर रहा हो। इसके अतिरिक्त ऐसी वस्तुओं के संबंध में, जिनके लिए समर्थन मूल्यों की घोषणा की जा चुकी है तथा जिनके संबंध में केन्द्रीय/राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद व्यवस्थायें मौजूद हैं, ग्रामीण क्षेत्र के गोदामों की गोदाम रसीदों पर रु० 5,000 तक के छोटे अग्रिमों पर मार्जिन तथा ब्याज दर में जिन रियायतों की अनुमति थी, उन्हें केन्द्रीय/राज्य गोदाम निगमों तथा साथ ही कृषि उत्पाद विपणन समितियों के ग्रामीण क्षेत्र के गोदामों द्वारा जारी गोदाम रसीदों पर, रु० 5,000 तक के इसी प्रकार के अग्रिमों के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है। इन रियायतों को एक ग्रामीण गोदाम में रखे स्टॉकों के संबंध में, एक अग्रिम प्रति उधारकर्ता तक ही सीमित रखा जाना था तथा बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि छोटे किसान द्वारा भण्डारण के लिए लायी गयी उत्पाद की मात्रा उसकी जोत की जमीन के आकार (अर्थात पांच एकड़ अथवा उससे कम) के अनुरूप हो।

163. बैंकों द्वारा रु० 2,500 प्रति किसान तक प्रत्यक्ष अग्रिम अथवा फसल ऋण की बकाया राशि, जो भी कम हो, तथा खाद्यान्नों की जमानत पर अपने कृषक सदस्यों को ऋण देने के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों को अग्रिम, जो खड़ी फसल पर पहले मंजूर किये गये अग्रिमों की, कटाई की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए और बढ़ाये जाने के द्योतक हैं, चयनात्मक ऋण नियंत्रण की सीमा में बिल्कुल नहीं आते। इस प्रकार की छूट के लिए ऋण सीमा बढ़ाकर 4 जुलाई, 1983 से 5,000 रुपये अथवा फसल ऋण की बकाया राशि, जो भी कम हो कर दी गयी।

विशेष योजनाओं के अन्तर्गत हितार्थिकारियों को अग्रिमों के संबंध में छूट

164. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हितार्थिकारी, योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी रियायती सुविधाओं का लाभ उठा सकें, इस दृष्टि से रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को फरवरी 1984 में सूचित किया कि चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हितार्थिकारियों को मंजूर अग्रिम चयनात्मक ऋण नियंत्रण के सीमाक्षेत्र से पूरी तरह बाहर होंगे। मई 1984 में बैंकों को अग्रिमों की कुछ और ऐसी श्रेणियों के बारे में भी सूचित किया गया था जो चयनात्मक ऋण नियंत्रण के सीमा क्षेत्र से पूरी तरह बाहर होंगी। ये हैं — (1) चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं की प्रोसेसिंग/विनिर्माण और/या कारोबार प्रारंभ करने वाले शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत हितार्थिकारियों को अग्रिम; (2) विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सभी शर्तों को पूरा करने वाले उधारकर्ता का उक्त प्रकार की वस्तुओं पर अग्रिम; और (3) रु० 5,000 प्रति उधारकर्ता की कुल सीमा तक इस शर्त पर छोटे अग्रिम कि उधारकर्ता केवल एक ही बैंक के साथ लेनदेन रखेगा।

165. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन मूल्यों में उतार-चढ़ाव वाली (सेंसिटिव) वस्तुओं के संबंध में राज्य सहकारी बैंकों तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा ऋण सीमायें मंजूर करने पर नियंत्रण लागू करने की दृष्टि से नाबार्ड को (जो अब इन संस्थाओं पर ऋण प्राधिकरण योजना का प्रबंध करता है) सूचित किया गया था कि वह इस प्रकार के पण्यों वाले 5 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों के संबंध में रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया करें।

बैंकों का निरीक्षण

166. वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वार्षिक मूल्यांकन निरीक्षण का दूसरा दौर पूरा कर लिया गया था और तीसरे और चौथे दौर चल रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्र के 16 बैंकों का वार्षिक मूल्यांकन हाथ में लिया गया /पूरा कर लिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के 9 बैंकों का वार्षिक मूल्यांकन और वित्तीय मूल्यांकन दोनों के लिए निरीक्षण किया गया। 8 विदेशी बैंकों, निजी क्षेत्र के 19 अनुसूचित बैंकों तथा 3 गैर-अनुसूचित बैंकों का वित्तीय निरीक्षण हाथ में लिया गया/पूरा कर लिया गया। इस अवधि के दौरान बहरीन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय बैंकों के 10 विदेशी कार्यालयों का निरीक्षण भी पूरा कर लिया गया।

167. वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों के निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा विषयक कार्यकारी दल की रिपोर्ट बैंक के समक्ष 22 अक्तूबर, 1983 को प्रस्तुत कर दी गयी। इसकी सिफारिशों का उद्देश्य उन बैंकों के निरीक्षणों के मामले में रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड का आंतरिक मार्गदर्शन है।

बैंकों में धोखाधड़ियां

168. बैंकों में शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या तथा धोखाधड़ियों के बढ़ते हुए मामले पर बैंक की चिंता तथा इस संबंध में बैंकों को जारी किये गये विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। धोखाधड़ियों के गंभीर मामलों, बड़ी शिकायतों की पड़ताल तथा धोखाधड़ियों वाले अभिज्ञात क्षेत्रों की जांच के लिए बैंक में मई 1983 में स्थापित किये गये विशेष अन्वेषण कक्ष ने अब तक बड़ी धोखाधड़ियों के 12 मामलों तथा 4 शिकायतों की जांच की है। इनके परिणामों से बैंकों को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा स्टाफ के दृष्टिकोण से जांच करने के लिए अवगत करा दिया गया था। जहां कहीं आवश्यक समझा गया, जांचों के परिणामों को सरकार की जानकारी में भी लाया गया। इन परिणामों के आधार पर बैंकों को ऐसे रक्षोपाय सुझाते हुए परिपत्र जारी किये गये हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए ताकि इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

चेकों का समाशोधन

169. बाहरी चेकों के राष्ट्रीय समाशोधन अपनाने की कार्यप्रणाली और देश में बैंकों द्वारा निपटाये गये मशीनीकृत चेकों के लिए मैगनेटिक इंक करैक्टर रिकग्नीशन (एम०आई०सी०आर०) आप्टिकल करैक्टर रिकग्नीशन (ओ०सी०आर०) तकनीक अपनाने की व्यावहार्यता/संभावना पर विचार करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिशें स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप, रिजर्व बैंक ने नवम्बर 1983 में दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की व्यवस्था के लिए एक राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष स्थापित किया गया। इस दल ने सिफारिश की है कि मशीनीकृत चेक निपटान के लिए एम०आई०सी०आर० तकनीक पहले चरण में चार महानगरों बंबई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास में शुरू की जाये जिसे बाद में, विभिन्न चरणों में, अन्य राज्यों की राजधानियों तथा महत्वपूर्ण केन्द्रों में भी शुरू कर दिया जाये। राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष इस प्रयोजन के लिए गठित एक तकनीकी समिति की सहायता से चेक के कागज, चेक लेआउट तथा एम०आई०सी०आर० कूट लाइन ढांचे के लिए मानक विनिर्देश तैयार कर रहा है।

बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम

170. बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक जिसका जिक्र पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था, संसद द्वारा 21 दिसम्बर, 1983 को पारित कर दिया गया और 12 जनवरी, 1984 के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 बना। इन दो अधिनियमों के कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन संक्षेप में यहां दिये जा रहे हैं।

171. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन में केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देना अपेक्षित है कि वह रिजर्व बैंक द्वारा अपने निर्गम विभाग में आस्तियों के रूप रखी जाने वाली प्रतिभूतियों का प्रकार, इस तरह रखी जाने वाली प्रतिभूतियां औपचारिक रूप से अधिसूचित करने की जरूरत के बिना, अनुमोदित कर सके। इसके द्वारा यह सुनिश्चित करना भी अपेक्षित है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से राज्य सहकारी बैंकों को ऋण तथा प्रायोजक बैंकों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिये जाने वाले ऋण, नकदी प्रारक्षित अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए देयताओं के रूप में न माने जायें।

172. संशोधित रूप में औसत दैनिक शेष राशि की संकल्पना सप्ताह के बजाय पखवाड़े के प्रत्येक दिन कारोबार की समाप्ति पर धारित शेषराशियों से जुड़ी होगी और अब अनुसूचित बैंकों को अब तक की प्रथा के अनुसार महीने के प्रत्येक शुक्रवार के बजाय प्रत्येक एकान्तर शुक्रवार की पाक्षिक विवरणियां प्रस्तुत करनी होंगी। इससे बैंकों को इस बात के लिए अधिक समय मिल सकेगा कि वे अपनी देयताओं पर दृष्टिपात कर सकें और नकदी प्रारक्षित के विधिवत रखरखाव की व्यवस्था कर सके बैंक इस संशोधन के लागू होने की तारीख अधिसूचित करेगा।

173. पद 'जमा राशि' की परिभाषा में विस्तार किया गया है ताकि उसमें जमा अथवा ऋण के जरिये अथवा किसी अन्य रूप में धन की कोई प्राप्ति शामिल की जा सके लेकिन इसमें विशेष रूप से उल्लिखित जमा के विभिन्न प्रकार शामिल करने से छोड़ दिये जायेंगे, ताकि अलग अलग व्यक्ति और गैर-निगमित संस्थाएं तथा फर्में अपने बैंक कारोबार के लिए निधियां अथवा अग्रिम प्राप्त कर सकें। इससे पहले अलग-अलग व्यक्तियों, फर्मों अथवा व्यक्तियों की गैर-निगमित संस्थाओं द्वारा जमा राशियां स्वीकार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। व्यापक लोकहित में और विशेष रूप से बहुत बड़ी संख्या में छोटे और जानकारी न रखने वाले जमाकर्ताओं के हित में, यह जरूरी समझा गया कि इस प्रकार के गैर-निगमित निकायों आदि द्वारा जनता से जमाराशियां स्वीकार करने पर रोक लगायी जाये। तदनुसार नये प्रावधानों में यह तय किया गया है कि किसी भी व्यक्ति अथवा फार्म अथवा व्यक्तियों की कोई गैर-निगमित संस्था के पास किसी भी समय, जमाकर्ताओं की निर्धारित संख्या से अधिक की जमा राशियां नहीं होंगी।

174. बैंकिंग विनियमन अधिनियम का संशोधन बहुत अधिक प्रावधानों पर लागू होता है। यह बैंकिंग कंपनियों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन पहले ही किये जा रहे कारोबार के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारोबार करने के लिए सक्षम बनाता है। यह बैंकिंग कंपनियों के निदेशकों के कार्यकाल की अवधि को सीमित करता है और रिजर्व बैंक को यह निर्णय करने का अधिकार मिल गया है कि निदेशकों की संख्या में परिवर्तन अनुमत है या नहीं और साथ ही रिक्ति होने पर, यदि इस प्रकार की नियुक्ति की आवश्यकता प्रतीत हो, तो अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार भी रिजर्व बैंक को प्राप्त हो गया है। इससे दूसरे पिछले पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की मांग और मीयादी देयताओं के आधार पर गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की नकदी प्रारक्षित अनुपात और सभी बैंकों के सांविधिक नकदी अनुपात की गणना में सहायता मिलती है। इस संशोधन में ऐसी कंपनियों को ऋण दिये जाने का निषेध है जहां बैंकिंग कंपनी का निदेशक किसी ऐसी कंपनी या उसकी सहयोगी या धारक कंपनी, जिसमें उसका काफी हित लगा हुआ है, का निदेशक या कोई अन्य पदाधिकारी हो। इससे रिजर्व बैंक को यह अधिकार मिला है कि वह किसी बैंक द्वारा रखे जाने वाले अधिकतम सांविधिक नकदी अनुपात को बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत तक कर दे और किसी भी बैंकिंग कंपनी से अन्य सांविधिक विवरणियों के अलावा दैनिक विवरणी की मांग करे। इसके अलावा रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह सांविधिक नकदी अनुपात रखने में व्यतिक्रम करने वाली बैंकिंग कंपनियों पर दण्डस्वरूप ब्याज लगाये और किसी बैंकिंग कंपनी के कामकाज की, नियमित निरीक्षणों के अलावा, जांच करे।

धन के जमाखातों और अभिरक्षा/सुरक्षा लाकर में रखी वस्तुओं के संबंध में बैंक के ग्राहकों के लिए नामांकन सुविधा की भी व्यवस्था है। दोनों अधिनियमों में किये गये इन संशोधनों में से कुछ 15 फरवरी, 1984 को लागू हो चुके हैं।

चाय, जूट आदि के संबंध में स्थायी समिति

175. जूट, चाय, चीनी और उर्वरक उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं और उनसे जुड़ी समस्याओं पर समन्वित रूप से दृष्टिपात करने के प्रयोजन से बैंक द्वारा एक स्थायी समिति नियुक्त किये जाने के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। चीनी उद्योग के संबंध में, इस स्थायी समिति ने चीनी स्टॉकों के मूल्यांकन की समस्याओं की जांच करने के लिए एक उपसमिति गठित की थी और इसके परिणामों के आधार पर संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किये गये हैं। इस स्थायी समिति के निर्णय के अनुसरण में एक और उपसमिति गठित की गयी है जो चीनी उद्योग के पुनर्वास के लिए विस्तृत उपाय सुझायेगी।

176. चाय उद्योग के संबंध में इस स्थायी समिति ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे, चाय उत्पादन/निर्यात बढ़ाने के लिये किये जाने उपाय, चाय की दलाली करने वाली फर्मों और साथ ही बैंकों आदि द्वारा चाय बागानों के दोहरे वित्तपोषण को रोकने के उपायों आदि पर चर्चायें कीं।

177. जूट के संबंध में उक्त स्थायी समिति द्वारा किये गये निर्णय के अनुसरण में दो उपसमितियां गठित की गयीं, इनमें से एक ने, जिसे जूट उद्योग में कार्य की दृष्टि से सक्षम रुग्ण इकाइयों का पता लगाने का कार्य सौंपा गया था, अक्तूबर 1983 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। उपसमिति ने इस रिपोर्ट में जूट मिलों के वर्गीकरण के लिए विस्तृत मापदण्ड और प्रत्येक श्रेणी के पुनर्वास के लिए उपाय सुझाये। जिन उपायों पर विचार किया जाना है उनमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, बैंकों तथा मीयादी ऋण संस्थाओं, भारतीय निर्यात-आयात बैंक तथा स्वयं उद्योग से अपेक्षित सहायता शामिल है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने मिलों के वर्गीकरण और उनकी अर्थक्षमता निर्धारित करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है। जूट के माल के निर्यात के लिए मध्यकालिक नजरिये का मूल्यांकन करने और इस मूल्यांकन के प्रकाश में, निर्यातों के स्तर को बनाये रखने के लिए किये जाने वाले विभिन्न सुझावों पर विचार करने के वास्ते गठित उपसमिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

178. उर्वरक उद्योग से संबंधित स्थायी समिति ने दो उपसमितियां गठित करने का निर्णय किया। इनमें से एक उर्वरक उद्योग के लिए मांग प्राप्यों के मानदण्डों की समीक्षा करेगी और दूसरी उत्तर प्रदेश और बिहार में किये जाने वाले अध्ययन के आधार पर मजबूत वित्तीय सहायता पर आधारित वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए उपायों की समीक्षा करेगी और उपाय सुझायेगी। इन उपसमितियों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

पूर्वी भारत में कृषि संबंधी उत्पादकता के संबंध में समिति

179. मार्च 1980 में गठित पूर्वी भारत में कृषि संबंधी उत्पादकता विषयक समिति ने चार राज्यों के दौरे पूरे कर लिये हैं और संबंधित राज्य सरकारों से सामग्री एकत्र करने का कार्य पूरा कर लिया है। इस समिति ने अनुसंधान संस्थाओं और अन्य एजेंसियों को सौंपे गये विशेष अध्ययन रिपोर्टें भी प्राप्त कर ली हैं। रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने का कार्य इस समय चल रहा है और सितम्बर 1984 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

मौद्रिक प्रणाली के कार्यचालन की समीक्षा के लिए समिति

180. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में मौद्रिक प्रणाली के कार्यचालन की समीक्षा के लिए गठित समिति के विषय में उल्लेख किया गया था। इस समिति ने अगस्त/सितम्बर 1983 में कई संस्थाओं/संगठनों तथा शिक्षाविदों को चार प्रश्नावलियों के सेट भेजे थे और उनसे कई मामलों पर उनके विचार मांगे गये थे। इस समिति ने विशेषज्ञों द्वारा कई अध्ययन भी करायें हैं। कुछ अध्ययन पूरे कर लिये गये हैं और समिति द्वारा उनकी जांच का कार्य चल रहा है। प्रश्नावलियों के जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। समिति की कार्य-अवधि जो जून 1984 के अन्त में समाप्त होनी थी, 6 महीने के लिए बढ़ा दी गयी है।

सहकारी बैंकिंग से संबंधित गतिविधियां

शहरी बैंक विभाग का गठन

181. शहरी सहकारी बैंकों से संबन्धित बढ़ते हुए सांविधिक तथा विकासात्मक कार्य को देखने के लिए पहली फरवरी 1984 से अलग से एक शहरी बैंक विभाग स्थापित किया गया है। इस विभाग की स्थापना होने तक यह कार्य बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के शहरी बैंक प्रभाग द्वारा किया जा रहा था।

प्राथमिक सहकारी बैंकों की प्रगति

182. जून 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 29 और प्राथमिक सहकारी बैंक स्थापित किये गये। इनके साथ ही उनकी कुल संख्या 1,310 हो गयी, इनमें से 1,209 व शहरी सहकारी बैंक तथा 101 वेतन भोगियों की समितियां थीं। बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस शुदा प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या जून 1983 के अंत के, 341 से बढ़कर, जून 1984 के अंत में 393 हो गयी।

पुनर्वित्त सुविधाओं के संबन्ध में नीतिगत परिवर्तन

183. शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी सलाहकार समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसरण में लघु उद्योगों को अग्रिमों के संबन्ध में पुनर्वित्त योजना में कतिपय संशोधन किये गये। संशोधित नीति के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों को बैंक दर से 2 1/2 प्रतिशत कम दर पर रियायती पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जायेगा। यह सुविधा उन्हें ऐसी लघु औद्योगिक इकाइयों को, जो सात वर्ष से अनधिक अवधि से अस्तित्व में हैं/उत्पादनरत हैं, उनकी वास्तविक ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार देने के वास्ते शहरी सहकारी बैंकों के वित्तपोषण के लिए प्राप्त होगी। 7 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, जब तक कि लघु औद्योगिक इकाइयां पर्याप्त आर्थिक सक्षमता प्राप्त कर चुकी होंगी और सामान्य दर पर ब्याज अदा करने योग्य हो जायेंगी, रिजर्व बैंक से प्राप्त रियायती पुनर्वित्त का उपयोग शहरी सहकारी बैंक केवल ऐसी लघु और छोटी इकाइयों को उधार देने के लिए कर सकते हैं जिन्हें उनके अस्तित्व/उत्पादन की अवधि पर ध्यान दिये बिना सभी स्रोतों से 2 लाख रुपये तक की ऋण सुविधायें प्राप्त हैं।

184. वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान 101 शहरी सहकारी बैंकों की ओर से कुल 56.4 करोड़ रुपये की अल्पकालीन ऋण सीमाएं मंजूर की गयी थीं। ये सीमायें ब्याज की रियायती दर पर कुटीर और लघु औद्योगिक इकाइयों के वित्तपोषण के लिए मंजूर की गयी थीं। उपर्युक्त सीमाओं में से 31 मार्च 1984 को 48 करोड़ रुपये के उधार बकाया थे।

185. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 12 अगस्त 1983 से अपनी पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत पुनर्भुनाई सुविधायें 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के मध्यवर्ती तथा प्राथमिक सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को भी उपलब्ध करायी ताकि वे लघु औद्योगिक इकाइयों की कुल पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मीयादी ऋण दे सकें। यह सुविधा केवल लेखापरीक्षा-वर्गीकरण 'ए' अथवा 'बी' के अन्तर्गत आने वाले ऐसे शहरी बैंकों तक सीमित है जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम से गारन्टी रक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्थायें भी हैं।

186. वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान 17 शहरी सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए आन्ध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों से कुल 11.4 लाख रुपये के ऋण मंजूर

करने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । किन्तु कोई भी आवेदन-पत्र सिफारिश के साथ नाबार्ड को न भेजा जा सका क्योंकि या तो ऐसे आवेदन-पत्र देर से प्राप्त हुए अथवा आवेदक बैंक अपनी शेयर पूंजी में राज्य सहभागिता के लिए अपात्र था ।

187. शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी सलाहकार समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तियों और योजनाओं को आवासीय वित्तपोषण की व्यवस्था के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त सितम्बर 1983 में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों को सूचित कर दिये थे । अलग-अलग उधार कर्ताओं और साथ ही योजनाओं के लिए पात्रता मानदण्ड स्पष्ट कर दिये गये थे और अलग-अलग उधारकर्ता के लिए ऋणों की कुल मात्रा अधिकतम 50,000 रुपये निर्धारित की गयी थी । शहरी सहकारी बैंक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा निम्न आय वर्गों से संबन्धित उधारकर्ताओं के संबन्ध में सम्पत्ति के मूल्य के 80 प्रतिशत तक तथा मध्य आय वर्गों से संबन्धित उधारकर्ताओं को 70 प्रतिशत तक वित्त उपलब्ध करा सकते हैं । पात्र योजनाओं में समाज कल्याण परियोजनायें, जैसे— झोपड़पट्टी हटाने की योजनायें, अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के लिए छात्रावास, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनायें, आवासीय परियोजनाओं के हिस्से के रूप में शापिंग केन्द्र/बाजार आदि शामिल की जा सकती हैं । तथापि आवासीय बोर्डों, स्थानीय निकायों आदि जैसी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाने वाला वित्त परियोजना-लागत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । आवासीय ऋणों पर वसूल किया जाने वाला ब्याज अधिक से अधिक 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखा गया था और चुकौती की अवधि आमतौर पर 10 वर्ष से अनधिक और कतिपय परिस्थितियों में 15 वर्ष तक रखी गयी थी । अलबत्ता, कोई भी शहरी सहकारी बैंक आवासीय ऋण और साथ ही लघु इकाइयों को ब्लॉक पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराने के लिए अपने कुल निक्षेप स्रोतों के 10 प्रतिशत तक अथवा अपने शुद्ध निपटान योग्य दीर्घकालीक स्रोतों के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, निवेश कर सकता है ।

अग्रिमों पर ब्याज दर

188. प्राथमिक सहकारी बैंकों ने अपने ऋणों, अग्रिमों आदि पर वसूल किये जाने वाले ब्याज की दरों को, वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरों की ही तरह पहली अप्रैल 1983 से संशोधित किया था । तथापि कतिपय शहरी सहकारी बैंकों और साथ ही उनके संघों/महासंघों से उनकी अर्थक्षमता पर, उनके अग्रिमों पर ब्याज की संशोधित नीची दरों के संभावित, प्रतिकूल प्रभाव के संबन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों को देखते हुए, ब्याज की दरों में कतिपय संशोधन किये गये । ये संशोधन 2 जनवरी 1984 से किये गये । ये इस प्रकार हैं:—

अग्रिमों की श्रेणी	ब्याज दर प्रतिशत प्रतिवर्ष	
	2-1-84 से पूर्व	2-1-84 से
लघु उद्योग	10.0	11.0 से अनधिक
पिछड़े क्षेत्रों में 25,000 रुपये तक संमिश्र ऋण		
खुदरा व्यापारी अग्रिम	12.5	14.0 से अनधिक
5,000 रुपये तक सीमायें तथा शामिल करते हुए मीयादी ऋण		
पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग (लघु उद्योग की नयी परिभाषा के अनुसार इकाइयां)	12.5	13.5 से अनधिक

189. राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा ऐसी सहकारी संस्थाओं को, जिन्हें सरकार द्वारा तिलहनों और दालों की खरीद का कार्य सौंपा गया है, दिये गये अग्रिमों पर ब्याज दर 7 नवम्बर, 1983 से 13.5 प्रतिशत तथा सहकारी संस्थाओं से इतर संस्थाओं के संबन्ध में 15 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी ।

मूल्यों में उतार-चढ़ाव वाले पण्यों पर अग्रिम

190. बैंकों तथा व्यापार/उद्योग प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के प्रत्युत्तर में चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन आने वाले पण्यों पर सहकारी बैंकों के अग्रिमों के संबन्ध में बैंक के निदेशों में सितम्बर तथा दिसम्बर 1983 में कतिपय संशोधन/स्पष्टीकरण किये गये थे । सूती वस्त्रों आदि की जमानत पर किसी अकेले उधारकर्ता को मंजूर किये गये ऋण का औसत स्तर एक लाख रुपये से बढ़ा कर चार लाख रुपये कर दिया गया था । इसी औसत स्तर के भीतर ही बैंकों को अपने विवेक पर किसी उधारकर्ता को कतिपय शर्तों पर इन पण्यों (अर्थात् सूती वस्त्र इत्यादि) की बिक्री से होने वाले और 60 दिन से कम की अवधि के लिए बकाया रहने वाले बड़े ऋणों पर दो लाख रुपये तक के अग्रिम देने की अनुमति थी । मूल्यों में उतार-चढ़ाव वाली अन्य वस्तुओं पर अग्रिमों के संबन्ध में किसी अकेले उधारकर्ता को मंजूर ऋण का औसत स्तर एक लाख रुपये से बढ़ा कर 2 लाख रुपये कर दिया गया था । मूल्यों में उतार-चढ़ाव वाली वस्तुओं से सम्बंधित मांग-दस्तावेजी बिलों की खरीद/उनकी जमानत के जरिए मंजूर किये गये अग्रिम निदेश के सीमाक्षेत्र में बिल्कुल नहीं आते ।

191. समग्र ऋण नियंत्रण उपायों के संदर्भ में और सूत और कपास की आपूर्ति की स्थिति पर विचार करते हुए कर्नाटक और गुजरात राज्यों में प्राथमिक सहकारी बैंकों (औद्योगिक सहकारी बैंकों सहित) द्वारा सूत और कपास पर किये गये प्रतिबन्ध जारी रखे गये । तदनुसार बैंकों को अप्रैल 1984 में निदेश दिया गया कि वे ऋण का औसत स्तर अधिकतम 50 लाख रुपये से कम बनाये रखें, 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज वसूल करें और सूत और कपास की जमानत पर, भले ही वह जमानत बंधक अथवा दृष्टिबंधक के जरिये हो, पार्टियों को अग्रिमों पर कम से कम 50 प्रतिशत का मार्जिन रखें ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के संबन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त

192. सितम्बर 1983 में, शहरी सहकारी बैंकों से यह कहा गया कि वे अपने कुल अग्रिमों का 60 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देने का लक्ष्य, जिसमें से कम से कम 25 प्रतिशत (अथवा कुल ऋणों और अग्रिमों का 15 प्रतिशत) कमजोर वर्गों को दिया जाना था, 30 जून 1985 तक पूरा कर लें । जिन शहरी सहकारी बैंकों ने 30 जून 1983 तक अपने कुल अग्रिमों का 40 प्रतिशत से कम ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिया था, उनसे कहा गया कि वे आगामी दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसे अग्रिमों का स्तर 10 प्रतिशत बिन्दुओं तक बढ़ाएं ।

नये बैंकों/शाखाओं को लाइसेंस देना

193. नये बैंकों को लाइसेंस देने से संबन्धित नीति की पुनरीक्षा की गयी तथा परिचालन क्षेत्र के अन्तर्गत किसी कस्बे/शहर के अत्यधिक निकटवर्ती परीसरीय क्षेत्रों को शामिल करने को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से परिचालन क्षेत्र से संबन्धित मानदण्ड में छूट दी गयी । इसी प्रकार, प्रस्तावित बैंकों के मुख्यालयों के निकटवर्ती अन्य शहरी/अर्धशहरी केन्द्रों को भी उसकी अर्थक्षमता के हित में, उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जा सकता है ।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी सलाहकार समिति

194. शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी सलाहकार समिति ने शहरी सहकारी बैंकों की परिचालनगत दक्षता के स्तर में गिरावट पर, जो पुर्नव्यवस्था की आवश्यकता वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि होने से स्पष्ट दिखाई पड़ती है, गंभीर चिन्ता व्यक्त की और यह सुझाव दिया कि बैंकों की वित्तीय स्थिति और परिचालनगत दक्षता में तीव्र गति से सुधार लाने के लिए समयबद्ध पुर्नव्यवस्था कार्यक्रम तैयार करने के अलावा सुधारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए । समिति ने कुटीर और लघु उद्योगों के 22 स्थूल समूहों में आने वाली औद्योगिक इकाइयों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने

से संबन्धित नीति की भी पुनरीक्षा की और लघु उद्योग इकाइयों की पात्रता तथा पुनर्वित्त सीमाओं के निर्धारण के मानदंडों में कुछ आधारभूत परिवर्तन करने का सुझाव दिया। 1969/70 में योजना के लागू होने से लेकर अब तक राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड से प्राथमिक सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए बहुत कम ऋण लिये जाने तथा प्राथमिक सहकारी बैंकों के लघु उद्योग ऋणों के क्षेत्र में शेयर पूंजी अंशदान का कोई महत्वपूर्ण योगदान न हो पाने को दृष्टि में रखते हुए, समिति ने यह सुझाव दिया कि नाबार्ड के साथ यह व्यवस्था केवल दो वर्षों के लिए अर्थात् वित्तीय वर्ष 1985-86 तक ही और जारी रखी जाये। महानगरों/पत्तन शहरों/शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के कार्यक्रमों के संबन्ध में वाणिज्य बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों के बीच उचित समन्वय को सुनिश्चित करने की दृष्टि से समिति शहरी सहकारी बैंकों को यह अनुमति देने के प्रस्ताव पर सहमत हुई कि वे 1983-85 के दो वर्षों की अवधि के दौरान 1983 तक खोली गयी शाखाओं के अतिरिक्त 200 शाखाओं से अनधिक शाखाएं खोल सकते हैं।

बैंक ऋण के संबन्ध में राज्य हथकरघा विकास निगमों की परिचालनगत समस्याओं के अध्ययन के लिए कार्यकारी दल

195. रिजर्व बैंक ने राज्य हथकरघा विकास निगमों की कार्यप्रणाली के अध्ययन तथा सहकारी क्षेत्र से बाहर के हथकरघा बुनकरों की सहायता के लिए बैंकों से उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए 19 जून 1984 को एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की। इस कार्यकारी दल को सौंपे गये कार्य ये हैं। राज्य हथकरघा विकास निगमों को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाना ताकि वे हथकरघा बुनकरों के वित्तपोषण में एक प्रभावी भूमिका अदा कर सकें। यह अध्ययन करना कि निगम धागे तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं तथा हथकरघा बुनकरों से प्राप्त कपड़ों के कुशल विपणन की व्यवस्था के साथ बुनकर समूहों को किस प्रकार बेहतर वित्त प्रदान कर सकते हैं। सौंपे गये उक्त कार्यों से संबन्धित तथा अन्य आकस्मिक बातों के संबन्ध में सिफारिश करना। यह आशा की जाती है कि उक्त दल अपनी रिपोर्ट जनवरी 1985 के अंत तक प्रस्तुत कर देगा।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण तथा अन्य मामलों से संबन्धित गतिविधियां

निर्यात संबन्धी क्रियाविधि को सरल और कारगर बनाना

196. निर्यात क्रियाविधि (जिसे सामान्यतः जी०आर० फार्म के नाम से जाना जाता है) को सरल तथा अधिक कारगर बनाने के लिए वर्ष के दौरान उसमें आमूल चूल परिवर्तन किये गये। पहली अक्तूबर, 1983 से लागू परिवर्तित क्रियाविधि के अनुसार निर्यातकों को निर्यात घोषणा फार्म पहले के तीन सेटों के बजाय अब दो सेटों में प्रस्तुत करने होंगे। यह आशा की जाती है कि परिवर्तित प्रणाली से भुगतान संतुलन के आंकड़ों का संकलन शीघ्रता से किया जा सकेगा और साथ ही वसूल न हुई अथवा देरी से वसूल हुई निर्यात प्राप्तियों के मामलों में रिजर्व बैंक द्वारा अधिक कारगर ढंग से अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकेगी।

एशियाई समाशोधन संघ के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनों के लिए भुगतान

197. एशियाई समाशोधन संघ के सदस्य देशों के बीच अन्तर-क्षेत्रीय व्यापार में और अधिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया था कि नेपाल को छोड़कर, एशियाई समाशोधन संघ के सदस्य देशों और भारत के बीच चालू अन्तरराष्ट्रीय लेन देनों (यात्रा से संबन्धित भुगतानों को छोड़कर) के सभी पात्र भुगतान अनिवार्य रूप से एशियाई समाशोधन संघ के माध्यम से किये जायें। यह नयी व्यवस्था जनवरी 1984 से लागू की गयी थी। आस्थगित भुगतान की शर्तों पर होने वाले आयात और निर्यात लेनदेनों से संबन्धित भुगतानों को अनिवार्य भुगतान क्रियाविधि से बाहर रखा गया है तथापि ऐसे मामलों में भी पोतलदान प्रलेखों पर अग्रिम/नकद भुगतान एशियाई समाशोधन संघ के माध्यम से किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। चूंकि बंगला देश में आयातकों को आयातों के वित्तपोषण के लिए मजदूरी अर्जक योजना के अंतर्गत अधिक राशि (प्रीमियम) पर अमरीकी डालर खरीदने की अनुमति दी जाती है, अतः ऐसे आयात लेनदेनों पर भी एशियाई समाशोधन संघ के माध्यम से अनिवार्य भुगतान की आवश्यकता से छूट दी जाती है।

स्टर्लिंग दर सूची की समाप्ति

198. पौंड स्टर्लिंग को छोड़कर अन्य विदेशी मुद्राओं की विनिमय दरों का निर्धारण विद्यमान बाजार-दशाओं के आधार पर प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किया जाता है। पौंड स्टर्लिंग में व्यापारिक लेनदेनों के लिए दरों का विनिमय पहले भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा तैयार और प्रकाशित स्टर्लिंग दर सूची के माध्यम से किया जाता था। स्टर्लिंग दर सूची के प्रकाशन की यह प्रणाली पहली जनवरी 1984 से समाप्त कर दी गयी और प्राधिकृत व्यापारियों को अब यह अनुमति दे दी गयी है कि वे भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा मार्जिन आदि के संबन्ध में निर्धारित किये जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन अन्य मुद्राओं के विनिमय दर निर्धारण की तरह पौंड स्टर्लिंग में लेनदेनों के लिए व्यापारिक दरों का निर्धारण भी बाजार-दशाओं के आधार पर कर सकते हैं। व्यापारिक तार अंतरण खरीद तथा पौंड स्टर्लिंग और कतिपय अन्य विदेशी मुद्राओं के लिए बिक्री दरों के बीच का अधिकतम अन्तर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय कम्पनियों के शेयरों की बिक्री/अंतरण

199. भारतीय राष्ट्रिकता अथवा भारतीय मूल के अनिवासी व्यक्तियों द्वारा धारित भारतीय कम्पनियों के शेयरों की बिक्री तथा अन्तरण को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, केन्द्र सरकार ने 4 मई 1983 को एक अधिसूचना जारी की जिससे ऐसे अंतरणों पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के लागू होने से छूट दी गयी है। यह छूट इन मामलों पर लागू होगी—(क) अंतरिती द्वारा शेयरों की खरीद भारत में किसी मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर बाजार से की गयी हो, और (ख) बेचे गये शेयरों से प्राप्त राशि अंतरणकर्ता द्वारा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास अपने साधारण अनिवासी रुपये खाते में जमा करायी जाये तथा भारत से बाहर उस राशि के प्रत्यावर्तन का अधिकार नहीं हो। परिणामस्वरूप, बिक्री से प्राप्त राशि के प्रत्यावर्तन के अधिकार के बिना भारत में स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से भारत के नागरिकों अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों के पक्ष में भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल के लोगों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों की बिक्री/अंतरण के लिए रिजर्व बैंक की विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि उपर्युक्त अपेक्षाओं का पालन किया जाये।

निगमित निकायों के लिए साधारण अनिवासी खाते

200. अप्रैल, 1984 में ऐसे विदेशी निकायों/ट्रस्टों को उपलब्ध निवेश सुविधाओं को और उदार बनाया गया जिनमें कम से कम 60 प्रतिशत स्वामित्व/लाभकारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, किन्तु अन्तिम रूप से भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल के लोगों में निहित हो। विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों को ऐसे विदेशी निगमित निकायों के नाम से साधारण अनिवासी रुपया खाते खोलने और रखने की अनुमति दी गयी है बशर्ते ऐसे खाते खोलने के लिए प्रारम्भिक जमाराशियां एक अनुमोदित तरीके से विदेश से प्रेषण द्वारा अथवा भारत में उचित ऐसी रुपया निधियों से दी जायें जो ऐसे अनिवासी खातों में जमा करने के लिए अन्यथा रूप से प्राप्त हों।

विदेशी कंपनियों का भारतीयकरण

201. 30 जून, 1984 को ऐसे मामलों की संख्या 379 थी जिनमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29(2)(ए) के अन्तर्गत यह अन्तिम निर्णय किये गये थे कि विनिर्दिष्ट स्तर तक विदेशी कंपनियों का भारतीयकरण किया जाये/इनकी ईक्विटी में कमी की जाये। इस वर्ष के दौरान 17 और कंपनियों ने निदेशों का अनुपालन किया और इस प्रकार ऐसी कंपनियों की कुल संख्या 349 हो गयी। शेष 30 कंपनियां भी अनुपालन के विभिन्न चरणों में रहे।

आयात-निर्यात विषयक विशेषज्ञ समिति

202. रिजर्व बैंक द्वारा नवम्बर 1982 में नियुक्त निर्यात और आयात विषयक विशेषज्ञ समिति ने, जिसका उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था, अपनी अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर 1983 में प्रस्तुत कर दी है । समिति ने, वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात से संबंधित विदेशी मुद्रा नियंत्रण क्रियाविधियों को सरल और कारगर बनाने तथा ग्राहक सेवा की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से बहुत सी महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं । समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर भारत सरकार के परामर्श से जहां आवश्यक है, विचार किया जा रहा है ।

निर्यात सलाहकार समिति

203. निर्यात से संबन्धित विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों तथा ऋण उपलब्धता से संबन्धित मामलों में निर्यातकों से उनकी कठिनाइयों का सीधे ही पता लगाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने अक्तूबर 1983 में एक अखिल भारतीय निर्यात सलाहकार समिति की स्थापना की थी जिसमें रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंकों के प्रतिनिधि तथा अखिल भारतीय निर्यात संवर्धन परिषदों/संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

204. तम्बाकू निर्यातकों की निर्यात ऋण आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक परामर्शदात्री समिति की स्थापना की गयी है जिसमें रिजर्व बैंक के अधिकारियों, वाणिज्य बैंकों, तम्बाकू निर्यातकों तथा तम्बाकू बोर्ड तथा भारतीय तम्बाकू संघ के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है ।

विदेशी मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण के चयनित क्षेत्रों पर कार्यशाला

205. प्राधिकृत व्यापारियों के उच्च तथा मध्यम स्तर के अधिकारियों, विशेष रूप से देश के सुदूर भागों में स्थित शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों की तकनीकी जानकारी और दक्षता में वृद्धि करने की दिशा में एक और कदम के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से देश भर में लगभग 50 विभिन्न केन्द्रों पर 100 से अधिक कार्यशालाओं की एक श्रंखला प्रायोजित की । इन कार्यशालाओं में विदेशी मुद्रा व्यापार के पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जो ये हैं;

(1) आयात-निर्यात व्यापार तथा साख-पत्र का तंत्र,
(2) निर्यात वित्त,
(3) विनियम जोखिमों का प्रबन्ध,
(4) अनिवासी खातों का परिचालन, और
(5) 'आर' विवरणियों का समेकन और प्रस्तुतीकरण ।

पणजी, गोवा में विदेशी मुद्रा नियंत्रण कार्यालय

206. 24 नवम्बर 1983 को पणजी, गोवा में बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया। पणजी कार्यालय के क्षेत्राधिकार में संघशासित प्रदेश गोवा, दमण और दीव का गोवा क्षेत्र रहेगा । जनता की सुविधा के लिए दमण और दीव क्षेत्र विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के बम्बई कार्यालय के क्षेत्राधिकार में बने रहेंगे ।

प्राधिकृत व्यापार के लिए लाइसेंस

207. विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1973 की धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार, विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए बैंक ऑफ तंजावूर लि०, तंजावूर तथा बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया, टोरंटो, कनाडा की बम्बई शाखा को लाइसेंस दिये गये । इन दोनों बैंक को, सामान्य शर्तों तथा दायित्वों के अधीन, समस्त अनुमत मुद्राओं में सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा लेन-देन करने की अनुमति प्रदान की गयी है ।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

208. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम ने बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को और छोटे उधारकर्ताओं के कतिपय वर्गों को, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के उधारकर्ताओं को, उपलब्ध करायी गयी ऋण सुविधाओं को गारंटी आधार देने के अपने दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में और अधिक प्रगति की । पहले से चलाई जा रही निक्षेप बीमा योजना तथा पांच ऋण गारन्टी योजनाओं के अलावा निगम ने सहकारी क्षेत्र के संबन्ध में दो ऋण गारन्टी योजनाएं और बनायी । पिछले वर्ष की रिपोर्ट में लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियां) गारंटी योजना, 1982 का उल्लेख किया गया था जिसमें पात्र ऋण संस्थाओं को पहली जनवरी 1983 से शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था । दूसरी योजना, अर्थात् लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984, पहली जुलाई 1984 से लागू हो गयी है ।

209. बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या जून 1983 के अंत की 1,718 से बढ़कर जून 1984 के अंत में 1,773 हो गयी जिसमें 84 वाणिज्य बैंक, 159 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 1,530 सहकारी बैंक शामिल थे । इस योजना के अंतर्गत अब 14 राज्यों और 3 संघशासित प्रदेशों में कार्यरत सहकारी बैंकों की जमाराशियों पर गारन्टी रक्षा लागू है । 30 जून, 1982 को बीमाकृत खातों की कुल संख्या 1,598 लाख थी जिसमें 42,360 करोड़ रुपये की कुल निर्धारणीय जमाराशियां आती थीं । यह संख्या 30 जून 1983 को बढ़कर 1,816 लाख खाते और 50,797 करोड़ रुपये हो गयी ।

210. निगम की लघु गारन्टी योजना 1971 में भाग लेने वाली संस्थाओं की संख्या जून 1983 के अंत की 188 से बढ़कर मार्च 1984 के अंत में 217 हो गयी जिसमें 75 वाणिज्य बैंक और 142 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल थे। सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971 में भाग लेने वाली संस्थाओं की संख्या इसी अवधि में 149 से 164 हो गयी जिसमें 61 वाणिज्य बैंक 66 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 37 सहकारी बैंक शामिल थे। लघु ऋण (वित्त निगम) गारन्टी योजना, 1971 में भाग लेने वाली ऋण संस्थाओं की संख्या 18 पर अपरिवर्तित बनी रही । गैर-औद्योगिक क्षेत्र के संबन्ध में, इन तीनों ऋण गारन्टी योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत कुल अग्रिमों की राशि जून 1983 के अंत के 5,774 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1984 के अंत में 6,115 करोड़ रुपय हो गयी जो 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है ।

211. निगम की लघु ऋण गारंटी योजना 1981 में भाग लेने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़कर जून 1984 के अंत में 387 हो गयी जिसमें 72 वाणिज्य बैंक, 110 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 16 राज्य वित्त निगम, 7 राज्य विकास एजेंसियां तथा 182 सहकारी बैंक शामिल थे । लघु उद्योग क्षेत्र के गारंटीकृत अग्रिमों की राशि जून 1982 के अंत के 3,822 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1983 के अंत में 4,154 करोड़ रुपये हो गयी जो 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

212. 1983-84 (जुलाई-जून) की अवधि के दौरान निगम को अपनी गैर-औद्योगिक योजनाओं के संबंध में 34.23 करोड़ रुपए के 1,47,452 दावे तथा लघु उद्योगों के लिए गारंटी योजना के संबंध में 43.56 करोड़ रुपए के 15,751 दावे प्राप्त हुए । उक्त अवधि में कुल मिलाकर, गैर औद्योगिक योजना के संबंध में 27.31 करोड़ रुपए के 1,६5,419 दावों तथा लघु उद्योग योजना के संबंध में 17.94 करोड़ रुपए के 10,001 दावों का निपटान किया गया ।

213. निगम के कारोबार में हुई पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, निगम की प्राधिकृत पूंजी को 15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने के लिए कदम उठाये गये हैं जो पूर्णतः रिजर्व बैंक द्वारा अभिदत्त होगी । इस संबंध में, संसद द्वारा आवश्यक कानून पारित किया जा चुका है और उस पर 12 फरवरी, 1984 को राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त हो गयी है ।

गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमा राशियां स्वीकार किया जाना

214. वर्ष के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय तथा विविध गैर बैंकिंग कम्पनियों को बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशकों के दो सेटों में कुछ

संशोधन किये गये 30 मार्च 1984 से लागू हुए इन संशोधनों के अनुसार पात्र नकद आस्तियों की सूची से नकदी के घटक को हटा दिया गया है। किराया-खरीद वित्त तथा आवासीय कम्पनियों को अब नकद आस्तियां रखने की अनुमति दी गयी है जो वे अनुसूचित बैंकों में किसी भी प्रभार/ग्रहणाधिकार से मुक्त जमा खातों अथवा भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों अथवा दोनों के रूप में रख सकते हैं। इसके अलावा जमाराशियों के समय से पहले किये जाने वाले आहरणों के लिए वित्तीय तथा विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा लिए जाने वाले दंडात्मक ब्याज की दर को भी दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है ताकि वह वाणिज्य बैंकों द्वारा ली जाने वाली दंडात्मक ब्याजदर के बराबर हो जाये।

215. बैंकिंग विविध (संशोधन) अधिनियम 1963 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में एक नया अध्याय III सी शामिल किया गया है, जिसके अनुसार गैर निगमित निकायों को एक विनिर्दिष्ट सीमा के बाद जनता से जमा राशियां स्वीकार करने के लिए निषेधित किया गया है। इस प्रकार कोई व्यक्ति, विनिर्दिष्ट संबंधियों को छोड़कर 25 जमाकर्ताओं से अधिक से जमा राशियां स्वीकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार, एक साझेदारी फर्म अथवा व्यक्तियों के अनिगमित संघ को प्रति साझेदार व्यक्ति 25 जमाकर्ताओं तथा कुल 250 जमाकर्ताओं से अधिक से जमा राशियां स्वीकार करने के लिए निषेधित किया गया है, इसमें उनके संबंधी शामिल हैं। लेकिन, यह अधिकतम सीमा जमाकर्ताओं की संख्या पर लागू है, जमा राशि के संबंध में लागू नहीं है।

गैर-बैंकिंग कम्पनियों की जमा राशियां

216. 31 मार्च 1983 को गैर-बैंकिंग कम्पनियों की जमा राशियों की वृद्धि के बारे में किये गये सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष के दौरान जमाखातों की संख्या 59.14 लाख से बढ़कर 75.11 लाख हो गयी तथा 5,356 रिपोर्टिंग कम्पनियों की कुल जमा राशि 9,194 करोड़ रुपए हो गयी जबकि गत वर्ष 5,420 रिपोर्टिंग कम्पनियों की कुल जमा राशि 5,492 करोड़ रुपए थी। 9,194 करोड़ रुपयों की कुल जमा राशि में से 2,557 गैर-वित्तीय कम्पनियों की राशि 6,764 करोड़ रु० (73.6 प्रतिशत), 2,296 वित्तीय कम्पनियां की राशि 2,201 करोड़ रुपये (23.9 प्रतिशत) तथा 503 विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों (चिट फंड कम्पनियों) की राशि 229 करोड़ रुपए (2.5 प्रतिशत) थी 1,955 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, अथवा 5,356 रिपोर्टिंग कम्पनियों की 36.5 प्रतिशत कम्पनियों की कुल जमा राशियां 8,455 करोड़ रुपये (92.0 प्रतिशत) थी, जबकि 3,401 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों (63.5 प्रतिशत) की कुल जमा राशियां केवल 739 करोड़ रुपये (8.0 प्रतिशत) थी। 31 मार्च 1983 को, सरकारी कम्पनियों की कुल जमा राशियां 4,018 करोड़ रुपए (43.7 प्रतिशत) थी जबकि पिछले वर्ष ऐसी 52 कम्पनियों की कुल जमा राशियां 2,337 करोड़ रुपये थी। 1982-83 के दौरान नियमित किये जाने के उपायों के अधीन जमा राशियां 1,519 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,977 करोड़ रुपये हो गयी जबकि ऐसी राशियां जो सांविधिक प्रतिबंधों से मुक्त हैं, उदाहरण के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों से उधार, 3,972 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,217 करोड़ रुपये हो गयी। 1982-83 में गैर-बैंकिंग कंपनियों की कुल जमा राशियों में 67.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि नियमित किये जाने के उपायों के अधीन जमाराशियों की वृद्धि 30.1 प्रतिशत के आसपास थी। इसकी तुलना में बैंक जमाराशियों में वृद्धि 20.1 प्रतिशत की थी।

निर्गम कार्यालय

217. इस वर्ष के दौरान त्रिवेन्द्रम स्थित निर्गम विभाग के उप-कार्यालय को पूर्ण निर्गम कार्यालय का दर्जा दे दिया गया और चंडीगढ़ में एक उप-कार्यालय खोला गया। इसके साथ, अब देश में 15 पूर्ण निर्गम कार्यालय तथा 2 उप-कार्यालय हो गये हैं।

करेंसी चेस्ट

218. देश में जून 1984 के अंत में कुल 3,878 करेंसी चेस्ट थे (इनमें 606 रिपाजिटरी शामिल नहीं हैं)। इनमें से, रिजर्व बैंक के पास 17 स्टेट बैंक समूह के पास 3,197 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 389 तथा सरकारी कोषागारों/उपकोषागारों के पास 271 और जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि. के पास 4 करेंसी चेस्ट थे।

सर्वेक्षण

219. मार्च 1984 में वाणिज्य बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त लघु उद्योग इकाइयों, निजी निगमित इकाइयों तथा कारीगरों और दस्तकारों का एक देशव्यापी सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया। इस सर्वेक्षण के लिए क्षेत्र-आधार वित्त प्रदान करने वाले बैंकों द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है। 'अवर्गित प्राप्तियों' से संबंधित जो सर्वेक्षण अब तक प्रति वर्ष एक तिमाही के लिए आयोजित किया जाता था, उसे वित्तीय वर्ष 1984-85 से सभी तिमाहियों के लिए शुरू किया गया है। यह ऐसी अवर्गित प्राप्तियों (विदेश से व्यक्तिगत रूप से 10,000 रुपये से कम के बराबर राशियों) के प्रेषण के प्रयोजनवार तथा देशवार अलग अलग ब्योरों से संबंधित है।

220. अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण 1981-82 से, जो बैंक की पहल पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया था, संबंधित आंकड़ों के अभिसंस्करण तथा सांख्यिकीय सारणियां बनाने के काम लगभग समाप्त हो चुका है।

221. भारत की विदेशी देयताएं और आस्तियां 1981-82 की गणना के लिए कम्पनियों से प्राप्त सूचियों के अभिसंस्करण का काम चल रहा है।

रिजर्व बैंक के संगठनात्मक मामले तथा सेवायें

कार्यों के लिए मानदंड

222. वर्ष के दौरान, लोक ऋण कार्यालयों तथा स्थापना अनुभाग को जहां तुलनात्मक रूप से अधिक कर्मचारी काम में लगाये गये हैं प्रमुख गतिविधियों के संबंध में लिपिकीय कार्य हेतु मानदंड निर्धारित करने के लिए प्रयास किये गये और उनके कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध रूप से कारंवाई की जा रही है।

मशीनीकरण/कम्प्यूटरीकरण

223. उत्पादकता ग्राहक सेवा में सुधार की दृष्टि से कई और कार्यों का मशीनीकरण/कम्प्यूटरीकरण किया गया। गैर-औद्योगिक दावों के निपटान तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के प्रीमियम/शुल्क के लेखाकरण से संबंधित कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया गया। नागपुर कार्यालय में सरकारी लेखों तथा प्रेषण समाशोधन खातों के रखरखाव से संबंधित कार्य का भी कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है और अगस्त में उक्त दोनों जगह एक साथ काम शुरू हो जाएगा। विदेशी लेखा प्रभाग, शीर्ष स्तर के प्रबन्ध के लिए सूचना प्रणाली तथा रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड के कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के लिए बंबई में मिनी-कम्प्यूटर प्रणाली शुरू की जा रही है। निर्गम विभाग, भायखला में संसाधन परिचालन कार्य का भी कम्प्यूटरीकरण किया गया। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, अन्तर नगर चैकों के समाशोधन में तेजी लाने के लिए एम.आई.सी.आर. प्रौद्योगिकी पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली शुरू की जा रही है। दो और कार्यालयों अर्थात बेंगलूर और हैदराबाद में लेजर पोस्टिंग मशीनें लगायी जा रही हैं। रिजर्व बैंक द्वारा टेलिकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स आफ इंडिया लि० के परामर्श से दूर संचार का एक समर्पित तंत्र भी विकसित किया जा रहा है।

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, बम्बई

224. बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय ने केन्द्रीय वाणिज्य और विकास बैंकिंग के क्षेत्र में सामान्य कार्यक्रम, ऋण क्षेत्र में विशेष/प्रयोजन मूलक कार्यक्रम तथा कार्मिक प्रबंध औद्योगिक संबंध और संगठन तथा पद्धति से

संबंधित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबंधकीय कार्यक्रमों आदि का आयोजन करना जारी रखा। इसके अलावा, निष्पादन बजटिंग बैंकरों के लिए सांख्यिकीय, बैंकों के विधिक पहलू, व्यापार बैंकिंग, संकाय विकास, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आदि विषयों पर भी कार्य-क्रम आयोजित किये गये।

225. वर्ष के दौरान बैंक ने मानव संसाधन विकास रूपी इकाइयों की पुनर्संरचना (बैंक के तकनीकी अधिकारियों के लिए) प्रबंध सूचना प्रणाली, आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर 15 नये कार्यक्रम शुरू किये। निरीक्षण कार्यक्रम (रिजर्व बैंक के प्रमुख निरीक्षण अधिकारियों के लिये आयोजित), पट्टे पर वित्त विषयक कार्यशाला, औद्योगिक वित्त विषयक सेमिनार (रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए) तथा बैंक अर्थ-शास्त्रियों का सेमिनार। महाविद्यालय ने रिजर्व बैंक में ग्रेड 'बी' अधिकारी के पदों के लिए आवेदनों करने वाले अनुसूचित जनजातियों के उम्मीद-वारों के लिए एक नियुक्ति-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यूरो-करेंसी बाजार परिचालन, अन्तर शाखा लेखा समायोजन आदि जैसे क्षेत्रों के लिए सेमिनार/कार्यशालाएं भी आयोजित की गयीं। बैंक ने दूसरे बैंकों के अनुरोध प्राप्त होने पर उनकी प्रशिक्षण संस्थाओं में संकाय सहायता भी उपलब्ध करायी।

226. उक्त अवधि के दौरान आयोजित किये गये विभिन्न प्रकार के 90 कार्यक्रमों में से 17 कार्यक्रम बाहरी केन्द्रों पर चलाये गये। इनमें से 13 कार्यक्रम प्रयोजक संस्थाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किये गये तथा उनके स्वयं के प्रशिक्षण केन्द्रों पर चलाये गये। छोटे बैंकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के शाखा प्रबन्धकों के लिए सामान्य प्रशिक्षण सहित 3 बाहरी केन्द्र कार्यक्रम आयोजित किये गये। उक्त अवधि में रिजर्व बैंक के 2472 अधिकारियों को महाविद्यालय में प्रशिक्षित किया गया और इस प्रकार 1954 में महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या बढ़कर 26,621 हो गयी है।

227. 'बी.टी.सी. बुलेटिन' के, नियमित प्रकाशन के अलावा महाविद्यालय ने निम्नलिखित दो प्रकाशन निकाले (1) प्लान एण्ड प्रोसीजर फॉर ऑडिटिंग दी डीलिंग रूम तथा (2) मैनेजमेंट आडिट।

रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, मद्रास

228. रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, मद्रास बैंक के विभिन्न विभागों में कार्यरत ग्रेड 'ए' से ग्रेड 'सी' तक के स्टाफ अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता रहा।

वर्ष के दौरान 76 कार्यक्रमों के माध्यमों से 1,720 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ, 1963 में इसकी स्थापना से लेकर अब तक 14,509 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सामान्य रूप से चलाये जाने वाले व्यापक तथा अन्य प्रयोजनमूलक कार्यक्रमों के अलावा, जिनमें से कुछ में पुनरीक्षा के बाद परिवर्तन किये गये थे, कुछ नये कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इनमें (I) डीलिंग रूम की कार्यप्रणाली, विदेशी मुद्रा व्यापार में निहित जोखिम आदि में ग्रेड ए/बी/सी के अधिकारियों को अवगत कराने के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार (II) भारत में निर्यातों के संबन्ध में नियमों और विनियमों तथा क्रियाविधियों का विस्तृत जानकारी देने के लिए निर्यात विषयक अनुवर्ती कार्यवाई (III) सहभागियों को संप्रेषण के क्षेत्र में उनकी अप्रकट क्षमताओं से परिचित कराने के लिए सम्प्रेषण कार्यशाला (IV) आर्थिक विकास के एक उपकरण के रूप में भारत में बैंकिंग प्रणाली की सक्रिय भूमिका बताने के लिए तथा सहभागियों को जिला ऋण योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए विकास के लिए बैंकिंग योजनाएं तथा (V) एक मूल्यवान कार्यपालक संसाधन के रूप में समय का बोध और उपयोग विकसित करने के लिए आपके समय का प्रबन्धन आदि कार्यक्रम शामिल थे।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

229. कृषि वित्त और उससे संबन्धित विषयों पर सामान्य और विशिष्ट कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषि बैंकिंग महाविद्यालय ने, उक्त अवधि के दौरान 85 नियमित कार्यक्रमों के माध्यम से, विशिष्ट कार्यक्रम तथा दो बाहरी केन्द्र कार्यक्रम शामिल हैं, भारत तथा विदेश में स्थित विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं तथा सरकार के 2,077 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया और इस प्रकार सितम्बर 1969 में महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 21,247 हो गयी है। कृषि बैंकिंग में प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केन्द्र ने महाविद्यालय परिसर में दो कार्यक्रम आयोजित किये—जिनमें से एक कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब लोगों के लिए परियोजना वित्त पर तथा दूसरा ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए उत्पादन वित्त पर आयोजित किया गया था। इन कार्यक्रमों में भारत के अलावा बंगलादेश, नेपाल तथा श्रीलंका के प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

230. महाविद्यालय ने दो सेमिनारों का आयोजन किया, जिनमें से एक "कमजोर वर्गों को ऋण सहायता" पर था जिसमें सरकार, बैंकों तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम और 'भारतीय औद्योगिक विकास बैंक' आदि जैसी अन्य वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिये तथा दूसरा सेमिनार "ग्रामीण क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के उत्पादकता तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण और विसपोषण" विषय पर वाणिज्य/सहकारी बैंकों के महाप्रबंधकों/संयुक्त महाप्रबंधकों के लिए आयोजित किया गया था। महाविद्यालय ने एशियाई और पेसिफिक क्षेत्रीय कृषि ऋण संघ द्वारा प्रायोजित एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का भी आयोजन किया जिसका विषय "ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए ग्रामीण स्तर का ऋण परियोजना" था जिसमें भाग लेने वालों ने बैंकों से सहायता के लिए योग्य परियोजनाओं के चयन और तैयारी का कार्य किया। महाविद्यालय ने पहली बार शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वनियोजन योजना तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गैरकृषि क्षेत्र वित्त पर भी एक सेमिनार आयोजित किया।

आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र

231. भायखाला (बम्बई) कलकत्ता, मद्रास और नयी दिल्ली स्थित आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों ने लिपिकीय कर्मचारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रमों, लिपिक ग्रेड II के लिए प्रारम्भिक पाठ्यक्रमों तथा टेलर/सिक्का/नोट परीक्षक ग्रेड I के लिए विशेष पाठ्यक्रमों का आयोजन करना जारी रखा। वर्ष के दौरान आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र भायखाला ने श्रेणी IV के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया। चारों आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल मिलाकर 2486 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया और इस प्रकार आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना से लेकर अब तक प्रशिक्षण पाने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 25,533 हो गयी। आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों ने श्रेणी II के 137 कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया है।

प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों की देश और विदेश में प्रतिनियुक्ति

232. बैंक ने अपने अधिकारियों को देश विदेश की प्रतिष्ठित प्रबंध तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्ति करना जारी रखा। उक्त अवधि के दौरान, बैंक ने ऐसी संस्थाओं द्वारा आयोजित किये गये विभिन्न कार्यक्रमों में अपने 201 अधिकारियों को नामित किया, जिनके विषय प्रबंध तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के अलावा प्रशिक्षकों वाणिज्य बैंकिंग प्रशासन, विदेशी मुद्रा नियंत्रण आदि से संबंधित प्रयोजन मूलक कार्यक्रमों से संबंधित थे। कुल मिलाकर बैंक के 19 अधिकारियों को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विजरलैण्ड, कोरिया, पश्चिम जर्मनी, मलेशिया जापान, सिंगापुर, फिलीपीस, घाना, इंडोनेशिया, थाइलैण्ड आदि की बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में प्रशिक्षण और अध्ययन दौरे पर प्रतिनियुक्त किया गया।

233. अन्य संस्थाओं को रिजर्व बैंक के संकाय सदस्यों की सेवाएं उपलब्ध कराने के एक भाग के रूप में रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय के एक संकाय सदस्य तथा बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय के उप-प्रधानाचार्य को नवम्बर 1983 में दक्षिण-पूर्वी एशियाई केन्द्रीय बैंक अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में वित्तीय प्रबंध पर कुछ सत्र लेने के लिए भेजा गया ।

234. बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय के दो संकाय सदस्यों को पीपल्स बैंक, कोलम्बो, श्रीलंका के अधिकारियों के लिए आयोजित विकास बैंकिंग कार्यक्रम में व्याख्यान देने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया तथा तीन अन्य संकाय सदस्यों को स्टेट कामर्शियल बैंक लि., मारीशस द्वारा बैंकों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया । तंजानिया में आयोजित ईस्ट अफ्रीकन बैंकिंग कोर्स में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को व्याख्यान देने के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया ।

विदेशी बैंकों के अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी प्रशिक्षण सुविधाएं

235. बैंक ने विदेशों के केन्द्रीय और वाणिज्य बैंकों से प्राप्त विशेष अनुरोधों पर उनके अधिकारियों को प्रशिक्षण और अध्ययन सुविधाएं देना जारी रखा । इनमें एशियाई और पेसिफिक क्षेत्रीय कृषि ऋण संघ (ए. पी. आर. ए. सी. ए.) स्टाफ एक्सचेंज प्रोग्राम, कामनवेल्थ फंड टेक्निकल कोआपरेशन लंदन, कोलंबो प्लान की तकनीकी सहयोग की योजना यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता की योजनाओं के अन्तर्गत प्रायोजित कार्यक्रम भी शामिल थे । जिन 82 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण सुविधाएं दी गयीं उनमें से, 36 श्रीलंका से, 17 नेपाल से, 9 अफगानिस्तान से, 4-4 भूटान और युगांडा से, 3 तंजानिया से, दो-दो नाइजीरिया तथा केन्या से तथा एक-एक मालदीव द्वीप, इथियोपिया, जाम्बिया, बंगलादेश तथा फिलिपीन्स से थे । इनमें से अंतिम दो देशों के प्रतिनिधि एशियाई और पेसिफिक क्षेत्रीय कृषि ऋण संघ (ए. पी आर. ए. सी. ए.) स्टाफ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत आए थे ।

बैंक के प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बीच संबंध

236. औद्योगिक संबंधों की स्थिति, कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रही । अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ तथा बैंक के बीच श्रेणी III के कर्मचारियों के संबंध में किया गया वेतन समझौता जिसपर दिये न्यायाधिकरण की सहमति प्राप्त हुई थी व श्रेणी III के कर्मचारियों के संबंध में आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन और बैंक के बीच हुआ समझौता 31 अगस्त, 1982 को समाप्त हो गया । संघ फेडरेशन द्वारा बैंक को क्रमशः जुलाई 1983 तथा सितम्बर 1983 में प्रस्तुत किए गए नए मांग पत्रों पर बातचीत चल रही है ।

237. 'रिजर्व बैंक आफ इंडिया आफिसर्स एसोसिएशन' के साथ संयुक्त परामर्श समिति की बैठकों तथा वार्षिक बैठक के अलावा, जब-जब भी विशिष्ट मामले सामने आए, आल इंडिया रिजर्व बैंक स्टाफ अधिकारी एसोसिएशन के साथ, हमेशा की तरह, विचार-विमर्श किया गया ।

238. 16/17 फरवरी 1984 को प्रबंधकों तथा विभागाध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें मुद्रा प्रबंध, मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण का प्रयोग तथा निरीक्षण की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करने के अलावा बैंक में औद्योगिक संबंधों की स्थिति को पुनरीक्षा भी की गयी ।

बैंक की सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

239. पहली जनवरी 1984 को बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या तीनों वर्गों अर्थात् चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी में क्रमशः 2,209 (अ. जा. 1765, अ. ज. जा. 444), 3,190 (2,164 तथा 1,026) तथा 346 (299 तथा 47) थी । इनकी तुलना में जनवरी 1983 की स्थिति के अनुसार श्रेणी IV में 1,915 (1,547 तथा 368), श्रेणी III में 3,128 (2,147 और 981) तथा श्रेणी I में 305 (268 तथा 37) कर्मचारी थे ।

240. कैलेंडर वर्ष 1983 के दौरान बैंक की सेवा में विभिन्न श्रेणियों में की गयी सीधी भर्ती तथा कुल भर्ती में अ. जा./अ. ज. जा. के प्रतिनिधित्व के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

श्रेणी	भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	भर्ती किए गए कुल उम्मीदवारों में अ.जा./अ. ज. जा. के उम्मीदवारों की संख्या		भर्ती किए गए कुल उम्मीदवारों में अ.जा./अ. ज. जा. के उम्मीदवारों का प्रतिशत	
		अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.जा.	अ.ज. जा.
श्रेणी I	26	5	3	19.2	11.5
श्रेणी II (लिपिकीय कर्मचारी आदि)	1060	137	77	12.9	7.3
श्रेणी IV (अधीनस्थ कर्मचारी)					
(I) सफाई कर्मचारियों को छोड़कर	296	55	32	18.6	10.8
(II) सफाई कर्मचारी	39	18	4	46.2	10.3

241. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में स्टाफ अधिकारी ग्रेड 'बी' के पद के लिए लिखित परीक्षा में अ. ज. जा. उम्मीदवारों द्वारा स्तरीय उत्तर न दिए जाने से संबंधित अध्ययन पर भारतीय शिक्षण संस्थान, पुणे से प्राप्त रिपोर्ट की जांच का उल्लेख किया गया था । इस संस्थान से प्राप्त रिपोर्ट की जांच करने के बाद इसके कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया गया । उसमें दिए सुझावों के अनुसार इस वर्ष ग्रेड "बी" अधिकारी के पदों के लिए केवल अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के वास्ते दिए गए विज्ञापनों के उत्तर में जिन उम्मीदवारों ने आवेदन भेजे थे उन्हें परीक्षापूर्व प्रशिक्षण दिया गया ।

बैंक की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों की रोजगार

242. 1983 में लिपिक ग्रेड II/सिक्का/नोट परीक्षक ग्रेड II के पदों पर भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए 14 1/2 प्रतिशत की दर से आरक्षण किए जाने के निर्णय के बाद कार्यालयों को यह सूचित किया गया कि वे भर्ती के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों/अधिसूचनाओं में ऐसे आरक्षण का विशेष रूप से उल्लेख करें तथा इसके लिए पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता के अधीन उनके लिए निर्धारित कोटे में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करें । इसके साथ, चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए पहले से किए गए 24 1/2 प्रतिशत के आरक्षण के साथ श्रेणी III के समस्त पदों के लिए बैंक द्वारा 14 1/2 प्रतिशत की दर से आरक्षण उपलब्ध किया जा चुका है । लेकिन लिपिक ग्रेड II/सिक्का/नोट परीक्षक ग्रेड II के पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण करने से पूर्व ही, इस वर्ष में की गयी कुल 965 नियुक्तियों में से 82 अर्थात 8.5 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जा चुकी थी । 1983 के दौरान श्रेणी III (सामान्य वर्ग में लिपिकों को छोड़कर) में भरे गए 54 पदों तथा श्रेणी IV वर्ग में भरे गए 302 पदों में से क्रमशः 4 और 39 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की गयी जबकि आरक्षण की निर्धारित दर के अनुसार क्रमशः और 74

पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जानी थी । 1983 में, श्रेणी III (लिपिक ग्रेड II/टिक्का/नोट परीक्षक ग्रेड II को छोड़कर) तथा श्रेणी IV वर्गों में की गयी कुल भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों का हिस्सा क्रमशः 7.4 प्रतिशत तथा 12.9 प्रतिशत था जबकि 1982 में इसका हिस्सा क्रमशः 4.4 प्रतिशत तथा 11.8 प्रतिशत था । कार्य सम्पादन के स्तर में छूट देने तथा अन्य रियायतें देने के बावजूद पात्र भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने के कारण श्रेणी III तथा श्रेणी IV के वर्गों में भर्ती के लिए बैंक निर्धारित आरक्षण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका ।

प्रेस संपर्क

243. प्रेस संपर्क प्रभाग ने रिजर्व बैंक तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के विभिन्न विभागों के प्रचार तथा प्रेस संपर्क कार्य के समन्वय का कार्य जारी रखा । उस प्रभाग ने साख नियंत्रण उपायों, विनिमय दरों के परिवर्तनों, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों आदि की जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम भी किया । बैंकों के राष्ट्रीयकरण की वर्षगांठ के अवसर पर इस प्रभाग ने एक विशेष हैन्ड आउट जारी किया जिसमें वाणिज्य बैंकों द्वारा शाखा विस्तार, जमाराशि संग्रहण तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण सुविधायें उपलब्ध कराने में की गयी प्रगति को प्रकाश में लाया गया ।

244. पिछले वर्ष की भांति, इस प्रभाग ने समस्त भारत से आमंत्रित आर्थिक संपादकों का सम्मेलन आयोजित किया ताकि उनके तथा बैंक के गवर्नर और अन्य वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों के बीच विचारों के अनौपचारिक आदान-प्रदान के माध्यम से, बैंक की नीतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वातावरण तैयार किया जा सके । साथ ही बैंक ने अपने कर्मचारियों को सूचना के लिए "रिजर्व बैंक न्यूज लेटर" तथा वाणिज्य बैंकों के उपयोग के लिए मासिक रूप से "क्रेडिट इन्फार्मेशन रिव्यू" का हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशन करना जारी रखा ।

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा

245. वर्ष के दौरान, बैंक के कार्यालयों/विभागों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के वास्ते कई नए कदम उठाए गए । हिन्दी के प्रयोग के संबंध में वार्षिक-समय-बद्ध कार्यक्रम, कार्यान्वयन के वास्ते, विभिन्न विभागों/कार्यालयों को भेजा गया । इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी में मूल पत्राचार को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया था और इस उद्देश्य की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई । परिपत्रों, कार्यालय, आदेशों आदि को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया गया । जांच-सूची तथा जांच बिन्दुओं के कार्ड छपवाये गए और उन्हें कर्मचारियों में बांटा गया ताकि वैधानिक आवश्यकताओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जा सके ।

246. हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें लगभग 1200 कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण तैयार करने, प्रारूप बनाने और पत्राचार करने का प्रशिक्षण दिया गया । 'सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता' तथा 'रिजर्व बैंक के कार्यालयों के बीच राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता' भी वर्ष के दौरान आयोजित की गयी ताकि उनके कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन मिल सके । वर्ष के दौरान, कई भाषण प्रतियोगिताएं, काव्य गोष्ठियां, निबंध प्रतियोगिताएं तथा अन्य हिन्दी समारोहों का भी आयोजन किया गया ।

247. बैंक तथा उसकी सहयोगी संस्थाओं की विभिन्न रिपोर्टों का हिन्दी में प्रकाशन जारी रहा । 1982-83 की 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति से संबंधित सांविधिक वार्षिक रिपोर्ट' का प्रकाशन पहली बार हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक (डिग्लाट) रूप में किया गया ।

कार्यालय परिसर तथा आवासीय क्वार्टर

248. 1983-84 से 1987-88 की अवधि के लिए कार्यालय भवन तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार की गयी जिसे सितम्बर 1983 में केन्द्रीय बोर्ड की समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया । इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी केन्द्रों पर बैंक के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवासीय क्वार्टर उपलब्ध कराना है । योजना के पूरा होने पर अधिकारियों, श्रेणी III के कर्मचारियों तथा श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए क्रमशः कुल 2279, 2319 तथा 1,553 फ्लैट पूरे हो जाने की आशा है । पांच वर्षों की इस अवधि में अनुमानित 161.13 करोड़ रुपए के भारी व्यय निवेश को दृष्टि में रखते हुए परिसर विभाग के तीन आंचलिक कक्ष बंबई, कलकत्ता, मद्रास में पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और चौथा कक्ष शीघ्र ही नई दिल्ली में खोला जाएगा ।

249. जयपुर में कार्यालय भवन का निर्माण पूरा होने पर मार्च 1984 में कार्यालय को इसमें स्थानांतरित कर दिया गया । चंडीगढ़ में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य (चरण II) तथा नागपुर और कानपुर में अतिरिक्त कार्यालय भवनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । बांद्रा-कुर्ला कम्पलेक्स, बंबई में कार्यालय भवन के कंक्रीट भरने का काम लगभग पूरा हो चुका है ।

250. वर्ष के दौरान, 8 केन्द्रों पर 1,327 आवासीय फ्लैटों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है । इनमें से 345 अधिकारियों के लिए, 400 श्रेणी III के लिए तथा 582 श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए हैं । इसके अलावा, कलकत्ता और नयी दिल्ली में प्रत्येक में 10 अर्थात् कुल 20 स्वयंपूर्ण एक कमरे के आवासों का निर्माण किया गया है ।

251. इस समय विभिन्न केन्द्रों पर निर्माणाधीन फ्लैटों की कुल संख्या 2,299 है जिसमें से 637 अधिकारियों के लिए, 852 श्रेणी III तथा 810 श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए है । साथ ही विभिन्न केन्द्रों पर बड़ी संख्या में आवासीय क्वार्टर्स परियोजनाएं, आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं । मई 1984 में बंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण से बांद्रा में 1,400 वर्ग मीटर का एक आवासीय प्लाट खरीदा गया है ।

आवासीय ऋण

252. इस वर्ष के दौरान निम्न प्रकार से आवासीय ऋण मंजूर किए गए :

सहकारी आवासीय समिति	समितियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	राशि (हजार रुपयों में)
नयी सहकारी समितियां	22	417	2,15,20
पहले से गठित सहकारी समितियों को अतिरिक्त ऋण	17	103	22,20
जोड़	39	520	2,37,40

अलग-अलग कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या	राशि (हजार रुपयों में)
नए ऋण	820	3,59,89
पहले ऋण ले चुके कर्मचारियों को अतिरिक्त ऋण	63	13,33
जोड़	883	3,73,22

253. 1961 में इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक मंजूर किए गए समिति एवं अलग-अलग ऋणों के जोड़ क्रमशः 15.79 करोड़ रुपए तथा 20.87 करोड़ रुपए बैठते हैं। कुल मिलाकर 8845 कर्मचारियों ने ऋण सुविधा का लाभ उठाया है।

केन्द्रीय बोर्ड

254. श्री रामकृष्णैया की सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए स्थान पर श्री आर. के. कौल को तीन वर्ष की अवधि के लिए उपगवर्नर नियुक्त किया गया। उन्होंने पहली अक्तूबर 1983 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। 29 नवम्बर 1983 को नियुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर डा. के. एन. राज केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक पद से सेवा निवृत्त हो गए और उनके स्थान पर डा. के. ए. नकवी की निदेशक के रूप में नियुक्ति की गयी। वित्त मंत्रालय के सचिव पद से मुक्त होने पर श्री एम० नरसिंहम 11 जुलाई, 1983 से केन्द्रीय बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि नहीं रहे तथा उसी दिन से श्री पी. के. कौल को उनके स्थान पर नामित किया गया जिन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है। बोर्ड निवर्तमान निदेशकों की सेवाओं के लिए उनकी भूरि-भूरि सराहना करता है।

255. दिनांक 23 अप्रैल 1984 को डा. के. ए. नकवी के निधन पर बोर्ड शोक प्रकट करता है और उनके द्वारा की गयी बहुमूल्य सेवाओं और बोर्ड की बैठकों में विचार विमर्श में योगदान की भूरि-भूरि सराहना करता है।

स्थानीय बोर्ड

256. पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य श्री के. सी. मैत्रा का निधन 24 नवम्बर 1983 को हो गया। बोर्ड उनकी दुखद मृत्यु पर शोक प्रकट करता है और उनकी बहुमूल्य सेवाओं की भूरि-भूरि सराहना करता है।

257. डा. एच. बी. शिरालकर ने 31 अगस्त 1983 को बैंक के कार्यपालक निदेशक का पद त्याग दिया। 28 मार्च 1984 से कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सी. वी. नायर की नियुक्ति की गयी।

लेखे

258. 30 जून 1984 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए समायोजना करने के बाद रिजर्व बैंक की 1129.68 करोड़ रुपए की आय हुई जबकि पिछले वर्ष यह 1040.42 करोड़ रुपए की आय हुई थी। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

	वर्ष 1983-84	1982-83
1. राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	71.44	26.07
2. राज्य सरकारों को (ऊपर मद 1 में संदर्भित अर्थोपाय अग्रिमों को छोड़कर) तथा वाणिज्य और सहकारी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	217.72	128.83
3. ब्याज तथा बट्टा (विदेशी प्रतिभूतियों तथा खजाना बिलों सहित)	1300.39	1146.64
4. कमीशन तथा विनिमय	41.94	40.73
5. अन्य आय	1.47	1.34
	1632.96	1343.61
घटायें: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनके द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखी गयी अतिरिक्त औसत शेष राशियों पर चुकाया गया ब्याज	503.28	303.19
	1129.68	1040.42
घटायें: पैरा 259 में दिए गए अनुसार निधियों का अन्तरण	670.00	615.00
	459.68	425.42

259. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि तथा राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में वर्ष 1983-84 के दौरान क्रमशः 275 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए तथा 315 करोड़ रुपए का अंशदान किया गया जबकि वर्ष 1982-83 में इनमें क्रमशः 225 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए तथा 315 करोड़ रुपए का अंशदान किया गया था।

260. वर्ष के दौरान, किए गए 249.68 करोड़ रुपए के कुल व्यय को 459.68 करोड़ रुपए की शेष आय में से निकालने के बाद (1982-83 में शेष आय 425.42 करोड़ रुपए और व्यय 215.43 करोड़ रुपए थे) केन्द्र सरकार को अदा करने के लिए अलग रखे गए लाभ की अधिशेष राशि 210 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष के बराबर ही) बनाए रखी गयी।

261. इस वर्ष बैंक की आय में 89.26 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 1,129.68 करोड़ रुपए हो गयी। इस वृद्धि का मुख्य कारण राज्य सरकारों को दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों तथा रुपया और विदेशी प्रतिभूति निवेश पर अर्जित उच्चतर ब्याज था जो अंशतः अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनकी अतिरिक्त नकदी प्रारक्षित निधियों पर अदा किए गए अधिक ब्याज के कारण निष्प्रभावी हो गया था। व्यय में 34.26 करोड़ रुपए की वृद्धि मुख्यतः स्थापना लागत और प्रतिभूति छपाई की लागत में वृद्धि तथा सरकारी कारोबार निपटाने के लिए एजेन्सी बैंकों को दिए गए कुल कमीशन की राशि में वृद्धि के कारण हुई।

लेखापरीक्षक

262. बैंक के लेखों की परीक्षा मैसर्स बाटलीबाय एंड पुरोहित, बम्बई, मेसर्स लवलाक एंड लेविस, कलकत्ता, मेसर्स डी. रंगास्वामी एंड कं., मद्रास, मेसर्स के. सी. खन्ना एंड कंपनी, नयी दिल्ली, मेसर्स दासगुप्ता एण्ड कं., नयी दिल्ली तथा मेसर्स वेद एंड कं., गाजियाबाद द्वारा की गयी। इनमें से पहले चार लेखा परीक्षकों को भारत सरकार द्वारा पुनर्नियुक्त किया गया जबकि बाद वाले दोनों लेखा परीक्षकों को सरकार ने पहली बार नियुक्त किया। इस वर्ष, बैंक के सभी कार्यालयों की लेखा परीक्षा भारत सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी जबकि 1982-83 के दौरान आठ कार्यालयों की लेखापरीक्षा बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी थी। लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए बैंक के सभी कार्यालयों को छह अंचलों में बांटा गया था और प्रति अंचल। प्रति लेखापरीक्षक 60,000 रुपए का लेखापरीक्षण शुल्क अदा किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक

30 जून 1984 का तुलनपत्र

निर्गम (इशू) विभाग

देयताएं	रु.	पै.	रु.	पै.	आस्तियां	रु.	पै.	रु.	पै.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट..	5,63,23,572.00				सोने का सिक्का और बुलियन :—				
					(क) भारत में रखा हुआ	225,58,29,485.81			
					(ख) भारत से बाहर विदेशी प्रतिभूतियां	1564,05,75,253.50			
संचलन में नोट	21776,91,60,554.50								
					जोड़			1789,64,03,739.31	
जारी किये गये कुल नोट			21782,54,84,126.50		रुपये का सिक्का			16,10,91,167.06	
					भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां			19976,79,89,220.13	
					देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र			—	
कुल देयताएं			21782,54,84,126.50		कुल आस्तियां			21782,54,84,126.50	

बैंकिंग विभाग

देयताएं	रुपये	पैसे	आस्तियां	रुपये	पैसे
प्रदत्त पूंजी	5,00,00,000.00		नोट	5,63,23,572.00	
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000.00		रुपया सिक्के	3,30,353.00	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण			छोटे सिक्के	1,63,897.40	
(दीर्घावधि परिचालन) निधि	2545,00,00,000.00		खरीदे तथा भुनाये गये बिल		
			(क) आंतरिक		
जमाराशियां			(ख) बाहरी		
(क) सरकार			(ग) सरकारी खजाना बिल	9374,62,39,191.70	
(i) केन्द्रीय सरकार	2919,08,02,336.88		विदेशों में रखे गये बकाया शेष	3277,95,38,519.45	
(ii) राज्य सरकारें	13,07,55,456.28		निवेश*	4369,15,45,657.57	
			निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम		
(ख) बैंक			(i) केन्द्रीय सरकार		
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	8104,86,78,299.28		(ii) राज्य सरकारें	460,47,00,000.00	
(ii) अनुसूचित राज्य सहकार बैंक	141,34,14,266.56		निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम :		
			(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1768,66,06,105.87	
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4,71,21,135.00		(ii) राज्य सहकारी बैंक	44,88,60,000.00	
(iv) अन्य बैंक	16,25,80,279.50		(iii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1039,05,76,000.00	
			(iv) अन्य	166,00,00,000.00	
(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक			राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण तथा अग्रिम तथा निवेश		
जमाराशियां					
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन निधि	249,58,65,243.03		(क) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम		
			(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2084,78,11,075.00	

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	281,28,55,673.58	(ii) भारतीय निर्यात आयात बैंक	125,00,00,000.00
(घ)	6423,01,90,647.87	(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांडों डिबेंचरों में निवेश :	
देय बिल	86,30,48,132.88	(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	
अन्य देयताएं	4498,73,43,967.16	(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	
		अन्य आस्तियां†	2721,9961,065.03
कुल देयताएं	25438,26,55,437.02	कुल आस्तियां	25438,26,55,437.02

आकस्मिकता देयता : अंशतः चुकता शेयरों पर 50,000 पौंड के बराबर 7,57,495.42 रुपये

* विदेशों में विदेशी मुद्राओं में रखे हुए 870,16,68,177.87 रुपये शामिल हैं ।
अर्थोपाय अग्रिम

† विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गयी या उन्हें अग्रिम के रूप में दी गयी राशियां शामिल हैं।

बी. रे
मुख्य लेखाकार
तारीख 18 अगस्त 1984

मनमोहन सिंह गवर्नर
अमिताभ घोष उप गवर्नर
सी. रंगराजन उप गवर्नर
म. वि. हाटे उप गवर्नर
आर. के. कौल उप गवर्नर

30 जून 1984 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

	रु. पै.
आय	
ब्याज, बट्टा, विनिमय शुल्क, कमीशन आदि	459,68,22,728.03
	459,68,22,728.03
व्यय	
स्थापना व्यय	93,33,56,846.98
निदेशकों और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की फीस और व्यय	2,22,702.85
लेखा परीक्षकों की फीस	8,43,227.00
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	4,83,44,920.97
डाक और तार खर्च	1,19,43,134.35
विधि प्रभार	6,05,114.98
कोष-प्रेषण	1,97,68,226.57
लेखन-सामग्री आदि	1,40,17,921.72
प्रतिभूति छपाई (चेक, नोट, फार्म, आदि)	43,41,68,205.58
बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और उसकी मरम्मत	4,23,54,739.96
एजेंसी प्रभार	93,92,73,197.30
कर्मचारी उपदान और अधिवार्षिकी निधियों में अंशदान	1,60,00,000.00
विविध व्यय	3,49,06,250.00
उपलब्ध शुद्ध लाभ राशि	210,00,00,239.77
जोड़	459,68,22,728.03
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष	210,00,00,239.77

प्रारक्षित निधि लेखा

30 जून 1984 को शेष	150,00,00,000.00
लाभ-हानि लेखे से अंतरित	कुछ नहीं
जोड़	150,00,00,000.00

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अनुसार सांविधिक अंशदान नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद

बी. रे	मनमोहन सिंह	गवर्नर
मुख्य लेखाकार	अमिताभ घोष	उप गवर्नर
	सी. रंगराजन	उप गवर्नर
तारीख 18 अगस्त, 1984	म. वि. हाटे	उप गवर्नर
	आर. के. सेठ	उप गवर्नर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून 1984 तक के रिजर्व बैंक के तुलनपत्र तथा लेखों पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने बैंक के सभी कार्यालयों के लेखों और उनसे संबंधित प्रमाणकों और वाउचरों के साथ उपरोक्त तुलनपत्र की जांच कर ली है और हम यह सूचित करते हैं कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी, वह समस्त स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है और वह संतोषजनक है। हमारी राय में यह तुलनपत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा निर्धारित विवरण दिये गये हैं और इसमें उक्त अधिनियम और विनियमों के अनुसार आस्तियों का मूल्य निर्धारण किया गया है। यह तुलन-पत्र, हमारी जानकारी, हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और बैंक की बहियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

मेसर्स बाटलीबॉय एंड पुरोहित
मेसर्स डी. रंगास्वामी एंड कं.
मेसर्स लवलॉक एंड लेविस
मेसर्स के. सी. खन्ना एंड कं.
मेसर्स वेद एंड कं.
मेसर्स वासुदेवा एंड कं.
} लेखा परीक्षक

तारीख 18 अगस्त 1984

भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र का विवरण

विवरण	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष 30 जून 1982		30 जून 1983	
निर्गम विभाग	रु पै.	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.
देयताएं				
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	29,80,93,643.00		23,78,09,256.00	
संचलन में नोट	16034,70,25,652.50		18383,22,09,928.50	
जारी किये गये कुल नोट		16064,51,19,295.50		18407,00,19,184.50
कुल देयताएं		16064,51,19,295.50		18407,00,19,184.50
आस्तियां				
सोने का सिक्का और बुलियन	225,58,28,023.95		225,58,28,275.87	
(क) भारत में रखा हुआ				
(ख) भारत के बाहर रखा हुआ				
विदेशी प्रतिभूतियां	1564,05,75,253.50		1564,05,75,253.50	
रुपये का सिक्का				
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	14244,90,45,385.92		16599,83,81,058.50	
देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र				

कुल आस्तियां	16064,51,19,295.50	18407,00,19,184.50
बैंकिंग विभाग		
देयताएं		
चुकता पूंजी	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00
आरक्षित निधि	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00
राष्ट्रीय कृषि ऋण		
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	1205,00,00,000.000	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		
(स्थिरीकरण) निधि	44,00,00,000.00	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	1915,00,00,000.00	2230,00,000.00
जमाराशियां		
(क) सरकारी		
(i) केन्द्रीय सरकार	152,69,64,302.53	553,40,89,627.05
(ii) राज्य सरकारें	247,45,88,183.23	199,64,91,588.21
(ख) बैंक		
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5932,14,52,798.59	6623,69,58,507.04
(ii) अनुसूचित राज्य सरकारी बैंक	99,79,88,837.59	140,85,24,067.51
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3,66,14,17.53	4,77,83,457.62
(iv) अन्य बैंक	8,44,49,052.84	15,06,54,857.42
(ग) नाबार्ड की जमाराशियां		
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि		349,58,65,242.03
(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि		281,28,55,673.58
(घ) अन्य	2542,94,07,026 11	4857,21,51,997.27
देय बिल	82,94,97,597.15	96,09,58,888.52
अन्य देयताएं (क)	2802,41,88,950.07	3483,55,45,032.61
कुल देयताएं	15587,52,11,365.64	18990,18,78,938.86

भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र का विवरण (जारी)

विवरण	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष			
	30 जून 1982		30 जून 1983	
	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.
आस्तियां				
भोट	29,80,93,643.00		23,78,09,256.00	
रुपये का सिक्का	3,36,507.00		3,65,669.00	
छोटा सिक्का	6,39,904.87		5,91,155.10	
खरीदे और भुनाये गये बिल	—		—	
(क) देशी	—		—	
(ख) विदेशी	—		—	
सरकारी खजाना बिल	6701,75,54,790.65		7041,89,22,878.10	
विदेशों में रखा हुआ बकाया	1364,39,68,647.46	(ख)	2760,67,12,211.97	
निवेश	2335,47,60,580.05	(गघ)	2989,23,76,625.17	(ङ)
ऋण और अग्रिम				
(i) केन्द्रीय सरकार को				
(ii) राज्य सरकारों को			213,19,00,000.00	(च)
(iii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	567,96,94,312.37	(छ)	544,83,52,047.14	
(iv) राज्य सहकारी बैंकों को	630,52,90,500.00		51,05,64,500.00	
(v) नाबार्ड			904,10,40,000.00	
(vi) दूसरों को	6,22,19,000.00		11,75,59,586.00	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ-कालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश				
(क) ऋण और अग्रिम				
(i) राज्य सरकारों को	125,23,37,960.00			
(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	32,94,82,516.00			
(iii) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों को				
(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को	513,93,30,000.00			
(ख) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक के डिबेंचरों में निवेश	3,50,17,695.00			
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	84,46,19,803.00			
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश				
(क) ऋण और अग्रिम				
i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को	1610,59,88,575.00	(झ)	1827,73,98,575.00	

(ii) एक्जिम बैंक को			
(ख) भा औ वि बैंक/एक्जिम बैंक द्वारा जारी बांडों/डिबेंचरों में निवेश	—	70,00,00,000.00	
अन्य आस्तियां	1580,58,76,931.24 (ञ)	2551,82,86,435.38 (त)	
कुल आस्तियां	15587,52,11,365.64		18990,18,78,938.86

टिप्पणी : 30 जून 1982—आकस्मिक देयता :

अंशतः चुकता शेयरों पर 50,000 पौंड के बराबर रु. 8,25,000.83

30 जून 1983—आकस्मिक देयता :

अंशतः चुकता शेयरों पर 50,000 पौंड के बराबर के रु. 7,72,499.03

(ख) इनमें नकदी, मांगावधि जमाराशियां और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

(घ) विदेशों में विदेशी मुद्रा में रखे हुए रु. 345,73,03,767.85 शामिल है।

(ङ) विदेशों विदेशी मुद्राओं में रखे हुए रु. 480,45,11,934.37 शामिल हैं।

(च) अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

(छ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम दिए गये रु. 'कुछ नहीं' शामिल हैं।

(ज) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

(झ) निर्यात-आयात बैंक को दिये गये रु. 25,00,00,000.00 के ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

(ञ) विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अग्रिम दिये गये या उनमें जमा किये गये रु. 1056,41,50,000.00 शामिल हैं।

(ट) विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अग्रिम दिये गये या उनमें जमा किये गये रु. 1885,19,90,00.00 शामिल हैं।

30 जून 1982 और 1983 को समाप्त वर्षों का लाभ-हानि लेखा

	1982	1983
आय	रु. पै.	रु. पै.
ब्याज, बट्टा, विनिमय शुल्क, कमीशन आदि †	411,76,16,023.68	425,41,84,605.11
	411,76,16,023.68	425,41,84,605.11
व्यय		
स्थापना व्यय	76,21,37,205.92	79,53,86,973.96
निदेशकों और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की फीस और व्यय	2,04,826.12	2,16,293.85
लेखा परीक्षकों की फीस	1,20,000.00	1,20,000.00
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	3,30,23,722.47	4,32,03,931.70
विधि प्रभार	8,35,249.32	10,51,089.15
डाक और तार खर्च	36,16,506.63	41,54,009.81
कोष प्रेषण	1,68,67,824.29	1,76,66,753.46
लेखन-सामग्री आदि	1,15,08,627.55	1,23,41,143.02
प्रतिभूति छपाई (चेक, नोट, फार्म आदि)	41,57,76,745.55	35,93,68,425.58
बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और मरम्मत	2,42,64,795.13	3,51,78,963.81
एजेंसी प्रभार	70,16,50,118.42	82,27,61,920.37
कर्मचारी उपदान और अधिवार्षिकी निधियों में अंशदान	1,35,00,000.00	1,35,00,000.00
विविध व्यय	3,41,09,689.39	4,92,34,166.55
उपलब्ध शुद्ध शेष राशि	210,00,00,712.89	210,00,00,933.58
जोड़	411,76,16,023.68	425,41,84,605.11
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष	210,00,00,712.89	210,00,00,933.58

प्रारक्षित निधि लेखे

30 जून को शेष	150,00,00,000.00	210,00,00,000.00
लाभ-हानि लेखे से अंतरित	कुछ नहीं	कुछ नहीं
जोड़	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00

†भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद।

[सं. एफ. 12/88/84-बी. ओ.-I]

च. व. मीरचंदानी, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 19th November, 1984

S.O. 4481.—In accordance with section 53(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors, has submitted to the Government of India the following Annual Report on the working of the Reserve Bank of India during the year ended June 30, 1984 :

THE ANNUAL REPORT

ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA

For the year July 1, 1983—June 30, 1984

PART I—THE ECONOMIC SITUATION

In 1983-84, the economy recorded significant growth largely as a result of a sharp increase in agricultural output. Although industrial output too showed higher growth than in the previous year, the growth rate was much below the Plan target. National income is expected to rise by about 8.5 per cent as compared with the increase of less than 2 per cent in 1982-83. External payments position also improved in spite of a widening of the trade gap. Despite these favourable developments, the price situation continued to be a source of concern.

Agricultural Production :

2. Agricultural production during the year showed an impressive increase. Latest estimates place foodgrains production during the year in excess of 150 million tonnes, surpassing the previous peak touched in 1981-82 by about 13 per cent. Most of the commercial crops also showed improvement over the last years's output. Notable exceptions, however, were cotten and sugarcane.

3. Although the favourable outturn in agriculture was helped by climatic factors, appropriate agricultural strategy also contributed significantly to it. A reduction in fertiliser prices together with an expansion in the distribution network boosted fertiliser consumption. There was an expansion in the irrigated area. Also, further progress was made in the distribution of better quality seeds and other inputs.

4. The total output of foodgrains is estimated at an all-time high of 150.6 million tonnes comprising kharif output of 88.8 million tonnes and rabi output of 61.8 million tonnes. This output level is higher by 17.3 million tonnes than the previous record production of 133.3 million tonnes in 1981-82 and by 22.2 million tonnes or 17.3 per cent than the production of 128.4 million tonnes during 1982-83. The output in 1983-84 has surpassed the expectations for the year and is only 2.0 per cent lower than the target of 153.6 million tonnes set for 1984-85 in the mid-term appraisal of the Sixth Five Year Plan. Rice production at 59.4 million tonnes is higher by 5.6 million tonnes or 10.4 per cent than the previous peak of 53.8 million tonnes touched in 1978-79. Wheat production too moved to a fresh peak of 44.7 million tonnes from the previous best of 42.5 million tonnes touched in 1982-83.

5. As for the commercial crops higher production is expected in oilseeds, raw jute and mesta while a decline is anticipated in sugarcane and cotton output. Oilseeds production is expected to establish new peak of 12.6 million tonnes. Jute and mesta output is higher at 7.5 million bales against 7.2 million bales for 1982-83. The output of cotton is currently estimated at 7.7 million bales as against the previous years' production of 8.3 million bales Sugarcane production is expected to be around 165—170 million tonnes as against 189 million tonnes in 1982-83.

6. The performance of agriculture during the first four years of the Sixth Five Year Plan has been, on the whole, satisfactory. The Sixth Plan had envisaged for foodgrains a compound annual growth rate of 3.9 per cent on the trend base production level for 1979-80. As compared with this, the annual growth rate has been 4.2 per cent in the first four years of the Plan period. Among foodgrains, the targeted compound annual rate of growth for rice was 4.2 per cent, wheat 4.3 per cent, coarse grains 1.8 per cent and pulses 4.6 per cent. Against these targets, the actual growth rates till 1983-84 were 3.8 per cent for rice, 5.9 per cent for wheat, 3.5 per cent for coarse grains and 2.5 per cent for pulses.

7. In regard to commercial crops, the Plan envisaged compound annual growth rates of 4.6 per cent for cotton, 3.9 per cent for raw jute and mesta, 5.0 per cent for oilseeds and 4.1 per cent for sugarcane. The actual performance during the first four years of the Plan reveals that with the exception of oilseeds the production of which rose by 5.4 per cent, in all others, the output was far below the targets. The actual compound growth rate for cotton was only 1.3 per cent; raw jute and mesta showed no growth while sugarcane recorded negative growth of 0.8 per cent.

With the increased production and the like in procurement prices larger quantities of foodgrains have been procured for public distribution. The procurement of rice during the marketing year 1983-84 (October 1983-June 1984) stood at 7.5 million tonnes and was 8.7 per cent higher than 6.9 million tonnes procured during the same period of 1982-83. The procurement of wheat during the marketing year 1983-84 (April-March) also stood higher at 8.3 million tonnes as against 7.7 million tonnes procured in 1982-83. Wheat procured during the 1984-85 rabi marketing season so far (i.e. April to June 1984) touched an all time high of 9.0 million tonnes and was 12.5 per cent higher than 8.0 million tonnes procured during the corresponding period of the 1983-84 season. Aggregate procurement of foodgrains as percentage of total foodgrains output has rised from about 9 per cent in 1979-80 to 11-12 per cent in the last two years. About 20 per cent of wheat production and about 13 per cent of the rice output is being procured. Most of the procurement of foodgrains is confined to a small number of States. Thus, about 98 per cent of wheat is procured from three States viz. Punjab (60 per cent), Uttar Pradesh (20 per cent) and Haryana (18 per cent). Likewise, about 89 per cent of rice procurement is from 5 States viz. Punjab (44 per cent), Haryana (11 per cent), Andhra Pradesh (18 per cent), Uttar Pradesh (10 per cent) and Tamil Nadu (6 per cent).

9. Because of the improvement in open market availabilities, the offtake of foodgrains from the public distribution system, which had shown a rising trend in 1982-83, has been slowing down since September 1983. Consequently, the public sector stocks of foodgrains stood higher at 22.6 million tonnes as at the end of June 1984 as against 6.9 million tonnes a year ago.

Industrial Output

10. The performance of industrial sector during the year, although not as impressive as that of the agricultural sector, was still better than in the previous year. The improvement has been noticed throughout the year but has been particularly marked in recent months. During the financial year 1983-84, the rise in index of industrial production was 5.4 per cent as against 3.9 per cent in the previous year. All the three sectors comprising the general index recorded increases during the year with 'mining and quarrying' increasing by 11.4 per cent as against 10.8 per cent in 1982-83, 'manufacturing' by 4.0 per cent as against 2.5 per cent and electricity' by 6.8 per cent as against 7.1 per cent. During the first two monthes of the current financial year 1984-85 the index showed a further increase of 7.6 per cent against 3.5 per cent during the corresponding period of the previous year. All the three sectors recorded much larger increases during the period compared with those in the corresponding period of last year.

11. An analysis of quarterly performance indicates that industrial production increased steadily from one quarter to another reaching a peak of 7.3 per cent in the last quarter. The growth in 1983-84 was higher than in the previous year in all the quarters except the first as the Table below shows :

TABLE 1—QUARTERLY VARIATIONS IN INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX

(In percentages)

	1982-83	1983-84
1st quarter	+6.0	+3.4
2nd quarter	+2.1	+4.9
3rd quarter	+3.5	+5.7
4th quarter	+4.0	+7.3

12. An analysis of use-based classification of industrial production during the financial year 1983-84 shows that all the groups except the consumer goods industries' group recorded increase. 'Capital goods industries' recorded a significant growth of 10.8 per cent during the year 1983-84 in contrast to a fall 2.7 per cent in the year 1982-83. 'Basic industries' showed a lower rise of 6.9 per cent compared with a rise of 8.1 per cent in the previous year. 'Indermediate goods industries' registered a larger rise of 6.0 per cent compared with 2.6 per cent in 1982-83. The fall of 0.4 per cent in the 'consumer goods industries' as against a rise of 3.7 per cent in 1982-83 was mainly on account of a decline of 0.7 per cent in the output of non-durables; output of durables on the other hand went up by 2.4 per cent.

13. Output of agro-based industries recorded a lower rise of 1.8 per cent during 1983-84 than that of 2.7 per cent in 1982-83 mainly due to a fall of 5.0 per cent in the last quarter (January-March) of 1983-84. The January-March decline was brought about by the perceptibly lower output of sugar, jute manufactures and beverages.

14. The six infrastructure industries viz. electricity, coal, saleable steel, crude petroleum, petroleum refinery products and cement with a combined weight of 23.3 per cent in the general index, registered an over-all increase of 6.7 per cent during the financial year 1983-84 on top of an increase of 8.8 per cent achieved during the year 1982-83. All the infrastructure industries except saleable steel recorded higher production during 1983-84. In the quarter April-June 1984, the over-all growth in the production of these industries was as high as 14.7 per cent compared with a nominal increase of 2.5 per cent in the same period last year.

15. Total power generation during the financial year 1983-84 at 139.9 billion kwh increased by 7.6 per cent, compared with an increase of 5.7 per cent during the year 1982-83. It, however, fell short of the target of 144 billion kwh mainly on account of the lower growth in hydel power generation. Hydel generation in the south and the east was well below average. Hydel power generation has been subject to constraints like outdated machinery, poor maintenance and insufficient water levels in reservoirs as well as the commissioning of lower capacity during the year than was envisaged. Thermal (including nuclear) power generation went up by asmuch as 10.2 per cent during 1983-84. Production of coal (excluding legnite) at 138.6 million tonnes recorded an increase of 6.1 per cent during 1983-84 as against an increase of 4.6 per cent in 1982-83 but fell short of the target of 142 million tonnes by 3.4 million tonnes despite various measures such as the exploitation of new mines, deep mining of the existing ones, etc. The operational efficiency of mines and workers improved noticeably in the second half of the year. Despite the rise in the offtake of coal and the build-up of stocks by major consumers, the pit-head stocks of coal at end-March 1984 were high at 22.9 million tonnes.

16. Power generation during the quarter April-June 1984 at 37.4 billion kwh was higher by 15.7 per cent compared with an increase of only 1.3 per cent in the same period of 1983. Both thermal, including nuclear, and hydel generations were responsible for this increase; they rose by 14.3 per cent and 18.9 per cent, respectively. The production of coal likewise went up substantially by 14.6 per cent to 33.4 million tonnes in contrast to a fall of 1.8 per cent in the period of 1983.

17. Production of crude petroleum and petroleum refinery products has been increasing steadily during the last few years and it went up by 23.6 per cent and 5.9 per cent, respectively, during 1983-84 on top of the increases of 30.1 per cent and 10.2 per cent during 1982-83. Cement production has also improved substantially with an increase of 14.3 per cent over the rise of 10.8 per cent during 1982-83. The production of saleable steel, on the other hand, declined by 12.3 per cent as against a marginal increase of 0.5 per cent in 1982-83; sluggishness in demand both domestic and overseas led to a cut-back in production by the Steel Authority of India Limited (SAIL). Production of crude petroleum and petroleum refinery products during the April-June quarters of 1984 went up by 22.5 per cent and 0.2 per cent as compared with increases of 19.8 per cent and 8.9 per cent, respectively, in the same period of 1983. Cement production rose by 13.9 per cent on top of an increase of 7.7 per cent in the corresponding period of 1983, whereas the output of saleable steel showed a rise of 9.9 per cent in contrast to a decline of 18.8 per cent.

18. Among other major industries, cloth (mill sector) and tractors recorded sizeable production increases of 14.0 per cent and 21.0 per cent, respectively in contrast to a decline in 1982-83 of 17.8 per cent in the production of mill cloth largely due to the prolonged strike in Bombay mills and 25.3 per cent in tractors. The output of sugar, on the other hand, declined significantly by 16.4 per cent.

Constraints on Faster Growth :

19. Although the data show an encouraging performance of infrastructure industries, the production in the manufacturing sector does not appear to have been helped to the commensurate degree as there still remained a gap between the availability and requirement of power with adverse effect on industrial production, particularly in southern and eastern regions. The output of coal and cement increased but still fell short of the targets; besides, their movement to the consuming centres was affected by inadequate availability of wagons. The disturbed situation in the Punjab and in industrial relations also influenced manufacturing production adversely.

20. Perhaps the index of industrial production with the base period of 1970 does not fully reflect the impact of the higher production of some of the rapidly growing industries such as petroleum, man-made fibres, and electronics, which have low weights in the index and hence, the true overall growth could be understated by the movement in that index. In recognition of this, the Government has appointed a panel for recommending a new index series reflecting better the real movements in industrial production by taking all these factors into consideration.

21. There have also been problems specific to industries. For example, along with its other difficulties, the cotton textiles industry is currently facing the problem of the shortage of raw materials. The jute textile industry was affected by cost escalation, competition from other countries and the recent strike by the jute mill workers in West Bengal in the first quarter of 1984. The industry is also facing now a situation of shortage of raw jute. The paper industry suffered from low capacity utilisation, due to inadequate availability of certain inputs and escalation in costs leading to a fall in output of large units and the closure of several small units. The engineering industry continued to suffer on account of low export demand from African countries and the slow recovery in Western Europe. Further, many basic and capital goods industries suffered from the lack of modernisation of their plant and machinery.

National Income, Saving and Investment :

22. According to the Reserve Bank's estimates, the growth rate in Net National Product (NNP) in real terms would be around 8.5 per cent in 1983-84, the highest since 1978-79, as against 1.7 per cent in 1982-83 and 4.9 per cent in 1981-82. Aggregate net domestic saving in 1983-84 is tentatively estimated at 16.6 per cent of NNP at current market prices against 16.9 per cent in 1982-83, indicating a marginal fall over the previous year; the net domestic saving was 16.5 per cent of NNP in 1981-82. The absolute level of net domestic saving increased during 1983-84; and the marginal decline in saving ratio reflected the much sharper rise in the net national product than in saving. The saving of the public sector declined for the second successive year, the decrease in 1983-84 being 0.9 percentage point. The share of domectic corporate sector's saving in NNP remained at 0.8 per cent. The saving of the household sector increased from 13.3 per cent of NNP in 1982-83 to 13.9 per cent of NNP in 1983-84. The gross domestic saving estimated to work out to 22.1 per cent of GNP in 1983-84 as against 21.6 per cent and 22.7 per cent of GNP in 1981-82 and 1982-83 respectively. Estimates of net and gross domestic saving and investment in terms of percentage of NNP and GNP respectively are given in Table 2 below :

TABLE 2—ESTIMATES OF DOMESTIC SAVING AND INVESTMENT (CURRENT MARKET PRICES)

Section/Item	Fiscal years		
	1981-82	1982-83 (Provisional)	1983-84 (Tentative Estimates)
1	2	3	4
1. Net Household sector's saving to NNP	12.1	13.3	13.9
Of Which : Saving in Financial Assets	6.0	7.9	7.9
2. Net public sector's saving to NNP	3.5	2.8	1.9
3. Net domestic private corporate sector's saving to NNP	0.9	0.8	0.8
4. Total Net Domestic Saving to NNP (1+2+3)	16.5	16.9	16.6
5. Total Gross Domestic Saving to GNP	21.6	22.7	22.1
6. Inflow of Foreign Resources to NNP	2.3	1.6	1.4
7. Aggregate Net Investment (4+6) to NNP	18.8	18.5	18.0
8. Aggregate Gross Investment to GNP	23.7	24.2	23.3

Note : The net ratios for 1981-82 and 1982-83 differ from those given in the last year's Annual Report because of the substantial revision in the estimates of national income and those of saving and investment, consequent on the availability of further data.

23. Saving of the household sector in physical assets rose from 5.4 per cent of NNP in 1982-83 to 6.0 per cent of NNP in 1983-84, while saving in the form of financial assets remained unchanged at 7.9 per cent of NNP. Saving in the form of currency and deposits in the total financial assets declined marginally in 1983-84. Deposits as a proportion of NNP declined from 5.4 per cent in 1982-83 to 5.2 per cent in 1983-84. Saving in the form of currency rose marginally from 1.4 per cent in 1982-83 to 1.5 per cent in 1983-84. Claims on government, which had declined steeply last year, showed a small rise in 1983-84. Liabilities of the household sector remained at 2.8 per cent of NNP.

24. The saving performance of the public sector undertakings did not show much improvement in 1983-84. Combined with the dis-savings of Central Government administration, the total savings of the public sector showed a decline during 1983-84 compared to 1982-83. It may, however, be noted in this context, that oil companies transferred substantial funds to Oil Co-ordination Committee during 1982-83 and 1983-84. If these transfers are taken into account, the overall saving performance of the public sector would not show a decline.

25. The net inflow of resources increased over the year, but, as a ratio of NNP, it showed a small decline from 1.6 per cent in 1982-83. Because of the sharp increase in the net national product at current market prices, net investment as a ratio of NNP declined from 18.5 per cent to 18.0 per cent in 1983-84 and gross investment as a proporation of GNP declined from 24.2 per cent in 1982-83 to 23.3 per cent in 1983-84.

Development in Credit Policy :

26. Credit policy responses during fiscal year 1983-84 reflected the concern at the large increase in reserve money and its impact on the growth of overall liquidity. Reserve money serves as the base for multiple credit and deposit creation by banks under the fractional reserve system and provides the wherewithal for an overall growth of liquidity in the system. To the extent that credit policy focuses on regulating the overall growth of liquidity the measures to be effective, have to work towards moderating the growth of the reserve money base and the immobilisation of the reserve money already created in the economy.

27. Credit policy measures undertaken during the fiscal year 1983-84 were thus chiefly aimed at reducing the expansionary impact of a rapid growth in reserve money. While so doing, the basic tenet of credit policy continued to be one of fully supporting all productive activities with the observance of normal credit norms and discipline as an essential condition for the extension of credit. During the 1983 slack season the cash reserve ratio (CRR) was raised with a view to smoothening the liquidity over the year and the cut-off point for food refinance was raised. As the expansion of reserve money and deposit growth, however, continued to be large and the price situation was causing concern, further measures had to be taken to contain the growth of liquidity. Accordingly the cash reserve requirements were raised in August 1983, November 1983 and February 1984; the cut-off point for food refinance was raised in November 1983.

28. Against the background of the rapid growth of liquidity in recent years, a significant increase in reserve money creation and a rise in prices despite a record food crop, credit policy for the slack season of 1984 emphasized the need once again for moderating the rate of growth of liquidity and thereby curbing inflationary expectations. In order to provide resources for vital public sector investment within the framework of national priorities it was decided to raise the statutory liquidity ratio by one percentage point. It was also decided to release a part of the impounded cash balances as on October 31, 1980 before the onset of the 1984-85 busy season to prevent the emergence of any stringency of resources that may be needed to support the larger increase in output that was expected.

Policy Measure—August 1983

29. In April 1983, a one percentage point increase in the cash reserve ratio from 7 per cent to 8 per cent was announced. The cash reserve ratio was further raised by one half of one percentage point to 8.5 per cent with effect from August 27, 1983 so as to ensure an effective management of excess liquidity of the banking system in the slack season.

Policy Measures October 1983 :

30. Monetary policy was reviewed in October 1983 on the eve of the 1983-84 busy season and certain policy measures were announced. With the favourable monsoon, a bumper Kharif crop was on the anvil. Although industrial output had not as yet shown signs of a strong revival, the sharp recovery in agricultural output was expected to strengthen industrial recovery in the latter part of the financial year 1983-84. At that point of time, national output growth in 1983-84 was expected to be about 6.7 per cent. The rate of growth of overall liquidity (M_3) in the economy up to the point in 1983-84 had also been higher than in the previous year. Though there was some abatement in the pace of increase in prices of vital commodities, the year-over-year rate of inflation at the end of September 1983 was around 10 per cent as compared with less than 2 per cent in the previous year. It was therefore considered necessary to adopt measures to moderate the growth of overall liquidity in 1983-84 while ensuring that the credit demands for genuine productive requirements were fully met.

31. As part of the periodic changes in the base for calculating refinance from the Reserve Bank two changes were announced. Firstly, the cut-off point of outstanding food credit at which 100 per cent refinance was available was raised from Rs. 2,800 crores to Rs. 3,300 crores with effect from November 25, 1983. Secondly, the export credit refinance formula was altered. Banks were being provided export refinance under a two-tier formula and the entitlements were equivalent to 50 per cent of the increase in export credit over the monthly average level of 1980 upto the monthly average level of 1981 plus 100 per cent of the increase over the monthly average level of export credit in 1981. With a view to providing a strong incentive to expand export credit, the two-tier refinance

formula was replaced with effect from November 25, 1983, by a formula with a uniform rate of 125 per cent of the increase in export credit over the monthly average level for 1982.

32. Other measures taken to facilitate the objectives of credit policy included the following :

(1) strengthening of the measures introduced in October 1982 to stimulate investments in certain vital industrial sectors, by increasing the size of the IDBI bills rediscounting facility for State Electricity Boards and Steel Road Transport Corporations from Rs. 100 crores to Rs. 150 crores and the extension of the facility upto the end of June 1984,

(2) raising of the cut-off point for parties covered under the Credit Authorisation Scheme from Rs. 3 crores to Rs. 4 crores,

(3) lowering of the interest rates on (a) select short-term loans to farmers, and (b) loans for price support operations in pulses and oilseeds. These reductions in lending rates were undertaken with a view to providing a more purposeful thrust to the objectives set out in the new 20-Point Programme as also to strengthen the redistributive effect of credit policy, and

(4) widening of the eligibility for credit at a concessional rate of interest in case of road transport operators in order to provide an added stimulus to the growth of the commercial vehicles industry and also to further help the small road transport operators.

33. Banks were asked to assess their own performance vis-a-vis the overall priority sector targets and in particular the sub-targets which were specified; direct finance to agriculture including allied activities were to reach a level of at least 15 per cent of total credit by March 1985 and at least 16 per cent of total credit by March 1987 and advances to the weaker sections were to reach the level of 25 per cent of priority sector advances or 10 per cent of total bank credit by the end of March 1985. Although the performance under the Integrated Rural Development Programme had improved, further progress had to be achieved in these areas and in the tasks assigned to the banking system in the implementation of the New 20-Point Programme. The banks were advised to undertake effective implementation and monitoring of the new scheme for providing self-employment to the educated unemployed youth. It was also emphasised that the needs of small borrowers should receive special attention. Banks were also asked to use their influence with their constituents in the medium and large industry sector to ensure that payments due to suppliers in the small scale industry were not delayed.

Policy Measure—November 1983 :

34. Deposit growth continued to be strong and credit movements remained subdued. As a result the banking system experienced considerable liquidity build-up. The expansion of reserve money had been large and the price situation was also a cause for concern. Thus there was need to further immobilise liquidity of the banking system so as to achieve a better balance between growth in deposits and desired expansion in bank credit. With this purpose in mind an incremental cash reserve ratio was stipulated. Banks were required to maintain, with effect from the week beginning November 12, 1983, an incremental cash reserve ratio of 10 per cent of the increase in net demand and time liabilities over the level as on Friday, November 11, 1983. Given the deposit growth, banks were expected not to have any difficulty in providing adequate credit during the busy season to support the acceleration of output. To the extent that individual banks faced liquidity problems it was assured that discretionary refinance, for short periods, would be provided on merits to such banks.

Policy Mesure—January 1984 :

35. By January 1984, it was clear that the growth of reserve money, partly helped by the improvement in the balance of payments, continued to be strong. During the financial year 1983-84 (upto early January 1984) it was almost twice as large in absolute terms as the increase in the full financial year 1982-83 and the inflation rate, on a year-over-year basis, was well over 10 per cent. In view of these developments an immediate need was felt to further immobilise the excess liquidity of the banking system. Accordingly, on January 27, 1984, it was decided to raise the cash reserve ratio by one percentage point from 8.5 per cent to 9.0 per cent with effect from the week beginning February 4, 1984.

Backdrop for the Credit Policy—First Half of 1984-85 :

36. Credit policy was reviewed in the last week of April 1984 against the backdrop of the monetary and credit developments in 1983-84 and the anticipated developments in the first half of 1984-85. Notwithstanding the real income growth of more than 8 per cent, the inflation rate, though it tended to slow down in the last quarter, was more than 9 per cent taking the year 1983-84 as a whole. The overall growth of liquidity (M_3) in fiscal 1983-84 of 17 per cent was uncomfortably high and the increase in reserve money was very large. It was thought realistic to assume that even under favourable weather conditions the overall rate of economic growth in 1984-85 would be relatively lower than the record rate of growth witnessed in 1983-84. Taking into account the rapid expansion of liquidity in recent years, a significant increase in reserve money creation and a rise of over 9 per cent in wholesale prices during the financial year 1983-84 despite a record food crop, it was considered essential that, in the interest of orderly economic management and maintenance of reasonable price stability, a deceleration in expansion of overall lquidity and reserve money creation should be an important objective of economic policy in 1984-85. It was also important that public sector investment in high priority industry proceeded smoothly during 1984-85, the final year of the Sixth Plan. It was further assumed that an improvement in the rate of growth of industrial production in 1984-85 was to be expected in the context of improved performance of infrastructure industries and in the wake of a record agricultural output of 1983-84. Credit policy accordingly had to ensure that working capital requirements for financing the expected industrial expansion were provided for adequately, besides meeting the credit needs of vital priority sectors. Although adequate scope was to be provided for credit expansion to meet the requirement of productive sectors, the overall emphasis of credit policy had to be one of moderating the rate of growth of liquidity and curbing inflationary expectations.

37. It was considered reasonable to use as a working estimate a growth of Rs. 9,600 crores (15.9 per cent) in scheduled commercial banks' deposits in 1984-85. In the past, deposit growth had generally been distributed evenly between the two halves of the financial year. Accordingly, banks were advised to plan their operations on the basis that the growth of deposits in the first half of 1984-85 would be around Rs. 4,800 crores. At this level of estimated deposit growth, banks would be able to increase their liquidity by around Rs. 800 crores and still provide for a credit expansion of Rs. 1,700 crores in the first half of 1984-85.

38. With the good 1984 rabi crop, food procurement would be sizeable and banks were asked to make a provision for an increase in food credit for the system of about Rs. 900 crores between the end of March 1984 and the end of June 1984. Thereafter, decline in food credit of approximately Rs. 600 crores was expected by the end of September 1984. The banking system as a whole should be able to finance the entire increase in food credit in the first half of 1984-85 out of its own resources.

Policy Measures—April 1984 :

39. In the overall milieu of scarce resources, rationing was an inescapable necessity. Given the national priorities and the needs of the essential public sector investments, and given also the large share of bank deposits in the national savings, the apportionment of resources represented by bank deposits as between the claims of different sectors was reviewed. The various policy measures announced in April 1984 were as follows:

(a) Statutory Liquidity Ratio .

40. With a view to regulating liquidity in the first half of the financial year as well as to provide resources for vital public sector investment within the framework of national priorities without generating reserve money, it was decided to raise the statutory liquidity ratio from 35 per cent to 36 per cent of total demand and time liabilities in two phases—to 35.5 per cent effective from July 28, 1984 and to 36 per cent effective from September 1, 1984. The Reserve Bank advised that discretionary refinance would be provided on merits, for short periods to banks needing such assistance to enable them to adjust to the higher reserve requirements.

(b) Release of Impounded Cash Balances

41. Under Section 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934, scheduled commercial banks were required to maintain an additional cash reserve of 10 per cent of the incremental net demand and time liabilities accruing between January 14, 1977 and October 31, 1980. These cash balances have remained impounded. Since banks might face some degree of resources constraint as the year progresses, in order to enable them to plan their resource allocation in a smooth manner before the onset of the 1984-85 busy season, it was decided to release, in two equal instalments, on September 29, 1984 and October 27, 1984, one-fifth of the additional cash balance maintained under the 10 per cent incremental cash reserve ratio by each bank as on October 31, 1980. Since the impounded cash balances as on October 31, 1980 amounted to Rs. 1,859 crores, a total amount of approximately Rs. 372 crores would be released.

(c) Cut-off Point for Term Loans

42. Prior authorisation by the Reserve Bank is required for granting, either singly or jointly with other banks, individual term loans (of more than three years) exceeding Rs. 50 lakhs to a private sector borrower and Rs. 1 crore to a public sector borrower or a private sector export-oriented manufacturing unit. In the case of borrowers already covered under CAS, prior authorisation is required for term loans repayable over more than three years irrespective of the amount of the loan. In order to provide greater discretion to banks in the case of private sector parties not covered by the CAS, the cut-off point for term loans (of over three years) which require prior authorisation by the Reserve Bank was raised from the present level of Rs. 50 lakhs to Rs. 1 crore. Thus, the cut-off point for term loans for the purposes of credit authorisation by the Reserve Bank will now be uniformly Rs. 1 crore.

(d) Discretionary Refinance

43. To the extent that individual banks had genuine problems of adjusting to the reserve requirements by the stipulated dates, appropriate discretionary refinance would be provided to such banks for short periods to enable them to undertake a smooth adjustment to the enhanced reserve requirments. It was, however, emphasised that the credit norms and discipline should be scrupulously observed.

(e) Credit Norms and Discipline

44. As part of the overall banking policy, banks were called upon to review systematically and regularly their loan portfolio to ensure that they were not unduly exposed in any one area of activity or, became overcommitted to any single customer or group of customers. Due to increasing internationalisation of the operations of Indian banks, special attention had to be paid to monitoring more closely foreign lending operations to avoid undue risk and exposure. To this end, it was essential for banks to establish an effective system of supervision and control over the operations of the foreign branches.

45. Thus, the package of policy measures announced at the beginning of the slack season was designed to take into account the need both to provide adequate credit to support the expected increase in real output particularly in the industrial sector and to keep the growth in liquidity under check to avoid the resurgence of strong inflationary tendencies.

Trends in Money, Credit and Prices

Money Supply

46. Monetary expansion during the fiscal year 1983-84 was larger than in the previous year in both absolute and percentage terms. M_1, comprising currency with the public, demand deposits with banks and other deposits with the Reserve Bank increased by Rs. 4,491 crores or 15.7 per cent as compared to the rise of Rs. 3,806 crores or 15.4 per cent in 1982-83. M_3 (i.e. M_1+time deposits with banks) expanded by Rs. 12,699 crores or 17.4 per cent as against Rs. 10,442 crores or 16.7 per cent in the previous year. While currency with the public and time deposits with banks showed larger increases than in the previous year, demand deposits registered a smaller expansion (Table 3).

TABLE 3—VARIATIONS IN MONEY STOCK (M_3)

(Rs. crores)

Last Friday	Variations During							
	1982-83		1983-84		1983-84		1984-85	
	April-March		April-March		April-June		April-June	
	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. M_3 (a+b+c)	+10442	+16.7	+12699	+17.4	+4181	+5.7	+5017	+5.9
(a) Currency with the Public	+2167	+15.0	+2914	+17.5	+1289	+7.7	+1605	+8.2
(b) Aggregate Deposits with Banks (i+ii)	+8239	+17.2	+9654	+17.2	+2911	+5.2	+3316	+5.2
(i) Demand Deposits	+1603	+15.9	+1446	+12.4	+306	+2.6	+584	+4.4
(ii) Time Deposits	+6636	+17.6	+8208	+18.5	+2605	+2732	+2732	+5.2
(c) Other Deposits with RBI	+36	+24.0	+131	+70.4	—19	—10.2	+96	+30.0
II. M_1 [a+b (i)+c]	+3806	+15.4	+4491	+15.7	+1576	+5.5	+2285	+6.9
III. Sources of change in M_3 (1+2+3+4+5)								
1. Net Bank Credit to Government (A+B)	+4734	+15.7	+5818	+16.7	+3519	+10.1	+4335	+10.7
(A) RBI's Net credit to Government (i—ii)	+2772	+14.1	+4311	+19.3	+2068	+9.3	+2624	+9.9
(i) Claims on Government (a+b)	+6354	+31.9	+706	+2.7	—246	—0.9	+5303	+19.7
(a) Central Government	+7869	+43.6	—273	—1.1	—972	—3.8	+6088	+23.8
(b) State Governments	—1515	—79.5	+979	+368.0	+726	+272.9	—785	—63.1
(ii) Government Deposits with RBI (a+b)	+3582	+1297.8	—3605	—93.4	—2314	—60.0	+2679	+1058.9
(a) Central Government	+3571	+1308.1	—3596	—93.5	—2309	—60.1	+2671	+1077.0
(b) State Governments	+11	+366.7	—9	—64.3	—5	—35.7	+8	+160.0
(B) Other Bank's Credit to Government	+1962	+18.7	+1507	+12.1	+1451	+11.7	+1711	+12.3

1	2	3	4	5	6	7	8	
2. Bank Credit to Commercial Sector (A+B)	+8796	+20.5	+7929	+15.5	+892	+1.7	+2281	+3.9
(A) RBI's credit to Commercial Sector*	+564	+29.5	+451	+23.4	—4	—0.2	+15	+0.6
(B) Other Bank's credit to Commercial Sector (i+ii+iii)	+8232	+20.1	+7478	+15.2	+896	+1.8	+2266	+4.0
(i) Bank credit by Commercial Banks of which : To Public Sector	+5812	+19.6	+5504	+15.5	+514	+1.4	+2061	+5.0
	—	—	—	—	—	—	—	—
(ii) Bank credit by Co-operative Banks	+1111	+18.7	+332	+4.7	+142	+2.0	—	—
(iii) Investments by Commercial and Co-operative Banks in other securities	+1309	+24.3	+1642	+24.6	+240	+3.6	+205	+2.5
3. Net Foreign Exchange assets of the Banking Sector (A+B)	—895	—34.7	—104	—6.2	+149	+8.8	+87	+5.5
(A) RBI's net Foreign Exchange Assets (i—ii)	—894	—34.1	—105	—6.1	+149	+8.6	+88	+5.4
(i) Gross Foreign Assets	+993	+28.4	+1232	+27.4	+474	+10.6	+266	+4.6
(ii) Non-monetary Foreign Liabilities	+1888	+216.0	+1337	+48.4	+325	+11.8	+178	+4.3
(B) Other Banks' Net Foreign Exchange Assets	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Government's Currency Liabilities of the Public	+25	+3.8	+37	+5.4	+12	+1.8	+12	+1.7
5. Banking Sector's Net Non-monetary Liabilities other than Time Deposits (A+B)	+2218	+16.0	+981	+6.4	+391	+2.5	+1698	+10.4
(A) Net Non-monetary Liabilities of RBI	+239	+3.9	—458	—8.2	+238	+4.3	+683	+13.4
(B) Net Non-monetary Liabilities of other Banks (Derived)	+1979	+25.5	+1439	+14.6	+153	+1.6	+1015	+9.0

Notes : 1. Date are provisional/partially revised.

2. Constituent items may not add up to totals due to rounding off.

RBI's credit to Commercial Sector excludes, since the establishment of NABARD, its refinance to banks.

47. The factors which contributed to the acceleration in monetary expansion during 1983-84 were a higher increase in net bank credit to Government of Rs. 5,818 crores in 1983-84 than that of Rs. 4,734 crores in 1982-83 and the lower contractionary impact of the fall in the net foreign exchange assets of the banking sector (Rs. 104 crores as compared to Rs. 895 crores). Bank credit to commercial sector, on the other hand recorded a lower rise of Rs. 7,929 crores than that of Rs. 8,796 crores in 1982-83.

48. The accelerated growth in money supply continued during the April-June quarter of 1984 also with M_3 registering a further rise of Rs. 2,285 crores (6.9 per cent) as compared to the rise of Rs. 1,576 crores (5.5 per cent) in the corresponding quarter of 1983-84. All the three components contributed to the faster growth; currency with the public increased by Rs. 1,605 crores against Rs 1,289 crores, demand deposits with banks by Rs. 584 crores compared with Rs. 306 crores and other deposits with the Reserve Bank by Rs. 96 crores in contrast to a fall of Rs. 19 crores in the same period last year. Time deposits with banks registered a larger expansion of Rs. 2,732 crores than that of Rs. 2,605 crores in the previous year. Consequently, the increase in M_3 was also larger at Rs. 5,017 crores (5.9 per cent) during April-June 1984 as compared to Rs. 4,181 crores (5.7 per cent) in the corresponding period of 1983-84.

49. The impetus to the larger monetary expansion during the first quarter of 1984-85 was provided by net bank credit to Government and banks credit to the commercial sector. The former registered a higher increase of Rs. 4,335 crores in the quarter April-June 1984 than that of Rs. 3,519 crores in the same quarter of 1983. Although bank credit to the commercial sector also recorded a larger expansion of Rs. 2,281 crores in the first quarter of 1984-85 than that of Rs. 892 crores in the first quarter of 1983-84, the increase was in part due to the sizeable expansion in food credit. The expansion was somewhat moderated by the smaller rise of Rs. 87 crores in the net foreign exchange assets of the banking sector in April-June 1984 as against Rs. 149 crores in April-June 1983.

Reserve Money

50. The rate of growth of reserve money during the fiscal year 1983-84 was substantial at Rs. 5,712 crores or 24.7 per cent around double the growth of Rs. 2,647 crores (12.9 per cent) in 1982-83. Among the factors responsible for the larger expansion in 1983-84 were the sizeable increases in the Reserve Bank's claim on Government and the substantially smaller reduction in the decline in net foreign exchange assets of the Reserve Bank. In the first quarter of the current financial year, the rise in reserve money at 9.1 per cent was faster than that of 5.9 per cent in the same period of last year. Sizeable

TABLE 4—RESERVE MONEY : COMPONENTS AND SOURCES OF CHANGE

(Rs. Crores)

	Outstandings as on last Friday of March 1979	Variations during					Outstandings as on last Friday of March 1984*	Variations during	
		1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84*		April 1983 to June 1983	April 1984 to June 1984*
RESERVE MONEY (1+2+3+4)	13716	+2749 (+20.0)	+2323 (+14.1)	+1675 (+8.9)	+2647 (+12.9)	+5712 (+24.7)	28822	+1369 (+5.9)	+2323 (+8.1)
1. Currency with the public	10212	+1475 (+14.4)	+1777 (+15.2)	+1028 (—7.6)	+2167 (+15.0)	+2914 (+17.5)	19573	+1289 (+7.7)	+1605 (+8.2)
2. Other Deposits with RBI	203	+208 (+102.5)	—94 (—22.9)	—167 (—52.9)	+36 (+24.0)	+131 (+70.4)	317	—19 (—10.2)	+96 (+30.3)
3. Cash on hand with Banks	615	+67 (+10.9)	+162 (+23.8)	+30 (+3.6)	+106 (+12.1)	+54 (+5.5)	1034	+156 (+15.9)	+252 (+24.4)
4. Bankers' Deposits with RBI	2686	+999 (+37.2)	+478 (+13.0)	+784 (+18.8)	+338 (+6.8)	+2613 (+49.4)	7898	—57 (—1.1)	+369 (+4.7)
SOURCES OF RESERVE MONEY (1+2+3—4)									
1. Reserve Bank's claims on (a+b+c+d)	10919	+3389 (+31.0)	+3891 (+27.2)	+5099 (+28.0)	+3755 (+16.1)	+5322 (+20.3)	31586	+1446 (+5.5)	+2906 (+9.2)
(a) Government (net)	8568	+2966 (+34.6)	+3698 (+32.1)	+4435 (+29.1)	+2772 (+14.1)	+4311 (+19.3)	26625	+2068 (+9.3)	+2624 (+9.9)
(b) Scheduled Commercial Banks	546	+193 (+35.3)	—150 (—20.3)	+242 (+41.1)	—16 (—1.9)	+521 (+63.9)	1336	—306 (—37.5)	+432 (+32.3)
(c) State Co-operative Banks	557	—69 (—12.4)	+187 (+38.3)	+216 (+32.0)	—716 (—80.4)	—5 (—8.6)	53	—8 (—13.8)	—8 (—15.1)
(d) Financial Institutions (i+ii+iii)	1248	+191 (+15.3)	+261 (+18.1)	+209 (+12.3)	+1716 (+89.9)	+495 (+16.1)	3572	—308 (—10.0)	—142 (—4.0)
(i) ARDC/NABARD	209	+68 (+32.5)	+31 (+11.2)	+52 (+16.9)	+1340 (+372.2)	+44 (+3.8)	1196	—304 (—26.4)	—157 (—13.1)
(ii) IDBI	868	+212 (+24.4)	+223 (+20.6)	+187 (+14.4)	+338 (+22.7)	+257 (+14.1)	2085	—	—
(iii) Others	171	+89 (—52.0)	+7 (+8.5)	—30 (—33.7)	+38 (+64.4)	+194 (+200.0)	291	—4 (—4.1)	+15 (+5.2)
2. Net Foreign Exchange Assets of RBI	5506	—12 (—0.2)	—784 (—14.3)	—2087 (—44.3)	—894 (—34.1)	—105 (—6.1)	1624	+149 (+8.6)	+88 (+5.4)
3. Government's Currency Liabilities to the Public	604	—12 (—2.0)	+27 (+4.6)	+38 (+6.1)	+25 (+3.8)	+37 (+5.4)	719	+12 (+1.8)	+12 (+1.7)
4. Net Non-monetary Liabilities of RBI	3312	+618 (+18.7)	+811 (+20.6)	+1375 (+29.0)	+239 (+3.9)	—458 (—8.2)	5107	+238 (+4.3)	+683 (+13.4)

* Data are provisional/partially revised.

Notes : 1. Figures within brackets represent percentage variations.

2. Constituent items may not add up to totals due to rounding off.

3. These variations disregard changes in components of sources on July 12, 1982, following reclassification of aggregates necessitated by the establishment of NABARD.

increases in Reserve Bank's claims on Government as also on schedule commercial banks accounted for the larger expansion during the first quarter of the financial year 1984-85 (Table 4).

Banking Variables

51. Movements in banking variables during the year 1983-84 (April-March) indicate that the rate of growth of deposits was higher both in absolute and percentage terms of Rs. 9,179 crores and 17.9 per cent as compared with Rs. 7,625 crores and 17.4 per cent, respectively, in 1982-83. Bank credit, however, expanded at a slower pace by Rs. 5,504 crores or 15.5 per cent as compared with Rs. 5,812 crores or 19.6 per cent in 1982-83. Expansion in food credit at Rs. 1,057 crores in 1983-84 was larger than that of Rs. 838 crores in the previous year, but non-food credit showed a smaller rise of Rs. 4,447 crores as compared with Rs 4,973 crores in 1982-83. The growth in bank's investments was lower in both absolute and percentage terms at Rs. 2,956 crores or 16.1 per cent as compared with Rs. 3,193 crores or 21.1 per cent in 1982-83. Cash balances of banks with the Reserve Bank showed a larger increase of Rs. 2,575 crores in 1983-84 than that of As. 325 crores reflecting the bank's compliance with enhanced cash reserve requirements during the year.

52. In the first quarter of the financial year 1984-85 (i.e. April to June) deposit growth at Rs. 3,315 crores was higher than that of Rs. 2,681 crores in the corresponding quarter of 1983-84. The pace of expansion in bank credit at Rs. 2,061 crores during the same period was faster than that of Rs. 513 crores in the same period of 1983-84 Food credit rose by Rs. 1,211 crores and non-food credit by Rs. 850 crores during the period as compared with an expansion of Rs. 624 crores and a contraction of Rs. 111 crores, respectively, in the corresponding period a year ago (Table 5).

Sectoral Deployment of Credit

53. Data on sectoral deployment of gross bank credit* presented in Table 6 indicate the direction of credit flows in financial years 1982-83 and 1983-84. During the year 1983-84 gross bank credit recorded an expansion of Rs. 5,963 crores (17.3 per cent) as compared with that of Rs. 5,329 crores (18.3 per cent) in 1982-83. Food procurement credit showed larger rise of Rs. 1,066 crores than that of Rs. 837 crores in the previous year. Non-food credit expanded by Rs. 4,897 crores (15.5 per cent) in 1983-84 as compared with a rise of Rs. 4,492 crores (16.6 per cent) in 1982-83. Available data indicate that the sizeable rise in credit extended to the priority sectors, contributed substantially to the growth is non-food credit during 1983-84.

54. Advances to the priority sectors registered a substantial increase of Rs. 2,512 crores during 1983-84 as compared with a rise of Rs. 1,646 crores in the preceding year; the aggregate share of these sectors in total incremental non-food gross credit spurted to 51.3 per cent from 36 6 per cent during 1982-83. At the end of March 1984, priority sector

*The data relate to 50 banks submitting the returns. Please See footnotes to table 6.

TABLE 5.—VARIATIONS IN IMPORTANT BANKING INDICATORS
(SCHEDULED COMMERCIAL BANKS)

(Rs. crores)

Items	Amount Outstanding as on			Variations during the Financial Years			
	March 31, 1983	March 30, 1984*	June 29, 1984*	1982-83	1983-84 *	1983-84 (Upto June 24, 1983)	1984-85 (Upto June, 29, 1984)*
	1	2	3	4	5	6	7
Total Demand and Time Liabilities (excluding borrowings from RBI/IDBI and NABARD	56420	68369	71925	+8827	+11949	+1847	+3556
Aggregate Deposits	51358	60537	63852	+7625 (+17.4)	+9179 (+17.9)	+2681 (+5.2)	+3315 (+5.5)
Borrowings from RBI	815	1336	1769	—16	+521	—306	+433
Bank Credit	35493	40997	43058	+5812 (+19.6)	+5504 (+15.5)	+513 (+1.4)	+2061 (+5.0
Food Credit	2965	4022	5233	+838	+1057	+624	+1211
Non-food Bank Credit	32528	36975	37825	+4973 (+18.0)	+4447 (+13.7)	—111 (—0.3)	+850 (+2.3)
Investments	18334	21290	23207	+3193 (+21.1)	+2956 (+16.1)	+1636 (+8.9)	+1917 (+9.0)
(a) Government Securities	12078	13497	15208	+1921 (+18.9)	+1418 (+11.7)	+1455 (+12.0)	+1711 (+12.7)
(b) Other Approved Securities	6256	7794	7999	+1272 (+25.5)	+1538 (+24.6)	+181 (+2.9)	+205 (+2.6)
Cash in hand	878	926	1179	+90	+48	+134	+253
Balances with RBI	5208	7783	8105	+325 (+6.7)	+2575 (+49.4)	—65 (—1.2)	+322 (+4.1)
Credit-Deposit Ratio (%)	69.1	67.7	67.4				
Non-food Credit-Deposit Ratio (%)	63.3	61.1	59.2				

* Partially Revised.

Note : 1. Since bills rediscounted under the Bills Rediscounting Scheme are nil, gross bank credit is the same as bank credit.
2. Figures in brackets are percentage variations.

advances constituted 38.0 per cent of net bank credit as against 36.8 per cent a year earlier. Advances to agriculture and small scale industries increased by Rs. 858 crores (16.3 per cent) and Rs. 926 crores (20.6 per cent), respectively, during the year as compared with increases of Rs. 660 crores (14.3 per cent) and Rs. 585 crores (15.0 per cent) respectively, in the previous year. While the outstanding amount of advances to agriculture at the end of March 1984 was Rs. 6,133 crores and formed 41.3 per cent of total priority sector advances (42.8 per cent a year ago), that to small scale industries at Rs. 5,412 crores accounted for 36.5 per cent (36.4 per cent a year earlier).

TABLE 6—SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT

(Rs. crores)

	Outstandings			Variations	
	March 1982	March 1983	March 1984 (Provisional)	April-March 1982-83	April-March 1983-84 (Provisional)
I. Public Food Procurement	2127	2964	4030	+837	+1066
II. (a) Priority Sectors	10676	12322	14834	+1646 (36.6)	+2512 (51.3)
(i) Agriculture	4615	5275	6133	+660 (14.7)	+858 (17.5)
(ii) Small Scale Industries	3901	4486	5412	+585 (13.0)	+926 (18.9)
(iii) Other Priority Sectors	2160	2561	3289	+401 (8.9)	+728 (4.9)
(b) Industry (Medium & Large)	11155	13276	14964	+2121 (47.2)	+1688 (34.5)
(c) Wholesale trade (other than food procurement)	2198	2353	2338	+155 (3.5)	—15 (—0.3)
(i) Cotton Corporation of India	255	290	193	+35 (0.8)	—97 (—2.0)
(ii) Food Corporation of India (Fertiliser Credit)	411	412	241	+1 (—)	—171 (—3.5)
(iii) Jute Corporation of India	115	74	49	—41 (—0.9)	—25 (—0.5)
(iv) Other trade	1417	1577	1855	+160 (—3.6)	+278 (5.7)
(d) Other Sectors	3006	3576	4288	+570 (12.7)	+712 (14.5)
III. Non-food Gross Bank Credit (a+b+c+d)	27035	31527	36424	+4492	+4897
of which : Export Credit	1796	1726	2042	(100.0) —70	(100.0) 316
IV. Gross Bank Credit (I+III)	29162	34491	40454	+5329	+5963

Note : 1. Data relate to 50 banks which account for about 95 per cent of gross bank credit. Further, these data include bills rediscounted with the IDBI and other approved institutions and participation certificates besides taking into account bills rediscounted with the RBI.

2. Figures in brackets are proportions to non-food incremental credit.

55. Incremental bank credit to medium and large industry during 1983-84 amounted to Rs. 1,688 crores as against Rs. 2,121 crores during 1982-83; its share in total incremental non-food gross bank credit was lower at 34.5 per cent than 47.2 per cent a year earlier. The outstanding credit to medium and large industry at the end of March 1984 at Rs. 14,964 crores constituted 37.0 per cent of the total gross bank credit (38.5 per cent a year earlier).

56. The distribution of industrial credit inclusive of small scale industry is shown in Table 7. The major industries which accounted for the growth in credit during 1983-84 were engineering (Rs. 603 crores), cotton textiles (Rs. 268 crores), other textiles (Rs. 234 crores), petroleum (Rs. 211 crores), and chemicals (Rs. 201 crores), while a decline was observed in respect of tea (Rs. 21 crores).

TABLE 7—INDUSTRY-WISE DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT

(Rs. crores)

Item	Outstandings			Variations	
	March 1982	March 1983	March 1983 (Provisional)	April-Mar. 1982-83	April-Mar. 1983-84 (Provisional)
1	2	3	4	5	6
Industry (total of small scale, medium & large scale industries)	15056	17762	20376	+2706	+2614
1. Coal	53	60	132	+7	+72
2. Iron & Steel	856	1565	1591	+709	+26
3. Other Metals &	527	593	675	+66	+82

1	2	3	4	5	6
4. All Engineering	3817	4375	4978	+558	+603
5. Electricity (generation & transmission)	259	260	318	+1	+58
6. Cotton Textiles	1281	1380	1648	+99	+268
7. Jute Textiles	187	208	213	+21	+5
8. Other Textiles	842	957	1191	+115	+234
9. Sugar	403	588	607	+185	+19
10. Tea	265	265	244	—	—21
11. Vegetable Oils (including Vanaspati)	215	234	267	+19	+33
12. Tobacco & Tobacco Products	133	127	170	—6	+43
13. Paper & Paper Products	357	407	483	+50	+76
14. Rubber & Rubber Products	280	319	390	+39	+71
15. Chemicals, Dyes, Paints, Drugs, and Pharmaceuticals	1672	1891	2092	+219	+201
of which : Fertilisers	329	327	378	—2	+51
16. Cement	158	205	231	+47	+26
17. Leather & Leather Products	220	237	265	+17	+28
18. Construction	143	189	219	+46	+30
19. SAFAUNS	307	327	368	+20	+41
20. Petroleum	431	163	374	—268	+211
21. Residual	2650	3412	3920	+762	+508

57. Advances to wholesale trade (other than food procurement) showed a decline of Rs. 15 crores in 1983-84 as against a rise of Rs. 155 crores during 1982-83. Advances to the Cotton Corporation of India and advances for fertiliser distribution to the Food Corporation of India declined by Rs. 97 crores and Rs. 171 crores, respectively, (the increases in the previous year being Rs. 35 crores and Rs. 1 crore, respectively), whereas credit to other trade rose by Rs. 278 crores as compared with an increase of Rs. 160 crores in the previous year.

58. Credit to 'other sectors' which represents residual sectors and includes advances to financial institutions, hire purchase agencies, personal loans, etc. showed a larger increase of Rs. 712 crores during the year than that of Rs. 570 crores in 1982-83.

Reserve Bank Accommodation to Scheduled Commercial Banks.

59. Some basic changes were made in the refinance policy of the Reserve Bank during the year 1983-84; these, relating to raising of the cut-off point in respect of food refinance and significant liberalisation of export refinance, have already been indicated. Data on Reserve Bank accommodation to scheduled commercial banks are presented in Table 8 below :

TABLE 8—RBI ACCOMMODATION TO SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(Excluding special refinance against shipping loans and duty drawback)

(Rs. crores)

As on last Friday	Food Refinance		Export Refinance		Stand by Refinance		Discretionary Refinance			Total Refinance	
	Limit	Out-Standing	Limit	Out-Standing	Limit	Out-Standing	Limit	Out-Standing		Limit	Out-Standing
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)		(8)	(9)	(10)
June 1982	347.1	28.6	163.3	31.9	—	—	—		—	510.4	60.5
June 1983	1086.5	112.9	161.2	33.4	20.0	—	20.0		—	1287.7	146.3
June 1984	1932.8	885.0	678.6	358.0	5.0	—	128.0		121.5	2744.4	1364.5

Food Credit Refinance

60. As on the last Friday of June 1983 the total food refinance limits amounted to Rs. 1,087 crores of which only Rs. 113 crores or 10.4 per cent was utilised. The system's food refinance limits reached a peak level of Rs. 1,933 crores on June 29, 1984, and the peak outstanding touched during the year was Rs. 885 crores also reached on June 29, 1984, when the utilisation ratio was nearly 46 per cent. The peak utilisation ratio of 66 per cent was however, touched on March 30, 1984.

Export Credit Refinance

61. The bank's export refinance limits amounted to Rs. 161 crores as on June 24, 1983, of which a little over Rs. 33 crores was utilised upto that date. With the liberalisation of the export refinance formula bank's export credit refinance limits increased from the end of November 1983. The peak limits amounted to Rs. 680 crores as on June 22, 1984 and the peak level outstanding touched during the year was Rs. 358 crores reached on June 29, 1984. The peak utilisation ratio was reached on March 30, 1984 when nearly 77 per cent of the limits were utilised. During the year 1983-84 (July-June) banks' export credit refinance limits increased by Rs. 517 crores and the amount outstanding increased by Rs. 325 crores.

Stand by Refinance

62. The stand-by refinance limits sanctioned to banks as on the last Friday of June 1983 amounted to Rs. 20 crores which was entirely unutilised as on that date. The amount of the limits declined thereafter and during the quarter October—December, 1983, the stand-by refinance limits were nil. From January 1984 onwards, banks were once again sanctioned stand-by refinance limits and the peak sanction amounted to Rs. 59 crores as on March 23, 1984. Banks had fully utilised their stand-by refinance limits of Rs. 39 crores as on March 16, 1984. During the year 1983-84 (July—June) stand-by refinance limits sanctioned to banks decreased from Rs. 20 crores as on the last Friday of June 1983 to Rs. 5 crores as on the last Friday of June 1984. There were no outstandings on both these dates.

Discretionary Refinance

63 The Reserve Bank had advised banks that to the extent that they faced temporary liquidity problems while adjusting to increase reserve requirements discretionary refinance would be provided, on merits, for short periods. Some banks were sanctioned discretionary refinance limits since the middle of January 1984. The maximum amount sanctioned was Rs. 187 crores as on May 18, 1984. The maximum amount of utilisation was Rs. 137 crores as on May 11, 1984. During the year, the amount of discretionary refinance increased from Rs. 20 crores as on the last Friday of June 1983 to Rs. 128 crores as on June 29, 1984. The amounts outstanding, however, increased from nil as on the last Friday of June 1983 to nearly Rs. 122 crores as on June 29, 1984.

Overall Position

64. The total of limits available under the various Reserve Bank refinance facilities to scheduled commercial banks (excluding special refinance against shipping loans and duty-draw back) increased by Rs. 1,457 crores during 1983-84 as against an increase of Rs. 777 crores during 1982-83. The outstandings against these limits increased by Rs. 1,218 crores as against a smaller increase of Rs. 86 crores recorded in the preceding year. During the year, the total of various limits sanctioned to the banks reached a peak level of Rs. 2,745 crores as on June 29, 1984 and the peak amount of utilisation was Rs. 1,365 crores on the same date.

Credit Budgets

65. Discussions were held in June-July 1983 with each of the major public sector banks on their credit budgets for 1983-84. It was emphasised that banks should plan their credit operations on the basis of realistic assessments of their resources and that the refinance facilities available from the Reserve Bank should not from the beginning be considered as a resource. The banks were advised to finalise their budgets on the basis of detailed advice communicated separately to each of the major banks. The banks were also required to revise their credit budgets in the early part of the busy season to take into account the policy changes announced.

Government Finances

66. The budget of the Government of India for 1984-85 envisages an overall deficit of Rs. 2,035 crores at 1983-84 rates of taxation. When allowance is made for the net revenue of Rs. 273* crores (provisional) that would accrue to the Centre as a result of its additional resources mobilisation efforts during 1984-85, the budget deficit would, however, stand reduced to Rs. 1762 crores as compared to a deficit of Rs. 1,695 crores in the revised estimates for 1983-84 The combined overall budgetary position of the State governments shows an overall deficit of Rs. 934 crores for 1984-85 as compared to a deficit of Rs. 853 crores in the revised estimates for 1983-84+. Adjusting for the net yield of Rs. 326 crores@ accruing to the States from budgetary proposals there would be a gap of Rs. 608 crores in 1984-85.

Consolidated Position : Centre and States

67. The combined position of the Central and State governments' receipts and disbursements is shown in Table 9. Aggregate receipts in 1984-85 are budgeted to reach a level of Rs. 63,338 crores as compared with the budget estimates of Rs. 53,736 crores in 1983-84—a rise of 17.9 per cent which is more or less the same as in the previous year (R.E. over R.E.)£. Aggregate disbursements are estimated at Rs. 65,708 crores in 1984-85 as compared with Rs. 55,832 crores in the budget estimates for the previous year—a rise of 17.7 per cent as compared with 16.5 per cent in 1983-84. The growth rate in developmental expenditure in 1984-85 is projected to increase substantially to 18.3 per cent from 13.4 per cent in the previous year while the rate of non-developmental expenditure is expected to go down sharply to 14.8 per cent from 22.3 per cent in 1983-84 $.

Market Borrowings

68. During 1983-84, the Central Government entered the market seven times—the last tranche was entirely placed with the Reserve Bank—and borrowed a net amount of Rs. 4,001 crores which was higher by Rs. 201 crores than the borrowings in the preceding year. The net market borrowings of State governments, at Rs. 588 crores, showed a substantial increase of Rs. 189 crores as against a modest rise of Rs. 63 crores in the preceding year. Net borrowings by local authorities and institutions sponsored by Central and State Gov-

*Excludes post-budget tax concessions announced on April 18, 1984. The figure also does not reflect the effect of the proposed abolition of excise duty on electricity from 1st October 1984.

+ The budgetary deficit of the Centre as well as States for 1983-84 (Revised Estimates), excludes an amount of Rs. 400 crores of special loans assistance provided by the Centre to assist States to clear their overdrafts as at end of March 1983.

@ Includes the estimated yield of Rs. 405 crores from additional resource mobilisation measures proposed by the State Governments and the estimated decline of Rs. 79 crores in the States' share in Centre taxes due to concessions and reliefs announced in the Central budget, 1984-85.

£ If the B.E. of 1984-85 is compared with the R.E. of the preceding year, the rise in total receipts works out to 8.8 per cent and that in total expenditure to 8.2 per cent. Similarly, if the R.E. for 1983-84 is compared to the accounts of 1982-83, the increase in receipts would be 17.4 per cent and that in expenditure 16.7 per cent.

$ If the B.E. of 1984-85 is compared with the R.E. of the preceding year, the rise in developmental expenditure works out to 7.9 per cent and that in non-developmental expenditure to 10.6 per cent. Similarly, if R.E. for 1983-84 is compared to the accounts of 1982-83, the increase in developmental expenditure would be 15.5 per cent and that in non-developmental expenditure 23.0 per cent.

TABLE 9 - COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS (1982-83 TO 1984-85)

(Rs. Crores)

Items	1982-83 (Revised Estimates)	1982-83 (Accounts)	1983-84 (Budget Estimates)	1983-84 (Revised Estimates)		1984-85 (Budget Estimates)×	
				Amount	Percentage variation over the corresponding Revised Estimates of the previous year	Amount	Percentage variation over the corresponding Budget Estimates of the previous year
	1	2	3	4	5	6	7
I. Total Receipts (A+B)	49411	49581	53736	58200	+17.8	63338	+17.9
A. Revenue Receipts	34929	34752	39230	39947	+14.4	44718	+14.0
Of which :							
A. Tax Receipts	27484	27175	31662	31741	+15.5	35335	+11.6
B. Capital Receipts	14482	14829	14506	18253	+26.0	18620	+28.4
II. Total Disbursements (A+B+C)	52125	52061	55832	50748	+16.5	65708	+17.7
A. Developmental Expenditure							
(a+b+c)	34281	33644	35446	38870	+13.4	41950	+18.3
(a) Revenue	19906	19490	21329	22961	+15.3	24826	+16.4
(b) Capital	7883	7748	8075	9126	+15.8	9748	+20.7
(c) Loans and Advances	6492	6406	6042	6783	+4.5	7376	+22.1
B. Non-Developmental Expenditure							
(a+b+c)	16576	16473	19532	20269	+22.3	22421	+14.8
(a) Revenue	15454	15381	18356	18551	+20.0	20977	+14.3
(b) Capital	811	830	876	1374	+69.4	1095	+25.0
(c) Loans and Advances	311	262	300	344	+10.6	349	+16.3
C. Others	1268	1944	854	1609	+26.9	1337	+56.6
III. Overall Surplus (+) or Deficit (—) (I—II)	— 2714	— 2480	— 2096	— 2548		— 2370	

Notes : 1. Data do not cover Union Territories with legislatures.

2. Other disbursements comprise discharge of internal and external debt, compensation and assignments to local bodies and Panchayatiraj institutions, appropriation to contingency funds, net remittances and are adjusted for difference in the figures of repayment of loans by State Governments to the Central Government given in their respective budgets.

× Includes effects of budget proposals but excludes post-budget tax concession announced on April 18, 1984 in respect of the Government of India budget.

ernments rose by Rs. 239 crores to record a level of Rs. 1,739 crores. During the previous year, the increase was Rs. 141 crores. Table 10 sets out the details in this regard. Gross borrowings of State governments during 1983-84 amounted to Rs. 763 crores of which Rs. 675 crores were on cash basis and Rs. 88 crores by way of conversion of maturing loans. Adjusted for repayment of maturing loans of Rs. 175 crores, States' net market borrowings amounted to Rs. 588 crores.

TABLE 10 - MARKET BORROWINGS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS, LOCAL AUTHORITIES AND INSTITUTIONS SPONSORED BY CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS – 1982-83 AND 1983-84 FISCAL YEARS

Rs. Crores

	Gross Market Borrowings		Repayments		Net Market Borrowings	
	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84
1. Central Government	4,166	4,345	366	344	3,800	4,001
2. State Governments	556	763	157	175	399	
3. Total Government borrowings	4,722	5,108	523	519	4,199	4,589
Institutions sponsored by :						
4. Central Government	929	1,117	21	35	908	1,082
5. State Governments (including local authorities)	789	871	197	214	592	657
6. Total Institutions	1,718	1,988	218	249	1,500	1,739
7. Aggregate market borrowings (3+6)	6,440	7,096	741	768	5,699	6,328

Aggregate net market borrowings (Central plus States) as a proportion of gross domestic product (at current market prices) accounted for 2.34 per cent during 1983-84 as against 2.55 per cent during 1982-83. Receipts from market borrowings financed 18.0 per cent of the plan outlay compared to 19.7 per cent of the outlay so financed in 1982-83. For 1984-85, the Central Government has budgeted for net market borrowings of Rs. 4,100 crores.

69. The Central Government issued in its first tranche of borrowings of June 1, 1984, three loans, viz.,8.50 per cent Loan, 1994, 9.50 per cent Loan, 2004 and 10.25 per cent Loan, 2012 on a cash-cum-conversion basis, netting an aggregate amount of Rs. 881 crores. Of this, Rs. 735 crores were by way of cash and the balance by way of conversion.

70. On July 9, 1984, the Government of India entered the market for the second time with the issue of 8.50 per cent Loan, 1994 (second issue), 9.50 per cent Loan, 2004 (second issue) and 10.25 per cent Loan, 2012 (second issue) on a cash-cum-conversion basis and raised an aggregate amount of Rs. 774 crores, of which cash accounted for Rs. 691 crores and balance by way of conversion. With these two tranches, the Central Government raised a net amount of Rs. 1,265 crores, accounting for 30.9 per cent of the total budgeted market borrowings (net) for 1984-85.

Coupon Rates on Central Government Loans

71. With a view to increasing the returns on investments in government securities, the coupon rates for different maturities have been increased gradually over the last few years. While the increase in the interest rates for short-dated securities were not so significant, those in respect of certain long-dated ones were made more attractive with the raising of the rates by as much as 1.75 per cent during the past 3 years. For example, the coupon rate on 20-year loan was raised from 7.75 per cent in 1982 to 9.50 per cent in 1984. During the same period, the coupon rate for 28-year maturity was raised from 8.75 per cent to 10.25 per cent. Moreover, loans having a maturity period of 31 years were introduced for the first time in 1982 with a coupon rate of 9 per cent which was sharply raised to 10 per cent in 1983.

RBI's Support to Central Loans

72. There has been a steady increase in the market borrowing programme of the Central Government. Simultaneously, the Reserve Bank's support to the Central Government loans has been increasing over the years, to which a mention was made in the last year's Report. This support continued to remain high during 1983-84 which was 30.8 per cent of the gross market loans as against 25.2 per cent in the preceding year (Table 11). It may, however, be mentioned that this proportion was as high as 43.1 per cent in 1980-81 and 38.6 per cent in 1981-82. Though RBI's support has come down in recent years, it is still very high compared to the support extended in late 1970s viz. 1.6 per cent in 1978-79 and 18.1 per cent in 1979-80.

TABLE 11- BUDGETARY DEFICIT, MARKET LOANS AND RBI'S SUPPORT TO MARKET LOANS OF THE CENTRAL GOVERNMENT (1981-82 TO 1984-85)

(Rs. Crores)

Items	1981-82 (Accounts)	1982-83 (Accounts)	1983-84 (Budget Estimates)	1983-84 (Revised Estimates)	1984-85(a) (Budget Estimates)
1	2	3	4	5	6
1. Revenue Account					
(a) Revenue	15574.2	18091.3	20593.9	20964.3	24016.4
(b) Expenditure	15867.7	19345.6	22418.8	23339.4	26342.0
(c) Surplus (+)/Deficit(–)	–293.5	–1254.3	–1824.9	–2375.1	–2325.6
2. Capital Account					
(a) Receipts	10155.7	13286.3	13451.5	16770.4	17717.3
(b) Disbursements	11254.1	13687.5	13212.7	16090.7	17153.9
(c) Surplus (+)/Deficit (–)	–1098.4	–401.2	+238.8	–679.7	–563.4
3. Total Receipts [1 (a)– 2(a)]	25729.9	31377.6	34045.4	37734.7	41733.7
4. Overall Surplus (+)/Deficit (–)	–1391.9*	–1655.5(b)	–1586.1	–1695.4(c)	–1762.2
5. (4) as per cent of (3)	5.4	5.3	4.7	4.5	4.2
6. Gross Market Loans	3198.3	4136.2	4344.0	4344.0	4591.0
7. (6) as per cent of (3)	12.4	13.2	12.8	11.5	11.0
8. RBI's holdings of dated securities (increases) †	1235.9	1041.0	1338.1	1338.1	
9. (8) as per cent of (6)	38.6	25.2	30.8	30.8	

Note : (a) Includes effects of budget proposals but excludes post-budget tax concessions announced on April 18, 1984.

(b) Excludes Rs. 1,743.4 crores of loans to State Governments to clear their deficits as on 31st March, 1982.

(c) Excludes Rs. 400 crores of loans to State Governments to clear their overdrafts as on 31st March, 1983.

* Excludes Special Securities of Rs. 3,500 crores issued in favour of Reserve Bank of India in lieu of *adhoc* treasury bills funded.

† Excludes Special Securities.

National Rural Development Bonds

73. The 7-year National Rural Development Bonds and 3-year National Rural Development Bonds have been on tap from July 9, 1979 and from July 7, 1983, respectivey. Both these bonds carry an interest rate of 7.5 per cent per annum. Investment in these bonds entitles an assessee to avail of exemption from capital gains tax arising on transfer/sale of capital assets. The receipts from the sale of 7-year bonds since inception are placed at Rs. 182.5 crores at the end of March 1984, while the receipts from 3-year bonds amounted to Rs. 55.3 crores by end June 1984

Social Security Certificates

74. Subscriptions to the Social Security Certificates introduced on June 1, 1982 aggregated to Rs. 15.0 crores as at the end of March 1984

Capital Investment Bonds

75. Subscriptions to Capital Investment Bonds introduced on June 28, 1982 amounted to Rs. 40.6 crores during 1983-84 as against the budgeted amount of Rs. 200 crores and revised estimates of Rs. 60 crores. Receipts from these bonds are budgeted at Rs. 60 crores in 1984-85. Total collections through the sale of these bonds since inception amounted to Rs. 124.7 crores at the end of June 1984.

National Savings Certificates

76. With a view to mobilising additional resources for public investment, the Government has introduced the 'National Deposit Scheme' closely resembling the long-term deposits with banks. The scheme will come into effect from 30th July 1984. Under the scheme, certificates of deposits with a maturity of four years can be purchased from selected branches of State Bank of India as well as 14 nationalised banks. The investor will have the option to encash these deposits any time after one year. The interest rate will be 10.5 per cent if these deposits are held for 4 years, and 10, 9 and 7 per cent if held for three, two and one year, respectively. Interest from these deposits will be eligible for additional exemption of Rs. 2,000 in addition to Rs. 10,000 (inclusive of Rs. 3,000 for income from units of Unit Trust of India) now available under Section 80L of the Income Tax Act. Further, an additional exemption under the Wealth-tax Act in respect of such deposits upto Rs. 25,000 is provided. A target of Rs. 500 crores has been fixed for receipts under this scheme over a period of time. The Government proposes to discontinue the scheme after this target is reached or earlier if warranted by monetary developments.

National Savings Certificates

77. The Six-Year National Savings Certificates—VI Issue and the Six-Year National Savings Certificates—VII Issue, on tap since May 1, 1981 were made more attractive last year through liberal benefits under Income Tax Act and Wealth Tax Act. Investments in these certificates qualify for deduction from taxable income along with other specified assets upto a maximum of Rs. 40,000 under Section 80C of the Income Tax Act. Likewise, such investment also qualify for exemption under Wealth Tax Act along with other specified investments upto a maximum of Rs. 2.65 lakhs from the assessment year 1985-86. In addition, interest earned on these certificates qualify for tax exemption under Section 80L of the Income Tax Act upto Rs. 7,000 per annum along with interest earned on other approved securities and bank deposits. As a result, there was a spurt in receipts from the sale of these certificates. The total collections during 1983-84 (April—March) amounted to Rs. 1,546 crores as compared to Rs. 962 crores during 1982-83.

Overdrafts of State Governments

78. The resort by some States to overdrafts from the Reserve Bank has been commented upon in previous Reports. Although the outstanding overdrafts at the end of June 1983 were cleared by the States with the release of Central assistance, the phenomenon re-emerged immediately on July 1, 1983. Since then, resort to overdrafts has been substantial and persistent. On July 1, 1983 three States had overdrafts of Rs. 66.10 crores which rose to a peak level of Rs. 739.59 crores in respect of 9 States on January 21, 1984. As the position had deteriorated considerably, the Centre discussed in January 1984 the problem once again with the States whose overdrafts with the Reserve Bank were very high. Several States agreed to take necessary measures to improve their financial position and reduce recourse to overdrafts. The revised estimates for 1983-84 provided for a special loan assistance to Rs. 400 crores to the States for clearing a part of their deficits of 1982-83. The States were also informed that closing deficits of 1983-84 upto permissible ways and means limits from the Reserve Bank will not be adjusted from the plan resources for 1984-85. Despite these measures, 17 State Governments had overdrafts totalling Rs. 531.26 crores as on March 31, 1984 as against Rs. 384.92 crores by 14 States as on March 31, 1983 in both cases after closure of Government accounts. The position subsequently deteriorated in regard to the magnitude of overdrafts, as well as the number of days for which overdrafts remained outsiding. The peak level overdrafts during the current financial year 1984-85 so far was reached on April 23, 1984 with 14 States running a total overdraft of Rs. 949.86 crores. The Central Government gave medium term loan of Rs. 499.12 crores to 11 State governments in 1983-84 to clear their overdrafts. Subsequently the level of overdrafts declined. Data available for June 28, 1984 show that 9 States had overdrafts totalling Rs. 517.60 crores. The overdrafts were cleared by the concerned State governments with the assistance of Rs. 570.02 crores released by the Central Government to the State governments on June 29, 1984 and there were no outstanding overdrafts as at the end of June 1984. The recurrence of the overdrafts malaise and the widespread nature of its affliction point to some deep-seated constraints in fiscal management and underline the need for concerted Centre-State action to find an enduring solution in the interest of overall fiscal discipline.

Developments in the Capital Market

79. During more recent years, Government has taken a number of measures with a view to reorienting the functioning of the institutions of the capital market and stimulating the tempo of industrial investment. Several steps have been taken by the Government for stimulating stock market activity while, at the same time, restricting speculation on the stock exchanges. To facilitate mobilisation of savings for industrial investment, four new stock exchanges have been granted recognition during the past three years, taking the total number of stock exchanges in the country to thirteen. Further, with a view to creating an active market for industrial securities particularly debentures—convertible as well as non-convertible—innovative changes have been introduced in the terms and conditions on which these could be issued.

80. Largely as a result of these various policy measures, these capital market has remained buoyant. Provisional data of capital raised (paid up) against consents/acknowledgements granted by the Controller of Capital Issues, by non-Government companies at Rs. 556.4 crores during 1983-84 (April-March) show a rise of 32.4 per cent over Rs. 420.1 crores raised during 1982-83 (Table 12). New capital issues by public limited companies [including those made under the Capital Issues (Exemption) Order, 1969], which broadly indicates the quantum of capital that would be raised from the market, aggregated Rs. 809.2 crores during 1983-84 (April-March) or 10.5 per cent higher than that of Rs. 732.4 crores during 1982-83.

81. Issues of equity shares increased during 1983-84 by 31 per cent to Rs. 353.9 crores. Issues of preference shares, however, continued to account for nominal amounts in spite of the upward revision of ceiling on their dividend from 11 per cent to 13.5 per cent in November 1981. The dividend ceiling on preference share was further raised to 15 per cent in May 1984.

82. A significant feature of capital mobilisation by companies during the more recent years has been their increasing resort to debentures. This preference was largely due to the measures taken by the Government by way of raising, in April 1982, the interest ceiling to 15 per cent on non-

TABLE 12—CAPITAL ISSUES AND CAPITAL RAISED (PAID UP) BY THE PRIVATE CORPORATE SECTOR

(Rs. crores)

Securities	Capital Issues		Capital Raised (paid-up)	
	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84
Equity Shares	270.30	353.86	132.37	146.82
Preference shares	2.05	2.39	2.77	1.29
Debentures	460.00	452.96	285 00	408.28
(i) Convertibles	288.95	30.49	Not available	
(ii) Non-convertibles	171.05	422.47	Not available	
Total	732.35	809.21	420.14	556.39

Source : Ministry of Finance, Government of India.

convertible debentures and also increasing their liquidity by the repurchase facility for small holders. The measures also have helped to activate the secondary market for non-convertible debentures which have predominated debenture issues during 1983-84, accounting for over 93 per cent of the total The increasing reliance of existing companies on debentures for their expansion/diversification is also evident from the results of a Reserve Bank study of 486 large public limited companies (each with paid up capital of Rs. 1 crore or above). During 1982-83 (accounts closed during the period April 1, 1982 to March 31, 1983) these companies mobilised Rs. 372 crores through debentures (as against Rs. 133 crores during 1981-82), while their borrowings from institutional agencies (other than banks) during the period came down from Rs. 418 crores to Rs. 362 crores.

83. A recent development in the field of industrial financing has been the establishment of leasing and investment companies by private sector promoters. The concept of equipment leasing is relatively new in India. Some of the term-lending institutions viz. ICICI and IRCI have diversified their activities into equipment leasing. The Banking Laws (Amendment) Act, 1983 now enables banks also to undertake equipment leasing.

84. Trading on the major stock exchanges of the country during July 1983-June 1984 was characterised by narrow movements in equity prices except during the period November 1983 to the first week of January 1984 when equities moved up sharply and touched the peak for the year. The Reserve Bank's all-India index number of ordinary share prices (1970-71=100) reached 211.7 for the week ended January 7, 1984. Equities eased thereafter and remained subdued till end-May 1984. In the month of June 1984, a recovery in equity prices was noticed. The index at 202.3 for the week ended June 30, 1984 stood marginally higher by 0.8 per cent than its level a year ago. However, the average index for 1983-84 at 200.4 was 9.8 per cent higher than that for 1982-83.

Assistance by Financial Institutions

85. During 1983-84 (April-March), assistance sanctioned and disbursed by the all-India term lending institutions (viz. IDBI, IFCI, ICICI, IRCI, LIC, UTI and GIC and its subsidiaries) aggregated Rs. 3,825 crores and Rs. 2,720 crores, respectively. This shows a rise of 24.7 per cent in sanctions and 23.1 per cent in disbursements as against the rise of 22.8 per cent in sanctions and 19.1 per cent in disbursements during 1982-83. The IDBI's scheme for financing modernisation has been extended to cover all industrial units and the interest rate for loans upto Rs. 4 crores reduced to 11.5 per cent from 12.5 per cent. In the case of week units, the assistance carries an even lower rate of interest of 10 per cent.

Balance of Payments

86. The improvement in the overall balance of payments situation continued in the fiscal year 1983-84 and encouraged by this improvement, the Government of India terminated the three-year Extended Fund Facility (EFF) arrangement with the International Monetary Fund (IMF) from May 1, 1984, about six months ahead of the date when it was to come to an end. Accordingly, under the EFF arrangement, India drew SDR 3,900 million or SDR 1,100 million less than the amount of SDR 5,000 million initially agreed to be drawn over the three-year period ending November 8, 1984.

87. Details of balance of payments data are not available beyond fiscal year 1982-83. The developments in foreign exchange reserves and other information suggest a substantial improvement in the external economic performance during fiscal 1983-84. The foreign currency assets of the Reserve Bank rose by Rs. 1,233 crores during fiscal 1983-84 as against a rise of Rs. 911 crores during fiscal 1982-83; excluding the drawals in foreign currencies under the EFF arrangement of Rs. 1,197 crores and Rs. 1,893 crores, respectively, the foreign currency assets rose by Rs 36 crores in 1983-84 as compared to a fall of Rs. 982 crores in 1982-83. The SDR holdings decreased by Rs. 51 crores in fiscal 1983-84 and by Rs. 140 crores in fiscal 1982-83. If the drawings in SDRs equivalent of Rs. 217 crores under the EFF, net of repurchases in SDRs under the compensatory financing facility (CFF) equivalent of Rs. 72 crores and payment in SDRs equivalent of Rs. 133 crores for the increase in India's quota with the Fund are excluded, the decline in SDR holdings in fiscal 1983-84 would be the equivalent of Rs. 64 crores as against the comparable fall therein during 1982-83 of Rs. 140 crores.

88. The table below shows developments in India's gross foreign reserves, and in IMF drawings and repayments in the recent past.

TABLE 13—MOVEMENTS IN INDIA'S FOREIGN EXCHANGE RESERVES

	Foreign Exchange Reserves (Outstanding)			Gross Drawings under CFF & FFE (SDR millions)	Repurchases* (SDR millions)
	SDRs (in millions)	Gold (Rs. lakhs)	Foreign Exchange (Rs. lakhs)		
	2	3	4	5	6
March 1982	425.1	225.58	3354,47	866.00	nil
June 1982	398.6	225,58	3274,19	1166,00	nil
March 1983	270.2	225,58	4265,26	2666.00	nil
June 1983	219.8	225,58	4805,18	2966.00	nil
March 1984	216.4	225,58	5497,85	3966 00	66.50
June 1984	330.8	225,58	5712,13	4166 00	99.75

† Gross drawings and repurchases are from August 1980 when the CFF drawing was made.

* Repurchases are on account of CFF.

Merchandise Trade :

89. Data recently released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) indicate a widening of merchandise trade gap from Rs. 5,526 crores in fiscal 1982-83 to Rs. 5,781 crores in 1983-84. The value of exports increased by 9.9 per cent during 1983-84 to Rs. 9,676 crores, as compared to 13.2 per cent in the preceding year. The rate of growth of the value of imports which had decelerated in recent years, dropping from 40.6 per cent in 1980-81, to 9.2 per cent in 1981-82 and to 5.0 per cent in 1982-83, increased by 8.9 per cent in 1983-84 to Rs. 15,457 crores. The rate of growth in total exports in 1983-84 was below that in the preceding year. But for the port strike in March 1984, annual export growth might have been higher at around 12 per cent. The increase in non-oil exports might be over 7.0 per cent which was much higher than that of 1.1 per cent registered in 1982-83. Allowing for the depreciation of the rupee in relation to SDR of around 3.5 per cent, the growth in non-oil exports at 1982-83 exchange rates might be roughly 3.5 per cent in 1983-84. Data on unit value of exports are not yet available, but it appears that the volume growth in non-oil exports might have been of the order of 2.5 per cent as against a decline of about one per cent in the preceding year.

90. Details regarding category-wise distribution of exports in 1983-84 are not yet available. It is likely that significant contributions to growth in non-oil export volume and value in 1983-84 have come from gems and jewellery and textiles including apparel. Tea exports increased markedly in value but entirely as a result of an increase in world tea prices. Indications are that exports of chemicals and processed foods also fared well.

91. On the import side, while total imports have gone up by 8.9 per cent during 1983-84, non-oil imports have increased considerably faster at 22.4 per cent as compared to 3.3 per cent in 1982-83. Commodities contributing to this increase were edible oils, pearls, precious and semi-precious stones and non-ferrous metals. The revival of industrial activity in the country is also likely to have led to a sizeable increase in imports of industrial raw materials, components and capital goods. The major development in imports have been the continuing import substitution in crude oil and oil products. Oil imports (net of exports) declined from Rs. 4,440 crores in 1982-83 to around Rs. 3,400 crores in 1983-84.

Invisibles

92. The net surplus on invisibles excluding official grants during 1982-83 was Rs. 3,210 crores. Net investment income payment in 1982-83 rose substantially on account of the increase in interest payments on external borrowings and Fund drawings. While receipts from private transfers and travel also improved, net payments under transportation showed a rising trend. It is unlikely that the size of net invisible receipts in 1983-84 would be much different from that in the preceding year.

Accretions under FCNR and NR(E)R Schemes

93. On the capital account side, there were significant accretions under the Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Accounts and Non-Resident External Rupee (NR(E)R) Accounts, estimated at about Rs. 330 crores and Rs. 360 crores, respectively, in 1983-84 as compared to those of Rs. 110 crores under FCNRA and Rs. 350 crores under the NR(E) RA in 1982-83 (ignoring the interest component under the NR(E)R. During first quarter of 1984-85 the net receipts under FCNRA have been lower than those in the corresponding quarter of 1983-84, reflecting in part the rising interest rates abroad.

External Assistance, Bilateral Transactions and Fund Drawings

94. Gross external assistance has shown an increase for the second year in succession, and is provisionally placed at Rs. 2,576 crores during 1983-84 (April-March). At this level, it recorded a rise of Rs. 326 crores over that in 1982-83. Amortization payments also increased from Rs. 587 crores (revised) in 1982-83 to Rs. 622 crores in 1983-84. As a result, the net inflow of external assistance during 1983-84 would be Rs. 1,954 crores, as against Rs. 1,663 crores (revised) in 1982-83. India's drawings from the Fund under EFF amounted to Rs. 1,414 crores in 1983-84 and Rs. 1,893 crores in 1982-83. Drawings from the Fund in 1983-84 net of repurchase of Rs. 72 crores under the CFF, totalled Rs. 1,342 crores as against Rs. 1,893 crores in 1982-83. There was also a sharp turnaround in bilateral capital transactions from a large outflow in 1982-83 to an inflow in 1983-84.

Debt servicing

95. Total debt service payments accordance to the balance of payments statistics for the year 1982-83 formed less than 14 per cent of the total export earnings during the year. Debt servicing as a proportion of total current receipts other than official grants would be 8.5 per cent, and less than 0.8 per cent in relation to the gross national product.

Foreign Currency Assets

96. During 1983-84 (July-June) foreign currency assets of the Reserve ank of India recorded an increase of Rs. 907 crores to Rs. 5,712 crores. Excluding the drawals from the Fund under EFF of Rs. 916 crores and Rs. 39 crores of repurchase of CFF drawals, these assets would show a rise of Rs. 30 crores as against the decline of Rs. 377 crores during the corresponding period of 1982-83 excluding the IMF drawals of Rs. 1,908 crores.

Special Drawing Rights

97. Holdings of Special Drawing Rights (SDRs) increased 1983-84 (July-June) by SDR 111 million to SDR 331 million to the decrease of SDR 179 Million during 1982-83. The rise in SDR holdings during 1983-84 has been mainly the result of receipts under (i) drawals from the IMF under the EFF of SDR 360 million, and (ii) purchases of SDR 247.6 million against foreign currencies, and payments (iii) of charges amounting to SDR 334.2 million for the use of Fund credit during 1983-84 compared to SDR 220.3 million during 1982-83, (iv) for repurchase of SDR 66.5 million of CFF drawings and (v) of SDR 122.6 million towards the increase in quota of India in the Fund.

Gold

98. Gold holdings of the Reserve Bank remained unchanged ever since December 1980 at Rs. 226 crores (valued at the statutory holding price of Rs. 84.39 per 10 grammes).

International Monetary Relations

99. Just as the impact of the recession in industrial countries on the economic growth of the non-oil developing countries was felt after a year's lag, the effect of recovery in industrial countries is also expected to be felt, after a lag, in 1984. However, the pace of development in the non-oil developing countries even in 1985, is expected to be well below that achieved during the period 1967—78. The Asian countries as a group have fared relatively much better. The per capita income continued to decline in many of the non-oil developing countries particularly those in Sub-Sahara Africa and Latin America during 1983, and on present indications, it may fall further in many of these countries in 1984 also. Forecasts indicate that even if economic growth in these countries is resumed in 1984 and/or 1985, it will be many years before these countries will regain the living standards of 1980.

100. The international economic envirement has remained discouraging for the non-oil developing countries. The external debt problem of a large number of them has defied solution, though the international community has so far succeeded in avoiding defaults through temporary arrangements. The prospects of net external assistance both concessional and non-concessional to the non-oil developing countries remain dim reflecting the sharp cut-back in the size of IDA, VII and the slow expansion of the official development assistance (ODA) together with the marked deceleration in the flow of commercial lending and uncertainty regarding the size of the World Bank assistance. Quotas of the Fund members have gone up during the year by 46 per cent—from SDR 61.1 bn. to SDR 89.2 bn. However, as a major part of the increase was allotted to members on a selective basis, the share of the non-oil developing countries

in the total quotas got reduced from 27.8 to 26.2 per cent. Further, because of the tightening of the policies and strengthening of the conditionalities, the potential access of a large number of the non-oil developing countries to Fund resources has, in effect, got reduced. Prospects of any meaningful recovery in the export prices of commodities of interest to the non-oil developing countries are also weak. Thus, though the IMF's index of non-oil primary commodities improved somewhat in 1983, it remained almost 20 per cent below the level reached in 1980. Similarly, after declining for three consecutive years, the terms of trade for the non-oil developing countries improved by just over one per cent in 1983 and are projected to increase by another 1.5 per cent in 1984. These improvements are marginal and the index will remain some 10 per cent below the level reached in 1979. The situation relating to the world trade is gradually looking up, but is still unsatisfactory from the point of view of the non-oil developing countries. Some non-oil developing countries, in the wake of recovery in some industrial countries, have been able to show a satisfactory performance of exports, but a part of it will be neutralised by a rise in interest rates on external borrowings of the group of countries. The recovery in industrial countries and public pronouncement to maintain open trading systems have not yet led to the shrinkage of trade barriers; on the contrary, protectionism has expanded. Apprehensions are that, in the absence of any concerted international action, protectionism may even intensify further.

101. The combined deficit on current accounts of the non-oil developing countries which declined further and significantly during 1983 is projected to contract, though modestly, in 1984. The improvement in the last year however, was brought about by further contraction of imports resulting in low investment, low output, lowering of per capita income and increase unemployment in the non-oil developing countries. The contraction in imports also adversely affected economic activities in the industrial countries. The current account imbalances among major industrial countries, have become sharper and the U.S. deficits have multiplied dramatically. These developments have contributed to the high real interest rates in international markets, mis-alignment of exchange rates of major international currencies and pressures for protectionism in several industrial countries. The resolution of the external debt problem should receive a high priority in view of the wide repurcussion of the failure in this regard on the international financial system. Towards the resolution of the problems, there is a need for sustained recovery, roll back of protectionism, improved climate for official aid and control over interest rates in industrial countries.

Exchange Rate Movements :

102. A high degree of volatility in exchange rate movements of major currencies continued during the year, though somewhat on a lower scale than in the preceding year. As in the previous year, the U.S. dollar remained strong aided by the hardening of U.S. short-term interest rates, the rebound in the U.S. economy and the global political tensions. During 1983-84 (July-June), the annual average rate of appreciation of the U.S. dollar in relation to the SDR was, however, lower than that in the preceding year. The Japanese yen, too, emerged strong, supported by its good economic performance; in fact, on an annual average basis, whatever depreciation had taken place in relation to the U.S. dollar during 1982-83 was almost neutralised by its appreciation in 1983-84. The pound stereling and the Deutsche mark, however, weakened further against the U.S. dollar. The pound sterling depreciated by 10.1 per cent during 1983-84, though the pace thereof decelerated. The rate of depreciation of the Deutsche mark accelerated.

103. The exchange rate of the rupee continued to be determined with reference to a weighted basket of currencies. The adjustments in the middle rate of the rupee in terms of Pound sterling were made on 118 occasions during the year and exceeded marginally the 113 revisions during the last year. The middle rate of the rupee moved from Rs. 15.45 per pound on June 30, 1983 to Rs. 15.15 per pound on June 29, 1984 (June 30 being a bank holiday in India and in London), recording an appreciation of 1.98 per cent over the period. The rupee which appreciated also against French franc by 0.97 per cent and Italian lira by 2.45 per cent depreciated against other currencies such as the U.S. dollar (9.76 per cent), Deutsche mark (1.25 per cent) and Japanese yen (10.53 per cent) and also against the SDR (16.62 per cent) during this period.

Price Situation :

104. Although there was a sizeable growth in real output in 1983-84, the price situation remained disconcerting for the major part of the year. In fact, the rise in prices as measured by the index number of wholesale prices for 'all commodities' (base: 1970-71 = 100) rose, on a point-to-point basis, by 9.3 per cent in the fiscal year 1983-84, a rate of increase higher than that of 6.4 per cent in the drought year 1982-83. The average increase in the index also worked out higher at 9.3 per cent than that of 2.6 per cent in 1982-83. The rise in 1983-84, although higher than in the previous two years, was modest compared to the increases in both 1979-80 and 1980-81.

105. In the first quarter of the current financial year 1984-85 the price rise, on a point-to-point basis, at 4.3 per cent is slightly less than that of 5.3 per cent in the corresponding period 1983-84. On an average basis also, the rise worked out lower at 8.0 per cent as compared with 8.5 per cent for the same period a year ago.

106. While the price rise was kept in check in the drought year of 1982-83 due to good supply management, the impact of the depletion of stocks of essential commodities was felt in the early part of 1983-84 and prices moved up sharply. In fact, in the first five months or so, i.e. upto the third week of August 1983, the price rise was 8.3 per cent compared with that of 6.5 per cent in the same period of 1982-83. During his period, the impetus to the price rise was provided by primary articles notably cereals, pulses, milk and milk products, oilseeds, edible oils and gur. Between August 20, 1983 and December 24, 1983, there was a marginal increase in price of 0.1 per cent in contrast to a fall of 2.2 per cent in the previous year. In the subsequent period (i.e. December 24, 1983 to end-March 1984), the price rise was modest at 0.8 per cent as against 2.1 per cent in the corresponding period of the previous year.

107. In 1983-84, all the three major groups viz. primary articles, fuel, power, light and lubricants and manufactured products contributed to the price rise. However, it was the manufactured products group which exerted the maximum pressure on the price index as judged by the weighted contribution of this group. When compared with the previous year, the contribution of both primary articles and fuel, power, light and lubricants to the price rise was less significant while that of manufactured products was more pronounced as may be seen from Table 14.

108. There were a series of upward revisions in administered prices during the fiscal year 1983-84 as also in the current fiscal year so far. These are indicated in the subsequent paragraphs. The weighted contribution of these items to the price rise in 1983-84 was 14.2 per cent as against 20.4 per cent in 1982-83.

109. During the first quarter of the current fiscal year, although prices continued to rise, the percentage increase both on a point-to-point basis and on an average basis was less than in the same quarter of the previous year. With the exception of pulses and edible oils most of the other essential commodities like cereals, fruits and vegetables, milk and milk products, sugar, khandsari and gur recorded smaller increases in prices during the first quarter of the current year as compared with the same quarter last year (Table 15).

Changes in Administered Prices :

110. As in the previous year, certain changes were effected in the administered prices of various commodities which contributed to some extent to the increase in price level during the year. Among primary commodities, the procurement price of common varity variety of paddy was raised by Rs. 10 to Rs. 132 per quintal for the marketing year 1983-84. The price differential of Rs. 4 was maintained between common and fine varieties, as also between fine and

superfine varieties. The procurement price of wheat which was Rs. 151 per quintal for the marketing year 1983-84 was further raised marginally to Rs. 152 per quintal for 1984-85 marketing year (April-March). Following the enhancement in procurement prices, the issue prices of common fine and superfine varieties of rice were raised uniformly by Rs. 20 per quintal with effect from January 16, 1984. The support price of coarse grains was enhanced further by Rs. 6 to Rs. 124 per quintal and that of grains by Rs. 5 to Rs. 240 per quintal for the year 1983-84. The minimum support prices of medium staple basic variety of cotton was raised by Rs. 20 per quintal and raw jute (W-5 grade) by Rs. 10 per quintal. The support prices of some of the major oilseeds were also raised, the increases in respect of groundnut-in-shell and mustard being Rs. 20 per quintal and Rs. 5 per quintal, respectively.

111. Selling prices of certain pertoleu mproducts were raised during the year. The price of petrol was increased by 10 paise litre effective September 1, 1983 with a view to enabling the petrol pumps in the country to sell improved grade petrol with 87 octane. Again, with effect from June 2, 1984, the Government raised the prices of petrol, diesel

TABLE 14.- EXTENT OF PRICE RISE AND WEIGHTED CONTRIBUTION OF MAJOR COMMODITY GROUPS IN WHOLESALE PRICE INDEX 1970-71=100)

	Weight	Wholesale Price Indices					Variations in Per cent			Weighted contribution Approximate)			
		End-March 1982	End-March 1983	End-March 1984	End-June 1983	End-June 1984	Fiscal Year 1982-1983	Fiscal Year 1983-84	I Quarter 1983-84	I Quarter 1984-85*	1982-83	1983-84	I Quarter 1983-84	I Quarter 1984-85*
All Commodities	1000.00	277.1	294.8	322.2	310.5	336.0	+6 4	+9.3	+5.3	+4 3	+100.0	+100.0	+100.0	+100.0
Primary Articles	416.67	260.7	281.6	309.2	298.6	324.6	+8.0	+9.8	+6.0	+5.0	+49.2	+42.0	+45.0	+46.5
Fuel, Power, Light and Lubricants	84 59	437.7	477.2	508.6	489.6	509.2	+9.0	+6.6	+2.6	+0.1	+18.9	+9.7	+6 6	+0.4
Manufactured Products	498.74	263.5	274.8	301.4	290.1	316.1	+4.3	+9.7	+5.6	+4.9	+31.9	+48.3	+48.3	+53.1

*Provisional

TABLE 15 – VARIATIONS IN INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES (1970-71=100)

Major Groups/Groups Sub-Groups/Commodities	Weights	Percentage Variations (Point to Point) End March 1983 over End March 1982	End March 1984 over End March 1983	End June 1983 over End March 1983	End June 1984 over End March 1984 (Provisional)
	1	2	3	4	5
All Commodities	1000.00	+6.4	+9.3	+5.3	+4.3
I. Primary Articles	416.67	+8.0	+9 8	+6.0	+5.0
Food Articles	297.99	+12.0	+7.1	+6.6	+5.6
a) Cereals	107.43	+16.4	–5.3	+1.6	+0.8
i) Rice	51.31	+18.0	–0.7	+8.5	+3.1
ii) Wheat	34.17	+17.5	–12.4	–11.5	–2.2
b) Pulses	21.79	–3.2	+28.0	+7.8	+8.6
c) Fruits & Vegetables	61.32	+16.7	+2.5	+14.5	+12.0
d) Milk & Milk Products	61.50	+1.0	+18.1	+4.9	+0.8
e) Other Food Articles	16.04	+39, 9	+36.6	+20.2	+13 7
Tea	11.49	+50.3	+36.1	+18.7	+3.9
Fibres	31.73	+5.2	+25.2	+8.5	+7.2
Raw Cotton	22.46	–0.1	+26.1	+10.0	+7.6
Oilseeds	42.01	+7.8	+28.2	+14.6	+2.0
Minerals	12.47	–11.3	+2.1	+0.1	–
Petroleum crude and natural gas	6.02	–13.3	–	–	–
II. Fuel, Power, Light and Lubricants	84.59	+9.0	+6.6	+2.6	+0.1
Coal	10.39	+18.7	+25.2	–	–
Mineral oils	49.12	+4.3	+0.5	+0.4	+0.1
III. Manufactured Products	498.74	+4.3	+9.7	+5.6	+4.9
Sugar, Khandsari & Gur	72 41	–5 5	+28.5	+25.3	+13.5

	1	2	3	4	5
i) Sugar	21.91	−7.8	+4.8	+5.1	+5.1
ii) Gur	45.58	−3.6	+41.1	+34.9	+15.9
iii) Khandsari	4.92	−13.5	+8.4	+19.3	+17.3
Edible oils	37.16	+5.9	+16.0	+7.6	+10.3
Textiles	110.26	+5.5	+8.6	+0.7	+1.8
Paper & Paper Products	8.51	—	+11.2	+6.7	+6.0
Cement	7.03	+9.4	+8.2	−0.2	+0.7
Chemicals & Chemical Products	55.48	+1.6	+4.1	+2.8	+1.2
Iron, Steel & Ferro Alloys	34.73	+12.6	+5.1	+2.8	+11.5

oil and cooking gas at varying rates with a view to compensating the oil companies for the loss incurred by them due to levy of sales tax by certain States on inter-company stock transfer. Regarding manufactured products, mention may be made of the reduction in August 1983 by 10 per cent in the consumer prices of urea and di-ammonia phosphate lying with the Food Corporation of India. The price of levy cement was raised by Rs. 52 per tonne with effect from July 2, 1983 and consequently the f.o.r. price of ordinary portland slag cement was fixed at Rs. 492 per tonne and portland pozdolana cement at Rs. 477 per tonne showing an increase of 11.8 per cent and 12.2 per cent, respectively. As a result, the retail market price of cement went up by Rs. 2.60 per bag.

112. In view of the steep rise in railway inward freight on various types of raw material consumed by the steel plants, upward revisions in excise rates following Central budget and an extra incidence of fuel costs due to the shortage of electricity supply, the Joint Plant Committee announced increases in the prices of a number of iron and steel items effective July 24, 1983. The price of pig iron was increased by Rs. 185 per tonne and that of railway items by Rs. 3,000 per tonne. In the case of steel items, the increases were in the range of 1.1 per cent to 32.7 per cent. Effective January 8, 1984, the Union Government raised the coal prices by 25 per cent to cover the substantial increases in input costs, incidence of depreciation and interest and the burden cast on the coal companies following the latest wage revision. The average pithead prices of coal for Coal India Ltd. and Singareni Collieries were raised to Rs. 183 and Rs. 192 per tonne, respectively. Also the statutory prices of aluminium have been increased by over 16 per cent with effect from May 9, 1984. The ex-godown prices of some of the non-ferrous metals were also revised at regular intervals taking into account the price trends in the international market and keeping in view the overall requirements of the domestic economy. The Joint Plant Committee revised the base price of pig iron and certain categories of steel by 15 per cent, on an average, for all despatches and deliveries made by plants and stock yards with effect from June 22, 1984.

Consumer Price Index

113. The rise in the consumer price index during 1983-84 was 11.2 per cent as compared with a rise of 9.8 per cent in 1982-83. On an average basis, the increase was 12.6 per cent as against 7.8 per cent in 1982-83. During 1983-84 the consumer price index rose steadily from 502 in March 1983 to 561 in November 1983. Thereafter, it moved within a narrow range and was 558 in March 1984. During the first quarter of the current financial year, the consumer price index moved up by 16 points from 558 in March to 574 in June 1984 or by 2.9 per cent. In the corresponding quarter of 1983, there was a sharper increase of 6.2 per cent.

114. For the third year in succession, the rise in the all-India consumer price index number for industrial workers (base : 1960=100)) was higher than the rise in the index number of wholesale prices, both on a point-to-point basis and on an average over average basis. This is clear from the data given in the Table below :

TABLE 15—COMPARATIVE TRENDS IN MOVEMENT OF WHOLESALE AND CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS

(In percentages)

Year	On a point-to-point basis		On an average to-average basis	
	W.P.I.	C.P.I.	W.P.I.	C.P.I.
1979-80	21.5	12.4	17.1	8.8
1980-81	16.7	12.6	18.2	11.4
1981-82	2.4	8.8	9.3	12.5
1982-83	6.4	9.9	2.5	7.8
1983-84	9.3	11.2	9.2	12.5

Price Rise in the Sixth Plan Period upto 1983-84

115. During the four years of the Sixth Five Year Plan beginning 1980-81 the average annual increase in the index number of wholesale prices on a point-to-point basis was 8.7 per cent. On an average-to-average basis, it worked out higher at 9.8 per cent. The increase in consumer price index on a point-to-point basis was 10.6 per cent and on an average to-average basis 11.0 per cent. Even if the first year of the Sixth Five Year Plan, when both wholesale prices and consumer price index numbers registered sizeable increase is left out, the average increase in the remaining three years works out to 6.0 per cent on a point-to-point basis and 7.0 per cent on an average-to-average basis in the case of wholesale price index and 10.0 per cent and 10.9 per cent, respectively, in the case of consumer price index

ASSESSMENT AND PROSPECTS

116. The year 1983-84 has been a good year when real national income is estimated to have recorded a rise of about 8.5 per cent. The higher rate of growth was largely the result of a sharp rise in agricultural output, as industrial growth, hesitant in pick-up, has been somewhat slow. The balance of payments position improved as indicated by the movements in foreign exchange reserves; as a result, the Government of India decided voluntarily to terminate the EFF arrangement with the International Monetary Fund without availing of the remaining balance of SDR 1.1 billion under that facility.

117. True to the pattern exhibited in the last two decades, foodgrains output after hovering around 130-133 million tonnes for 3 years took a sharp turn upwards in 1983-84 to exceed 150 million tonnes. Prospects of a fairly favourable monsoon lend support to the expectation of a new record in foodgrains output in 1984-85, taking it nearer to the target of 153.6 million tonnes set in the Sixth Plan. Looking at the 13 years beginning 1970-71, foodgrains output rose from 108.4 million tonnes in the base year to 150.6 million tonnes in 1983-84 giving an annual compound growth rate of 2.6 per cent. However, there are considerable differences in the growth rates among various crops. Wheat recorded the highest increase with output rising from 23.8 million tonnes in 1970-71 to 44.7 million tonnes in 1983-84 giving an annual compound growth rate of 5.0 per cent. Over the same period, output of rice increase from 42.2 million tonnes to 59.4 million tonnes giving an annual compound growth rate of 2.7 per cent. In the case of coarse grains, the annual compound growth rate was only 0.8 per cent whereas in pulses it was still lower at 0.6 per cent. There have also been significant variations in growth rates between regions even with respect to a single crop. The bulk of the increase in rice production in recent years has come from

the non-traditional rice growing States like the Punjab, Uttar Pradesh and Haryana. It is also interesting to note that the yield per hectare of rice is the highest in the Punjab around 3,144 kg. per hectare compared with 1,859 kg. per hectare in Tamil Nadu, a traditional rice growing State. Marked differences among States exist in the percentage of irrigated area to gross sown area, per hectare consumption of fertilisers and percentage of area under high yielding varieties. Part of this is of course explained by the soil conditions and other climate features. However, wide variations in productivity among States point to the scope that exists for increasing production even with the currently known technology that is being practised in some parts of the country. A sustained growth in agricultural production and productivity is imperative against the back-ground of rising demographic pressures even to provide for a modest rise in the per capita availability of foodgrains.

118. Industrial growth in 1983-84 at 5.4 per cent was 1.5 percentage points higher than the growth rate recorded in the previous year. With the expected improved performance in the power sector and the impact of the record agricultural output of the previous year, industrial growth in 1984-85 may turn out to be even higher than in 1983-84. Neverthless, the average rate of industrial production in recent years has fallen short of the target rate of 8-10 per cent considered necessary to maintain a GDP growth rate of 5 per cent. Also, there have been considerable fluctuations in the year-to-year growth rates almost analogous to the agricultural performance. Of course, this is in part a reflection of the behaviour of agricultural output and also fluctuation in hydel power output both of which are affected by the vagaries of monsoon. The deceleration in the growth rate of industrial production has occurred against the background of a rise in the ratio of investment to national income. The ratio measured in current prices has risen from 18.2 per cent in 1965-66 to 24.1 per cent in 1982-83. However, measured in constant prices, the increase in the ratio has not been that striking. This is so because the price deflator for fixed capital formation has risen faster than the GDP deflator. There is however unmistakable evidence that the incremental capital-output ratio, both in the aggregate and sectorally, has been rising. The consequence has been a high-cost and low productivity industrial system. If the demand base of the industrial goods has to expand, there has to be a lowering of the unit cost of production. This can happen only if there is a marked improvement in the efficiency of the use of capital. This demands not only a better utilisation of the existing capital assets but also greater attention to the selection of projects for investment with due regard to the optimum size of plants and choice of appropriate technology.

119. The balance of payments outlook in 1984-85 is reasonably satisfactory. The world environment for exports may be better than in the early 1980's. Increase in domestic crude oil production is expected to be large enough to prevent any increase in imports of oil. A stable position is expected in net invisables and not external aid inflow during the year, and the repayments of IMF drawings under the extended arrangement will not begin untill 1985-86.

120. The second half of the decade, covering the period of the Seventh Plan, however, presents a picture of greater uncertainty. The world outlook over the medium term still remains unsure despite encouraging income growth in some industrialised countries during 1983 and early 1984. This uncertainty overshadows the export prospects for India. Unless oil exploration programme under way yields rich dividends in the near future, it will be unwise to expect a further benefit from import substitution in oil of the order secured during the latter half of the Sixth Plan. Import substitution in other known areas is slow to achieve and calls for sustained and vigorous efforts. Given the severe debt servicing burden faced by several developing countries and the pressures exercised on them to meet these obligations on time there might be a keen competition among developing countries themselves for the available export markets leading to adverse impact on terms of trade of India as also of this entire group of countries. In recent years, private remittances and non-resident external accounts denominated in rupees and foreign currencies provided a strong support to our balance of payments. Similar support may not be expected under the changed conditions in the group of countries which contributed to such inflow of resources. On the other hand, repayments of borrowings from the IMF and the IMF Trust Fund would progressively increase to reach the peak of about SDR 900 million in 1988-89. Amortisation of commercial borrowings of recent years would be another additional committed obligations to be met. However, in view of the prudent policy on commercial borrowing that has been followed the rise in debt servicing from a relatively low level will be gradual. External aid inflow in real terms would deteriorate, perhaps sizeably, and the terms of aid might harden.

121. The above analysis suggests that the balance of payments may come under greater pressure and policies will have to be devised well in advance to take care of these pressures. The need for improvement in export performance cannot be over-emphasised. Exports would have to grow in volume at a rate of around 8 per cent per annum which implies that the 'dynamic' items in the export basket would have to grow at around 15 per cent per annum, and measures would be required to be taken to support such a step-up in the growth rate. Industrial policy will have to be geared to improving the profitability of exports relative to producing for the home market and creating the potential for raising exportable supplies. Equally important is a general industrial environment which emphasizes improvement in efficiency an dreduction in unit costs. Greater attention needs to be paid to import substitution in areas other than oil, particularly in respect of bulk items in the industrial sector and in respect of edible oils in the agricultural sector. However, the policy towards imports must bear in mind the need to upgrade technology and in general to improve the efficiency of our production system.

122. In the areas of currency and banking, some aspects of the recent trends may be highlighted. These are of a nature that requires suitable policy planning and action over a period of time.

123. A change in the composition of the total money stock usually occurs as an economy develops. This follows from increasing monetization, rise in income and the more effective role played by banks. In India, the proportion of currency to M_3 which was as high as 50 per cent in the 1960s, came down to 40 per cent in 1970-71. With the massive expansion of banking in the 1970s and the associated spread of the banking habit, the ratio recorded a sharp decline to 24 per cent in 1980-81. Since then, however, there appears to be a slowing down of the shift from currency to bank deposits with the currency ratio stabilising at around 23 per cent. In the recent period, there appears to be an opposite shift towards currency. The incremental ratio of currency to M_3 in the financial year 1983-84, on an average basis, was 21.5 as against 19.3 in 1982-83. This has probably been brought about by a combination of factors. The significantly high level of food procurement operations which injects cash in rural areas and the growth in priority sector lending of banks which places bank credit in the hands of a section of the community whose banking habit is still at an infant stage are perhaps some of the factors underlying the phenonmenon. Apart from other implications, operationally, the trend is relevant for planning the provision of the quantum of currency, with attention to a suitable denominational composition.

124. In regard to commercial banking, there are three issues to which attention may be drawn. In the first place In recent years a number of factors has been in operation which have had the effect of reducing the margin of profitability available to commercial banks. On the one hand, competition faced by banks in mobilising resources in increasing, with the emergence of a series of new savings instruments combining the attraction of special tax benefits with a better return. With the continuing shift of public preference for long-term high cost deposits, the interest cost of bank deposits has also been rising. On the other hand, the pre-emption of the resources of banks for various special purposes has assumed sizeable proportions. While the compulsions of monetary policy have taken the average cash reserves maintained by banks to as high as around 12 per cent of banks' demand and time liabilities, the growing need for mobilising resources for development has pushed up the SLR to 36 per cent. There are further pre-emptions, arising out of policy prescriptions on the remaining loanable funds of banks. Credit for food procurement and distribution has in recent times accounted for between 8 and 10 per cent of total credit, and fetches to banks an interest of only 12.5 per cent. Although banks are given some refinance against food credit, the quantum provided has to be regulated in accordance with overriding monetary considerations. The

allocation of a larger slice of credit to the priority sector has been a major thrust of banking policy since the nationalisation of banks. This shift accounts for 40 per cent of total credit, the greater part of which is extended at relatively low rates of interest. Thus, only about 20 per cent of the resources raised by banks are available for lending at what may be termed commercial rates of interest. Apart from these factors, banks' operating costs are also rising in fulfilling the various social objectives such as geographical dispersion and increased coverage of small accounts. Banks have been playing a prominent role in the development of the economy since nationalisation and they can continue to play this role only if their viability as business units is safeguarded. Areas of concessional and preferred credit need to be monitored continuously to avoid imposing a disproportionately heavy burden on the banking system.

125. The second issue in respect of commercial banking relates to the overseas operations of banks. Over the past decade, these operations have expanded in both volume and range, with the number of banks involved also rising. The overseas network of Indian banks comprise 141 branches, 5 subsidiaries and 11 representative offices. By and large, foreign operations have proved profitable; in the case of some individual banks they account for a significant portion of the profits. These operations are conducted in highly competitive and volatile conditions and the risk involved is often very high. It is, therefore, necessary that attention is paid to devising appropriate measures of control and regulation of these operations and implementing them assiduously. There is also the need for proper country assessment and introduction of appropriate management information systems, to avoid or reduce, wherever necessary, unduly large risk concentration on countries and/or borrower groups.

126. The third issue relates to the quality of bank credit to industry and agriculture. The outstanding bank credit to sick units in the industrial sector stood at Rs. 2,585 crores or 7.4 percentage of total bank credit at the end of December 1982. In regard to lending to agriculture, a matter of concern has been the poor recovery position. The ratio of recovery to demand in respect of direct agricultural advances granted by public sector banks as at the end of June 1983 was only 53.3 per cent. Such locking up of funds, be it in industrial units or in agriculture, affects the capacity of banks to recycle funds in a profitable manner. An improvement in the quality of the loan portfolio of banks is imperative. A more careful appraisal of loan requests and a continuous monitoring of the use of loans is called for.

127. Monetary developments in the past year were marked by a substantial build-up of liquidity in the system. Reserve money rose by 24.7 per cent as against 12.9 per cent in the previous year. In absolute amount the increase in 1983-84 in reserve money was Rs. 5,712 crores as against Rs. 2,647 crores in the previous year. Reflecting the effectiveness of the various policy measures that were adopted, growth rate in M_3 at 17.4 per cent was only a shade higher than the growth rate of 16.7 per cent in the previous year. The pace of monetary growth during 1983-84 would have been significantly larger but for the several anticipatory measures that were undertaken. It is however true that monetary growth and deposit growth turned out to be much higher than what was originally expected. Forecasts of deposit growth are made on the basis of certain variables such as likely growth in real income, the budgetary position and the balance of payments expectations. Real income growth in 1983-84 at 8.5 per cent was almost 2 per cent higher than what was expected at the beginning of the year. Also the external payment position proved to be significantly different from what was originally envisaged. The decline in net foreign exchange assets was far less than what was initially anticipated. Frequent changes in credit policy measures during the year became necessary because of the sharp changes in the basic economy factors. In fact, the strength of monetary and credit policy lies in its ability to react expeditiously to short-term developments.

128. In view of the record increase in production achieved in 1983-84, the overall growth rate of the economy in 1984-85 would be lower than in the previous year. It is, therefore, essential that monetary policy must aim, in the interest of orderly economic management and reasonable price stability, attaining in 1984-85 a deceleration of the rate of growth of over all liquidity and reserve money creation. In the light of the uncertainty associated with weather conditions, the fiscal outlook and the balance of payments outoutcome, there can be no relaxation on credit discipline. At the same time since the rate of growth of industrial production is expected to show an improvement, credit policy has to ensure that working capital requirements for supporting the expected industrial growth would have to be provided for adequately.

129. Credit in the system plays a dual role. Properly channeled, it can help to accelerate production. But at the same time, it adds to the demand pressures through the effect it has on money supply. That is why the rate of growth in money and credit should bear an appropriate relationship to the growth rate in output when reasonable price stability is also an objective to be achieved.

PART II—BANKING AND OTHER DEVELOPMENTS

130. The major monetary and credit developments during the year were covered in the earlier part. This part of the Report deals with the other important developments in the various areas of the Reserve Bank's work. The balance sheet and accounts of the Bank for the year 1983-84 (July-June) are presented at the end.

DEVELOPMENTS RELATING TO COMMERCIAL BANKING

Branch Expansion Policy and Progress

131. In pursuance of the Bank's policy of improving banking facilities in rural and semi urban areas and reducing inter-regional disparities in the spread of such facilities State governments had been asked to identify unbanked centres in rural areas where new bank offices could be located. Based on their recommendations, the branch expansion programme in respect of all the States and 6 Union territories was finalised. From April 1982, when the branch licensing policy for the three-year period ending March 1985 came into operation, until mid-July 1984, 9,610 centres were allotted to banks for opening new bank offices in rural and semi-urban areas. Besides, banks were holding authorisations for opening offices at 6,160 centres in these areas.

132. During the period July 1983 to March 1984, commercial banks opened 2,504 offices taking the total number of bank offices to 44,583 at the end of March 1984. Of these, 317 were opened by the State Bank of India and its associate banks, 699 by the 20 nationalised banks, 122 by private sector banks and 1,366 by regional rural banks (RRBs). Also, 2,129 or 85.0 per cent of these 2,504 offices were opened in unbanked centres. The average population per bank office which was as high as 65,000 in June 1969 and was 16,250 at the end of June 1983 came down to 15,300 by the end of March 1984. The proportion of bank offices in rural areas to the total, which was 53.9 per cent at the end of June 1983, increased to 55.6 per cent by the end of March 1984; in June 1969, the percentage was 22.1.

133. During the year, there was further progress in the expansion of Indian banks abroad. State Bank of India opened a branch in Antwerp (Belgium) in July 1983. Punjab National Bank opened a branch at Birmingham (U.K.) in October 1983 and Canara Bank opened its first foreign branch in London (U.K.) in December 1983. State Bank at India opened a representative office in Milan (Italy) and closed its office in Beirut (Lebanon). The total number of branches and representative offices of 13 Indian commercial banks in 25 countries stood at 141 and 11, respectively, at the end of June 1984 as against 138 and 11 at the end of June 1983. One of the nationalised banks viz., Canara Bank, was permitted to set up a deposit taking company jointly with two other nationalised banks, Syndicate Bank and Central Bank of India. Some of the Indian banks have also entered into management services contracts with private exchange houses in the Gulf region. As at the end of June

1984. Indian banks had entered into such contracts with eleven exchange companies in the Middle East as against five exchange companies existing at the end of June 1983.

134. During the year, a foreign bank viz. Grindlays Bank, plc. opened a branch in Amritsar. Also two foreign banks opened representative offices in October 1983—Lloyd's Bank International Ltd. (U.K.) in New Delhi and Irving Trust Co. (U.S.A.) in Bombay. Bank Nova Scotia upgraded its representative office in Bombay into a branch in May 1984. Wells Fargo Bank (U.S.A.) closed its representative office in Bombay in September 1983. Thus, at the end of June 1984, the number of branches and representative offices of foreign banks in India stood at 133 and 14 respectively.

135. The system of reporting of overseas operations of Indian banks was revamped during the year with the objective of more effective monitoring and supervision. According to the revised system, each foreign branch will be a reporting unit. The emphasis of the new system is on obtaining more feed-back on risk assets, problem loans and country/currency and borrower-wise exposure of banks.

Regional Rural Banks

136. During the year ending June 1984, 20 new RRBs were established taking the total number of RRBs to 162 covering 286 districts. The sixth Five-Year Plan target of covering 270 districts by March 1985 has thus been more than fulfilled and the target of 170 RRBs set for March 1985 seems well within reach. The deposits and advances of 152 reporting RRBs at the end of June 1984 stood at Rs. 722 crores and Rs. 838 crores, respectively.

Banks' Assistant under Special Schemes

137. Trends in the sectoral distribution of credit have already been discussed in Part I. The progress achieved by banks in rendering financial assistance to the priority sectors as well as under some special schemes such as the new 20-Point Programme, the scheme for providing self-employment to the educated unemployed youth, the Integrated Rural Development Programme and the Differential Rates of Interest scheme is discussed below.

Priority Sector Lending

138. Reference was made in last year's Report to the various sub-targets set for banks in respect of direct lending to agriculture and other weaker sections of society under their priority sector lending programme. Data available in respect of 28 public sector banks for the fiscal year 1983-84 show that the progress in fulfilling these targets was quite satisfactory. As against the overall target of 40 per cent of net bank credit set for priority sector advances to be reached by March 1985, public sector banks had achieved a ratio of 39.4 per cent by the end of March 1984 with outstanding credit to priority sectors amounting to Rs. 14,482 crores. Direct advances to agriculture outstanding at the end of March 1984 at Rs. 4,847 crores constituted 13.2 per cent of total bank credit as against the target of 15 per cent set for March 1985 and advances to weaker sections of society at Rs. 3,080 crores worked out to 8.4 per cent as against the target of 10 per cent to be achieved by March 1985.

The New 20-Point Programme

139. According to provisional data in respect of 28 public sector banks, financial assistance to the beneficiaries under the new 20-Point Programme as at the end of December 1983 had covered 85.9 lakh accounts and amounted to Rs. 3,908 crores. Also as indicated in Part I, the interest rates on loans to certain categories of borrowers were lowered in October 1983 to provide a purposeful thrust to the objectives set out in the new 20-Point Programme and to strengthen the redistributive effect of credit policy.

Scheme for Providing Self-employment to the Educated Unemployed Youth

140. In September 1983, the Bank issued detailed guidelines to commercial banks regarding their role in the implementation of the scheme for providing self-employment to the educated unemployed youth formulated by the Union Government in consultation with the Reserve Bank. The objective of the scheme is to encourage the educated unemployed youth, who are at least matriculates and are within the age group of 18 to 35 years, to undertake self-employment ventures in industry, services and business. A composite loan not exceeding Rs. 25,000 is admissible to an eligible entrepreneur. The period of repayment of the loan is 3 to 7 years, with a moratorium of 6 to 18 months. Interest would be 10 per cent on loan in backward areas and 12 per cent on loans in other areas. The beneficiaries are eligible for capital subsidy from the Government, calculated at 25 per cent of the total amount of the loan. The scheme which aims at providing self-employment to 2.50 lakh educated unemployed youth by August 15, 1984 covers all areas of the country except cities with a population of more than one million as per the 1981 census. The overall quantum of funds to be provided by the banking system has been placed at around Rs. 325 crores. Figures available upto the end of March 1984 show that banks had covered 2.40 lakh beneficiaries and sanctioned credit to the extent of Rs. 397 crores, of which Rs. 149 crores was already disbursed

Banks and IRDP

141. Under the Integrated Rural Development Programme (IRDP) in operation in all blocks in the country, which aims at improving the lot of the poorest of the poor with the help of Government subsidy and institutional finance, 36.9 lakh beneficiaries were assisted during the fiscal year 1983-84 and term credit of Rs. 773.5 crores was extended by banks (including RRBs and co-operative banks) as against 34.6 lakh beneficiaries assisted and term credit of Rs. 714.0 crores provided during 1982-83. The Bank issued certain guidelines to the financing institutions with a view to smoothening the implementation of the programme. These included the stipulation that banks should (a) issue loan pass books to the IRDP beneficiaries to make them aware of the exact amount of loan taken, amount outstanding, period of repayment etc., (b) strictly comply with the guidelines relating to additional security for small loans, appointment of staff with the necessary aptitude, skill and expertise, finalisation of repayment schedule in a realistic manner etc., and (c) fix repayment period taking into account factors such as the repayment capacity, life of asset etc.

DRI Scheme

142. Public sector banks made further progress in credit disbursal under the Differential Rate of Interest (DRI) scheme. The latest data available which are for the year ended December 1982, show that the number of loan accounts under the scheme rose by 4.19 lakhs to 33.44 lakhs and that the amount of loans outstanding rose by Rs. 54 crores to Rs. 311.50 crores. The average amount of loan per account increased from Rs. 880 to Rs. 932. Public sector bank's advances under the scheme at the end of December 1982 formed about 1.2 per cent of their total advances as at the end of December 1981. The coverage of scheduled castes/tribes under the DRI scheme also improved with the number of borrowal accounts rising from 1376 lakhs at the end of December 1981 to 16.36 lakhs by the end of December 1982. The amount of loans outstanding increased from Rs. 123 crores to Rs. 154 crores during the same period, constituting 49.6 per cent of total DRI advances against the target of 40 per cent.

143. An evaluation study of DRI scheme on a qualitative basis was conducted by the National Institute of Bank Management (NIBM) and a report was submitted in December 1982. Following this a task force was set up in April 1983 to examine and make recommendations, among others, on the various provisions of the DRI scheme and the modifications, if any, considered necessary, the recovery experience of banks in respect of loans under the scheme and measured to improve the recycling of funds. The report was finalised by the task force in May 1984.

Lead Bank Scheme

144. The recommendations of the Working Group to Review the Working of the Lead Bank Scheme which had

submitted its report in December 1982 were accepted by the Bank with a few modifications and necessary instructions were issued to State governments and commercial banks. District Credit Plans for 1983-85 and Annual Action Plans for 1983 were prepared and launched in all the districts except a few in the north-eastern region. Annual Action Plans for 1983-84 were also finalised for most of the districts.

Credit Facilities to SCs/STs

145. In the context of the discussions held in the meeting of the Parliamentary Committee on the welfare of scheduled castes/scheduled tribes (SC/ST) early in 1983, it was considered necessary that all commercial banks should assess, at periodical intervals, the implementation by their branches, of the guidelines in this regard issued by the Reserve Bank from time to time. Banks were therefore advised in August 1983 that :

(i) a special cell should be set up at the head office for monitoring the flow of credit to SC/ST beneficiaries. The cell should collect the relevant information/data from the branches, consolidate them and submit the requisite returns to the Reserve Bank and the Government;

(ii) the board of directors of banks should review, on a quarterly basis, the measures taken to enhance the flow of credit to SC/ST borrowers; and

(iii) the board should also consider the progress made in lending to these communities directly or through the State level SC/ST corporations for various purposes based, among others, on field visits of senior officers from head office/controlling offices. In January 1984, all commercial banks were advised that if the applications in respect of SC/ST were to be rejected (under IRDP as also other programmes), it should not be done at the branch level but at the next higher level. A cell has been set up in the Rural Planning and Credit Department of the Reserve Bank for monitoring the credit flow exclusively to SCs/STs.

Credit Authorisation Scheme

146. Mention was made in Part I about the Bank's decision to raise the out-off point for working capital limits for exemption from Bank's prior authorisation from Rs. 3 crores to Rs. 4 crores and that for individual term loans (exceeding 3 years) for private sector parties not covered by CAS from Rs. 50 lakhs to Rs. 1 crore. Following the raising of the cut-off point, the number of parties covered under the CAS declined to 764 (inclusive of 180 public sector undertakings) by the end of June 1984, from 897 as at the end of June 1983 (inclusive of 188 public sector undertakings). The total limits in force in respect of parties covered under the scheme increased from Rs. 17,051 crores at the end of June 1983 to Rs. 17,986 crores by the end of June 1984. The share of public sector undertakings as at the end of June 1984 was Rs. 11,186 crores as against Rs. 10,380 crores at the end of June 1983.

147. During the year, the Bank accepted with some modifications the recommendations of the committee appointed by the Reserve Bank to review the working of the CAS and conveyed to banks a set of new streamlined procedures aimed at ensuring more speedy release of funds under the CAS. These came into force on April 1, 1984. Subject to fulfilment to certain requirements relating to maintenance of adequate discipline in the use of bank credit, banks can put on the 'fast track' proposals for sanction of working capital limits falling within the purview of the CAS and release funds at their discretion, upto 75 per cent of the proposed additional limits in the case of predominantly export oriented manufacturing units and upto 50 per cent of the proposed additional limits in all other cases without waiting for the prior authorisation of the Reserve Bank. If, after the normal process of scrutiny in the Reserve Bank, it is found that the credit limits sanctioned by a bank are not need based or are excessive, the bank would be advised to take corrective action. Banks may grant ad hoc limits for periods of upto three months to the extent of 10 per cent of the existing working capital (other than packing credit) limits or 25 per cent of the existing packing credit limits, subject to an overall ceiling of Rs. 75 lakhs as against the earlier ceiling of Rs. 50 lakhs. Letters of credit facilities covering capital as well as non-capital goods have been exempted from the requirement of Reserve Bank's prior authorisation.

148. This liberalisation in the CAS procedure, it was claimed, was subject to the banks adopting certain changes in their organisational set-up such as concentrating the CAS accounts at selected specialised branch offices in metropolitan centres, rationalising the number of levels at each decision making tier, submission of comprehensive note on the proposals to the bank's management, paying special attention to staffing and job training and devolving proper information system from borrowers to banks as also from banks to Reserve Bank.

IDBI Bills Rediscounting Scheme

149. IDBI has raised the annual purchaser-wise limit under its Bills Rediscounting Scheme from Rs. 150 lakhs to Rs. 300 lakhs. Consequently banks were advised in June 1984 that they can issue deferred payment guarantees (DPGs)/acceptances on behalf of buyers under the scheme upto the enhanced limit and sanction of such DPGs/acceptance limits under the scheme and also those outside the scheme but inconformity with the terms and conditions of IDBI's scheme, will not require RBI's prior authorisation under CAS. It was also clarified that if IDBI fixes higher purchaser-wise limits, as in the case of some public sector undertakings under its scheme, sanction of such facilities upto that limit will not require prior authorisation of RBI.

Sick Industrial Undertakings

150. Data on sick industrial undertakings are available upto the end of June 1983. As on that date, there were 463 large sick industrial units each enjoying credit limit of Rs. 1 crore and above from the banking system and the aggregate bank credit outstanding against these units was Rs. 1,913 crores as compared to 435 units with an outstanding amount of Rs. 1,729 crores at the end of June 1982. Viability studies in respect of 409 of the 463 identified units were completed and of these, 345 units were considered as potentially viable and 248 units among them were placed under nursing programme.

Assistance to Financial Institutions

151. The Reserve Bank provides long term loans as also medium and short term credit facilities to the leading financial institutions. Long term loans sanctioned to the Industrial Development Bank of India (IDBI) during 1983-84 from the National Industrial Credit (Long-Term Operations) [NIC (LTO)] Fund amounted to Rs. 260 crores, as compared with Rs. 245 crores during 1982-83. The IDBI utilised the entire limit. The amount borrowed by IDBI from the NIC (LTO) Fund and remaining outstanding as on June 30, 1984 aggregated Rs. 2,085 crores.

152. Long term loans sanctioned to the Export-Import Bank of India (Exim Bank) during 1983-84 from the NIC (LTO) Fund amounted to Rs. 55 crores as compared to Rs. 45 crores in 1982-83. The Exim Bank utilised the entire limit. The amount borrowed by the Exim Bank and remaining outstanding as on June 30, 1984 was Rs. 125 crores.

153. Short term limits of Rs. 125 crores sanctioned to the IDBI during 1982-83 were extended up to September 30, 1983. Out of these limits, the IDBI availed of loans amounting to Rs. 6.8 crores during 1983-84. The IDBI was also sanctioned short term credit limits of Rs. 200 crores for 1983-84 (July-June) against the security of bills rediscounted by it. These limits were sanctioned to enable the IDBI to tide over temporary resource constrains (Rs. 50 crores) as also for meeting the mismatch (Rs. 150 crores) between the funds placed at its disposal by investment institutions like the Life Insurance Corporation, the General Insurance Corporation and its subsidiaries for enhancing

assistance to the State Electricity Boards and the State Road Transport Corporations through the IDBI's Bills Rediscounting Scheme and its actual disbursements to the two organisations. The IDBI did not avail of the limit of Rs. 50 crores; however, the entire limit of Rs. 150 crores availed of by the IDBI for meeting the mismatch was outstanding as on June 30, 1984. The short-term borrowing limit of Rs. 3 crores sanctioned to the Industrial Finance Corporation of India was renewed by the Bank for a further period of one year ending December 1984; this limit has since been enhanced to Rs. 10 crores. There were no outstanding against this limit at the end of June 1984. Credit limit of Rs. 10 crores, sanctioned to the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. in August 1983 is due to expire in October 1984. The Corporation availed of the limit on several occasions for very short periods. At the end of June 1984, an amount of Rs. 9 crores was outstanding against this limit.

154. The Bank sanctioned fresh borrowing limits aggregating Rs. 36 crores to 10 State Financial Corporations (SFCs) during the period July 1, 1983 to June 30, 1984 against their ad hoc bonds and also extended the period of borrowing limits amounting to Rs. 16.8 crores in respect of 6 SFCs. The outstanding in respect of all SFCs amounted to Rs. 4.5 crores at the end of June 1984.

155. The National Bank for Agriculture and Rural Development was sanctioned a credit limit of Rs. 1,300 crores for 1983-84 to enable it to provide short-term loans and advances by way of refinance to State cooperative banks and RRBs. The interest charged for this accommodation is 4.75 per cent below the Bank rate. The maximum level of outstanding reached against this credit limit was Rs. 1,218 crores on March 31, 1984. The Reserve Bank contributed from out of its profits for the year 1982-83, Rs. 225 crores to the National Rural Credit (Long Term Operations) Fund and Rs. 75 crores to the National Rural Credit (Stabilisation) Fund.

Advances to Sugar Industry

156. Scheduled commercial banks were not required to obtain prior authorisation from the Reserve Bank while releasing clean loans for off-season expenses not exceeding Rs. 25 lakhs per unit to sugar mills facing cash deficits. On July 14, 1983, however, the Reserve Bank advised the banks that such clean loans for off-season expenses for the ensuing 1983-84 season should not necessarily be permitted as a general policy. Individual cases were, however, to be dealt with on merits and banks ought to obtain the Reserve Bank's prior authorisation before the release of any clean loan.

157. Scheduled commercial banks were advised in November, 1983 that subject to the estimates of sugar production of individual sugar mills, banks could sanction for the 1983-84 season need-based credit limits up to 110 per cent of the maximum amount availed of during the 1982-83 season (excluding temporary excess drawings) without obtaining the Reserve Bank's prior authorisation. The actual drawings in the borrowal accounts were to be regulated on the basis of the deficit disclosed in the monthly cash budgets of mills. While suitable sub-limits could be fixed within the overall drawing limit and allowed as cash credit against stocks of sugar pledged/hypothecated, bills purchased and discounted, etc., the banks should not allow any other credit facilities outside the overall limit whether on clean basis or secured by assets such as spares, other raw materials, plant and machinery, etc. The sanction for additional credit limits beyond that indicated above to individual sugar mills covered by the Credit Authorisation Scheme would require the prior authorisation of the Reserve Bank.

158. Reference was made in last year's Report to the creation of a buffer stock of 5 lakhs tonnes of sugar. Following the Government's decision to add a further 5 lakhs tonnes of free sale sugar to the existing buffer stocks to make a total of 10 lakhs tonnes, the Reserve Bank advised all scheduled commercial banks on November 15, 1983 that the amount released as a result of providing 100 per cent drawings against stocks of free sale sugar added to the existing buffer stock should first be used by the banks to rectify the irregularities in the cash credit account of the sugar mills and thereafter for meeting cane dues.

159. The Government of India discontinued in March 1983 the practice of declaring a monthly tariff value for free sale sugar. Consequently, the Reserve Bank advised scheduled commercial banks on August 5, 1983 to value sugar stocks charged to them as security at cost or market price whichever was lower. For this purpose, levy stocks were to be valued at levy price and free sale stocks, including buffer component were to be valued at market price, and also the total of levy and free sale stocks including buffer component were to be valued uniformly at cost price. The lower of the two valuations, less appropriate margins was to be taken for determining the drawing power.

160. Effective from January 30, 1984, there was a further modification in the method of valuation of levy and free sale sugar charged to the banks as security for advances against sugar stocks. Under the new method, stocks of levy sugar are to be valued at the levy price fixed by the Government of India and stocks of free sale sugar (including buffer stocks) at the average price realised in the preceding three months (moving average) or the current market price, whichever is lower. The prices for this purpose would be exclusive of excise duty. The banks have also been advised to observe due care in arriving at the drawing power on the non-released free sale sugar stocks, since the market prices of free sale sugar would fluctuate from time to time.

Selective Credit Control

161. The selective credit control measures in respect of advances against sensitive commodities continued to operate during the year; a few additions were made to the exempted categories of advances.

162. The banks were advised on July 4, 1983 to treat warehouse receipts issued by warehouses constructed by Agricultural Produce Market Committees set up by the State Governments under the Regulated Market Yards Act on par with those issued by the warehouses of Central/State Warehousing Corporations provided that the warehouses were constructed scientifically and were manned by trained staff. Further, the concession in margin and interest rate that were allowed in respect of small advances upto Rs. 5,000 against warehouse receipts of rural godowns covering commodities for which support prices had been announced and in respect of which procurement arrangements by Central/State Government agencies existed, were also extended to similar advances up to Rs. 5,000 against warehouse receipts issued by rural warehouses of Central/State Warehousing Corporations as well as Agricultural Produce Market Committees. These concessions were to be confined only to one advance per borrower in respect of stocks held in one rural godown and the banks were also required to ensure that the quantity of produce brought by the small farmer for storage was consistent with the size of his land holdings (viz. five acres or less).

163. Direct advances by banks up to Rs. 2,500 per farmer or the amount of crop loan outstanding whichever was lower, and advances to primary co-operative societies for extending credit to their cultivator-members against security of foodgrains which represent an extension of advances granted earlier against the standing crop for a period of three months from the date of harvesting, were completely exempt from the purview of selective credit control. The credit limit for such exemption was raised with effect from July 4, 1983 to Rs. 5,000 per farmer or the amount of the crop loan outstanding whichever was lower.

Exemption of Advances to Beneficiaries under Special Scheme

164. With a view to enabling the IRDP beneficiaries to avail of the concessional facilities provided under the IRDP scheme, the Reserve Bank advised scheduled commercial banks in February 1984 that advances against commodities covered by the selective credit control sanctioned to IRDP beneficiaries would be completely exempt from the purview of selective credit control. In May 1984, banks were

advised about some more categories of advances which would also be completely exempt from the purview of selective credit control. These are : (1) advances to beneficiaries under the scheme of providing self-employment to educated unemployed youth in their endeavour to take up processing/manufacturing and/or trading activities in commodities covered by selective credit control; (2) advances against such commodities to borrowers satisfying all the conditions under the DRI scheme; and (3) small advances upto oan aggregate limit of Rs. 5,000 per borrower, subject to the condition that a borrower should deal with only one bank.

165. With a view to exercising control over the sanction of credit limits by SCBs and CCBs in respect of sensitive commodities subject to selective credit control, NABARD (which now administers the CAS to these institutions) was advised to obtain prior approval from the Reserve Bank in respect of proposals covering such commodities involving amounts exceeding Rs. 5 crores.

Inspection of Banks

166. During the year, the second round of annual appraisal inspection of public sector banks was completed and the third and fourth rounds were in progress. Annual appraisal on 16 public sector 'banks' was taken up/completed and nine public sector banks were inspected for both annual appraisal and financial assessment. Financial inspection of eight foreign banks, nineteen private sector scheduled banks and three non-scheduled banks were taken up/completed. Inspections of ten overseas offices of Indian banks in Bahrain, Oman and U.A.E. were also completed during the period.

167. The Report of the Working Group to review the existing systems of Inspection of commercial banks, RRB and urban co-operative banks was submitted to the Bank on October 22, 1983. The recommendations are intended for the internal guidance of the Reserve Bank and NABARD in the matter of inspections of these banks.

Frauds in Banks

168. A reference was made in the last year's Report about the Bank's concern with the growing number of complaints and increasing incidence of frauds in banks and about the detailed guidelines issued to banks in this regard. The Special Investigation Cell set up in the Bank in May 1983, for conducting investigation into serious cases of frauds, major complaints and scrutinies of identified fraud-prone areas completed investigations in respect of 12 major frauds and four complaints. The findings were communicated to the banks for corrective action and examination of the cases from the staff angle. The outcome of the scrutinies has been brought to the notice of the Government also wherever necessary. Based on the findings, circulars have been issued to banks suggesting safeguards that may be observed by them so as to prevent recurrence of such irregularities.

Clearance of Cheques

169. Following the acceptance of the recommendations of the Working Group set up by Reserve Bank to consider the modalities of introducing national clearing of outstation cheques and the feasibility of introducing Magnetic Ink Character Recognition (MICR)/Optical Character Recognition (OCR) technology for mechanised cheque processing by banks in the country, a National Clearing Cell was set up in the Bank in November 1983 to look after the implementation of the Group's recommendations. The Group has recommended the introduction of MICR technology for mechanised cheque processing, initially in the four metropolitan cities of Bombay, Delhi, Calcutta and Madras to be extended to other State capitals and important centres in phases. The National Clearing Cell is drawing up standard specifications for cheque paper cheque layout and MICR code line structure with the assistance of a Technical Committee formed for the purpose.

Banking Laws (Amendment) Act

170. The Banking Laws (Amendment) Bill, to which a reference was made in the last years' Report, was passed by the Parliament on December 21, 1983 and became the Banking Laws (Amendment) Act, 1983 after the President's assent on January 12, 1984. The more important of the amendments to the two Acts are summarised below :

171. The amendment to the Reserve Bank of India Act seeks to enable Central Government to approve the form of securities that may be held by the Reserve Bank as assets of its Issue Department without having to formally notify the securities that may be so held. It also seeks to ensure that loans from National Co-operative Development Corporation to State co-operative banks and loans from sponsored banks to RRBs are not treated as liabilities for the purpose of calculation of cash reserve ratio.

172. The concept of average daily balance, as amended, will be linked to balances held at the close of business on each day of a fortnight instead of a week and scheduled banks will be required to file fortnightly returns on each alternate Friday in a month instead of on each Friday of the month as hitherto. This would give longer time to banks to visualise their liabilities and arrange for proper maintenance of cash reserves. The Bank would notify the date from which this amendment would come into effect.

173. The definition of the term "deposit" is widened to us to include any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form, but specifically excluding certain types of deposits mentioned therein so as to enable individuals and unincorporated associations and firms to obtain funds or advances for their legitimate business. Earlier, there were no restrictions on acceptance of deposits by individuals, firms or unincorporatel associations of individuals. In the larger interest of the public, and more particularly the vast multitude of small and uniformed depositors, it was felt necessary to put a curb on the capacity of such unincorporated bodies, etc. to accept deposits from the public. Accordingly, the new provisions stipulate that no individual of firm or an unincorporated association of individuals shall, at any time have deposits from more than the specified number of depositors.

174. The amendment to the Banking Regulation Act applies to a wide range of provisions. It enables banking companies to take up business activities as may be specified by Central Government in addition to those already undertaken as per the Banking Regulation Act 1949. It puts a limit to the tenure of directors of a banking company, empowers the Reserve Bank to decide if a change is permissible in the number of directors as also to appoint a chairman, when a vacancy arises, if such appointment is deemed necessary. It enables calculation of cash reserved ratio of non-scheduled banks and statutory liquility ratio of all banks on the basis of demand and time liabilities as on the last Friday of second preceding forming. The amendment precludes granting of loans to a company when the banking company's director is a director or any other office holder of such company or its subsidiary or holding company in which he holds substantial interest. It enables the Reserve Bank to raise the maximum statutory liquidity ratio that a bank may be required by it to maintain to 40 per cent and to call for a daily return from any banking company apart from other statutory returns. The Reserve Bank is further empowered to impose penal interest on banking companies which default in the maintenance of the statutory liquidity ratio and to carry out a scrutiny of affairs of a banking company in addition to regular inspections. The amendment also provides for nomination facilities to bank's customers in respect of deposit accounts and articles kept in safe custody/safe lockers. Some of these amendments to the two Acts have already come into force with effect from February 15, 1984.

Standing Committees on Tea, Jute etc.

175. A reference was made in the last years' Report about the appointment of Standing Committees by the Bank, with the aim of taking a co-ordinated view on credit requirements and related problems, for jute, tea, sugar and fertilizer industries. The Standing Committee for sugar industry had constituted a sub-committee to examine the problems of valuation of sugar stocks and, based on its findings, revised guidelines have been framed. In pursuance of the decision of the Standing Committee, another sub committee has been appointed to suggest broad measures for rehabilitation of sugar industry.

176. The Standing Committee for tea industry held discussions on important issues such as steps to be taken to increase tea production/exports, measures to be taken to avoid

double financing of tea gardens by tea broking firms as well as by banks etc.

177. In pursuance of the decision taken by the Standing Committee for jute, two sub-committees were appointed. One of them, entrusted with identification of potentially viable sick units in the jute industry submitted its report in October 1983, wherein it has suggested broad parameters for categorisation of jute mills and measures for rehabilitation of each category. The package of measures to be considered would include the assistance required from the Central Government, State Governments, banks and term lending institutions., Export-Import Bank of India and the industry itself. Banks and financial institutions have already initiated necessary follow-up action regarding categorisation of mills and establishing their viability. The report of the other sub-committee set up to assess the medium term outlook for export of jute goods and, in the light of the assessment, to consider the various suggestions that may be made sustaining the level of exports, is awaited.

178. The Standing Committee for fertiliser industry decided to appoint two sub-committees. One of them would review the inventory/receivables norms for the fertiliser industry and the other would review and suggest remedies for improving the distribution system based on sound financial backing on the basis of a study to be undertaken in Uttar Pradesh and Bihar. The reports of the sub-committees are awaited.

Committee on Agricultural Productivity in Eastern India

179. The Committee on Agricultural Productivity in Eastern India, set up in March 1983, has completed the visits to the four States and the collection of material from the concerned State governments. The special studies/reports entrusted to research institutions and other agencies have also been received by the Committee. The drafting of the Report is in progress and is expected to be completed by the end of September 1984.

Committee to Review the Working of the Monetary System

180. A reference was made in the last year's Report about the appointment of a Committee to Review the Working of the Monetary System. The Committee issued a set of four questionnaires in August/September 1983 to several institutions/organisations and academicians eliciting their views on various issues. Several studies by experts have also been commissioned by the Committee. Some of the studies have been completed and are being examined by the Committee. The replies received to the questionnaires are being processed. The term of the Committee which was to expire by the end of June 1984 has been extended by six months.

DEVELOPMENT RELATING TO CO-OPERATIVE BANKING

Setting up of Urban Banks Department

181. A separate Urban Banks Department was set up with effect from February 1, 1984, to look after the growing volume of statutory and developmental work relating to the urban co-operative banks. Till then this work was being attended to by the Urban Banks Division of the Department of Banking Operations and Development.

Progress of PCBs

182. During the year ending June 1984, 29 more primary co-operative banks (PCBs) were set up raising their number to 1,310 comprising 1 209 urban co-operative banks (UCBs) and 101 salary earners' societies. The total number of primary co-operative banks licensed to commence/carry on banking business rose to 393 at the end of June 1984 from 341 in June 1983.

Policy Changes Relating to Refinance Facilities

183. In accordance with the suggestions made by the Standing Advisory Committee for UCBs certain modifications were made in the scheme of refinance in respect of advances to small scale industries (SSI). In terms of the modified policy, the concessional refinance at 2 1/2 per cent below the Bank rate would be made available to State co-operative banks on behalf of urban co-operative banks for leading to SSI units which are in existence/under production for not more than seven years to meet their genuine credit needs. After the expiry of the seven year period, by which time SSI units would have gained sufficient economic viability and would be able to pay the normal rates of interest, the concessional refinance is to be utilised by the UCBs for lending only to small and tiny units enjoying credit limits upto Rs. 2 lakhs from all sources irrespective of the period of their existence/production.

184. During the financial year 1983-84 short term credit limits aggregating Rs. 56.4 crores were sanctioned on behalf of 101 UCBs for financing cottage and small-scale industrial units at concessional rate of interest. The outstanding borrowings under the above limits amounted to Rs. 48 crores as on *March 31, 1984.*

185. The IDBI extended from August 12, 1983 rediscounting facilities under its refinance scheme to State co-operative banks on behalf of central and primary co-operative banks in ten States viz., Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab Tamil Nadu, Uttar Pradesh, and West Bengal to enable them to give term loans to meet the block capital requirements of SSI units. This facility is restricted to the urban banks falling within the audit classification 'A' or 'B' and which are also approved institutions for the purpose of availing of the guarantee cover from the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

186. During the financial year 1983-84, applications for sanction of loans aggregating Rs. 11.4 lakhs for contributions to the share capital of 17 UCBs were received from State Governments of Andhra Pradesh, Kerala, Orissa and Tamil Nadu. However, no applications could be recommended to the NABARD either because of the late receipt of such applications or ineligibility of the applicant bank for State participation in its share capital.

187. Taking into account the suggestions made by the sanction of loans aggregating Rs. 11.4 lakhs for contributions for provision of housing finance by UCBs to individuals and schemes were communicated in September 1983 to the Registrars of Co-operative Societies. The eligibility criteria for individual borrowers as well as schemes were outlined and the total quantum of loans for an individual borrower was fixed at a maximum of Rs. 50,000. The UCBs could extend finance upto 80 per cent of the value of the property in respect of borrowers belonging to SC/ST and lower income groups and upto 70 per cent for middle income groups. The eligible schemes may include social welfare projects like slum clearance schemes, hostels for SC/ST, schemes under public health programme, shopping centres/markets forming part of housing projects etc. The finance to be extended to the institutions like housing boards, local bodies etc., however should not exceed 40 per cent of the cost of the project. The interest to be charged on housing loans was fixed at not more than 15 per cent per annum and the period of repayment at not more than 10 years normally and in certain circumstances upto 15 years. A UCB can, however, invest only upto 10 per cent of its total deposit resources or 25 per cent of its net disposable long-term resources, whichever is more, for providing housing loans as well as block capital loans to SSI units.

Interest Rates on Advances

188. The rates of interest to be charged by primary co-operative banks on their loans, advances etc. were revised effective from April 1, 1983 on the same lines as in the case of commercial banks. However, in the light of representations received from certain urban banks as well as their associations/federations on the possible adverse impact of the revised lower rates of interest on advances on their viability, certain revisions

were effected in the rates of interest. These revisions which took effect from January 2, 1984 are as under :—

Category of advances	Rate of interest (per cent per annum)	
	Prior to 2-1-1984	From 2-1-1984
Small Scale Industry		
Composite loans upto Rs. 25,000 in backward areas	10.0	Not exceeding 11.0
Retail Trade Advances		
Limits upto and inclusive of Rs. 5,000	12.5	Not exceeding 14.0
Term Loans		
Small Scale Industry (Units as in the new definition of SSI) in backward areas	12.5	Not exceeding 13.5

189. The lending rate on advances by the State and central co-operative banks to co-operative institutions entrusted by the Government with the procurement of oilseeds and pulses was fixed at 13.5 per cent and in respect of institutions other than co-operative, at 15 per cent with effect from November 7, 1983.

Advances against Sensitive Commodities

190. In response to representations received from the banks and trade/industry representatives, certain modifications/relaxations were made in September and December 1983, in the Bank's directive relating to co-operative bank advances against commodities subject to selective credit control. The aggregate level of credit sanctioned to a single borrower against the security of cotton textiles etc, was raised from Rs. 1 lakh to Rs. 4 lakhs. Within this aggregate level, banks were permitted to grant, at their discretion to a borrower, advances against book debts arising out of the sale of these commodities (i.e. cotton textiles, etc.) and outstanding for a period not more than 60 days upto Rs. 2 lakhs subject to certain conditions. In regard to advances against other sensitive commodities, the aggregate level of credit sanctioned to a single borrower was raised from Rs. 1 lakh to Rs. 2 lakhs. Advances granted by way of purchase of/or against the security of demand documentary bills covering sensitive commodities are totally exempt from the purview of the directive.

191. In the context of overall credit control measures and considering the supply situation of cotton and kapas, the restraints imposed earlier were continued in respect of advances against these commodities made by the PCBs (including industrial co-operative banks) in the States of Karnataka and Gujarat. Accordingly, the banks were directed in April 1984 to maintain the aggregate level of credit below a maximum of Rs. 50 lakhs and charge interest at 18 per cent per annum and maintain the minimum margin of 50 per cent on advances to parties against the security of cotton and kapas, irrespective of whether the security was by way of pledge or hypothecation.

Guidelines relating to Credit to Priority Sectors

192 Urban co-operative banks were advised in September 1983 to achieve by June 30, 1985, the target of priority sector lending of 60 per cent of their total advances of which at least 25 per cent (or 15 per cent of the total loans and advances) was to be to weaker sections. The UCBs with priority sector lending at less than 40 per cent of their total advances as on June 30, 1983 were advised to raise the level of such advances by 10 percentage points each year during the next two years

Licensing of new Banks/Branches

193. The policy in regard to licensing of new banks was reviewed and the norms relating to area of operations were relaxed to facilitate inclusion of peripheral areas in the immediate vicinity of an urban town/city within the area of operations. Similarly, other urban/semi-urban centres inclose proximity to the headquarters of the proposed bank could be included in its jurisdiction in the interest of viability.

Standing Advisory Committee for UCBs

194. The Standing Advisory Committee for UCBs viewed with concern the deteriorating level of operational efficiency in the UCBs as reflected by the increasing number of banks identified as requiring rehabilitation and suggested that positive steps should be taken including the drawing up of time-bound rehabilitation programmes to bring about a rapid improvement in the banks' financial position and operational efficiency. The Committe also reviewed the policy regarding financial accommodation for meeting the working capital requirements of industrial units coming under 22 broad groups of cottage and small scale industries and suggested certain basic changes regarding eligibility of the SSI units and norms for fixing the definance limits. Looking to the poor availment of loans by the State governments for contribution to the share capital of PCBs from RBI/NABARD ever since the scheme was introduced in 1969-70 and also since the share capital contribution had not activated in any significant manner the SSI advances portfolio of the PCBs, the Committee suggested that the arrangements with NABARD may be continued only for a further period of two years i.e. upto the financial year 1985-86. In order to ensure proper co-ordination between the commercial banks and UCBs in regard to their branch opening programme in metropolitan/port-town/urban centres, the Committee agreed with the proposal for permitting the UCBs to open during the two year period 1983-85, not more than 200 branches in addition to the spill-over upto 1983.

Working Group to Study Operational Problems of State Handloom Development Corporations in Relation to Bank Credit

195. The Reserve Bank appointed a Working Group on June 19, 1984 to study the working of the State Handloom Development Corporations and to ascertain their loan and working capital needs from banks for assisting handloom weavers outside the co-operative fold. The terms of reference of the Working Group are to examine the measures necessary to strengthen State Handloom Development Corporations so that they may play an effective role in financing handloom weavers to study how best the Corporation could finance the weavers in clusters with necessary linkages for supply of yarn and other requirements and efficient marketing of the cloth obtained from handloom weavers; and to make recommendations which are related to and incidental to the above terms of reference. The Group is expected to submit its report by the end of January 1985.

DEVELOPMENTS RELATING TO EXCHANGE CONTROL AND OTHER MATTERS

Rationalisation of Export Procedure

196. During the year the export procedure (commonly known as GR form procedure) was thoroughly revised and rationalised with a view to making it simpler and more effective. Under the revised procedure which came into effect from October 1, 1983, exporters are required to submit the export declaration forms in sets of two, as against three earlier. The revised system is expected to facilitate expeditious compilation of the balance of payments data as also a more effective follow up by the Reserve Bank of cases of non realisation or delayed realisation of export proceeds.

Payment for International Transactions through ACU

197. With a view to encouraging further development of intra-regional trade between member countries of the Asian Clearing Union (ACU), it was decided that all eligible payments on account of current international transactions (other than payments relating to travel) between India and other

member countries in the ACU, except Nepal, should be settled compulsorily through the ACU mechanism. The new arrangement was brought into force from January 1984. Export and import transactions involving settlement on deferred payment terms have been kept outside the purview of the compulsory settlement procedure but in such cases also, there is no bar on the advance/down-payment against shipping documents being settled through the ACU. As importers in Bangladesh are permitted to purchase US dollars at a premium under the Wage Earners Scheme to finance imports such import transactions are also exempted from the requirement of compulsory settlement through the ACU.

Abolition of Sterling Rates Schedule

198. The rates of exchange for foreign currencies other than the Pound Sterling are fixed by authorised dealers on the basis of prevailing market conditions. The rates for merchant transactions in Pound Sterling were earlier regulated through a Sterling Rates Schedule prepared and published by the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). The system of prescribing a Sterling Rates Schedule was abolished with effect from January 7, 1984 and authorised dealers are now permitted to quote exchange rates for merchant transactions in Pound Sterling on the basis of market conditions as in the case of other currencies subject to the guidelines regarding margins, etc. prescribed by the FEDAI. The maximum spread between merchant TT (telegraphic transfer) purchase and sale rates for Pound Sterling as well as certain other foreign currencies are prescribed by the Reserve Bank.

Sale/Transfer of Shares of Indian Companies by Non-resident Indians.

199. With a view to facilitating the sale and transfer of shares of Indian companies held by non-residents of Indian nationality or origin to citizens of India or persons of Indian origin, the Central Government issued a notification on May 4, 1983 exempting such transfers from the operation of the Foreign Exchange Regulation Act. The exemption covers cases where (a) the shares are purchased by the transferee from the stock market through a member of a recognised stock exchange in India, and (b) the proceeds of the shares sold by the transferor are credited to his ordinary non-resident rupee account with an authorised dealer in India, with no right of repatriation outside India. Consequently, the sale/transfer of shares of Indian companies by non-resident of Indian nationality or origin in favour of citizens of India or persons of Indian origin through a stock exchange in India without the right of repatriation of the sale proceeds, does not require Reserve Bank's specific clearance if these requirements are fulfilled.

Ordinary Non-resident Accounts for Corporate Bodies

200. A further measure of liberalisation of investment facilities available to overseas corporate bodies/trusts in which at least 60 per cent ownership/beneficial interest is held directly or indirectly, but ultimately by non-resident of Indian nationality or origin was introduced in April 1984. Authorised dealers in foreign exchange have been permitted to open and maintain ordinary non-resident accounts in rupees in the names of such overseas corporate bodies/trusts, subject to the condition that the initial deposits for opening such accounts should be made by remittance from abroad in an approved manner or out of rupee funds originating in India which are otherwise eligible for credit to such non-resident accounts.

Indianisation of Foreign Companies

201. As on June 30, 1984 the number of cases in which final orders under Section 29(2)(a) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 were passed requiring dilution/Indianisation of foreign companies to specified levels came to 379. During the year, 17 more companies complied with the directive bringing the total number of such companies to 349. The remaining 30 companies are at various stages of compliance.

Expert Committee on Exports and Imports

202. The Expert Committee on Exports and Imports appointed by the Reserve Bank in November 1982 to which a reference was made in the last year's Report submitted its final report in December 1983. The Committee has made a number of important recommendations on a wide range of topics aimed at simplifying and rationalising the exchange control procedures relating to import and export of goods and services and improving the overall quality of customer service. Implementation of the Committee's recommendations is under way in consultation with the Government of India, wherever necessary.

Export Advisory Committee

203. The Reserve Bank set up in October 1983 an All-India Export Advisory Committee consisting of Reserve Bank officials, bank representatives and representatives from all-india export promotion councils/organisations, with a view to getting feed back from the exporters directly about their difficulties in matters of credit availability and exchange control regulations relating to exports.

204. A consultative committee has been set up with Reserve Bank officials, commercial banks, tobacco exporters and representatives of the Tobacco Board and Indian Tobacco Association as members, to look into the export credit requirements of tobacco exporters.

Workshop on Select as in Foreign Exchange and Exchange Control

205. As a further step in the direction of supplementing the technical knowledge and skills of the first line and middle level officers of the authorised dealers, particularly those working in upcountry branches, the Reserve Bank sponsored in association with the FEDAI, a programme to conduct a series of more than 100 workshops at about 50 different centres throughout the country. The workshops cover five important areas of foreign exchange business viz. (i) import-export trade and letters of credit mechanism (ii) export finance, (iii) management of exchange risks, (iv) operations on non-resident accounts, and (v) compilation and submission of 'R' returns.

ECD Office at Panaji, Goa

206. A regional Office of the Exchange Control Department of the Bank was opened at Panaji, Goa on November 24, 1983. The Panaji Office has jurisdiction over the Goa region of the Union Territory of Goa, Daman and Diu. For the sake of convenience of the public, the territories of Daman and Diu continue to be serviced by the Department's Bombay office.

Authorised Dealers' Licences

207. In terms of the provisions of Section 5 of the Foreign Exchange Regulation Act 1973, licences have been granted to the Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur and to the Bombay branch of the Bank of Nova Scotia, Toronto, Canada to deal in foreign exchange. These two banks have been permitted to undertake all types of foreign exchange transactions in all permissible currencies, subject to the usual conditions and obligations.

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

208. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation registered further progress in fulfilling its twin objectives of giving insurance protection to small depositors in banks and guarantee support to credit facilities extended to certain categories of small borrowers, particularly those belonging to the weaker sections of society. Besides the deposit insurance scheme and the five credit guarantee schemes already in operation, the Corporation formulated two credit guarantee schemes relating to the co-operative sector. Reference was made in the last year's Report to the Small Loans (co-operative credit societies) Guarantee Scheme, 1982 to which eligible credit institutions were invited to join from January 1, 1983. The second scheme viz., the Small Loans (co-operative banks) Guarantee Scheme, 1984 became operative from July 1, 1984.

209. The number of insured banks increased from 1,718 at the end of June 1983 to 1,773 by the end of June 1984 and comprised 84 commercial banks, 159 RRBs and 1,530 co-operative banks. The scheme now covers deposits of co-operative banks in 14 States and 3 Union territories. The number of insured accounts increased from 1,598 lakhs with total assessable deposits at Rs. 42,360 crores as on June 30, 1982 to

1,816 lakh accounts with total assessable deposits at Rs.50,797 crores as on June 30, 1983.

210. Th number of credit institutions participating in the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 increased from 188 at the end of June 1983 to 217 by the end of June 1984 comprising 75 commercial banks and 142 RRBs; those participating in the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971 increased from 149 to 164 comprising 61 commercial banks, 66 RRBs and 37 co-operative banks. The number of credit institutions participating in the Small Loans (financial corporations) Guarantee Scheme, 1971 remained unchanged at 18. The total guaranteed advances under these three credit guarantee schemes relating to non-industrial sector increased from Rs. 5,774 crores at the end of June 1983 to Rs. 6,115 crores at the end of June 1984 showing a rise of 5.9 per cent.

211. The number of instiutions participating in the Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 rose to 387 at the end of June 1984 comprising 72 commercial banks, 110 RRBs, 16 State Financial Corporations, 7 State development agencies and 182 co-operative banks. The guaranteed advances to small scale industrial sector increased from Rs. 3,822 crores at the end of June to Rs. 4,154 crores by end-June 1983 or by 8.7 per cent.

212 During 1983-84 (July-June) the Corporation received 147,696 claims for Rs. 34.23 crores in respect of its non-industrial schemes and 15,751 claims for Rs. 43.56 crores in respect of the scheme for small-scale industriese. In all 195,419 claims for Rs. 27.31 crores in respect of non-industrial schemes and 10,001 claims for Rs. 17.94 crores in respect of SSI scheme were disposed of during the period.

213 In view of the substantial increase in the volume of business, steps have been taken to augment the authorised capital of the Corporation from Rs. 15 crores to Rs. 50 crores to be contributed entirely by the Reserve Bank. Necessary amending legislation was passed by the Parliament and it received assent of the President on February 12, 1984.

Acceptance of Deposits by Non-banking Companies

214. During the year a few amendments were made to the two sets of directions issued by the Bank to non-banking financial and miscellaneous non-banking companies. According to the amendment which came into force from March 30, 1984, the cash component has been deleted from the list of eligible liquid assets. Hire purchase finance and housing finance companies are now allowed to maintain liquid assets either in the form of deposit accounts with scheduled banks free from any charge|lien or in unencumbered approved securities or both. Besides, the rate of penal interest charged by financial and miscellaneous non-banking companies for premature withdrawal of deposits was reduced from 2 per cent to 1 per cent to bring it on par with that levied by commercial banks.

215. In terms of a new Chapter IIIC incorporated in the Reserve Bank of India Act as per the Banking Laws, (Amendment) Act, 1983, unincorporated bodies as are prohibited from accepting deposits from the public except to a specified extent. Thus, an individual cannot accept deposits from more than twenty five depositors excluding specified relatives. Similarly, a partnership firm or an unincorporated association of individuals is prohibited from accepting deposits from more than twenty five depositors per partner|individual and from more than two hundred and fifty depositors in all, excluding relatives. The ceiling, thus, is on the number of depositors and not on the amount of deposits.

Deposits of Non-banking Companies

216. A study on the growth of deposits with non-banking companies as on March 31, 1983 has revealed that over the year there was an increase in the number of deposit accounts from 59.14 lakhs to 75.11 lakhs and that aggregate deposits held by 5,356 reporting companies stood at Rs. 9,194 crores as against Rs. 5,492 crores, held by 5,420 reporting companies a year ago. Of the aggregate deposits of Rs. 9,194 crores, 2,557 non-financial companies accounted for Rs. 6,764 crores (73.6 per cent), 2,296 financial companies for Rs. 2,201 crores (23.9 per cent) and 503 miscellaneous non-banking companies (chit fund companies) for Rs. 229 crores (2.5 per cent). Public limited companies numbering 1,955 or 36.5 per cent of the 5,356 reporting companies held aggregate deposits of Rs. 8,455 crores (92.0 per cent) as against 3,401 private limited companies (63.5 per cent) which held only Rs. 739 crores (8.0 per cent). As on March 31, 1983, Government companies held aggregate deposits of Rs. 4,018 crores (43.7 per cent), as against Rs. 2,337 crores held by 52 such companies a year ago. During 1982-83, deposits subject to regulatory measures rose from Rs. 1,519 crores to Rs. 1,977 crores whereas deposits which are exempt from statutory restrictions such as borrowings from Central and State Governments, rose from Rs. 3,972 crores to Rs. 7,217 crores. While aggregate deposits with non-banking companies rose by 67.4 per cent during 1982-83, the rise in deposits which are subject to regulatory measures was of the order of 30.1 per cent as compared to that of 20.1 per cent in bank deposits.

Issue Offices

217. During the year, a sub-office of Issue Department at Trivandrum was converted into a full-fledged Issue Office and a sub-office was opened at Chandigarh. With this, there are now 15 full-fledged Issue Offices and 2 sub-offices in the country.

Currency Chests

218. The total number of currency chests in the country at the end of June 1984 was 3,878 (excluding 606 repositories). Of these,17 currency chests were maintained with the Reserve Bank, 3,197 with State Bank of India group, 389 with nationalised banks and 271 with Government treasuries|sub-treasuries and 4 with the Jammu and Kashmir Bank Ltd.

Surveys

219. A country-wide survey of small-scale industries units—private corporate units and artisans and craftsmen—assisted by the commercial banks was launched in March 1984. The field support for the survey is being provided by the financing banks. The survey of 'unclassified receipts' which was hetherto organised for one quarter every year has been taken up for all the quarters of the financial year 1984-85. The information sought from the authorised dealers relates to purpose-wise and country-wise break-up of such unclassified receipts (remittances received from abroad individually in amounts equivalent to less than Rs. 10,000).

220. The processing of data and generation of statistical tables relatinng to the All-India Debt and Investment Survey 1981-82 organised in collaboration with the National Sample Survey Organisation (NSSO) at the instance of the Bank is nearing competition.

221. The processing of the schedules received from the companies for the Census of India's Foreign Liabilities and Assets, 1981-82 is in progress.

ORGANISATIONAL MATTERS AND ACCOUNTS OF THE BANK

Work Norms

222. During the year, efforts were made to determine work norms for clerical work in respect of major activities in public debt offices and establishment sections which engage comparatively larger number of employees. Steps are being taken to implement these in phases.

Mechanisation|Computerisation

223. For improving productivity and customer service, some more areas of work were computerised|mechanised. Operations in connection with settlement of non-industrial claims and accounting of premia|fees in DICGC were computerised; work connected with maintenance of Government Accounts and Remittance Clearance Account at Nagpur office has been computerised and parallel run will start in August. A mini-computer system is being installed at Bombay for computerising the work of the Foreign Accounts Division Management Information System for Top Management and Reserve Bank Services Board. The resource operations work in the Issue Department, Byculla Office is also being computerised. As already mentioned, for speeding up clearance of inter-city cheques, computer processing based on MICR technology is being introduced. Ledger posting machines have

been introduced in two more offices, viz., Bangalore and Hyderabad. The Bank is also developing a dedicated network of telecommunications system in consultation with the Telecommunications Consultants of India Ltd.

Bankers Training College, Bombay

224. The Bankers Training College (BTC) continued to conduct general broad spectrum programmes in the fields of central, commercial and development banking specialised technical/functional programmes in credit foreign exchange and inspection areas, and specialised managerial programmes relating to personnel management, industrial relations and organisation and methods. Other subject covered were performance budgeting statistics for bankers legal aspects of banking, merchant banking, faculty development, portfolio management etc.

225. The College introduced 15 new programmes during the year in important areas like human resources development, rehabilitation of sick units (for technical officers of banks), management information system, programme on inspection (organised for principal inspecting officers of the Reserve bank) workshop on leasing finance, seminar on industrial finance (for senior officers of the Reserve Bank) and bank economists' seminer. The College conducted a per-recruitment training programme for Scheduled Tribe candidates applying for the posts of officers Gr. 'B' in the Reserve Bank. Seminars/workshops were also organised in areas such as eurocurrency market operations, reconciliation of inter-branch accounts etc. It also provided faculty assistance to the training institutions of other banks in response to their requests.

226. Of the 90 programmes covering different types of courses conducted during the period, 17 were outstation programmes. Of these 13 programmes, designed to meet the specific requirement of the sponsoring institutions, were held at their own training centres. Three outstation programmes with common training inputs for branch managers of Indian private sector bank were conducted to meet the training needs of smaller banks. During the period, 2,472 officers from the Reserve Bank, commercial banks development financ institutions Government, as well as from foreign banks, were trained at the College raising the total number of participants trained to 26,621 since the inception of the College in 1954.

227. The College brought out besides the regular BTC bulletins, two publications viz. (i) Plan and Procedure for Auditing the Dealing Room and (ii) Management Audit.

Reserve Bank Staff College, Madras

228 The Staff College at Madras (RBSC) continued to cater to the training needs of Staff Officers Gr. A to C in different departments of the Bank. During the year 1,720 officers were trained through 76 programmes raising the total number of officers trained to 14,509 since the inception of the College in 1963. Apart from the usual broad spectrum and functional programmes some of which were restructured after a review, a few new programmes were conducted. These covered (i) Trading in foreign exchange to familiarise the officers in Gr. A/B/C with the working of the dealing rooms the risk involved in trading in foreign exchange etc. (ii) Export fllow-up for providing detailed knowledge about rules and regulations and procedures relating to exports from India and realisation of export proceeds etc., (iii) Communication workshop for making the participants aware of their latent potentialities in the area of communication; (iv) Banking plans for development for explaining the dynamic role of banking system in India as an instrument of economic development and for providing know-whow to participants for monitoring the preparation and implementation of District Credit Plan and Annual Action Plans; and (V) 'Managing your time' to develop an awareness and consciousness of time, a valuable executive resource.

College of Agricultural Banking, Pune.

229. Under its regular and specialised programmems on agricultural finance and allied subjects, the College trained during the period 2,077 officers from various banking institutions in India and abroad and government officials through 85 regular programmes, including two special programmes and two outstation programmes, raising the total number of participants trained to 21,247 since its inception in September 1969. The Centre for International Co-operation for Training in Agricultural Banking conducted two programmes at the College campus—one on project finance for rural poor and the other on production finance for rural poor in which there were participants from Bangladesh, Nepal and Sri Lanka apart from India.

230. The College conducted two seminars, one of "loan assistance to weaker section" in which senior officers Government, banks and other financial institutions like IRCI, IDBI, etc. participated and the other on productivity and priority sector lending and financing of 20-Point Economic Programme with particular reference to rural sector, for the General Managers/Joint General Managers of commercial/co-operative banks. The College also organised a national level workshop on village level credit projects for rural poor sponsored by the Asian and Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA) where the participants identified and prepared bankable project reports. A seminar on scheme for self employment of educated unemployed youth and non-farm sector finance under IRDP was also organised for the first time by the College.

Zonal Training Centres

231. The Zonal Training Centres (ZTCs) at Byculla (Bombay), Calcutta, Madras and New Delhi continued to conduct special courses for clerical staff, induction courses for clerks Gr. II at the entry point and special programmes for Tellers/Coin/Note Examiners Gr. I. During the year ZTC, Buculla imparted training also for Class IV Staff. In all, 2,486 members of clerical staff received training at the four ZTCs is raising the total number to 25,537 since their inception. The ZTCs have also trained 137 members of class IV staff.

Deputation of Staff for Training in India and Abroad

232. The Bank continued to depute its officers to participate in training programmes, seminars and conference organised by management and other institutes of repute in India as also foreign institutions. During the period, the Bank nominated 201 officers to various programmes conducted by these institutes on topics ranging from management and other allied areas to functional programmes for trainers, commercial banking administration, exchange control etc. In all, 19 officers of the Bank were deputed for training and study visits to banking and financial institutions in USA, U.K., France, Switzerland, Korea West Germany, Malasiya, Japan, Singapore, Philippines, China, Indonesia, Thailand, etc.

233. As part of Bank's faculty support to other institutions, a member of faculty from RBSC and the Vice Principal BTC handled a few sessions on financial management in the international programme conducted by the South-East Asian Central Banks Research and Training Centre at Kathmandu in November 1983.

234. Two members of faculty from BTC were deputed for delivering talks in a development banking programme for the officers of People's Bank, Colombo, Sri Lanka and three members of faculty were deputed to Mauritius. Two senior officers were deputed to deliver talks to the participants of the East African Central Banking Course in Tanzania.

Training Facilities Extended to Officers Foreign Banks

235. The Bank continued to extend training and study facilities to the participants from foreign central and commercial banks in response to specific requests received from them, including those sponsored under schemes of international co-operation such as APRACA Staff Exchange Programme, Commenwealth Fund Technical Co-operation, London, T.C.S. of Colombo Plan, United Nations Development Programme etc. Of the 82 delegates, who were afforded training facilities, 36 were from Sri Lanka, 17 from Nepal, 9 from Afghanistan, 4 each from Uganda and Bhutan, 3 from Tanzania, 2 each from Nigeria and Kenya and one each from Maldive Islands, Ethiopia, Zambia, Bangladesh and Philippines, the last two under APRACA staff exchange programme.

Employee-Employer Relations

236. The industrial relations situation was, by and large, peaceful. The wage settlement between the All India Reserve Bank Employees' Association and the Bank in respect of Class III employees which became a consent award of the Dighe Tribunal, as also the settlement between the All-India Reserve Bank Workers' Federation in respect of Class IV employees and the Bank, expired on August 31, 1982. Fresh charters of demands were submitted by the Association| Fedration to the Bank in July 1983 and September 1983, respectively. Negotiations on the charters of demand are in progress.

237. Besides the joint consultation committee meeting and the annual meeting with the Reserve Bank of India Officers' Association, discussions were also held with the All India Reserve Bank Staff Officers' Association to sort out specific issues, as and when they arose.

238. A Conference of Managers and the Heads of Departments was held on February 16|17, 1984 at which issues such as currency management, use of mechanisation and computerisation, salient features of inspection were discussed and the industrial relations situation in the Bank was reviewed.

Representation of SCs|STs in the Bank's Service

239. The total strength of scheduled castes and scheduled tribes (SCs|STs) in each of the 3 classes in the Bank as on January 1,1984 was 2.209 (SCs constituting 1,765 and STs 444) in Class IV, 3190 (2,164 and 1.026) in Class III and 346 (299 and 47) in Class I as compared to 1,915 (1,547 and 368) in Class IV, 3,128 (2 147 and 981) in Class III and 305 (268 and 37) in Class I in January 1983.

240. Particulars of direct recruitment made in various classes of services in the Bank during the calendar year 1983 and the representation of SCs/STs in the total recruitment are given below:

Category	Total No. of candidates recruited	Of which		Percentage of	
		SC	ST	SC	ST
Class I	26	5	3	19 2	11.5
Class III clerical staff etc.)	1,060	137	77	12.9	7.3
Class IV (subordinate staff)					
(i) Others than Sweepers	296	55	32	18 6	10.8
(ii) Sweepers	39	18	4	46.2	10.3

241. The report submitted by the Indian Institute of Education, Pune on the poor performance of ST candidates at the written test for the post of Staff Officer Grade 'B' referred to in the last year's Report was examined and some of its suggestions were accepted. As suggested therein, pre-examination training was given to the candidates who had applied for the post of Officers in Grade 'B' which was advertised exclusively for STs this year.

Employment of Ex-Service-men in the Bank's Service

242 In pursuance of the decision taken to provide reservation at the rate of 14-1|2 per cent for ex-servicemen for the post of Clerk Grade II|Coin|Note Examiner Grade II in 1983, offices were advised to specify such reservation in the advertisement/notification for recruitment and to make recruitment of ex-servicemen against their quota subject to availability of eligible candidates. iWith this, reservation at the rate of ex-servicemen against their quota subject to availability of eligible candidates. With this, reservation at the rate of of 14-1/2 per cent has been provided by the Bank to all Class III posts along with 24-1|2 per cent to Class IV posts already provided. However, even before the reservation was specified for recruitment to the cadre of Clerk Gr. II |Coin|| Note Examiner Grade II, out of 965 posts filled in this cadre, 82 or 8.5 per cent were ex-servicemen. Out of 54 posts filled in Class III (other than clerks in the common cadre) and 302 posts filled in Class IV cadre during 1983, 4 and 39 posts, respectively, were filled by ex-servicemen as against 7 and 74 posts required to be filled in at the prescribed rates of reservation. The share of ex-servicemen in total recruitment to Class III (other than Clerk Gr. II|Coin| Note Examiner Gr. II) and Class IV cadres in 1983 was 7.4 per cent and 12.9 per cent, respectively, as against 4.4 per cent in Class III and 11.8 per cent in Class IV in 1982. The Bank could not achieve the prescribed reservation target in recruitment to Class III and Class IV cadres due to non-availability of eligible ex-servicemen under the relaxed standards of performance and other concessions extended in their favour.

Press Relations

243. The Press Relations Division continued to co-ordinate the publicity and press relations work of the different Departments of the Bank and the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. It also served as a focal for dissemination of information to the public about credit control measures, exchange rate changes, exchange control regulations, etc. On the occasion of banks' nationalisation anniversary, the Division issued a special handout highlighting the progress made by commercial banks in expanding branch network, mobilising deposits and providing credit facilities to priority sectors.

244. As in the previous year, the Division organised a conference of Economic Editors from all over India with a view to promoting a better understanding of the Bank's policies through an informal exchange of views between them and the Governor and other senior executives of the Bank. It continued to bring out in both English and Hindi the fortnightly RBI Newsletter for information of members of the staff and the monthly Credit Information Review for use of commercial banks and other credit institutions.

Promotion of Hindi

245. Several new measures were taken during the year towards the promotion of use of Hindi in the Bank's offices| departments. An annual time-bound programme regarding use of Hindi was circulated to the various departments|offices for implementation. Under the programme, emphasis was laid on increasing the originating correspondence in Hindi and considerable progress was achieved in this regard. Circulars, office orders etc. continued to be issued both in Hindi and English. Cards for check list and check points were printed and circulated among the staff to ensure full compliance with requirements.

246. Hindi workshops were conducted and nearly 1,200 employees were imparted training in Hindi noting, drafting and correspondence. "The Reserve Bank Rajbhasha Shield" competition for public sector banks and "Rajbhasha Shield" competition for the offices of the Bank were held during the year in order to encourage progressive use of Hindi in their working. A number of elocution competitions, poets' gatherings, essay competitions and various other Hindi *Samarohs* were organised during the year in various departments|offices of the Bank.

247. The various reports of the Bank as well as Bank's associate institutions continued to be brought out in Hindi also. The statutory Report on Trend and Progress of Banking in India for 1982-83 was brought out for the first time in diglot form in Hindi and English.

Office Premises and Residential Quarters

248. A Five-Year Plan for construction of office buildings and residential quarters covering the period 1983-84 to 1987-88 was drawn up and the same was approved by the Committee of the Central Board in September 1983. The main thrust of the Plan is on providing adequate number of residential quarters for the Bank's staff at all centres. The total number of flats expected to be completed at the end of

the Plan is 2,279 for Officers, 2,319 for Class III staff and 1,553 for Class IV staff. In view of the large investment outlay amounting to Rs. 161.13 crores envisaged over the five year period, three zonal cells of the Premises Department have already been set up at Bombay, Calcutta and Madras and the fourth at New Delhi will be opened shortly.

249. On completion of the construction of the office building at Jaipur, it was occupied in March 1984. The work of the office building at Chandigarh (Phase II) and the additional office buildings at Nagpur and Kanpur is in progress. The piling work of the office building at Bandra-Kurla complex. Bombay is nearing completion.

250. During the year, construction of 1,327 residential flats at 8 centres has been completed. Of these, 345 are for officers, 400 for Class III and 582 for Class IV. In addition, 20 self-contained single rooms were constructed for officers, 10 each in Calcutta and New Delhi.

at different stages of planning. A residential plot of land

251. The total number of flats presently under construction 852 for Class III and 810 for class IV staff. Further, a large number of residential quarters projects at various centres are at different stages of planning a residential plot of land measuring 1,400 sq. metres in Bandra, was purchased from the Bombay Metropolitan Region Development Authority in May 1984.

Housing Loans

252. During the year housing loans were sanctioned as under :

Co-operative Housing Society	No. of Societies	No. of Employee Members	Amount Rs.'000
New co-operative societies	22	417	2,15,20
Additional loans to co-operative societies already formed	17	103	22,20
Total	39	520	2,37,40

Individual Members of Staff	No. of Employees	Amount Rs. '000
New loans	820	3,59,89
Additional loans to employees who had already availed of loans.	63	13,33
Total	883	3,73,22

253. The aggregate of society and individual loans sanctioned since the introduction of the scheme in 1961 amounted to Rs. 15.79 crores and Rs. 20.87 crores, respectively. In all, 8,845 employees have availed themselves of the loan facility.

Central Board

254. Shri R. K. Kaul was appointed as Deputy Governor for a term of three years in the vacancy caused by the retirement of Shri Ramakrishnayya. He assumed charge on October 1, 1983. Dr. K. N. Raj retired as Director of the Central Board on the expiry of his term of appointment on November 29, 1983 and Dr. K. A. Naqvi was appointed as Director in his place. Shri Narasimham ceased to be Government ceased to be Government nominee on the Central Board from July 1, 1983 on his relinquishing the post as Finance Secretary and Shri P.K.Kaul who took over as Finance Secretary was nominated in his place from that date. The Board wishes to place on record its appreciation of the services rendered by the retired Directors.

255. The Board regrets to report the sad demise on April 23, 1984 of Dr. K.A.Naqvi and places on record its contributions to the deliberations of the meetings.

Local Board

256. Shri K.C.Maitra, a member of the Local Board of the Western Area expired on November 24, 1983. The Board regrets to report the sad demise and places on recoard its appreciation of the valuable services rendered by him.

257. Dr.H.B.Shivamaggi relinquished charge as Executive Director on August 31, 1983. Shri C. V. Nair was appointed as Executive Director with effect from March 28, 1984.

Accounts

258. During the accounting year ended June 30, 1984, the Bank's income, after making adjustment for various provisions amounted to Rs. 1129.68 crores as against Rs. 1040.42 crores for the previous year. The details of the income from various sources are given below.

(Rs. crores)

	1983-84	1982-83
1. Interest on Ways & Means Advances to State Governments	71.44	26.07
2. Interest on loans and advances to State Governments (other than on Ways & Means Advances referred to at item 1 above) and commercial and co-operative banks and financial institutions	217.72	128.83
3. Interest and Discount (including foreign securities & Treasury Bills)	1300.39	1146.64
4. Commission and Exchange	41 94	40.73
5. Other Income	1.47	1.34
	1632.96	1343.61
Less : Interest paid to scheduled commercial banks on their additional average balances maintained by them with the Reserve Bank	503.28	303.19
	1129.68	1040.42
Less : Transfer of funds as stated in paragraph 259	670.00	615.00
	459.68	425.42

259. The contributions to the National Rural Credit (Long Term Operations) Fund, National Rural Credit (Stabilisation) Fund and National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund were Rs. 275 crores, Rs. 80 crores and Rs. 315 crores during 1983-84 as against Rs. 225 crores, Rs. 75 crores and Rs. 315 crores, respectively, in 1982-83.

260 . Out of the balance of income amounting to Rs. 459.68 crores, after allowing for the total expenditure of Rs. 249.68 crores during the year (as against the balance of income of Rs. 425.42 crores and expenditure of Rs. 215.42 crores in 1982-83), the surplus profit set aside for payment to the Central Government was Rs. 210.00 crores (same as in the previous year).

261. The rise of Rs. 89.26 crores in the income of the Bank to Rs. 1,129.68 crores was due to higher interest earned on Ways & Means Advances to State governments and on investments in Rupee and Foreign Securities, partly off-set by increase in interest paid to scheduled commercial banks on their additional cash reserves kept with the Bank. The rise of Rs. 34.26 crores in expenditure was mainly due to increase in establishment cost, cost of security printing and turnover commission paid to agency banks for handling Government transactions.

Auditors

262. The accounts of the Bank have been audited by M/s. Batliboi & Purohit, Bombay, M/s. Lovelock & Lewes, Calcutta, M/s. D. Rangaswamy & Co., Madras, M/s. K. C. Khanna & Co., New Delhi, M/s. Dass Gupta & Co., New Delhi and M/s. Ved & Co., Gaziabad. While the first four auditors were reappointed, the last two auditors were appointed for the first time by the Government of India. This year all the offices of the Bank were audited by the external auditors appointed by the Government of India as against eight offices during 1982-83. For the purpose of audit, all the offices of the Bank were divided into six zones and the audit fees paid per zone/per auditor was Rs. 60,000.

RESERVE BANK OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 1984
ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs. P.	Rs. P.	ASSETS	Rs. P.	Rs. P.
Notes held in the Banking Department	5,63,23,572.00		Gold Coin and Bullion :		
			(a) Held in India	225,58,28,485.81	
			(b) Held outside India	—	
Notes in circulation	21776,91,60,554.50		Foreign Securities	1564,05,75,253.50	
Total Notes issued		21782,54,84,126.50	Total		1789,64,03,739.31
			Rupee Coin		16,10,91,167.06
			Government of India Rupee Securities		19976,79,89,220.13
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		—
Total Liabilities		21782,54,84,126.50	Total Assets		21782,54,84,126.50

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs. P.	ASSETS	Rs. P.
Capital Paid up	5,00,00,000.00	Notes	5,63,23,572.00
Reserve Fund	150,00,00,000.00	Rupee Coin	3,30,353.00
National Indusirial Credit (Long Term Operations) Fund	2545,00,00,000.00	Small Coin	1,63,897.40
		Bills Purchased and Discounted :—	
		(a) Internal	—
Deposits :—		(b) External	—
(a) Government	29,19,08,02,336.88	(c) Government Treasury Bills	9374,62,39,191.70
(i) Central Government		Balances held Abroad	3277,95,38,519.45*
(ii) State Governments	13,07,55,456.28	Investments@	4369,15,45,657.57
		Loans and Advances to :—	
(b) Banks		(i) Central Government	—
(i) Scheduled Commercial Banks	8104,86,78,299.28	(ii) State Governments@	460,47,00,000.00
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	141,34,14,266.56	Loans and Advances to :—	
		(i) Scheduled Commercial Banks	1768,66,06,105.87
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	4,71,21,135.00	(ii) State Co-operatire Banks	44,88,60,000.00
(iv) Other Banks	16,25,80,279.50	(iii) NABARD	1039,05,276,000.00
		(iv) Others	166,00,00,000.00
(c) NABARD Deposit		Loans, Advances & Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund :—	
(i) NRC (LTO) Fund	249,58,65,242.03	(a) Loans & Advances to :	
(ii) NRC (Stabilisation) Fund	281,28,55,673.58	(i) Industrial Development Bank of India	2084,78,11,075.00
( ) Others	6423,01,90,647.87	(ii) Export Import Bank of India	125,00,00,000.00
Bills Payable	86,30,48,132.88	(b) Investment in bonds/debentures issued by :	
Other Liabilties	4498,73,43,967.16	(i) Industrial Development Bank of India	—
		(ii) Export Import Bank of India	—
		Other Assets £	2721,99,61,065.03
Total Liabilities	25438,26,55,437.02	Total Assets	25438,26,55,437.02

Contingent liability :
On partly paid Shares
Rs. 7,57,495.42 equivalent of £50,000

* Includes Rs. 870,16,88,177.87 held abroad in foreign currencies.
@ Ways & Means Advances.
£ Includes amounts advanced to or deposited with scheduled commercial banks under special arrangements.

B. RAY
Chief Accountant

Dated the 18th August, 1984

MANMOHAN SINGH Governor
A. GHOSH Deputy Governor
C. RANGARAJAN Deputy Governor
M.V. HATE Deputy Governor
R.K. KAUL Deputy Governor

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1984

INCOME	Rs. P.
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc. —	459,68,22 23.03
	459,68,22,728.03

EXPENDITURE

Establishment	93,33,56,846.98
Directors' & Local Br Members' Fees & Expenses	2,22,702.85
Auditors' Fees	8,43,227.00
Rent Taxes, Insurance, Lighting etc.	4,83,44,920.97
Postage and Telegraph Charges	1,29,43,134.35
Law Charges	6,05,114.98
Remittance of Treasure	1,97,86,226.57
Stationary, etc.	1,40,17,921.72
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.)	43,41,68,205.58
Depreciation and Repairs Bank Property	4,23,54,739.96
Agency Charges	93,92,73,197.30
Contributions to Staff Gratuity and Superannuation Funds	1,60,00,000.00
Miscellaneous Expenses	3,49,06,250.00
Net available balance	210,00,00,239.77
Total	459,68,22,728.03
Surplus payable to the Central Government	210,00,00,239.77

RESERVE FUND ACCOUNT

By Balarce on 30th June, 1984	150,00,00,000.00
By transfer from Profit and Loss Account	Nil
Total	150,00,00,0000

@After making statutory contributions, and the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act, 1934

B. RAY	MANMOHAN SINGH	Governor
Chief Accountant	A GHOSH	Deputy Governer
	C. RANGARAJAN	Deputy Governor
August 18, 1984	M.V. HATE	Deputy Governer
	R.K. KAUL	Deputy Governer

REPORT OF THE AUDITORS

TO THE PRESIDENT OF INDIA

We, the undesigned Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet and Accounts of the Bank as at 30 June, 1984.

We have examined the above Balance Sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thereto of all Offices of the Bank and report that, where we have called for explanations and information from the Central Board, such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion, the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by and in the assets ha' been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed the reunder and is properly drawn up so as to exhibit o true and correct view of the state of the Bank's affairs according to the best of our information and the explanations given to us and as shown by the Books of the Bank.

M/s. BATLIBOI & PUROT
M/s. D. RANGAS & CO.
M/s. LOVELOCK & LEWES
M/s. K.C. KHANNA & CO. Auditor
M/s. VED & CO.
M/s. DASS GUPTA AND CO.

Dated the 18th August 1984

STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET

Particulars	For the year ended June 30, 1982		For the year ended June 30, 1983	
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
ISSUE DEPATMENT				
LIABILITIES				
Notes held in the Banking Department	29,80,93,643.00		23,78,09,256.00	
in circulation	16034,70,25,652.50		18383,22,09,928.50	
Total notes issued		16064,51,19,295.50		18407,00,19,184.50
Total Liabilities		16064,51,19,295.50		18407,00,19,184.50
ASSETS				
Gold Cooin ond Bullion				
(a) Held in India	225,58,28,023.95		225,58,28,275.87	
(b) Held outside India	—		—	
Foreign Securities	1564,05,75,253.50		1564,05,75,253.50	
Rupee Coin	29,96,70,632.13		17,52,34,596.57	
overnment of India Rupee Securities	14244,90,45,385.92		16599,83,81,058.56	
Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper	—		—	
Total Assets		16064,51,19,295.50		18407,00,19,184.50
BANKING DEPARTMENT				
LIABILITIES				
Capital Paid-up	5,00,00,000.00		5,00,00,000.00	
Reserve Fund	150,00,00,000.00		150,00,00,000.00	
National Agricultural Credit (LTO) Fund	1205,00,00,000.00			
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	440,00,00,000.00			
National Industrial Credit (LTO) Fund	1915,00,00,000.00		2230,00,00,000.00	
Deposits				
(a) Government				
(i) Central	152,69,64,302.53		553,40,89,627.05	
(ii) States	247,45,88,183.23		199,64,91,588.21	
(b) Banks				
(i) Scheduled Commercial Banks	5932,14,52,798.59		6623,69,58,507.04	
(ii) Scheduled State Co-op. Banks	99,79,88,837.59		140,85,24,067.51	
(iii) Non-Scheduled State Co-op. Banks	3,66,14,617.53		4,77,83,457.62	
(iv) Other Banks	8,44,49,052.84		15,06,54,857.42	
(c) NABARD Deposit				
(i) NRC (LTO) Fund			349,58,65,242.03	
(ii) NRC (Stabilisation) Fund			281,28,55,673.58	
(d) Others	2542,94,67,026.11		4857,21,51,997.2	
Bills Payable	82,94,97,597.15		96,09,58,888.52	
Other Liabilities (a)	2802,41,88,950.07		3483,55,45,032.61	
Total Liabilities		15587,52,11,365,64		18990,18,78,938.86

(a)Includes Contingency Accounts.

STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET (Concluded)

Particulars	For the year ended			
	June 30, 1982		June 30, 1983	
	Rs. p.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
ASSETS				
Notes	29,80,93,643.00		23,78,09,256.00	
Rupee Coin	3,36,507.00		3,65,669.00	
Small Coin	6,39,904.87		5,91,155.10	
Bills Purchased and Discounted				
(a) Internal	—		—	
(b) External	—		—	
(c) Government Treasury Bills	6701,75,54,790.65		7041,89,22,878.10	
Balances held abroad	1364,39,68,647.46 (b)		2760,67,12,211.97	
Investments	2335,47,60,580.05 (cd)		2989,23,76,625.17 (e)	
Loans and Advances to				
(i) Central Government	—		—	
(ii) State Governments	—		213,19,00,000.00 (f)	
(iii) Scheduled Commercial Banks	567,96,94,312.37 (g)		544,83,52,047.14	
(iv) State Co-operative Banks	630,52,90,500.00 (h)		51,05,64,500.00	
(v) NABARD	—		904,10,40,000.00	
(vi) Others	6,22,19,000.00		11,75,59,586.00	
Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund				
(a) Loans and Advances to:				
(i) State Governments	125,23,37,960.00			
(ii) State Co-operative Banks	32,94,82,516.00			
(iii) Central Land Mortgage Banks	—			
(iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	513,93,30,000.00			
(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	3,50,17,695.00			
Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilization) Fund to State Co-operative Banks	84,46,19,803.00			
Loans, Advances and Investment from NIC (LTO) Fund:				
(a) Loans and Advances to the				
(i) Industrial Development Bank of India	1610,59,88,575.00 (i)		1827,73,98,575.00	
(ii) Export Import Bank of India				
(b) Investment in Bonds/Debentures issued by: IDBI/EXIM Bank	—		70,00,00,000.00	
Other Assets	1580,58,76,931.24 (j)		2551,82,86,435.38 (k)	
Total Assets		15587,52,11,365.64		18990,18,78,938.86

Note : June 30, 1982 — Contingent liability on partly paid shares Rs. 8,25,000.83 equivalent of £ 50,000.
June 30, 1983 — Contingent liability on partly paid shares Rs. 7,72,499.03 equivalent of £ 50,000.

(b) Includes cash, fixed deposit and short-term securities.

(c) Excluding investment from National Agricultural Credit (LTO) Fund and the National Industrial Credit (LTO) Fund.

(d) Includes Rs. 345,73,03,767.85 held abroad in foreign currencies.

(e) Includes Rs. 480,45,11,934.37 held abroad in foreign currencies.

(f) Includes ways and means advances.

(g) Includes Rs. Nil advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Sec. 17(4) (c) of Reserves Bank of India Act.

(h) Excluding Loans and Advances, from the National Agricultural Credit (LTO) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

(i) Includes Rs. 25,00,00,000.00 Loans and Advances to Exim Bank.

(j) Includes an amount of Rs. 1056,41,50,000.00 advanced to or deposited with Scheduled Commercial Banks under special arrangements.

(k) Includes an amount of Rs. 1885,19,90,000.00 advanced to or deposited with Scheduled Commercial Banks under special arrangements.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1982 AND 1983

	1982	1983
INCOME	Rs. P.	Rs. P.
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc.$	4176,16,023.68	425,41,84,605.11
	411,76,16,023.68	425,41,84,605.11
EXPENDITURE		
Establishment	76,21,37,205.92	79,53,86,973.96
Directors' and Local Board Members' Fees and Expenses	2,04,826.12	2,16,293.85
Auditors' Fees	1,20,000.00	1,20,000.00
Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.	3,30,23,722.47	4,32,03,931.97
Law Charges	8,35,249.32	10,51,089.15
Postage and Telegraph Charges	36,16,506.63	41,54,009.81
Remittance of Treasure	1,68,67,824.29	1,76,66,753.46
Stationery, etc	1,15,08,627.55	1,23,41,143.02
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.)	41,57,76,745.55	35,93,68,425.58
Depreciation and Repairs to Bank Property	2,42,64,795.13	3,51,78,963.81
Agency Charges	70,16,50,118.42	82,27,61,920.37
Contributions to Staff Gratuity and Superannuation Funds	1,35,00,000.00	1,35,00,000.00
Miscellaneous Expenses	3,41,09,689.39	4,92,34,166.55
Net Available Balance	210,00,00,712.89	210,00,00,933.58
TOTAL	411,76,16,023.68	425,41,84,605.11
Surplus Payable to Central Government	210,00,00,712.89	210,00,00,933.58

RESERVE FUND ACCOUNT

By Balance on 30th June	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00
By Transfer from Profit and Loss Account	NIL	NIL
TOTAL	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00

$After making the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act.

[No. F. 12/88/84-B.O. I]
C.W. MIRCHANDANI, Director.

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1984

का०आ० 4482 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के उपखण्ड (छ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे की सारणी के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों को उनमें से प्रत्येक के सामने उसी सारणी के कालम (3) में उल्लिखित व्यक्तियों के स्थान पर सारणी के कालम (1) में दिये गये राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है :—

सारणी

1	2	3	4
1.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	श्री के पी आर नायर, संयुक्त मुख्य अधिकारी, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मद्रास-600001.	श्री वी. एम. सुन्दर राज
2.	इंडियन ओवरसीज बैंक	श्री एस पी गोटास्कर, सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवाएं विभाग, वर्ली, बम्बई-400018.	श्री के एम. हनीफ

[संख्या एफ० 9/23/84—बी० ओ०]
च०आ० मीरचन्दानी, निदेशक

New Delhi, the 10th December, 1984

S.O. 4482:—In pursuance of sub-clause (g) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints the persons specified in column (2) of the Table below as Directors of the nationalised banks specified in column (1) thereof in place of the persons specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:

TABLE

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	United Bank of India	Shri K.P.R. Nayar, Joint Chief Officer, Department of Banking Operations & Development, Reserve Bank of India, Madras-600001.	Shri V.M. Sunder Raj
2.	Indian Overseas Bank	Shri S.P. Gothoskar, Adviser, Reserve Bank of India, Department of Statistical Analysis & Computer Services, Worli, Bombay-400018.	Shri K.M. Hanifa

[No. F. 9/23/84—BO. I]
C. W. MIRCHANDANI, Director

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1984

आदेश

का० आ० 4483.—डा० शारदा जैन दिल्ली—54 को आवेदक की विदेश में विदेशी मुद्रा की बचत के मद्दे अमरीका से 83,400 रु० (8556 यू एस डालर) मूल्य की पूंजीगत माल मशीनरी आयात करने के लिए आयात लाइसेंस सं पी/सीजी/2086102 दिनांक 24-12-82 दिया गया था।

2. पार्टी ने आयात लाइसेंस की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल आयात लाइसेंस सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत करवाए बिना खो गया है। उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है। कुल राशि जिसके लिए अनुलिपि प्रति अपेक्षित है वह 83,400 रु० की कुल धनराशि है पार्टी यह स्वीकार करती है और वचन देती है कि मूल लाइसेंस यदि बाद में मिल जाता है तो इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए वापिस कर दिया जाएगा।

3. अपने तर्क के समर्थन में पार्टी ने अप्रैल-मार्च 85 को आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक के अध्याय 15 के पैरा 353 द्वारा वांछित शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधो-हस्ताक्षरी संतुष्ट है कि मूल आयात लाइसेंस सं पी/सीजी/2086102 दिनांक 24-12-82 खो गया है और निदेश देता है कि पार्टी को आयात लाइसेंस (सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति) की अनुलिपि प्रति जारी की जाए। मूल आयात लाइसेंस रद्द किया गया है।

4. आयात लाइसेंस (सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति) की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[फाइल सं० 1436/82/48/आई.एन.एम.ए./सीजी 4]
पाल बेक, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

New Delhi, the 10th December, 1984

ORDER

S.O. 4483.—Dr. Sharda Jain Delhi-54 was granted an Import Licence No. P/CG/2086102 dt. 24-12-82 for import of capital goods machinery for Rs. 83,400 (Us $ 8556) from U.S.A. against applicants foreign exchange savings abroad.

2. The party has now requested for the issue of duplicate copy of import licence on the ground that the original import licence has been lost before having been registered with customs authorities and not utilized at all. The total amount for which the duplicate copy of import licence is now required is to cover the entire value of Rs. 83,400. The party agrees and undertakes to return the original licence if traced to this office for record.

3. In support of their contention the party has filed an affidavit as required in Para 353 of Chapter XV of Hand Book of Import Export Procedures AM 85. The undersigned is satisfied that the original import licence No. P/CG/2086102 dt. 24-12-82 has been lost and directs that duplicate copy of import licence (custom perpose copy) may be issued to the party. The original import licence has been cancelled.

4. The duplicate Copy of Import licence (customs purpose copy) is being issued separately.

[F. No. 1436/82/48/INSA/CGIV]
PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports and Exports.
for Chief Controller of Imports & Exports

आदेश

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1984

का० आ० 4484:—श्री बी० के० पोद्दार, हांगकांग हाऊस, 31 डलहोजी स्क्वैयर (एस) कलकत्ता-700001 को मुक्त विदेशी मुद्रा के अधीन कोर्ड स्ट्रेपिंग एवं प्लास्टिक स्ट्रेपिंग के विनिर्माण के लिए पूंजीगत माल के आयात के लिए 18,73,300, (अट्ठारह लाख तिहत्तर हजार और तीन सौ रुपए मात्र) (यू एस डालर-1,77,020) की एक आयात लाइसेंस सं पी/सीजी/2095145/सी/एक्स एक्स/90/एच/सीजी-3 एम एस दिनांक 2-3-84 दिया गया था। फर्म ने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल प्रति (दोनों प्रतियां) खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि लाइसेंस किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया था और उसका बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया था। कुल धनराशि जिसके लिए अब अनुलिपि प्रति की आवश्यकता है वह सम्पूर्ण धनराशि अर्थात् 18,73,300 रुपए (यू एस डालर 177,020) को पूरा करने के लिए है।

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी पब्लिक, कलकत्ता के सम्मुख विधिवत् स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं, तदनुसार, संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस (दोनों प्रतियां) सं पी/सीजी/2095145 दिनांक 2-3-84 फर्म द्वारा खो गया है/अस्थानस्थ हो गया है। यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप धारा 9 (सी सी) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी० के० पोद्दार, कलकत्ता के नाम में जारी किए गए उक्त मूल लाइसेंस (दोनों प्रतियां) सं पी/सीजी/2095145 दिनांक 2-3-84 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. पार्टी को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति (दोनों प्रतियां) अलग से जारी की जा रही है।

[मि० सं० सीजी-3/1503/82/21]

एम० एल० भार्गव, उप मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

New Delhi, the 11th December, 1984

ORDER

S.O. 4484.—Shri B. K. Poddar, Hongkong House, 31, Dalhousie Square (S), Calcutta-700001 was granted an import licence No. P/CG/2095145/C|XX|90|H|82|CG. III M. S. dated 2-3-84 for Rs. 18,73,300 (Rupees eighteen lakh, seventy three thousand and three hundred only) (Us $177,020) for the import of capital goods for the manufacture of Cord Strapping and Plastic Strapping under free foreign exchange. The firm has applied for issue of duplicate copies Customs Purpose copy and Exchange Control copy of the above mentioned licence on the ground that the original copy (both copies) of the licence have been lost/misplaced. It has further been stated the licence has not been registered with any customs authorities and not utilised at all. The total amount for which the duplicate copy now required is to cover the entire amount of Rs. 18,73,300 (US $ 177,020).

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public, Calcutta. I am accordingly satisfied that the original licence (Both copies) No. P/CG/2095145 dated 2-3-84 has been lost/misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(CC) of the Import (Control) order, 1955 dated 7-12-55 amended, the said original licence (both copies) No. P/CG/2095145 dated 2-3-84 issued in favour of Shri B. K. Poddar, Calcutta is hereby cancelled.

3. Duplicate (both copies) of the said licence are being issued to the party separately.

[P. No. CG. III/1503/82/21]

M. L. BHARGAVA, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्तालय)

इन्दौर, 11 दिसम्बर, 1984

अधिसूचना संख्या 11/84

का०आ० 4585.—सर्वश्री एन० डी० चांदवानी तथा बी० पी० रिजवानी, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "ख" वार्धक्य आयु होने पर, 31 अक्तूबर, 1984 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए।

[प०सं० II (3) 5-गोप/84/5568]

शिवन के० धर, समाहर्ता

(Central Excise Collectorate)

Indore, the 11th December, 1984

NOTIFICATION NO. 11/84

S.O. 4585.—S/Shri N. D. Chandwani and B. P. Rijwani Superintendent of Central Excise, Group 'B' having attained the age of superannuation retired from Government service on the afternoon of Thirtyfirst October, 1984.

[C. No. II(3)5-Con/84/5568]

S. K. DHAR, Collector.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1984

का. आ. 4486.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना संख्या 1362 तारीख 3 अप्रैल, 1982 द्वारा, उससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 355.00 एकड़ (लगभग) या 143.66 हेक्टर (लगभग) माप की भूमि की बाबत कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और उक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, धारा 7 की उक्त उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 अप्रैल, 1984 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उस भूमि या उसमें अथवा उस पर किन्हीं अधिकारों को अर्जित करने की सूचना दे सकेगी।

अनुसूची

माकोली ब्लाक 1 और 2

पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र

जिला गिरीडीह (बिहार)

ड्राइंग सं. राजस्व/97/81 तारीख 26-11-1981

(जिसमें पूर्वेक्षण करने के लिए अधिसूचित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है)।

ब्लाक - 1

क्रम सं.	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	माकोली	नवडीह (बेरमो)	69	गिरिडीह	270.00	भाग

कुल क्षेत्र : 270.00 एकड़ (लगभग)
या 109.00 हेक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन :

क—ख रेखा माकोली ग्राम से होकर जाती है (जो नई चुनी गई धोरी कोयला खान की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख—ग रेखा दामोदर नदी के भागतः बाएं किनारे के साथ-साथ जाती है (जो नई चुनी गई धोरी कोयला खान की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग—घ—ङ—क रेखाएं माकोली ग्राम से होकर जाती हैं (जो नई चुनी गई धोरी कोयला खान की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

ब्लाक -2

क्रम सं.	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	माकोली	नवडीह (बेरमो)	69	गिरिडीह	85.00	भाग

कुल क्षेत्र : 85.00 एकड़ (लगभग)
या 34.40 हेक्टर (लगभग)

च—छ रेखा माकोली ग्राम से होकर जाती है (जो नई चुनी गई धोरी कोयला खान की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "छ" पर मिलती है।

छ—ज रेखा माकोली ग्राम से होकर जाती है (जो नई चुनी गई धोरी कोयला खान की भागतः सीमा बनाती है) और बिन्दु "ज" पर मिलती है।

ज—झ—ञ—च रेखाएं माकोली ग्राम से होकर जाती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन अर्जित गुंजारडीह ब्लाक की भागतः सीमा बनाती है) और बिन्दु "च" पर मिलती है।

[सं. 19/62/83-सी एल/सी ए]

समय सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY
(Department of Coal)

New Delhi, the 15th November, 1984

S.O. 4486.—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 1362 dated the 3rd April, 1982, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intension to prospect for coal in lands measuring 355.00 acres (approximately) or 143.66 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended hereto;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7, of the said Act has been given.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section 7, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 3rd April, 1984, as the period within which the Central Government may give notice of its intenti n to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

SCHEDULE

Makoli Block I & II — Drg. No. Rev/97/81
East Bokaro Coalfield — Dated 26-11-81
Distt. Giridih (Bihar) — (showing lands to be notified for prospecting)

Block -I

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area	Remarks
1.	Makoli	Nawadih (Bermo)	69	Giridih	270.00	Part

Total Area : 270.00 acreas (approximately)
or 109.26 hectares (approximately)

Boundary description :—

A-B line passes through village Makoli (which forms part common boundary of New Selected Dhori Colliery) and meets at ploint 'B'.

B-C line passes along the part left bank of River Damodar (which forms part common boundary of New Selected Dhori Colliery) and meets at point 'C'.

C-D-E-A lines pass through village Makoli (which forms part common boundary of New Selected Dhori Colliery) and meets at starting point 'A'.

Block-II

Sl No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks.
1.	Makoli	Nawadih (Bermo)	69	Giridih	85.00	part

Total area or 85.00 acres (approximately) 34.40 hectares (approximately)

F-G line passes through village Makoli (which forms part common boundary of New Selected Dhori Colliery) and meets at point 'G'.

G-H line passes through village Makoli (which forms part common boundary of Select Dhori Colliery) and meets at point 'H'.

H-I-J-F lines pass through village Makoli (which forms part common boundary of Gunjardih Block acquired u/s 9 (1) of the Coal Act) and meets at starting point 'F'.

[No. 19/62/83-CL/CA]

SAMAY SINGH, Under Secy.

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1984

का. आ. 4487—: सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 613 दिनांक 29 जनवरी, 1977 के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित इंडियन आयल कारपोरेशन लि. के अधिकारियों को, जो कि सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के रैंक के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो

उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों के संबंध में, जो कि उनकी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर हो, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।

क्रम सं.	इंडियन आयल कारपोरेशन लि. के अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1.	इंडियन आयल कारपोरेशन लि. के बम्बई स्थित मुख्यालय में प्रबन्धक (विधि), उप प्रबन्धक (विधि), सहायक प्रबन्धक (विधि), वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि अधिकारी तथा सहायक विधि अधिकारी	इंडियन आयल कारपोरेशन लि. के बम्बई स्थित मुख्यालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत में सभी स्थान
2	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रबन्धक (विधि), उप-प्रबन्धक (विधि) सहायक प्रबन्धक (विधि), वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि अधिकारी तथा सहायक विधि अधिकारी	इंडियन आयल कारपोरेशन लि. के बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास स्थित संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान
3	प्रबन्धक (सम्पदा तथा विधि) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (असम तेल प्रभाग) दिग्बोई	इंडियन आयल कारपोरेशन लि. के असम तेल प्रभाग, दिग्बोई के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान

[सं. पी. -29022/33/83-आई. ओ. सी.]
एन. के. साहा, अवर सचिव

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 3rd December, 1984

S.O. 4487—In exercise of the powers conferrd by section 3 of the Public Premiss (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Petroleum No S.O. 613, dated the 29th January, 1977, the Central Government hereby appoints the Officers of the Indian Oil Corporation Limited mentioned in Column (2) of the Table below, being officers acquivalent to the rank of Gazetted Officers of the Government of India, to be Estate Officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the dutiesImposesd, on Estat Officert by or under the said Act within the local limit of their respective jurisdictions in respect of th categories of Public Premises specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

Sr. No.	Designation of the officer of Indian Oil Corporation Limited.	Categories of publi premises and the local limits of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Manager (Law), Deputy Manager (Law), Assistant Manager (Law) Senior Law Officers, Law Officers and A s'stant Law Officers, in the Head Office at Bombay of the India Oil Corpporation Limited.	Premises in the whole of India under the admitistrative control of the Indian Oil Corporation Limited Head Office at Bombay.
2.	Manager (Law), Deputy Manager (Law), Assistant Manager (Law), Senior Law Officers, Law Offices and Assittant Law Officers in the Regional Offices of the Indian Oil Corporation Limited at Bombay, Delhi. Calcutta and Madras.	Premises under the administrative control of the respective Regional Offices of the Indian Oil Corporation at Bombay, Delhi, Calctta and Madras
3.	Manager (Estate and Law) Indian Oil Corporation (Assam Oil Division) Digboi.	Premiss under the administrative control of the Assam Oil Division of the Indian Oil Corporation Limited, Digboll.

[No. P-29022/33/83-IC]
N.K. SAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1984

का. आ. सं. 4488.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।
राज्य:— गुजरात जिला:— पंचमहल तालुका:— लीमखड़ा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टयर	आर.	सेन्टीयर
घुटीया	29	0	13	00
	30	0	48	00
	38/पी	1	92	00

[सं. O-14016/376/84-जी. पी.]

New Delhi, the 10th December, 1984

S.O. 4488.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur
State : Gujarat Distt. : Panchamahal Taluka: Limkheda

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Ghutiya	29	0	13	00
	30	0	48	00
	38/P	1	92	00

[No. 14016/376/84-GP]

का. आ. सं. 4489.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला : पंचमहाल तालुका : देवगढ़ बारीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेंटीयर
देवगढ़	443	0	26	40
	442/1	0	39	00
	445	0	39	00

[सं. O-14016/377/84-जी. पी.]

S.O. 4489.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur
State: Gujarat District: Panchmahal Taluka: Devgadh Baria

Village	Survey No.	Hectare	Are	Cent are
Devgadh	443	0	26	40
	442/1	0	39	00
	445	0	39	00

[No. O-14016/377/84]

का. आ. सं. 4490.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।
राज्य : गुजरात जिला-एवं-तालुका : भरुच

गांव	सर्वे न.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
जावेश्वर	234/2	0	02	72
	237/3	0	28	00
	237/5	0	04	96
	237/2	0	12	00
	237/1	0	20	00

1	2	3	4	5
	238/6	0	27	20
	238/4	0	04	48
	कार्ट ट्रेक	0	01	92
	173/4	0	03	20
	173/5	0	16	80
	173/2	0	29	60
	173/1	0	04	00
	174/4	0	16	80
	174/3	0	25	60
	174/5	0	07	50
	170/4	0	05	60
	170/2+1	0	22	40
	169/5 ए	0	00	60
	169/5/बी	0	13	08
	169/6/बी	0	20	32
	169/7	0	25	44
	175/1	0	07	52
	168/3+4+5	0	04	80
	168/1	0	09	12
	167/1	0	03	00
	कार्ट ट्रक	0	07	00
	261/1	0	03	40
	261/2	0	10	60
	260	0	08	00
	259	0	15	20
	166/4	0	01	60
	166/7	0	16	00
	166/6	0	13	60
	291	0	26	38
	263/5	0	12	00
	263/6	0	01	76
	262/1	0	01	90
	262/4	0	07	20
	262/2	0	38	00
	262/3	0	20	00
	265/1	0	07	20
	265/2	0	08	00
	265/3	0	14	40
	265/4	5	15	20
	283/4	0	00	32
	282	0	00	55

[सं. O-14016/378/84-जी० पी०]

S.O. 4490.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenaince Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Taluka : Bharuch

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Zadeshwar	234/2	0	02	72
	237/2	0	28	00
	237/5	0	04	96
	237/2	0	12	00
	237/1	0	20	00
	238/6	0	27	20
	238/4	0	04	48
	Cart track	0	01	92
	173/4	0	03	20
	173/5	0	16	80
	173/2	0	29	60
	173/1	0	04	00
	174/4	0	16	00
	174/3	0	25	60
	174/5	0	07	50
	170/4	0	05	60
	170/2+1	0	22	40
	169/5/A	0	00	60
	169/5/B	0	13	08
	169/6/B	0	20	32
	169/7	0	25	44
	175/1	0	07	52
	168/3+4+5	0	04	80
	168/1	0	09	12
	167/1	0	03	00
	Cart Track	0	07	00
	261/	0	03	00
	261/2	0	10	60
	260	0	08	00
	259	0	15	20
	166/4	0	01	60
	166/7	0	16	00
	166/6	0	13	60
	291	0	26	38
	263/5	0	12	00
	263/6	0	01	76
	262/1	0	01	90
	262/4	0	07	20
	262/2	0	38	00
	262/3	0	20	00
	265/1	0	07	20
	265/2	0	08	00
	265/3	0	14	40
	265/4	0	15	40
	283/4	0	00	32
	282	0	00	55

[No. O-14016/378/84-GP]

का. आ. सं. 4491.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा बरेली से जदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।
राज्य—गुजरात जिला—पंचमहाल तालुका—हालोल

गाव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
हालोल	661	0	10	00
	662	0	10	00
	603	0	01	00
	413	0	38	00
	412	0	37	00
	411	0	04	80
	410/2	0	36	30
	कार्ट ट्रेक	0	16	50
	443	0	27	00
	444	0	20	00
	445	0	10	00
	518	0	26	00
	519	0	46	00
	कार्ट ट्रेक	0	12	60
	532	0	11	00
	510	0	09	00
	531	0	03	00
	565	0	22	00
	712	0	12	00
	714–715	0	76	80

[सं. O-14016/379/84-जी पी]

S.O. 4491.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers confered by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, construction & maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira to Bareilly to Jagdishpur
State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Hallol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1 2	3	4	5	6
Halol	661	0	10	00
	662	0	10	00
	603	0	01	00
	413	0	38	00
	412	0	37	00
	411	0	04	80
	410/2	0	36	30
	Kotar	0	16	00
	443	0	27	00
	444	0	20	00
	445	0	10	00
	518	0	26	00
	519	0	46	00
	Kotar	0	12	60
	532	0	11	00
	510	0	09	00
	531	0	03	00
	565	0	22	00
	712	0	12	00
	714+715	0	76	80

[No. O-14016/379/84-GP

का. आ. 4492.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा–बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावेरे रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : खुरचन्या चद्रभान तहसील : महिदपुर जिला:उज्जैन, राज्य : (मध्य-प्रदेश)

अनु क्र. 1	खसरा नं. 1	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	265/1	0.271
2.	265/2	0.312
3.	267	0.016
4.	268/1	0.739
कुल योग क्षेत्रफल		1.338

[सं. O-14016/380/84-जी पी]

S.O. 4492.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipeline, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village:Khurchanya Chandra Bhan Tehsil: Mahidpur Distt.: Ujja

Sl. No.	Survey No.	Aerea to be acquired For R.O.U. in hectar
1.	265/1	0.271
2.	265/2	0.312
3.	267	0.016
4.	268/1	0.739
Total Area		1.338

[No. O-140/6/380/84-G]

का. आ. सं. 4493.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रुप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा - बरेली - जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए ।

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहल तालुका—लीमखेडा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
खेरीया	92/पी	1	52	49
	154/पी	0	36	00
	151	0	43	51
	150	0	49	57

[सं. O-14016/381/84-जी पी]

S.O. 4493.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipelne from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District Panchamahal Taluka Limkheda

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kheria	92/P	1	52	49
	154/P	0	36	00
	151	0	43	51
	150	0	49	57

[No. O-14016/381/84-GP]

का. आ. 4494 .—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा बरेली-से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : मालीखेड़ी तहसील : महिदपुर जिला-उज्जैन राज्य : (मध्य प्रदेश)

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	288	0.447
2.	296	0.125
3.	297	0.316
4.	298/2	0.089
5.	303/1	0.008
6.	302/1	0.129
	302/2	—
7.	301	0.210
8.	305/1/2	0.049
9.	305/3	0.227
10.	328/1	0.040
11.	330/1	0.008
12.	331/1	0.129
13.	331/2	0.121
14.	327/3	0.004
15.	331/3	0.113
16.	326/4	0.405
17.	327/4	0.324
18.	331/4	0.065
19.	324/2	0.405
20.	341/1	0.425
21.	341/2	0.219
22.	323	0.235
23.	347/1	0.437
24.	343	0.016
25.	346	0.028
कुल योग क्षेत्रफल		4.574

[सं. O-14016/383/84-जी पी]

S.O. 4494.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleums from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83, Subhash Nagar, Sanveer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village: Malikhedi Tehsil: Mahidpur Dist.: Ujjain

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	298	0.447
2.	296	0.125
3.	297	0.316
4.	298/2	0.089
5.	303/1	0.008
6.	302/1	0.129
	302/2	—
7.	301	0.210
8.	305/1/2	0.049
9.	305/3	0.227
10.	318/1	0.040
11.	330/1	0.008
12.	331/1	0.129
13.	331/2	0.121
14.	327/3	0.004
15.	331/3	0.113
16.	326/4	0.405
17.	327/4	0.324
18.	331/4	0.065
19.	324/2	0.405
20.	341/1	0.425
21.	341/2	0.219
22.	323	0.235
23.	347/1	0.437
24.	343	0.016
25.	346	0.028
	Total Area	4.574

[No. O-14016/383/84-GP]

का. आ. 4495.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम ताजपुर तहसील महिदपुर जिला-उज्जैन राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	211	0.162
2.	212	0.656
3.	221	0.008
4.	222/1	0.057
5.	223/1	0.170
	223/3	—
6.	223/2	0.380
	223/4	—
7.	225/2	0.437
	225/3	—
8.	250	0.243
9.	251	0.154
10.	252	0.089
11.	254	0.384
12.	209	0.004
13.	246/2	0.287
14.	255/2	0.036
15.	248	0.061
16.	258	0.020
	कुल योग क्षेत्रफल	3.148

[सं. O-14016/384/84-जी पी]

S.O. 4495.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipeline HBJ gas pipeline, 83 Subhash Nagar, Saver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Village : Tajpur Tehsil: Mahidpur Distt.: Ujjain

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	211	0.162
2.	212	0.656
3.	221	0.008
4.	222/1	0.057
5.	223/1	0.170
	223/3	—
6.	223/2	0.380
	223/4	—
7.	225/2	0.437
	225/3	—
8.	250	0.243
9.	251	0.154
10.	252	0.089
11.	254	0.384
12.	209	0.004
13.	246/2	0.287
14.	255/2	0.036
15.	248	0.061
16.	258	0.020
	Total Area	3.148

[No. O-14016/384/84-GP]

का. आ. 4496—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम :—बेलाखेड़ा तहसील :—महिदपुर जिला :—उज्जैन राज्य—मध्यप्रदेश

अनुक्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1.	79	0.020
2.	84	0.020
3.	83	0.344
4.	82	0.040
5.	85	0.202
6.	86	0.162
7.	72	0.283
8.	87/1	0.020
9.	74	0.283
10.	73	0.202
11.	71	0.275
12.	90	0.028
13.	91	0.214
14.	92	0.020
15.	70	0.016
16.	96	0.348
17.	95	0.085
18.	103	0.283
19.	107/2	0.032
20.	108/5	0.214
21.	108/6	0.194
22.	108/4	0.202
23.	108/3	0.352
24.	107/3	0.024
25.	115/1	0.138
26.	116	0.263
27.	168/1	0.243
28.	167/4	0.202
29.	167/5	0.243
30.	165	0.081
31.	190	0.332
32.	167/1/1	0.365
33.	167/1/1/2	0.059
34.	175	0.020
35.	176	0.028
36.	177	0.170
37.	178	0.020
38.	179	0.344
39.	164	0.020
40.	189	0.251
41.	191	0.024
42.	192	0.458
43.	197	0.016
44.	102/2	0.004
45.	166	0.030
योग कुल क्षेत्रफल		7.164

[सं० O-14016/385/84-जी०पी०]

S.O. 4496.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village: Belakheda Tehsil: Mahidpur Distt.: Ujjain

S. No.	Survey No	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	79	0.020
2.	84	0.020
3.	83	0.344
4.	82	0.040
5.	85	0.202
6.	86	0.162
7.	72	0.283
8.	87/1	0.020
9.	74	0.283
10.	73	0.202
11.	71	0.275
12.	90	0.028
13.	91	0.214
14.	92	0.020
15.	70	0.016
16.	96	0.348
17.	95	0.085
18.	103	0.283
19.	107/2	0.032
20.	108/5	0.214
21.	108/6	0.194
22.	108/4	0.202
23.	108/3	0.352
24.	107/3	0.024

1	2	3
25.	115/1	0.138
26.	116	0.263
27.	168/1	0.243
28.	167/4	0.202
29.	167/5	0.243
30.	165	0.081
31.	190	0.332
32.	167/1/1	0.365
33.	167/1/1/2	0.059
34.	175	0.020
35.	176	0.028
36.	177	0.170
37.	178	0.020
38.	179	0.344
39.	164	0.020
40.	189	0.251
41.	191	0.024
42.	192	0.458
43.	197	0.016
44.	102/2	0.004
45.	166	0.020
	Total Area	7.164

[No O-14016/385/84-GP]

का. आ. 4497.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावेर रोड, उज्जैन (म. प्र) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रुप मे हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम: कमानपुर तहसील: बड़नगर जिला: उज्जैन राज्य: (मध्य प्रदेश)

अनु. क्रम.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	65	0.010
2.	92	0.167
3.	152	0.105
4.	179	0.094
5.	181	0.031
6.	26/1	0.752
7.	57/1	0.010
8.	58	—
9.	59	0.543
10.	150	0.042
11.	151	0.261
12.	60	0.177
13.	61	0.063
14.	64	0.553
15.	66	0.020
16.	67	0.052
17.	62	0.052
18.	63/1 मी.	0.042
19.	68	0.157
20	70/1	0.167
21.	79	0.115
22.	81	0.418
23.	84	0.063
24.	83	0.679
25.	91	0.334
26.	93/1	0.063
27.	98/2	0.219
28.	99	0.376
29.	143/1	0.105
30.	70/2	0.010
31.	148	0.181
32.	182	0.376
33.	180/1 मी.	0.491
34	180/1 मी.	0.315
35.	180/2 मी.	0.240
36.	180/2 मी	0.073
37.	271	0.072
	कुल योग क्षेत्रफल :	7.728

[सं. O-14016/386/84-जी. पी.]

S.O. 4497.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira Bareily to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Kamanpur Tehsil Badnagar Dist. Ujjain

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for T.O.U. in Hectare
1.	65	0.010
2.	92	0.167
3.	152	0.105
4.	179	0.094
5.	181	0.031
6.	26/1	0.752
7.	57/1	0.010
8.	58	—
9.	59	0.543
10.	150	0.042
11.	151	0.261
12.	60	0.177
13.	61	0.063
14.	64	0.553
15.	66	0.020
16.	67	0.052
17.	62	0.052
18.	63/1 M.	0.042
19.	68	0.175
20.	70/1	0.167
21.	79	0.115
22.	81	0.418
23.	84	0.063
24.	83	0.679
25.	91	0.334
26.	93/1	0.063
27.	98/2	0.219
28.	99	0.376
29.	143/1	0.105
30.	70/2	0.010
31.	148	0.481
32.	182	0.376
33.	180/1M.	0.491
34.	180/1 M.	0.315
35.	180/2 M.	0.240
36.	180/2M	0.073
37.	271	0.072
	Total Area	7.728

[No. O-14016/386/84-GP]

का. आ. 4498.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है ।

यशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर मालेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम जगोटी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	1380	0.042
2.	1368	0.042
3.	1381	0.162
4.	1382	0.174
5.	1383	0.049
6.	1386/1	0.065
7.	1386/1405/2	0.040
8.	1386/1405/1	0.105
9.	1389	0.016
10.	1390	0.210
11.	1391	0.050
12.	1394	0.486
13.	1367	0.160
14.	1370/2	0.226
15.	1371	0.176
16.	1370/1	0.250
17.	1369	0.050
18.	1324	0.135
19.	1344/1/2	0.461
20.	1346	0.060
21.	1347	0.466
22.	1339/2	0.024
23.	1340	0.316
24.	1348	0.162
25.	1339/1	0.283
26.	1378/3	0.020
27.	1341	0.020
28.	1338	0.020
	योग कुल क्षेत्रफल .—	4.275

[सं० O-14016/387/84-जी. पी.]

S.O. 4498.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hujira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Jagoti Tehsil Mahidpur Distt. Ujjain

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	1380	0.042
2.	1368	0.042
3.	1381	0.162
4.	1382	0.174
5.	1383	0.049
6.	1386/1	0.065
7.	1386/1405/2	0.040
8.	1386/1405/1	0.051
9.	1389	0.016
10.	1390	0.210
11.	1391	0.050
12.	1394	0.486
13.	1367	0.160
14.	1370/2	0.226
15.	1371	0.176
16.	1370/1	0.250
17.	1369	0.050
18.	1324	0.135
19.	1344/1/2	0.466
20.	1346	0.060
21.	1347	0.466
22.	1339/2	0.024
23.	1340	0.316
24.	1348	0.162
25.	1339/1	0.283
26.	1378/3	0.020
27.	1341	0.020
28.	1338	0.020
	Total Area	4.275

[No. O-14016/387/84-GP]

का० आ० 4499—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एच बी जे पाइप, लाइन 83 सुभाष नगर, सावेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम पलवा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु. क्र. 1 खसरा नं. 1

		उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	625	0.040
2.	626	0.320
3.	627/1	0.105
4.	628/1	0.995
5.	540/2	0.040
6.	703	0.615
7.	710	0.162
8.	629	0.583
9.	638/2/1	0.020
10.	638/2/2	0.061
11.	723/2	0.291
12.	722/2	0.012
13.	723/1	0.004
14.	721/2	0.251
15.	717	0.129
16.	713/2	0.324
17.	775/1/2	0.263
18.	721/1	0.194
19.	713/1	0.246
20.	714/3	0.073
21.	714/4	0.162
22.	718	0.081
23.	719	0.016
24.	726/1	0.024
25.	779	0.016
26.	780	0.081
27.	781	0.016
28.	712	0.121
29.	665	0.073
30.	711	0.032

1	2	3
31.	702	0.081
32.	699/2	0.061
33.	701	0.348
34.	700	0.113
35.	699/1	0.700
36.	697/1	0.113
37.	310	0.049
38.	309	0.061
39.	695	0.061
40.	698	0.061
41.	696/1	0.142
कुल योग क्षेत्रफल :—		7.140

[सं. O-14016/388/84-जी. पी.]

S.O. 4499.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas pipe line, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Palva Tehsil Mahidpur Distt. Ujjain

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O U. in Hectare
1	2	3
1.	625	0.040
2.	626	0.320
3.	627/1	0.105
4.	628/1	0.395
5.	540/2	0.040
6.	703	0.615
7.	710	0.162
8.	629	0.583
9.	638/2/1	0.020
10.	638/2/2	0.061
11.	723/2	0.291
12.	722/2	0.012
13.	723/1	0.004
14.	721/2	0.251
15.	717	0.129
16.	713/2	0.324
17.	775/1/2	0.263
18.	721/1	0.194
19.	713/1	0.246
20.	714/3	0.073
21.	714/4	0.162
22.	718	0.081
23.	719	0.016
24.	726/1	0.024
25.	779	0.016
26.	780	0.081
27.	781	0.016
28.	712	0.121
29.	665	0.073
30.	711	0.032
31.	702	0.081
32.	699/2	0.061
33.	701	0.348
34.	700	0.113
35.	699/1	0.700
36.	697/1	0.113
37.	310	0.049
38.	309	0.061
39.	695	0.061
40.	698	0.061
41.	696/1	0.142
Total Area		7.140

[No. O-14016/388/84-GP]

का. आ. 4500.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी 50/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा सं०	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	विधुना	विधूना	नवादा-खुर्द	52	0-21	
				53	0-06	

1	2	3	4	5	6	7
				51	0-01	
				49/4	0-01	
				50/1	0-30	
				50/2	0-15	
				50/3	0-24	
				48/2	0-12	
				44/1	0-30	
				44/2	0-04	
				44/3	0-02	
				41/1	0-01	
				41/2	0-03	
				40	0-30	
				42/1	0-30	
				42/2	0-06	
				81/1	0-01	
				39	0-36	
				38/2	0-13	
				85/1	0-01	
				83	0-16	
				392	0-09	
				421/1	0-12	
				422/1	0-05	
				422/2	0-25	
				426/2	0-93	
				425/2	0-18	
				430	0-25	
				512	0-02	
				504	0-04	
				511/2	0-45	
				511/3	0-03	
				506/2	0-03	
				504/1	0-28	
				504/2	0-23	
				505	0-02	
				533	0-24	
				497	0-20	
				545	0-12	
				546	0-16	
				547	0-10	
				496	0-03	
				548	0-08	
				549	0-22	
				470	0-01	
				468	0-09	
				467	0-09	
				563	0-02	
				564	0-02	
				464	0-01	
				466	0-10	
				465	0-08	
				565	0-19	
				566	0-21	
				464	0-01	
				568/1	0-22	
				568/2	0-02	
				568/3	0-03	
				568/4	0-05	
				569	0-40	
				571	0-06	
				584	0-01	
				570/1	0-30	
				462/3	0-20	
				186	0-04	
				432/1	0-18	
				426/3	0-09	

[सं. O-14016/389/84-जी. पी.]

S.O. 4500.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Hajira Barily Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt	Pargana	Tehseel	Village	Plot No.	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Ettawh	Bidhuna	Bidhuna	Nayada Dadu	52	0-21	
				53	0-06	
				51	0-01	
				49/4	0-01	
				50/1	0-30	
				50/2	0-15	
				50/3	0-24	
				48/2	0-12	
				44/1	0-30	
				44/2	0-04	
				44/3	0-02	
				41/1	0-01	
				41/2	0-03	
				40	0-30	
				43/1	0-30	
				43/2	0-06	
				81/1	0-01	
				39	0-36	
				38/2	0-13	
				85/1	0-01	
				83	0-16	
				393	0-09	
				421/1	0-12	

1	2	3	4	5	6	7
				422/1	0-05	
				422/2	0-25	
				426/2	0-93	
				425/2	0-18	
				430	0-25	
				512	0-02	
				509	0-04	
				511/2	0-45	
				511/3	0-03	
				506/2	0-03	
				504/1	0-28	
				504/2	0-23	
				505	0-02	
				533	0-24	
				497	0-20	
				545	0-12	
				546	0-16	
				547	0-16	
				496	0-03	
				548	0-08	
				549	0-22	
				470	0-01	
				468	0-09	
				467	0-09	
				563	0-02	
				546	0-02	
				469	0-01	
				466	0-10	
				465	0-08	
				565	0-19	
				566	0-21	
				464	0-01	
				568/1	0-22	
				568/2	0-02	
				568/3	0-03	
				568/4	0-05	
				569	0-40	
				571	0-06	
				584	0-01	
				570/1	0-30	
				462/3	0-20	
				186	0-04	
				432/1	0-18	
				426/3	0-09	

[No. O-14016/389/84—GP]

का. आ. 4501.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-50/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजीरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	उमहरा	615	0-31	
				616	0-52	
				621	0-06	
				624	0-03	
				626	0-95	
				622	0-10	
				623	0-30	
				625	0-54	
				715	0-03	
				718	0-27	
				719	0-17	
				720	0-36	
				722	0-68	
				723	0-21	
				724	0-22	
				773	0-06	
				782	0-01	
				787	0-05	
				786	0-05	
				788	1-39	
				801	0-87	
				875	1-20	
				876	1-07	
				877	0-47	
				878	0-02	
				883	0-03	
				885	0-03	
				886	0-08	
				892	0-27	
				893	0-14	
				894	0-06	
				907	0-08	
				911	0-03	
				912	0-20	
				913	0-24	
				914	0-12	
				915	0-01	
				916	0-41	
				923	0-02	

[सं. O-14016/390/84-जी. पी.]

S.O. 4501.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroluem and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow 226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Barily Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Pargana	Tehsil	Village	Plot No.	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Ettawh	Bidhana	Bidhana	Ushara	615	0-31	
				616	0-52	
				621	0-06	
				624	0-03	
				626	0-95	
				622	0-10	
				623	0-30	
				625	0-54	
				715	0-03	
				718	0-27	
				719	0-17	
				720	0-36	
				722	0-68	
				723	0-21	
				724	0-22	
				773	0-06	
				782	0-01	
				787	0-05	
				786	0-05	
				788	1-39	
				801	0-87	
				875	1-20	
				876	1-07	
				877	0-47	
				878	0-02	
				883	0-03	
				885	0-03	
				886	0-08	
				892	0-27	
				893	0-14	
				894	0-06	
				907	0-08	
				911	0-03	
				912	0-20	
				913	0-24	
				914	0-12	
				915	0-01	
				916	0-41	
				923	0-02	

[No. O-14016/390/84—GP]

का. आ. 4502:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-50/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	भगवत-पुर	171	0-57	
				170	0-49	
				179	0-73	
				106	0-17	
				111	0-03	
				181	0-43	
				92	0-55	
				94	0-04	
				95	0-07	
				96	0-02	
				98	0-09	
				167	0-01	
				107	0-27	
				105	0-39	
				304	0-27	
				145	0-03	

[सं. O-14016/392/84-जी. पी.]

S.O. 4502.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Peroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P. ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Bareily-Jagdeeshpur Pipe Line Project

Distt.	Pargana	Tehseel	Village	Plot No.	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Ettawh	Bidhana	Bidhana	Bhagwantpur	171	0-57	
				170	0-49	
				179	0-73	
				106	0-17	
				111	0-03	
				181	0-43	
				92	0-55	
				94	0-04	
				95	0-07	
				96	0-02	
				98	0-09	
				167	0-01	
				107	0-27	
				105	0-39	
				104	0-27	
				145	0-03	

[No. O-14016/392/84-GP]

का. आ. 4503.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	चांदो	56	0-12	
				13	0-06	
				20	0-05	
				24	0-27	
				48/2	0-02	
				50	0-37	
				18	0-29	
				62/1	0-17	
				15	0-26	
				14	0-01	
				8	0-11	
				5	0-08	
				51	0-13	
				23	0-12	
				16	0-06	
				7	0-16	
				6	0-44	
				55	0-15	
				52	0-12	
				53	0-13	
				54	0-39	
				19	0-03	
				49	0-02	
				62/2	0-03	

[सं. O-14016/393/84-जी. पी.]

S.O. 4503.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Comission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, threfore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this noiification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Bareily-Jagdeeshpur Pipeline Project

Distt.	Pergana	Tehseel	Village	Plot No.	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Ettawh	Bidhuna	Bidhuna	Chardo	56	0-12	
				13	0-06	
				20	0-05	

1	2	3	4	5	6	7
				24	0-27	
				48/2	0-02	
				50	0-37	
				18	0-29	
				62/1	0-17	
				15	0-26	
				14	0-01	
				8	0-11	
				5	0-08	
				51	0-13	
				23	0-12	
				16	0-06	
				7	0-16	
				6	0-44	
				55	0-15	
				52	0-12	
				53	0-13	
				54	0-39	
				19	0-03	
				49	0-02	
				62/2	0-03	

[No. O-14016/393/84-GP]

का.आ. 4504:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हाजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधूना	बिधूना	हरवंश-पुर	451	1-36	
				452	0-48	
				448	0-02	
				435	0-27	
				434	0-57	
				437	0-63	
				431	1-20	
				439/5	0-03	
				440/1	0-01	
				400	0-10,	
				401	0-15	
				402	0-06	
				403	0-22	
				404	0-22	
				405	0-15	
				399	0-07	
				406	0-08	
				318	0-67	
				81	0-18	
				93	0-15	
				94	0-10	
				71	0-20	
				72	0-16	
				73	0-03	
				70	0-60	
				69	0-15	
				68	0-12	
				63	0-12	
				64/1	0-02	
				52	0-12	
				53	0-03	
				51	0-01	
				50	0-67	
				48	0-10	
				43	0-08	
				44	0-42	
				42	0-02	
				35	0-75	
				22	0-37	
				25	0-57	
				24	0-20	
				23	0-01	
				36	0-03	
				393	0-03	
				394	0-01	
				319	0-06	
				92	0-10	
				317	0-02	

[सं. O-14016/394/84-जीपी]

S.O. 4504.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Bareily-Jagdeeshpur Pipeline Project

Distt.	Pergana	Tehseel	Village	Plot No.	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Ettawah	Bidhuna	Bidhuna	Herbanshpur	451	1-36	
				452	0-48	
				448	0-02	
				435	0-27	
				434	0-57	
				437	0-63	
				431	1-20	
				439/5	0-03	
				440/1	0-01	
				400	0-10	
				401	0-15	
				402	0-06	
				403	0-22	
				404	0-22	
				405	0-15	
				399	0-07	
				406	0-08	
				318	0-67	
				81	0-18	
				93	0-15	
				94	0-10	
				71	0-20	
				72	0-16	
				73	0-03	
				70	0-60	
				69	0-15	
				68	0-12	
				63	0-12	
				64/1	0-02	
				52	0-12	
				53	0-03	
				51	0-01	
				50	0-67	
				48	0-10	
				43	0-08	
				44	0-42	
				42	0-02	
				35	0-75	
				22	0-37	
				25	0-57	
				24	0-20	
				23	0-01	
				36	0-03	
				393	0-03	
				394	0-01	
				319	0-06	
				92	0-10	
				317	0-02	

[No. O-14016/394/84-GP]

का. आ. 4505.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय तद्द्वारा घोषित किया है

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा सं०	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	पुरखावली	211	0-33	
				210	0-17	
				209	0-02	
				208	0-38	
				206	0-02	
				205	0-47	
				204	0-09	
				203	0-48	
				218	0-34	
				219	0-33	
				198	0-08	
				197	0-11	
				196	0-11	
				220	0-04	
				182	0-25	
				221	0-77	
				222	0-51	
				166/412	0-42	
				374	1-13	
				375	0-79	
				383/1	0-10	
				383/2	0-16	
				385	0-20	
				384	0-83	
				391	0-77	
				393	0-42	
				217	0-15	

[सं. O-14016/395/84-जी.पी.]

S.O. 4505.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, wihin 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Barily-Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Per-gana	Tehsil	Village	Plot No.	Area	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Ettawah	Bidhuna	Bidhuna	Pur-wavaly	211	0-33	
				210	0-17	
				209	0-02	
				208	0-38	
				206	0-02	
				205	0-47	
				204	0-09	
				203	0-48	
				218	0-34	
				219	0-33	
				198	0-08	
				197	0-11	
				196	0-11	
				220	0-04	
				182	0-25	
				221	0-77	
				222	0-51	
				166/412	0-42	
				374	1-13	
				375	0-79	
				383/1	0-10	
				383/2	0-16	
				385	0-20	
				384	0-83	
				391	0-77	
				393	0-42	
				217	0-15	

[No. O-14016/395/84-GP]

का. आ. 4506:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, बी-58/बी, अलीगंज लखनऊ-226020, यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	मडोखा-मीत	709	0-15	
				720/1	0-18	
				708	0-01	
				710	0-09	
				719	0-12	
				718	0-32	
				721	0-20	
				722	0-64	
				728	0-38	
				727	0-03	
				711	0-44	
				729	0-48	
				777	0-22	
				778	0-18	
				779	0-01	
				776	0-61	
				780	0-01	
				781	0-18	
				774/9	0-18	
				774/7	0-18	
				774/8	0-01	
				756/1	0-92	
				773	0-08	
				767/5	0-08	
				767/6	0-06	
				768	0-10	
				769	0-19	
				764	0-12	
				765	0-01	
				766	0-10	

[सं. O-14016/396/84-जीपी]

S.O. 4506.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Barily-Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Pergan?	Tehseel	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Ettawah	Bidhuna	Bidhuna	Marobh-meet	709	0-15	
				720/1	0-18	
				708	0-01	
				710	0-09	
				719	0-12	
				718	0-32	
				721	0-20	
				722	0-64	
				728	0-38	
				727	0-03	
				711	0-44	
				729	0-48	
				777	0-22	
				778	0-18	
				779	0-01	
				776	0-61	
				780	0-01	
				781	0-18	
				774/9	0-18	
				774/7	0-18	
				774/8	0-01	
				756/1	0-92	
				773	0-08	
				767/5	0-08	
				767/6	0-06	
				768	0-10	
				769	0-19	
				764	0-12	
				765	0-01	
				766	0-10	

[No. O-14016/396/84-GP]

का. आ. 4507 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-50/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा सं.	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	मुडियाई	524	0-49	
				525	0-60	
				531	0-06	
				563	0-11	
				568	0-38	
				857	0-06	
				858	0-78	
				861	0-29	
				862	0-79	
				863	0-27	
				564	0-78	

[सं. O-14016/397/84-जीपी]

S.O. 4507.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Barily-Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Pergana.	Tehseel	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Ettawah	Bidhuna	Bidhuna	Muriyaiy	524	0-49	
				525	0-60	
				531	0-06	
				563	0-11	
				568	0-38	
				857	0-06	
				858	0-78	
				861	0-29	
				862	0-79	
				863	0-27	
				564	0-78	

[No. O-14016/397/84-GP]

का. आ. 4508:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-50/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजीरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा सं.	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	अलीपुर	97	0–36	
				338	0–69	
				404	0–16	
				344	0–04	
				345	0–65	
				351	0–47	
				352	0–04	
				353	0–73	
				354	0–03	
				364/7	0–38	
				417	0–32	
				99	0–05	
				418	0–45	
				364/9	0–10	
				100	0–15	
				98	0–06	
				340	0–03	
				349	0–02	
				361	0–03	
				339	0–03	
				348	0–02	
				362	0–03	
				422	0–03	
				370	0–67	
				406/2	0–36	
				104	0–09	
				407/4	0–39	

[सं. O–14016/398/84–जीपी]

S.O. 4508.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Bareily-Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Pergana	Tehseel	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Ettawah	Bidhuna	Bidhuan	Alipur	97	0–36	
				338	0–69	
				404	0–16	
				344	0–04	
				345	0–65	
				351	0–47	
				352	0–04	
				353	0–73	
				354	0–03	
				364/7	0–38	
				417	0–32	
				99	0–05	
				418	0–45	
				364/9	0–10	
				100	0–15	
				98	0–06	
				340	0–03	
				349	0–02	
				361	0–03	
				339	0–03	
				348	0–02	
				362	0–03	
				422	0–03	
				370	0–67	
				406/2	0–36	
				104	0–09	
				407/4	0–39	

[[No. O–14016/398/84-GP]

का. आ. 4509:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-50/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजीरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा सं.		किया गया अर्जन रकबा	विवरण
1	2	3	4	5		6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	बहादुर-पुर सिहार	52		0–08	
				54		0–02	
				58		0–34	
				57		0–35	
				71		1–16	
				75		0–12	
				74		0–24	
				88		0–15	
				89		0–07	
				90		1–25	
				91		0–71	
				92		0–04	
				97		0–02	
				98		0–02	
				350		0–40	
				351		0–23	
				352		0–03	
				353		0–12	

[सं० O–14016/399/84–जीपी]

S.O. 4509.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Barily Jagdishpur Pipe line Project.

Dist.	Pergana	Tehseel	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Ettawh	Bidhuna	Bidhuna	Baha-durpur Sahati	52	0–08	
				54	0–02	
				58	0–34	
				57	0–35	
				71	1–16	
				75	0–12	
				74	0–24	
				88	0–15	
				89	0–07	
				90	1–25	
				91	0–71	
				92	0–04	
				97	0–02	
				98	0–02	
				350	0–40	
				351	0–23	
				352	0–03	
				553	0–12	

[No. O–14016/399/84–GP]

का०आ० 4510.—अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी–50 बी, अलीगंज, लखनऊ–226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा सं०		किया गया अर्जन रकबा	विवरण
1	2	3	4	5		6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	तिलक फुलहार	112		0–02	
				111		0–52	
				413		0–05	
				373		0–03	
				374		1–40	

1	2	3	4	5	6	7
				376	0–36	
				371	0–03	
				379	0–01	
				377	0–18	
				381	0–07	
				391	0–11	
				390	0–03	
				389	0–02	
				387	0–13	
				388	0–05	
				406	0–48	
				385	0–05	
				386	0–04	
				409	0–28	
				410	1–04	
				420	0–02	
				415	0–20	
				419	0–66	
				418	1–10	
				384	0–01	
				369	1–00	
				398	0–04	

[सं० O–14016/400/84–जी पी]

S.O. 4510.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the layng of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Pergana	Tehseel	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Ettawh	Biduhan	Biduhan	Tilkpur Shar	112	0–02	
				111	0–52	
				413	0–05	
				373	0–03	
				374	1–40	
				376	1–36	
				371	0–03	
				370	0–01	
				377	0–18	
				381	0–07	
				391	0–11	
				390	0–03	
				389	0–02	
				387	0–13	
				388	0–05	
				406	0–48	
				385	0–05	
				386	0–04	
				409	0–28	
				410	1–04	
				420	0–02	
				415	0–20	
				419	0–66	
				418	1–10	
				384	0–01	
				369	1–00	
				398	0–04	

[No. O–14016/400/84—GP]

का०आ० 4511.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी–58 बी, अलीगंज, लखनऊ–226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा सं०	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधना	बिधुना	अग्रहरा	1	0–25	
				20	0–18	
				21	0–24	
				16	0–17	
				23	1–16	
				82	0–73	
				110	0–05	
				116	1–30	
				112	0–10	
				115	1–23	

1	2	3	4	5	6	7
				144	0-16	
				143	0-12	
				141	0-07	
				142	0-25	
				139	0-39	
				140	0-06	
				258	0-75	
				260	0-05	
				267	0-27	
				264	0-50	
				213	0-18	
				266	0-33	
				265	0-28	
				283	0-07	
				284	0-69	
				281	0-33	
				328	0-49	
				329	0-22	
				331	0-03	
				330	0-09	
				336	0-20	
				466	0-12	
				701	0-12	
				540	0-07	
				502	0-04	
				541	0-05	
				544	0-52	
				545	0-20	
				546	0-47	
				676	0-52	
				670	0-34	
				680	0-66	
				683	1-07	
				684	0-10	
				667	0-12	
				633	1-16	
				631	0-22	
				617	1-20	
				618	0-09	
				622	0-05	
				619	0-02	
				620	0-04	
				623	0-07	
				624	0-04	
				22	0-07	
				261	0-03	
				286	0-04	
				500	0-13	
				501	0-73	
				285	0-01	
				547	0-01	
				621	0-53	

[सं O-1401/6401/84-जी पी]

S.O. 4511.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Barily to Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Pergana	Tehseel	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Elalwah	Bidhuna	Bidhuna	Aghra	1	0-25	
				20	0-18	
				21	0-24	
				16	0-17	
				23	1-16	
				82	0-73	
				110	0-05	
				116	1-30	
				112	0-10	
				115	1-23	
				144	0-16	
				143	0-12	
				141	0-07	
				142	0-25	
				139	0-39	
				140	0-06	
				258	0-75	
				260	0-05	
				267	0-27	
				264	0-50	
				263	0-18	
				266	0-33	
				265	0-28	
				283	0-07	
				284	0-69	
				281	0-33	
				328	0-49	
				329	0-22	
				331	0-03	
				330	0-09	
				336	0-20	
				466	0-12	
				701	0-12	
				540	0-07	
				502	0-04	
				541	0-05	
				544	0-52	
				545	0-20	
				546	0-47	

1	2	3	4	5	6	7
				676	0–52	
				670	0–34	
				680	0–66	
				683	1–07	
				684	0–10	
				667	0–12	
				633	1–16	
				631	0–22	
				617	1–20	
				618	0–09	
				622	0–05	
				619	0–02	
				620	0–04	
				623	0–07	
				624	0–04	
				22	0–07	
				261	0–03	
				286	0–04	
				500	0–13	
				501	0–73	
				285	0–01	
				547	0–01	
				621	0–53	

[No. O–14016/401/84—GP]

का. आ. 4512.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-50/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर—पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	देरापुर	देरापुर	नोगर्वा बुजुर्ग	1145	0–2–0	
				1146	0–10–0	
				1144	0–11–4	
				1147	0–2–12	
				1150	1–4–14	
				1156	0–6–15	
				1129	1–19–0	
				1128	1–7–0	
				1160	0–2–16	
				1197	0–11–11	
				1196	0–4–15	
				1198	0–0–7	
				1199	0–1–8	
				1188	0–9–16	
				1186	1–2–15	
				1189	1–3–8	
				1232	0–3–18	
				1393	0–8–0	
				1384	0–0–10	
				1392	0–11–0	
				1385	0–0–10	
				1386	0–8–4	
				1391	0–2–16	
				1387	0–2–8	
				1388	0–2–0	
				1389	0–2–0	
				1390	0–6–7	
				1388	0–1–0	
				1450		
				1383	0–1–6	
				1243	1–18–14	
				1376	0–2–12	
				1380	0–5–18	
				1379	0–15–12	
				1378	0–1–6	
				1377	0–10–0	
				1374	0–2–12	
				1374/1448	1–0–0	
				1369	0–13–0	
				1370	0–9–2	
				1296	0–3–18	
				1295	1–2–0	
				1292	0–3–16	
				1298	0–8–15	
				1299	0–7–10	
				1300	0–18–4	
				1279	0–2–0	
				1281	0–4–4	
				1288	0–1–10	
				1282	0–15–0	
				1284	0–8–9	
				1280	1–9–18	
				1272	0–7–4	
				1266	0–4–19	
				1270	0–1–10	
				1267	2–18–19	
				630	0–14–8	
				1109	0–11–10	
				1361	0–0–15	
				1400	0–0–18	

[सं. O-14016/402/84-जी.पी.]

S.O. 4512.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Bariely—Jagdishpur Pipe line Project.

Distt.	Taseel	Para-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Dera-pur	Dera-pur	Nonari Bujurg	1145	0-2-0	
				1146	0-10-0	
				1144	0-11-4	
				1147	0-2-12	
				1150	1-4-14	
				1156	0-6-15	
				1129	1-19-0	
				1128	1-7-0	
				1160	0-2-16	
				1197	0-11-11	
				1196	0-4-15	
				1198	0-0-7	
				1199	0-1-8	
				1188	0-9-16	
				1186	1-2-15	
				1189	1-3-8	
				1232	0-3-18	
				1393	0-8-0	
				1384	0-0-10	
				1392	0-11-0	
				1385	0-0-10	
				1386	0-8-4	
				1391	0-2-16	
				1387	0-2-8	
				1388	0-2-0	
				1389	0-2-0	
				1390	0-6-7	
				1388/1450	0-1-0	
				1383	0-1-6	
				1243	1-18-14	
				1376	0-2-12	
				1380	0-5-18	
				1379	0-15-12	
				1378	0-1-6	
				1377	0-10-0	
				1374	0-2-12	
				1374/1448	1-0-0	
				1369	0-13-0	
				1370	0-9-2	
				1296	0-3-18	
				1295	1-2-0	
				1292	0-3-16	
				1298	0-8-15	
				1299	0-7-10	
				1300	0-18-4	
				1279	0-2-0	
				1281	0-4-4	
				1288	0-1-1	
				1282	0-15-0	
				1284	0-8-9	
				1280	1-9-18	
				1272	0-7-4	
				1266	0-4-19	
				1270	0-1-10	
				1267	2-18-19	
				630	0-14-8	
				1109	0-11-10	
				1381	0-0-15	
				1400	0-0-18	

[No. O-14016/402/84-GP]

का.आ. 4513—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-50/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है की उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	देरापुर	देरापुर	जिगा-निस	198	0-10-5	
				197	0-1-12	
				196	2-5-0	
				194	0-1-12	
				193	1-7-12	
				204	0-0-14	
				213	0-0-2	
				214	0-15-8	
				215	0-5-0	
				212	0-2-10	
				216	0-4-2	
				211	0-6-12	

देहात	ई	निस		
			217	0–3–0
			210	0–7–4
			218	0–0–2
			182	0–0–3
			183	0–7–2
			184	0; 7–4
			185	2–5–10
			186	0–9–0
			180	0–0–12
			179	2–12–0
			137	0–1–6
			69	0–5–10
			176	0–1–2
			118	3–2–1
			117	0–2–2
			119	0–0–14
			130	0–14–0
			122	0–0–14
			123	1–5–4
			124	0–0–14
			135	0–3–3
			134	0–18–0
			127	0–2–8
			128	0–1–5
			129	0–4–11
			130	0–0–12
			99	1–11–12
			126	0–0–2
			102	0–0–2
			100	0–8–0
			98	0–0–12
			97	1–7–0
			301	0–8–8
			307	0–1–5
			305	0–17–15
			304	0–3–8
			195	0–0–10
			138	0–0–5
			306	0–0–18

[सं. O-14016/403/84-जी. पी.]

S.O. 4513.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Piplines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user threin;

Provided that any person i sted in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Bareily-Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Taseel	Para-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Dera-pur	Dera-pur	Jiganis	198	0–10–0	
				197	0–1–12	
				196	2–5–0	
				194	0–1–12	
				193	1–7–12	
				204	0–0–14	
				213	0–0–2	
				214	0–15–8	
				215	0–5–0	
				212	0–2–10	
				216	0–4–2	
				211	0–6–12	
				217	0–3–0	
				210	0–7–4	
				218	0–0–2	
				182	0–0–3	
				183	0–7–2	
				184	0–7–4	
				185	2–5–10	
				186	0–9–0	
				180	0–0–12	
				179	2–12–0	
				137	0–1–6	
				69	0–5–10	
				176	0–1–2	
				118	3–2–1	
				117	0–2–2	
				119	0–0–14	
				130	0–14–0	
				122	0–0–14	
				123	1–5–4	
				124	0–0–14	
				135	0–3–3	
				134	0–18–0	
				127	0–2–8	
				128	0–1–5	
				129	0–4–11	
				130	0–0–12	
				99	1–11–12	
				125	0–0–2	
				102	0–0–2	
				100	0–8–0	
				98	0–0–12	
				97	1–7–0	
				301	0–8–8	
				307	0–1–5	
				305	0–17–15	
				304	0–3–8	
				195	0–0–10	
				138	0–0–5	
				306	0–0–18	

[No. O-14016/403/84—GP]

का. आ. 4514:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-50/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-जगदीशपुर-बरेली पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	देरापुर	देरापुर	उमरी बुजुर्ग	214	0-0-14	
				215	0-19-5	
				216	1-0-8	
				217	0-19-11	
				219	0-0-8	
				220	0-11-5	
				397	0-4-10	
				398	0-0-10	
				402	0-7-14	
				403	0-14-17	
				404	0-1-5	
				406	0-12-2	
				410	0-16-18	
				411	0-0-13	
				416	1-2-1	
				417	1-12-0	
				418	0-0-8	
				420	1-14-12	
				441	0-14-9	
				442	0-0-14	
				452	0-3-4	
				453	0-0-10	
				454	0-12-10	
				455	0-6-8	
				456	0-6-8	
				457	0-6-16	
				458	0-0-5	
				459	0-1-7	
				460	0-3-17	
				462	0-1-10	
				464	0-0-6	
				465	1-17-10	
				468	0-19-1	
				469	0-0-13	
				470	0-0-15	
				495	0-0-10	
				497	0-16-5	
				498	0-16-5	
				499	0-1-7	
				500	0-13-5	
				501	0-11-11	
				452	0-1-0	
				504	0-3-3	
				440	0-1-0	
				496	0-1-0	

[सं. O-14016/404/84-जी. पी.]

S.O. 4514.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user threin;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notifiaction, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Jagdishpur-Bareily Pipeline Project

Distt.	Tahsil	Para-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Dera-pur	Dera-pur	Umari Bujurg	214	0-0-14	
				215	0-19-5	
				216	1-0-8	
				217	0-19-11	
				219	0-0-8	
				220	0-11-5	
				397	0-4-10	
				398	0-0-10	
				402	0-7-14	
				403	0-14-17	
				404	0-1-5	
				406	0-12-2	
				410	0-16-18	
				411	0-0-13	
				416	1-2-1	
				417	1-12-0	
				418	0-0-8	
				420	1-14-12	

1	2	3	4	5	6	7
				441	0-14-9	
				442	0-0-14	
				452	0-3-4	
				453	0-0-10	
				454	0-12-10	
				455	0-6-8	
				456	0-6-8	
				457	0-6-16	
				458	0-0-5	
				459	0-1-7	
				460	0-3-17	
				462	0-1-10	
				464	0-0-6	
				465	1-17-10	
				468	0-19-1	
				469	0-0-13	
				470	0-0-15	
				495	0-0-10	
				497	0-16-5	
				498	0-16-5	
				499	0-1-7	
				500	0-13-5	
				501	0-11-11	
				452	0-1-0	
				504	0-3-3	
				440	0-1-0	
				496	0-1-0	

[No. O-14016/404/84-GP]

का. आ. 4515.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीश पुर तक पाइप लाइन पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-50 बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा जगदीशपुर बरेली पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर	देहात	देहापुर	परौख	1	0-16-18	
				2	0-5-10	
				11	0-4-5	
				15	2-7-18	
				22	0-0-13	
				28	0-3-5	
				29	0-4-1	
				30	0-7-9	
				31	0-1-19	
				35	0-0-6	
				36	0-14-19	
				40	0-15-5	
				41	1-7-19	
				37/1724	0-1-9	
				47	0-0-6	
				48	0-13-0	
				49	0-14-5	
				88	0-9-9	
				89	0-0-14	
				90	0-5-5	
				95	0-11-14	
				96	1-1-9	
				98	0-1-6	
				139	0-7-3	
				140	0-15-6	
				141	0-13-0	
				142	1-14-9	
				144	1-6-0	
				27	0-0-10	

[सं. O-14016/405/84-जी. पी.]

S.O. 4515.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Jagdishpur Bareily Popeline Project

Distt.	Tasecl	Para-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Dera-pur	Dera-pur	Paraukh	1	0-16-18	
				2	0-5-10	
				11	0-4-5	
				15	2-7-18	
				22	0-0-13	

1	2	3	4	5	6	7
				28	0-3-5	
				29	0-4-1	
				30	0-7-9	
				31	0-1-19	
				35	0-0-6	
				36	0-14-19	
				40	0-15-5	
				41	1-7-19	
				37/1724	0-1-9	
				47	0-0-6	
				48	0-13-0	
				49	0-14-5	
				88	0-9-9	
				89	0-0-14	
				90	0-5-5	
				95	0-11-14	
				96	1-1-9	
				98	0-1-6	
				139	0-7-3	
				140	0-15-6	
				141	0-13-0	
				142	1-14-9	
				144	1-6-0	
				27	0-0-10	

[No. O-14016/405/84—GP]

का. आ. 4516—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पाइप लाइन पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58 बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा भी कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला.	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा विवरण एकड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	बघावली दिवारा	1	0-54	
				3	0-72	
				4/3	0-16	
				22/1	3-60	
				5	1-02	

[सं. O-14016/410/84-जी.पी.]

S.O 4516 -Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days, from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Gas Pipe line From Hajira -Bareilly-Jagdispur Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acre	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Baghavali Diwara	1	0-54	
				3	0-72	
				4/3	0-16	
				22/1	3-60	
				5	1-02	

[No. O-14016/410/84—GP]

का. आ. 4517.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पाइप लाइन पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58 बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	कौंच	कोंच	चमड़ा ठाकुरपुर	25	0-05	
				27	0-04	
				28	0-18	
				29	0-28	
				30	0-21	
				31	0-08	
				35	0-02	
				43	1-47	
				44	0-15	
				48	0-03	
				49	0-10	
				50	0-02	
				51	1-75	
				55	0-10	
				59	0-03	
				66	0-87	
				67	0-47	
				202	0-20	
				203	1-40	
				204	0-02	
				205	1-75	
				206	0-60	
				207	0-37	
				208	0-27	
				213	0-05	
				217	0-11	
				218	0-03	
				272	0-36	
				274	0-60	
				276	0-42	
				275	0-60	
				279	0-02	
				209	0-02	
				277	0-01	

[सं. O-14016/412/84-जी. पी.]

S.O. 4517.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Gas Pipe Line From Hajira - Bareilly - Jagdispur Project

Distt.	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area of land in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Chammara Thakurpur	25	0-05	
				27	0-04	
				28	0-18	
				29	0-28	
				30	0-28	
				31	0-01	
				35	0-02	
				43	1-47	
				44	0-15	
				48	0-03	
				49	0-10	
				50	0-02	
				51	1-75	
				55	0-10	
				59	0-03	
				66	0-87	
				67	0-47	
				202	0-20	
				203	1-40	
				204	0-02	
				205	1-75	
				206	0-60	
				207	0-37	
				208	0-27	
				213	0-05	
				217	0-11	
				218	0-03	
				272	0-36	
				274	0-60	
				276	0-42	
				275	0-60	
				279	0-02	
				209	0-02	
				277	0-01	

[No. O-14016/412/84—GP]

का. आ. 4518.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस

आयोग बी.-58/ब., अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टया यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीश पुर पाइप लाइन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	पुरवा	मौराबी पुरबा	संदाना		बी. वि. वि.	
				210	0-1-5	
				211	0-0-13	
				214	0-5-0	
				213	0-5-0	
				228	0-0-14	
				226	0-3-0	
				227	0-5-0	
				230	0-0-3	
				232	0-2-10	
				239	0-1-15	
				240	0-0-15	
				241	0-0-5	
				242	0-0-1	
				233	0-8-0	
				234	0-0-2	
				236	0-1-5	
				237	0-5-0	
				238	0-1-10	
				267	0-10-0	
				268	0-10-17	
				269	0-1-10	
				271	0-0-10	
				273	0-10-10	
				274	0-0-2	
				275	0-5-0	
				277	0-0-3	
				278	0-4-10	
				279	0-0-10	
				280	0-6-0	
				281	0-1-0	
				478	0-7-5	
				479	0-6-0	
				480	0-1-0	
				491	0-0-10	
				493	0-0-2	
				498	2-14-0	
				499	1-2-0	
				536	0-0-3	
				537	0-0-3	
				538	0-2-0	
				2870		

1	2	3	4	5	6	7
					बी. वि. वि.	
उन्नाव	पुरवा	मौराबी	संदाना	535	1-16-0	
				533	0-2-10	
				584	0-1-0	
				531	0-18-0	
				530	0-0-15	
				686	0-3-0	
				685	0-9-0	
				687	0-6-12	
				683	0-11-8	
				684	0-1-10	
				689	0-0-5	
				690	1-18-0	
				682	0-1-10	
				691	0-1-0	
				853	0-17-0	
				854	0-10-16	
				855	0-7-15	
				857	0-7-10	
				856	0-2-10	
				861	0-9-10	
				1010	0-5-0	
				1009	0-0-2	
				1002	1-0-10	
				1003	0-3-15	
				1001	0-0-5	
				1000	1-0-5	
				864	0-0-5	
				995	0-0-2	
				997	0-8-5	
				998	0-1-0	
				999	0-6-0	
				989	0-15-0	
				988	0-2-0	
				987	0-5-0	
				985	2-8-0	
				982	0-1-5	
				971	0-6-5	
				972	0-4-10	
				975	0-2-0	
				1163	2-1-8	
				1172	0-7-15	
				1171	0-3-5	
				1174	0-1-0	
				1176	0-9-5	
				1177	0-0-15	
				1178	0-9-0	
				1309	0-1-0	
				1312	1-5-5	
				1307	0-3-5	
				1310	0-4-15	
				1306	0-1-5	

1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	पुरवा	पौरवा	सन्दाना	1350	0-1-5	
				1353	0-3-12	
				1354	0-2-10	
				1355	0-8-5	
				1356	0-12-5	
				1357	0-1-0	
				1293	0-3-0	
				1287	0-7-15	
				1288	1-9-5	
				1289	0-4-0	
				1257	0-3-10	
				1259	0-8-0	
				1264	0-14-0	
				1265	0-0-5	
				1266	0-0-4	
				1267	0-14-5	
				1263	0-8-10	

[सं. O-14016/413/84-जी. पी]

S.O. 4518.—Whreas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroelum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project, B-58|B, Aliganj-226020 (U.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

H.B.J. Project

Distt.	Tehsil	Pergana	Village	Plot No.	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unnou	Purva	Purva	Sandana	210	0-1-5	
				211	0-0-13	
				214	0-5-0	
				213	0-5-0	
				228	0-0-14	
				226	0-3-0	
				227	0-5-0	
				230	0-0-3	
				232	0-2-10	
				239	0-1-15	
				240	0-0-15	
				241	0-0-5	
				242	0-0-1	
				233	0-8-0	
				234	0-0-2	
				236	0-1-5	
				237	0-5-0	
				238	0-1-10	
				267	0-10-0	
				268	0-10-17	
				269	0-1-10	
				271	0-0-10	
				273	0-10-10	
				274	0-0-2	
				275	0-5-0	
				277	0-0-3	
				278	0-4-10	
				279	0-0-10	
				280	0-6-0	
				281	0-1-0	
				478	0-7-5	
				479	0-6-0	
				480	0-1-0	
				491	0-0-10	
				493	0-0-2	
				498	2-14-0	
				499	1-2-0	
				536	0-0-3	
				537	0-0-3	
				538		
				2870	0-2-0	
				535	1-16-0	
				533	0-2-10	
				584	0-1-0	
				531	0-18-0	
				530	0-0-15	
				686	0-3-0	
				685	0-9-0	
				687	0-6-12	
				683	0-11-8	
				684	0-1-10	
				689	0-0-5	
				690	0-18-0	
				682	0-1-10	
				691	0-1-0	
				853	0-17-5	
				854	0-10-16	
				855	0-7-15	
				857	0-7-10	
				856	0-2-10	
				861	0-9-10	
				1010	0-5-0	
				1009	0-0-2	
				1002	1-0-10	
				1003	0-3-15	
				1001	0-0-5	
				1000	1-0-5	
				864	0-0-5	
				995	0-0-2	
				997	0-8-5	
				998	0-1-0	
				999	0-6-0	
				989	0-15-0	
				988	0-2-0	
				987	0-5-0	
				985	2-8-0	
				982	0-1-5	
				971	0-6-5	
				972	0-4-10	
				975	0-2-0	
				1163	2-1-8	

1	2	3	4	5	6	7
				1172	0-7-15	
				1171	0-3-5	
				1174	0-1-0	
				1176	0-9-5	
				1177	0-0-15	
				1178	0-9-0	
				1309	0-1-0	
				1312	1-5-5	
				1307	0-3-5	
				1310	0-4-15	
				1306	0-1-5	
				1350	0-1-5	
				1353	0-3-12	
				1354	0-2-10	
				1355	0-8-5	
				1356	0-12-5	
				1357	0-1-0	
				1293	0-3-0	
				1287	0-7-15	
				1288	1-9-5	
				1289	0-4-0	
				1257	0-3-10	
				1259	0-8-0	
				1264	0-14-0	
				1265	0-0-5	
				1266	0-0-4	
				1267	0-14-5	
				1263	0-8-10	

[No. O-14016/413/84-GP]

का.आ. 4519.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजारा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगी ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा - जगदीशपुर - बरेली पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	देरापुर	देरापुर	जसापुर	1	0-4-0	
				2	0-4-0	
				3/1	1-4-3	
				4	0-3-17	
				8/1	1-5-0	
				9	0-17-15	
				10	0-0-3	
				60	0-7-16	
				61	0-7-15	
				62	1-2-6	
				64	2-7-10	
				106	1-14-2	
				107	0-5-4	
				102/1	0-1-5	
				104/1	1-1-10	
				104/3	1-10-4	
				113/1	1-7-12	
				114	1-0-0	
				116/1	1-2-13	
				124	0-1-10	

[सं. O-140/6/414/84-प्र. प.]

S.O. 4519.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And wheeras it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project, B-58|B, Aliganj-226020 (U.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Jagadeeshpur-Bareily Pipe line Project

Distt.	Tehseel	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Derapur	Derapur	Jasapur	1	0 4 0	
				2	0-4-0	
				3/1	1-4-3	
				4	0-3-17	
				8/1	1-5-0	
				9	0-17-15	
				10	0-0-3	
				60	0-7-16	
				61	0-7-15	
				62	1 2-6	
				64	2-7-10	
				106	1-14-2	

107	0-5-4
102/1	0-1-5
104/1	1-1-10
104/3	1-10-4
113/1	1-7-12
114	1-0-0
116/1	1-2-13
124	0-1-10

[No. O-14016/414/84-GP]

का. आ. 4520.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

हाजिरा-जगदीशपुर-बरेली पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा	लिया गया क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	देरापुर	देरापुर	कुडौली मड़ौली	838	0-1-0	
				839	0-8-10	
				840	1-0-10	
				841	0-6-0	
				842	0-0-7	
				843	0-6-0	
				845	0-3-12	
				844	0-7-0	
				846	0-1-0	
				882	0-6-10	
				833	0-6-0	
				884	0-9-0	
				885	0-6-10	
				887	0-0-12	
				888	1-6-16	
				889	0-2-4	
				891	0-2-5	
				893/1	0-1-5	
				895/1	0-7-4	
				980	1-3-8	

1	2	3	4	5	6	7
				981	0-18-17	
				982/2	0-18-17	
				983	0-17-15	
				890	0-7-0	
				820	0-0-19	
				985/1	0-14-10	
				378/1	0-0-5	

[सं. O-14016/415/84-जी. पी.]

S.O. 4520.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that anv person interested in the said land may, within 21 days _ the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 (U.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Jagadeeshpur-Bareily Pipe line Project

Distt.	Tehseel	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Dera-pur	Dera-pur	Kudauli Maraoli	838	0-1-0	
				839	0- 8-10	
				840	1-0- 10	
				841	0-6 -0	
				842	0-0 -7	
				843	0 6 -0	
				845	0-3- 12	
				844	0-7-0	
				846	0-1-0	
				882	0-6-10	
				883	0-6-0	
				884	0-9-0	
				885	0-6-10	
				887	0-0-12	
				888	1-6-16	
				889	0-2 4	
				891	0-2-5	
				893/1	0-1-5	
				895/1	0-7-4	
				980	1-3-8	
				981	0-18-17	
				982/2	0-18-17	
				983	0-17-15	
				890	0-7-0	
				820	0-0-19	
				985/1	0-14-10	
				378/1	0-0-5	

[No. O-14016/415/84-GP]

का. आ. 4521.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और, यतः, प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजीरा-जगदीशपुर-बरेली पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल जो लिया गया	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	डेरापुर	डेरापुर	जौरा	99	0-1-10	
				100	1-2-0	
				104	0-2-0	
				105	0-17-14	
				110	0-2-0	
				113/1	0-5-12	
				118	0-2-10	
				119	0-5-10	
				210	2-13-0	
				216	0-18-0	
				217	0-14-0	
				220	0-8-0	
				36/2	1-0-0	
				37	0-2-12	
				38	0-10-0	
				42	0-13-10	
				43	0-8-14	
				44	0-17-0	
				45	0-5-10	
				46	0-0-5	
				49	0-0-19	
				51	0-1-10	
				52	1-0-0	
				53	0-0-12	
				215	0-0-5	
				97	0-0-08	
				56	0-1-13	

[सं. O-14016/416/84-जी. पी.]

S.O. 4521.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project, B-58|B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Jagdishpur—Bareily Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Derapur	Derapur	Jaura	99	0-1-10	
				100	1-2-0	
				104	02-0	
				105	0-17-14	
				110	0-2-0	
				113/1	0-5-12	
				118	0-2-10	
				119	0-5-10	
				210	2-13-0	
				216	0-18-0	
				217	0-14-0	
				220	0-8-0	
				36/2	1-0-0	
				37	0-2-12	
				38	0-10-0	
				42	0-13-10	
				43	0-8-14	
				44	0-17-0	
				45	0-5-10	
				46	0-0-5	
				49	0-0-19	
				51	0-1-10	
				52	1-0-0	
				53	0-0-12	
				215	0-0-5	
				97	0-0-08	
				56	0-1-13	

[No. O-14016/416/84-GP]

का. आ. 4522.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और, यतः, प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजीरा-जगदीशपुर-बरेली पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल जो लिया गया	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	डेरापुर	डेरापुर	विसोहा	961	0–15–0	
				960	1–15–0	
				963	0–4–19	
				267	0–11–0	
				886	0–3–3	
				884	3–6–0	
				873	0–4–0	
				543	0–13–16	
				657	0–16–0	
				883	0–2–0	
				655	0–2–5	
				656	0–8–15	
				654	0–14–10	
				659	0–3–5	
				1104 (पुराना सं.)	0–3–0	
				661	0–7–4	
				663	1–2–0	
				669	0–6–0	
				670	0–17–0	
				185	0–0–13	
				668के	0–8–10	
				686	2–17–0	
				687	0–2–10	
				171, 210, 330, 1113, 1159, 1196	0–3–18	
				962	0–1–0	
				887	0–3–0	
				630	0–0–10	
				884	0–0–10	

[सं० O-14016/417/84-जीपी]

S.O. 4522.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Jagdeeshpur-Bareily Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Derapur	Derapur	Visoha	961	0-15-0	
				960	1-15-0	
				963	0-4-19	
				267	0-11-0	
				886	0-3-3	
				884	3-6-0	
				873	0-4-0	
				543	0-13-16	
				657	0-16-0	
				883	0-2-0	
				655	0-2-5	
				656	0-8-15	
				654	0-14-10	
				659	0-3-5	
				1104 (old No.)	0-3-0	
				661	0-7-4	
				663	1-2-0	
				669	0-6-0	
				670	0-17-0	
				185	0-0-13	
				668Ka	0-8-10	
				686	2-17-0	
				687	0-2-10	
				171), 210), 330), 1113), 1159), 1196)	0-3-18	
				962	0-1-0	
				887	0-3-0	
				630	0-0-10	
				884	0-0-10	

[No. O-14016/417/84-GP]

का. आ. 4523.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यतः, प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	डेरापुर	डेरापुर	कड़ा गांव मिखी	4	0-1-10	
				18	0-2-0	
				19	2-13-5	
				24	2-12-3	
				40	0-15-8	
				41	0-0-15	
				36	0-1-10	
				38	0-1-1	
				50	0-11-5	
				51	0-17-10	
				52	0-1-2	
				54	0-10-0	
				56	0-10-13	
				57	0-0-15	
				58	0-14-1	
				60	0-14-10	
				61	0-14-1	
				369	0-3-6	
				374	0-14-13	
				376	0-0-12	
				377	0-1-8	
				378	0-2-0	
				379	0-0-1	

[सं. O-14016/418/84-जी. पी.]

S.O. 4523.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Jagdishpur—Bareily Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Derapur	Derapur	Baragawn Bhikhi	4	0-1-10	
				18	0-2-0	
				19	2-13-5	
				24	2-12-3	
				40	0-15-8	
				41	0-0-15	
				36	0-1-10	
				38	0-1-1	
				50	0-11-5	
				51	0-17-10	
				52	0-1-2	
				54	0-10-0	
				56	0-10-13	
				57	0-0-15	
				58	0-14-1	
				60	0-14-10	
				61	0-14-1	
				369	0-3-6	
				374	0-14-13	
				376	0-0-12	
				377	0-1-8	
				378	0-2-0	
				379	0-0-1	

[No. O-14016/418/84-GP]

का. आ. 4524.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यतः, प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-जगदीशपुर-बरेली पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	डेरापुर	डेरापुर	सबलपुर	662	0–17–11	
				663	0–12–0	
				664	0–6–10	
				671	1–10–11	
				672	0–15–13	
				673	0–4–10	
				674	0–4–11	
				676	1–6–5	
				723	0–5–4	
				724	0–2–10	
				725	1–7–6	
				726	0–14–8	
				742	1–7–19	
				743	0–4–17	
				744	0–8–17	
				658	0–4–0	
				758	0–3–0	

[सं. O-14016/419/84-जी० पी०]

S.O. 4524.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And, therefore, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Jagdishpur—Bareily Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Derapur	Derapur	Sabalpur	662	0-17-11	
				663	0-12-0	
				664	0-6-10	
				671	1-10-11	
				672	0-15-13	
				673	0-4-10	
				674	0-4-11	
				676	1-6-5	
				723	0-5-4	
				724	0-2-10	
				725	1-7-6	
				726	0-14-8	
				742	1-7-19	
				743	0-4-17	
				744	0-7-17	
				658	0-4-0	
				758	0-3-0	

[No. O-14016/419/84-GP]

का. आ. 4525.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यतः, प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58 बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा सं.	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर	डेरापुर	डेरापुर	गंगादास पुर	3/1	1–19–0	
				10/3	1–4–1	
				10/4	0–19–10	
				10/8	0–17–11	
				13/2	1–8–13	
				12/2	1–18–0	
				12/3	0–5–1	
				13/1	0–9–15	
				23/4	0–15–0	
				23/4	0–5–0	
				23/4	0–5–0	
				23/4	0–15–0	

1	2	3	4	5	6	7
				23/1	0-13-13	
				23/4	0-9-15	
				23/3	0-5-0	
				24	0-3-1	
				25/1	0-7-15	
				25/5	0-4-17	
				25/3	0-7-3	
				25/2	0-15-12	
				411	0-4-0	
				140/4	0-10-17	
				140/7	2-4-9	
				141/1	0-13-0	
				141/232	0-6-10	

[सं. O-14016/420/84-जी. पी.]

S.O. 4525.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Hajira Jagadeeshpur Baraily Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Derapur	Derapur	Gangadaspur	3/1	1-19-0	
				10/3	1-4-1	
				10/4	0-19-10	
				10/8	0-17-11	
				13/2	1-8-13	
				12/2	1-18-0	
				12/3	0-5-1	
				13/1	0-9-15	
				23/4	0-15-0	
				23/4	0-5-0	
				23/4	0-5-0	
				23/4	0-15-0	
				23/1	0-13-13	
				23/4	0-9-15	
				23/3	0-5-0	
				24	0-3-1	
				25/1	0-7-15	
				25/5	0-4-17	
				25/3	0-7-3	
				25/2	0-5-12	
				411	0-4-0	
				140/4	0-10-17	
				140/7	2-4-9	
				141/1	0-13-0	
				141/232	0-6-10	

[No. O-14016/420/84-GP]

का. आ. 4526.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-50/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	डेरापुर	डेरापुर	भाराजी डबरापुर	17/3	1-18-10	

[सं. O-14016/421/84-जी. पी.]

S.O. 4526.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Barally Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Dera-pur	Dera-pur	Araji Dabra-pur	17/3	1-18-10	

[No. O-14016/421/84-GP]

का. आ. 4527.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-50/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-जगदीशपुर-बरेली पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल जो लिया गया	विव-रण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	देरापुर	देरापुर	सन्दैना	83	0-10-10	
				82	0-8-8	
				80	0-9-12	
				81	0-15-8	
				78	0-1-4	
				350	0-12-16	
				349	0-3-12	
				346	1-12-9	
				347	0-15-2	
				322	0-17-7	
				321	0-10-8	
				327	0-2-1	
				328	0-5-1	
				329	0-6-2	
				339	0-7-3	
				338	0-14-2	
				337	0-6-10	
				336	0-9-8	
				335	0-1-19	
				159	0-3-18	
				268	0-5-0	
				258	0-9-16	
				267	0-6-10	
				257	0-6-10	
				259	0-6-10	
				249	0-16-8	
				247	1-9-13	
				215	1-2-15	
				238	0-17-2	
				237	0-7-10	
				236	0-6-10	
				644	0-0-16	
				647	0-15-14	
				646	1-6-0	
				692	0-8-0	
				32	0-1-6	
				84	0-1-6	
				334	0-1-0	
				266	0-0-10	
				248	0-0-5	
				216	0-2-5	
				323	0-2-5	
				162	0-2-15	
				256	0-1-1	
				645	0-1-4	
				649	0-2-4	
				758	0-7-16	
				673	1-4-14	
				681	0-4-10	
				650	0-4-11	
				653	0-4-11	
				655	0-12-2	
				683	1-2-15	
				687	0-0-12	
				688	1-5-0	
				691	0-19-10	
				241	0-0-10	
				643	0-0-5	
				242	0-0-10	
				340	0-0-10	
				682	0-10-0	
				648	0-1-5	

[सं. O-14016/422/84-जी. पी.]

S.O. 4527.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Jagadeeshpur Baraily Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Derapur	Derapur	Sanadana	83	0-10-10	
				82	0-8-8	
				80	0-9-12	
				81	0-15-8	
				78	0-1-4	
				350	0-12-16	
				349	0-3-12	
				346	1-12-9	
				347	0-15-2	
				322	0-17-7	
				321	0-10-8	
				327	0-2-1	
				328	0-5-1	
				329	0-6-2	
				339	0-7-3	
				338	0-14-2	
				337	0-6-10	
				336	0-9-8	
				335	0-1-19	
				159	0-3-18	
				268	0-5-0	
				258	0-9-16	
				267	0-6-10	
				257	0-6-10	
				259	0-6-10	
				249	0-16-18	
				247	1-9-18	
				215	1-2-15	
				238	0-17-2	
				237	0-7-10	
				236	0-6-10	
				644	0-0-16	
				647	0-15-14	
				646	1-6-0	
				692	0-8-0	
				32	0-1-6	
				84	0-1-6	
				334	0-1-0	
				266	0-0-10	
				248	0-0-5	
				216	0-2-5	
				323	0-2-5	
				162	0-2-15	
				256	0-1-1	
				645	0-1-4	
				649	0-2-4	
				758	0-7-16	
				673	1-4-14	
				681	0-4-10	
				650	0-4-11	
				653	0-4-11	
				655	0-12-2	
				683	1-2-15	
				687	0-0-12	
				688	1-5-0	
				691	0-19-10	
				241	0-0-10	
				643	0-0-5	
				242	0-0-10	
				340	0-0-10	
				682	0-10 0	
				648	0-1-5	

[No. O-14016/422/84-GP]

का. आ. 4528.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-50/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधि सूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-जगदीशपुर-बरेली पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव का नाम	गाटा संख्या	लिया गया क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	डेरापुर	डेरापुर	लौवा	405	1-3-10	
				406	1-1-10	
				407	0-2-14	
				429	0-0-3	
				430	0-2-10	
				431	0-13-0	
				432	0-16-0	
				433	0-18-0	
				440	0-4-0	
				441	1-6-0	

1	2	3	4	5	6	7
				442	1-0-0	
				453	0-2-10	
				458	0-10-4	
				459	1-5-0	
				460	0-18-0	
				461	0-0-12	
				479/3	0-6-0	
				480	1-11-0	
				481	1-10-0	
				482	0-8-4	
				484/1	0-15-0	
				482/2	0-15-0	
				485	1-16-8	
				434	0-18-0	
				500	0-2-0	

[सं. O-14016/423/84-जी. पी.]

S.O. 4528.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Jagdishpur-Bareily Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Derapur	Derapur	Lauva	405	1-3-10	
				406	1-1-10	
				407	0-2-14	
				429	0-0-3	
				430	0-2-10	
				431	0-13-0	
				432	0-16-10	
				433	0-18-0	
				440	0-4-0	
				441	1-6-0	
				442	1-0-0	
				453	0-2 10	
				458	0-10-4	
				459	1-5-0	
				460	0-18-0	
				461	0-0-12	
				479/3	0-6-0	
				480	1-11-0	
				481	1-10-0	
				482	0-8-4	
				484/1	0-15-0	
				482/2	0-15-0	
				485	1 16-8	
				434	0-18-0	
				500	0-2-0	

[No. O-14016/423/84-GP]

का. आ. 4529.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-50/बी, अलीगंज-लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा-जगदीशपुर-बरेली पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	डेरापुर	डेरापुर	भंदेमऊ	398	0-1-6	
				1	2-3-1	
				2	0-7-19	
				3	1-11-10	
				4	0-9-15	

[सं. O-14016/424/84-जी. पी.]

S.O. 4529.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state sjecifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Jagdishpur Baraily Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Dera-pur	Dera-pur	Bhand-mau	398	0-1-6	
				1	2-3-1	
				2	0-7-19	
				3	1-11-10	
				4	0-9-15	

[No.O-14016/424/84-GP]

का. आ. 4530—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा बरेली जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत : अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-50/बी,/ अलीगंज लखनऊ 226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	नामग्राम	गाव संख्या	लिया गया रकबा	विवरण—
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	डेरापुर	डेरापुर	दुबौली	378	0—02—06	
				380	0—11—0	
				381	1—04—01	
				382	1—05—15	
				408	0—02—02	
				415	0—05—04	
				416	0—0—16	
				418	0—12—10	
				419	0—0—08	
				420	0—15—12	
				421	0—17—0	
				423	0—0—13	
				426	0—17—0	
				427	0—0—07	
				429	1—07—0	
				430	0—01—06	

[सं. O—14016/425/84 — जी. पी.]

S.O. 4530.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Jagdishpur-Bareilly Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Derapur	Derapur	Dadauli	378	0-02-06	
				380	0-11-0	
				381	1-04-01	
				382	1-05-15	
				408	0-02-02	
				415	0-05-04	
				416	0-0-16	
				418	0-12-10	
				419	0-0-08	
				420	0-15-12	
				421	0-17-0	
				423	0-0-13	
				426	0-17-0-	
				427	0-0-07	
				429	1-07-0	
				430	0-01-06	

[No. O-14016/425/84-GP]

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1984

का. आ. 4531—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है, कि उत्तर प्रदेश में हजीरा —बरेली —जगदीशपुर तक पाईप लाईन पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल नय प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ—226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट -

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	कोंच	कोंच	चमेड	190	0—01	
				199	0—02	
				200	1—05	
				201	0—92	
				202	0—04	
				344	0—02	
				345	1—69	
				346	0—08	
				347	0—01	
				348	0—50	
				349	1—55	
				350	0—93	
				351	1—15	

[सं॰ O-14016/411/84 जी पी]

New Delhi, the 10th December, 1984

S.O. 4531.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Gas pipe line from Hajlra Gareilly-Jagdishpur Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jalalun	konch	konch	chamed	190	0–02	
				199	0–02	
				200	1–05	
				201	0–92	
				202	0–04	
				344	0–02	
				345	1–69	
				346	0–08	
				347	0–01	
				348	0–50	
				349	1–55	
				350	0–93	
				351	1–15	

[No. O-14016/411/84-GP]

का. आ. 4532.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिय पाइपलाइन तेल तथा प्राकृति गस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपूरा रोट, बडोदरा—9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।
राज्य —गुजरात जिला—पंचमहल तालुक : बहोव :—

गाव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सेंटीयर
भंवलाना	371/5	0	34	00
	371/4	0	11	00
	371/3	0	17	00
	371/2	0	09	00
	373/2	0	11	00
	373/3	0	25	00
	373/4	0	03	00
	358	0	20	00
	359/2	0	34	00
	371/1	0	12	00

[सं॰—O-14016/434/84—जी पी]

S.O. 4532.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District Panchamahal Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Chandvana	371/5	0	34	00
	371/4	0	11	00
	371/3	0	17	00
	371/2	0	09	00
	373/2	0	11	00
	373/3	0	25	00
	373/4	0	03	00
	358	0	20	00
	359/2	0	34	00
	371/1	0	12	00

[No. O-14016/434/84-GP]

का. आ. 4533.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा–9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहल तालुक—लमखेड़ा

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	से.
करोली	330	11	41	80
	कोटार	00	09	80

[सं. O-14016/435/84 जी. पी.]

S.O. 4533.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission:

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Limkheda

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Karoli	330	11	41	80
	Kotar	00	09	80

[No. O-14016/435/84-GP]

का. आ. 4534—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा–9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला— पंचमहल तालुका —हालोल

गांव	सर्वेनं.	हे.	आर.	से.
गोपी पुरा	203	0	55	00
	204	0	16	00
	कार्टट्रेक	0	07	00
	208	0	16	00
	209	0	01	00
	225	0	00	50
	224	0	18	00
	223	0	29	00
	222	0	24	00
	221	0	20	00
	220	0	24	00
	216	0	22	00
	कोटार	0	09	00
	54	0	47	00
	53	0	25	00
	कर्टट्रेक	0	02	00
	27	0	17	00
	28	0	29	00
	294	0	17	00
	कोटार	0	04	00
	21	0	73	00
	11	0	35	00
	12	0	33	00
	काट्रेक	0	11	00
	10	0	00	50
	70	0	34	00

[सं० O-14016/436/84 – जी. पी.]

S.O. 4534.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Gopipura	203	0	55	00
	204	0	16	00
	Kotar	0	07	00
	208	0	16	00
	209	0	01	00
	225	0	00	50
	224	0	18	00
	223	0	29	00
	222	0	24	00
	221	0	20	00
	220	0	24	00
	216	0	22	00
	Kotar	0	09	00
	54	0	47	00
	53	0	25	00
	Cart Track	0	02	00
	27	0	17	00
	28	0	29	00
	294	0	17	00
	Kotar	0	04	00
	21	0	73	00
	11	0	35	00
	12	0	33	00
	Cart Track	0	11	00
	10	0	00	50
	70	0	34	00

[No. O-14016/436/84-GP]

का. आ. 4535—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा–9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : कालोल

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	से.
टीम्बी	16	0	26	00
	14	0	33	00
	9	0	30	00
	12	0	24	00
	10	0	21	00
	11	0	21	00
	6	0	12	00

[सं. O 14016/437/84 जी. पी.]

S.O. 4535.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Timbi	16	0	26	00
	14	0	33	00
	9	0	30	00
	12	0	24	00
	10	0	21	00
	11	0	21	00
	6	0	12	00

[No. O-14016/437/84-GP]

का. आ. 4536—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

1211 GI/84—19

अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : देवगढ़ बारीया

गांव	सर्वे नं०	हे.	आर.	से.
चेनपुर	28	0	26	00
	29	0	18	00
	कोटार	0	04	00

[सं O-14016/436/84-जी.पी.]

S.O. 4536.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land, described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Markarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State: Gujarat District : Panchamahal Taluka: Devgadh Bariya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Chenpur	28	0	26	00
	29	0	18	00
	Kotar	0	04	00

[No. O-14016/438/84-GP]

का. आ. 4537.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए
राज्य-गुजरात जिला-पंचमहाल तालुका-देवगढ़ बारीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर.	सेन्टीयर
रातडीया	42	0	42	60
	41	0	23	27
	40	0	05	06
	83	0	00	50
	82	0	14	19
	50/1	0	21	24
	50/2	0	21	00
	53/पी	0	59	00

[सं. O-14016/439/84 जी. पी.]

S.O. 4537.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipelic from Hajira Bareilly Jagdishpur
State: Gujarat District: Panchamahal Taluka: Devgadh Bariya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Ratadiya	42	0	42	60
	41	0	23	27
	40	0	05	06
	83	0	00	50
	82	0	14	16
	50/1	0	21	24
	50/2	0	21	00
	53/P	0	59	00

[No. O-14016/439/84-GP]

का. आ. 4538.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें, उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : देव ड बारोया

गांव	सर्वे न.	हे.	आर.	से.
कोयडा	3	0	34	40
	4/2	0	12	00
	5	0	03	00
	6	0	10	32
	14	0	28	00
	15/1	0	40	00
	15/2	0	02	70
	17	0	21	00
	28/1	0	08	80
	28/2	0	33	30
	27	0	01	00
	कोटार	0	20	00
	28/3	0	00	50

[सं. O-14016/440/84 जी. पी.]

S.O. 4538.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur
State : Gujarat District: Panchamahal Taluka: Devgadh Bariya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Koyada	3	0	34	40
	4/2	0	12	00
	5	0	03	00
	6	0	10	32
	14	0	28	00
	15/1	0	40	00
	15/2	0	02	70
	17	0	21	00
	28/1	0	08	80
	28/2	0	33	30
	27	0	01	00
	Kotar	0	20	00
	28/3	0	00	50

[No. O-14016/440/84-GP]

का. आ. 4539.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाईन तेल तथा गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला : पंच महल तालुका : हालोल

गांव	सर्वे.	हैक्टयर	आरे.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
सुलतान पुरा	60	0	18	00
	63	0	18	00
	64	0	21	00
	65	0	42	00
	66	0	25	00
	67	0	04	00
	95	0	25	00
	19	0	37	00
	20	0	14	00
	13	0	08	00
	12	0	00	48
	24	0	52	00

[सं. O-14016/441/84-जी.पी.]

S.O. 4539.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur
State : Gujarat District Panchamahal Taluka : Halol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Sultanpura	60	0	18	00
	63	0	18	00
	64	0	21	00
	65	0	42	00
	66	0	25	00
	67	0	04	00
	95	0	25	00
	19	0	37	00
	20	0	14	00
	13	0	08	00
	12	0	00	48
	24	0	52	00

[No. O-14016/441/84-GP]

का. आ. 4540.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है:

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : देवगढ़ बारिया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
डांगरीया	277	0	28	00
	278	0	65	78
	276	0	06	08
	270	0	21	76
	271	0	06	00
	269/1	0	05	07
	269/2	0	16	80
	269/4	0	13	15
	268	0	03	60
	267/पै.	0	38	40
	263	0	39	30
	कोटार	0	12	24
	240	0	21	00
	244	0	23	27
	243	0	16	00
	242	0	33	12
	408	0	12	14
	कोटार	0	18	21
	कोटार	0	08	10
	231	0	61	28
	कोटार	0	28	00
	229	0	42	00
	228	0	27	90
	89	0	02	40
	कोटार	0	02	40
	93/पै.	0	91	70
	94	0	40	00
	कोटार	0	06	07
	98/पै.	0	18	33
	418/1	0	19	22
	418/2	0	04	40
	185	0	01	00
	184	0	28	00
	183/1	0	18	30
	183/2	0	34	20
	186/पै.	0	01	50
	182	0	15	52
	181	0	06	00
	179	0	08	64
	178	0	06	00
	180	0	16	18
	177	0	18	00
	176	0	14	95
	162	0	54	25
	161	0	04	05
	154/पै.	0	42	85
	155	0	18	72
	156	0	17	20
	148	0	03	78
	147	0	15	18
	146/पै.	0	15	64
	146/पै.	0	28	50
	267/पै.	0	01	50
	206/पै.	1	29	00

[सं. O-14016/442/84-जी. पी०]

S.O. 4540.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka: Devgadh Baria

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Dangariya	277	0	28	00
	278	0	65	78
	276	0	06	08
	270	0	21	76
	271	0	06	00
	269/1	0	05	07
	269/2	0	16	80
	269/4	0	13	15
	268	0	03	60
	267/P	0	38	40
	263	0	39	30
	Kotar	0	12	24
	246	0	21	00
	244	0	23	27
	243	0	16	00
	242	0	33	12
	408	0	12	14
	Kotar	0	18	21
	Kotar	0	08	10
	231	0	61	28
	Kotar	0	28	00
	229	0	42	00
	228	0	27	90
	89	0	02	40
	Kotar	0	02	40
	93/P	0	91	70
	94	0	40	00
	Kotar	0	06	07
	98/P	0	18	33
	418/1	0	19	22
	418/2	0	04	40
	185	0	01	00
	184	0	28	00
	183/1	0	18	30
	183/2	0	34	20
	186/P	0	01	50
	182	0	15	52
	181	0	06	00
	179	0	08	64
	178	0	06	00
	180	0	16	18

1	2	3	4	5
	177	0	18	00
	176	0	14	00
	162	0	54	95
	161	0	04	25
	154/P	0	42	85
	155	0	18	72
	156	0	17	20
	148	0	03	78
	147	0	15	18
	146/P	0	15	64
	146/P	0	28	50
	267/P	0	01	50
	206/P	1	29	00

[No. O-14016/442/84-GP]

का. आ. 4541.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्बद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहाल तालुका : हालोल

गांव	सर्वे. नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
जाम्बुडी	93	0	58	00
	84	0	62	00
	90	0	09	00
	87/पी	0	17	00
	87/पी	0	27	00
	17	0	01	00
	26	0	61	00
	27	0	22	00
	25	0	00	20
	28	0	29	00
	24	0	01	00
	29	0	37	00
	30	0	19	00
	31	0	28	00
	32	0	35	00
	34	0	08	00
	33	0	29	00
	59	0	19	00
	58	0	33	00

[सं. O-14016/443/84-जी. पी]

S.O. 4541.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira - Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka Halol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Jambudi	93	0	50	00
	84	0	62	00
	90	0	09	00
	87/P	0	17	00
	87/P	0	27	00
	17	0	01	00
	26	0	61	00
	27	0	22	00
	25	0	00	20
	28	0	29	00
	24	0	01	00
	29	0	37	00
	30	0	19	00
	31	0	28	00
	32	0	35	00
	34	0	08	00
	33	0	29	00
	59	0	19	00
	50	0	33	00

[No. O-14016/443/84-GP]

का. आ० 4542.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्ति गत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य गुजरात जिला पंचमहाल तालुका लिमखेड़ा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
बार	24	0	08	00
	12/ए/पी	0	34	00
	12/बी	0	00	50
	138	0	34	00
	11/1	0	03	00
	6/1	0	10	80
	6/2	0	30	00
	7/1	0	20	00
	7/2	0	52	00
	7/3	0	45	00
	142	0	37	50
	8/पी	1	77	00

[सं० O—14016/444/84-जी. पी.]

S.O. 4542.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers confered by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specificaly whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Limkheda

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Bar	24	0	08	00
	12/A/P	0	34	00
	12/B	0	00	50
	138	0	34	00
	11/1	0	03	00
	6/1	0	10	80
	6/2	0	30	00
	7/1	0	20	00
	7/2	0	52	00
	7/3	0	45	00
	142	0	37	50
	8/P	1	77	00

[No. O-14016/444/84-GP.]

का. आ. 4543.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल एवम् प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला पंचमहल तालुका—देवगढ़ बरीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टयर	आर	सेन्टीयर
3	2	3	4	5
वीगंपिया	47	0	39	00
	48	0	13	50
	44	0	31	80
	43	0	08	88
	42	0	50	52
	41	0	10	50
	40/पी	0	33	60
	39	0	20	23
	34	0	49	80
	32	0	29	70
	30	0	97	24
	कोटार	0	12	60

[सं. O-14016/445/84-जी. पी.]

S.O. 4543.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District-Panchmahal Taluka-Devgadh Bariya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Baliya	47	0	39	00
	48	0	13	50
	44	0	31	80
	43	0	08	88
	42	0	50	52
	41	0	10	50
	40/P	0	33	60
	39	0	20	23
	34	0	49	80
	32	0	29	70
	30	0	97	24
	Kotar	0	12	60

[No. O-14016/445/84-G.P.]

का. आ०. 4544.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, वड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : वाहोद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टयर	आर	सेन्टीयर
जालत	129	0	32	00
	130	0	32	90
	124	0	67	40
	125	0	18	20
	120	0	77	90
	128	0	06	00

[सं० O-14016/446/84-जी. पी.]

S. O. 4544.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District Panchmahal Taluka: Dahod.

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Jalat	129	0	32	00
	130	0	32	90
	124	0	67	40
	125	0	18	20
	120	0	77	90
	128	0	06	00

[No. O-14016/446/84-G.P.]

का.आ. 4545.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के के लिये एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, वड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहाल तालुका : दाहोद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
कतवारा	80/1	0	34	00
	88/1	0	54	00
	87	0	16	00
	86/पी	0	50	00
	85/2	0	06	00
	83/पी	0	26	00
	83/पी	0	08	00
	83/पी	0	15	00
	169/1	0	12	00
	168	0	16	00
	172/1	0	08	00
	173	0	17	00
	166	0	16	00
	174/1	0	03	00
	174/2	0	32	00
	187/1	0	38	00
	186	0	04	00
	188	0	10	00

[सं० O-14016/447/84-जी० पी.]

S. O. 4545.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod.

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Katvara	80/1	0	34	00
	88/1	0	54	00
	87	0	16	00
	86/P	0	50	00
	85/2	0	06	00
	83/P	0	26	00
	83/P	0	08	00
	83/P	0	15	00
	169/1	0	12	00
	168	0	16	00
	172/1	0	08	00
	173	0	17	00
	166	0	16	00
	174/1	0	03	00
	174/2	0	32	00
	187/1	0	38	00
	186	0	04	00
	188	0	18	00

[No. O-14016/447/84-GP]

का०आ० 4546.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग, का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिये।

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहाल तालुका—कालोल

गांव	ब्लोक नं०	हैक्टर	आर	सेंटीयर
बधाडा	70	0	02	40
	68	0	34	00
	67	0	19	22
	57	0	08	00
	58	0	35	41
	66/3	0	20	00
	59/4	0	37	44
	60	0	12	00
	48	0	01	00
	47	0	06	00
	45	0	12	16
	43	0	09	60
	44	0	05	06
	42/4	0	20	25
	42/5	0	02	00
	168	0	32	00
	166	0	19	22
	165	0	44	52
	164	0	12	00

1	2	3	4	5
	163	0	37	00
	186	0	19	22
	187	0	28	80
	190	0	22	00
	189	0	13	00
	कोटर	0	32	40
	209	0	08	00
	211	0	24	00
	213	0	40	00
	214	0	00	50

[सं० O-14016/448/84-जी०पी०]

S.O. 4546.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barcilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Varvada	70	0	02	40
	68	0	34	00
	67	0	19	22
	57	0	08	00
	58	0	35	41
	66/3	0	20	00
	59/4	0	37	44
	60	0	12	00
	48	0	01	00
	47	0	06	00
	45	0	12	15
	43	0	09	60
	44	0	05	06
	42/4	0	20	25
	42/5	0	02	00
	168	0	32	00
	166	0	19	22
	165	0	44	52
	164	0	12	00
	163	0	37	00
	186	0	19	22
	107	0	28	80
	190	0	22	00
	189	0	13	00
	Kotar	0	32	40
	209	0	08	00
	211	0	24	00
	213	0	40	00
	214	0	00	50

[No. O-14016/448/84- GP]

का०आ० 4547.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईपलाईन बिछाने के लिये

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहाल तालुका—कालोल

गांव	ब्लाक सं०	हैक्टर	आर	सेन्टीयर
राधनपुर	16	0	16	00

[सं० O-14016/449/84-जी०पी०]

S.O. 4547.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Radhanpur	16	0	16	00

[No. O-14016/449/84-GP]

का० आ० 4548.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्बद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिये ।

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहाल तालुका—कलोल

गांव	सर्वे नं०	हैक्टर	आर	सेन्टीयर
कडचला	कार्ट ट्रेक	0	00	70
	447	0	04	32
	448	0	29	48
	450	0	24	86
	452	0	07	08
	451	0	15	36
	350	0	02	64
	कार्ट ट्रेक	0	03	20
	349	0	22	08
	346	0	08	64
	347	0	41	76
	461	0	10	88
	462	0	33	60
	464/ए	0	35	84
	466	0	02	60

[सं० O-14016/450/84-जी०पी०]

S. O. 4548.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kadachala	Cart Track	0	00	70
	447	0	04	32
	448	0	29	48
	450	0	24	86
	452	0	07	08
	451	0	15	36
	350	0	02	64
	Cart track	0	03	20
	349	0	22	08
	346	0	08	64
	347	0	41	76
	461	0	10	88
	462	0	33	60
	464/A	0	35	84
	466	0	02	60

[No. O-14016/450/84-GP]

का०आ० 4549.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिये।

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहाल तालुका—हालोल

गांव	सर्वे नं०	हैक्टर	आर	सेन्टीयर
अरबाडा	129/1	0	09	40
	130/2	0	18	53
	134/2	0	22	88
	134/1	0	24	70
	118	0	26	78
	116	0	38	60
	119	0	00	80

1	2	3	4	5
बारवाडा—जारी	114	0	20	00
	120/1	0	18	85
	121	0	10	20
	113/1	0	19	30
	112/2	0	04	40
	112/3	0	10	00
	112/1	0	15	40
	112/4	0	18	80
	111	0	47	80
	102	0	94	00
	103	0	11	79

[सं० O-14016/451/84-जी०पी०]

S.O. 4549.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hectare	ARE	Centiar
Varbada	129/1	0	09	40
	130/2	0	18	53
	134/2	0	22	88
	134/1	0	24	70
	118	0	26	78
	116	0	38	60
	119	0	00	80
	114	0	20	00
	120/1	0	18	85
	121	0	10	20
	113/1	0	19	30
	112/2	0	04	40
	112/3	0	10	00
	112/1	0	15	40
	112/4	0	18	80
	111	0	47	80
	102	0	94	00
	103	0	11	79

[No. O-14016/451/84-GP]

का०आ० 4550.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये;

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईपलाईन बिछाने के लिये

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहाल तालुका—हालोल

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
माजपुरा	47	0	35	00
	49	0	03	00
	48	0	04	00
	46	0	15	00
	45	0	34	60
	44	0	09	00
	43	0	00	10
	42	0	15	00
	41	2	73	00
	41	0	03	20
	40	2	66	75

[सं० O-14016/453/84-जी०पी०]

S. O. 4550.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009):

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Bareilly-Jagdishpur
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Tajpura	47	0	35	00
	49	0	03	00
	48	0	04	00
	46	0	15	00
	45	0	34	00
	44	0	09	00
	43	0	00	10
	42	0	15	00
	41	2	73	00
	41	0	03	20
	40	2	66	75

[No. O-14016/453/84-GP]

का०आ० 4551.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिये
राज्य—गुजरात जिला—पंचमहाल तालुका—हलोल

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टर	आर	सेन्टीयर
अभेटवा	128	0	39	00
	129	1	00	00
	139	0	30	00
	135	0	03	00
	138	0	36	00
	142	0	02	00
	110	0	50	00
	111	0	14	00
	109	0	22	00
	108	0	00	50
	107	0	59	00
	106/B	0	19	00

[सं० O-14016/454/84-ओ०पी०]

S. O. 4551.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Bareilly-Jagdishpur
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Abhetwa	128	0	39	00
	129	1	00	00
	139	0	30	00
	135	0	03	00
	138	0	36	00
	142	0	02	00
	110	0	50	00
	111	0	14	00
	109	0	22	00
	108	0	00	50
	107	0	59	00
	106/B	0	19	00

[No. O-14016/454/84—GP]

का. आ. 4552.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : हालोल

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर०	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
इटवाडी	208/1	0	27	00
	208/2	0	00	25
	62/3	0	11	25
	62/4	0	22	75
	62/2	0	16	00
	61/1	0	14	35
	64	0	31	00
	65	0	00	25
	72/3	0	15	30
	72/2	0	03	50
	71/2/1	0	24	00
	71/1	0	31	50
	70/2/2	0	26	75
	69/2	0	46	50
	70/1	0	00	60
	69/1	0	54	00
	50/2	0	01	26
	50/1	0	25	65
	49	0	22	00
	51/1	0	02	88
	48/2	0	01	00
	53/3	0	20	78
	53/4	0	00	08
	53/2/2	0	13	60
	53/2/1	0	08	60
	53/1	0	00	30
	54	0	05	80
	27/1/6	0	04	00
	27/1/5	0	03	00
	27/1/4	0	03	00
	27/1/3	0	03	00
	27/1/2	0	04	00
	27/1/1	0	04	00
	27/2	0	02	60
	13/2	0	07	87
	13/1	0	12	13
	12/2	0	18	08
	12/1	0	03	06
	12/3	0	15	26
	9/1	0	02	70
	12/4	0	12	00
	11	0	01	00
	9/2	0	04	30
	10/1	0	26	13
	10/2	0	00	33
	6/2	0	27	80
	6/1	0	05	00

[सं. O.-14016/455/84-जी. पी.]

S. O. 4552.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Bareilly-Jagdishpur
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Itwadi	208/1	0	27	00
	208/2	0	00	25
	62/3	0	11	25
	62/4	0	22	75
	62/2	0	16	00
	61/1	0	14	35
	64	0	31	00
	65	0	00	25
	72/3	0	15	30
	72/2	0	03	50
	71/2/1	0	24	00
	71/1	0	31	50
	70/2/2	0	26	75
	69/2	0	46	50
	70/1	0	00	60
	69/1	0	54	00
	50/2	0	01	26
	50/1	0	25	65
	49	0	22	00
	51/1	0	02	88
	48/2	0	01	00
	53/3	0	20	78
	53/4	0	00	08
	53/2/2	0	13	60
	53/2/1	0	08	60
	53/1	0	00	30
	54	0	05	80
	27/1/6	0	04	00
	27/1/5	0	03	00
	27/1/4	0	03	00
	27/1/3	0	03	00
	27/1/2	0	04	00
	27/1/1	0	04	00
	27/2	0	02	60
	13/2	0	07	87
	13/1	0	12	13
	12/2	0	18	08
	12/1	0	03	06

1	2	3	4	5
	12/3	0	15	26
	9/1	0	02	70
	12/4	0	12	00
	11	0	01	00
	9/2	0	04	30
	10/1	0	26	13
	10/2	0	00	33
	6/2	0	27	80
	6/1	0	05	00

[No. O-140164/55/84—GP]

का. आ. 4553—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : हालोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
वरसडा	77/2	0	01	00
	77/1	0	22	00
	77/3	0	21	00
	77/5	0	05	00
	76/5ए	0	16	00
	76/5	0	09	00
	76/2	0	06	00
	76/3	0	16	00
	84/4	0	12	00
	84/5	0	14	00
	79/2	0	00	32
	83/2	0	04	00
	83/3	0	09	00
	82/1/1	0	01	00
	85/6	0	06	00
	85/3	0	30	00
	85/2/2	0	10	00

[सं. O.—14016/456/84— जी. पी.]

S. O. 4553.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur
State : Gujarat District : Panchamahal & Taluka : Halol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Varsada	77/2	0	01	00
	77/1	0	22	00
	77/3	0	21	00
	77/5	0	05	00
	76/5A	0	16	00
	76/5	0	09	00
	76/2	0	06	00
	76/3	0	16	00
	84/4	0	12	00
	84/5	0	14	00
	79/2	0	00	32
	83/2	0	04	00
	83/3	0	09	00
	82/1/1	0	01	00
	85/6	0	06	00
	85/3	0	30	00
	85/2/2	0	10	00

[No. O-14016/456/84-GP]

का. आ. 4554—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से अगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : हालोल

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
तरखंडा	298	0	42	00
	296	0	01	00
	281/ए	0	16	53
	280	0	27	14
	279	0	21	93
	278	0	19	14
	276	0	44	00
	973	0	22	10
	1	0	27	46
	12	0	27	62
	11	0	03	66
	कार्ट ट्रेक	0	05	00
	50	0	16	72
	107	0	04	84
	कार्ट ट्रेक	0	02	25
	51	0	00	58
	106	0	14	96
	104	0	10	90
	105	0	12	96
	102	0	15	22
	115	0	00	05
	116	0	12	44
	101	0	12	44
	117	0	60	84
	158	0	01	70
	159	0	03	69
	160	0	11	20
	513	0	21	08
	514	0	10	18
	कान्ग	0	04	50
	511	0	11	73
	510	0	10	56
	509	0	28	29
	508	0	06	40
	507	0	01	10
	502	0	30	36
	501	0	14	30
	503	0	14	20
	499	0	36	64
	498	0	11	98
	610	0	17	80
	612	0	02	75
	611	0	15	84
	646/ए	0	09	15
	646/बी	0	09	78
	647	0	08	26
	644	0	53	90
	643	0	18	06
	650	0	15	57
	652	0	37	80
	682	0	31	28
	681	0	31	90
	679	0	17	94
	680	0	00	50
	678	0	97	54
	651	0	22	08

[सं. O--14016/457/84-जी० पी.]

S. O. 4554.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur
State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Halol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Tarkhanda	298	0	42	00
	296	0	01	00
	281/A	0	16	53
	280	0	27	14
	279	0	21	93
	278	0	19	14
	276	0	44	00
	973	0	22	10
	1	0	27	46
	12	0	27	62
	11	0	03	66
	Cart track	0	05	00
	50	0	16	72
	107	0	04	84
	Cart track	0	02	25
	51	0	00	58
	106	0	14	96

1	2	3	4	5
	104	0	10	90
	105	0	12	96
	102	0	15	22
	115	0	00	05
	116	0	12	44
	101	0	12	44
	117	0	60	84
	158	0	01	70
	159	0	03	69
	160	0	11	20
	513	0	21	08
	514	0	10	18
	Kans	0	04	50
	511	0	11	73
	510	0	10	56
	509	0	28	29
	508	0	06	40
	507	0	01	10
	502	0	30	36
	501	0	14	30
	503	0	14	20
	499	0	36	64
	498	0	11	98
	610	0	17	80
	612	0	02	75
	611	0	15	84
	646/A	0	09	15
	646/B	0	09	78
	647	0	08	26
	644	0	53	90
	643	0	18	06
	650	0	15	57
	652	0	37	90
	682	0	31	28
	681	0	31	90
	679	0	17	94
	680	0	00	50
	678	0	97	54
	651	0	22	08

[No. O-14016/457/84-G.P.]

का. आ. 4555. —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा—9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : हालोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मालो आव	121	0	25	00
	120/1	0	12	00
	120/2	0	08	00
	120/4	0	10	00
	116	0	36	00
	115	0	38	00
	111	0	21	00
	114	0	08	00
	112/1	0	10	00
	112/2	0	00	16
	113/2	0	12	00
	77/1	0	19	00
	77/3	0	22	00
	77/4	0	01	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	106/1	0	18	00
	105/1	0	26	00
	105/3	0	30	00
	105/2	0	00	16
	105/4	0	07	00
	98/3	0	25	00
	कार्ट ट्रेक	0	05	00
	100/पी	0	26	00
	99	0	09	00
	कोटार	0	09	00
	89/1	0	42	00
	89/2	0	01	00

[सं. O—14016/458/84—जी. पी.]

S. O. 4555.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Saliav	121	0	25	00
	120/1	0	12	00
	120/2	0	08	00
	120/4	0	10	00
	116	0	36	00
	115	0	38	00
	111	0	21	00
	114	0	08	00
	112/1	0	10	00
	112/2	0	00	16
	113/2	0	12	00
	77/1	0	19	00
	77/3	0	22	00
	77/4	0	01	00
	Cart track	0	03	00
	106/1	0	18	00
	105/1	0	26	00
	105/3	0	30	00
	105/2	0	00	16
	105/4	0	07	00
	98/3	0	25	00
	Cart track	0	05	00
	100/P	0	26	00
	99	0	09	00
	Kotar	0	09	00
	89/1	0	42	00
	89/2	0	01	00

[No. O-14016/458/84-GP]

का. आ. 4556.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

1211 GI/84—21

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात	जिला : पंचमहल	तालुका : हालोल		
गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
विंटाज	कार्ट ट्रेक	0	02	00
	602	0	05	00
	390	0	22	20
	कार्ट ट्रेक	0	01	28
	608/2	0	17	00
	407	0	11	00
	610	0	03	00
	611	0	22	00
	507	0	45	00
	506	0	20	00
	505	0	19	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	50
	350/3	0	21	00
	346/2	0	00	16
	346/1	0	00	16
	349/4	0	14	00
	349/3	0	08	00
	340/2	0	05	00
	340/1	0	01	00
	347/2	0	05	00
	347/1	0	18	00
	329/3	0	02	00
	329/2	0	16	00
	331/2	0	01	00
	331/1	0	07	00
	331/3	0	00	08
	330	0	24	00
	326	0	45	00
	327	0	01	00
	322/2	0	10	00
	322/3	0	01	00
	323/1	0	26	00
	314/2	0	05	00
	314/1	0	11	00
	315/2	0	06	16
	312	0	07	00
	308/पी	0	11	00
	310/1	0	19	00
	309	0	19	16
	308/पी	0	04	00
	302	0	27	16
	295/3	0	01	00
	295/2	0	14	00
	241/2	0	05	00
	241/1	0	11	00
	242	0	21	00
	243/1	0	21	00
	243/2	0	04	00
	272	0	12	00

2	3	4	5
271	0	47	00
273	0	29	00
266/1	0	05	00
265	0	24	00
कोटर	0	28	00

[सं. O.—14016/459/84-जी. पी.]

S. O. 4556.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Vintoj	Cart track	0	02	00
	602	0	05	00
	390	0	22	20
	Cart track	0	01	28
	608/2	0	17	00
	407	0	11	00
	610	0	03	00
	611	0	22	00
	507	0	45	00
	506	0	20	00
	505	0	19	00
	Cart track	0	03	50
	350/3	0	21	00
	346/2	0	00	16
	346/1	0	00	16
	349/4	0	14	00
	349/3	0	08	00
	349/2	0	05	00
	349/1	0	01	00
	347/2	0	05	00
	347/1	0	18	00
	329/3	0	02	00
	329/2	0	16	00
	331/2	0	01	00
	331/1	0	07	00
	331/3	0	00	08
	330	0	24	00
	326	0	45	00
	327	0	01	00
	322/2	0	10	00
	322/3	0	01	00
	323/1	0	26	00
	314/2	0	05	00
	314/1	0	11	00
	315/2	0	06	16
	312	0	07	00
	308/P	0	11	00
	310/1	0	19	00
	309	0	19	16
	308/P	0	04	00
	302	0	27	16
	295/3	0	01	00
	295/2	0	14	00
	241/2	0	05	00
	241/1	0	11	00
	242	0	21	00
	243/1	0	21	00
	243/2	0	04	00
	272	0	12	00
	271	0	47	00
	273	0	29	00
	266/1	0	05	00
	265	0	24	00
	Kotar	0	28	00

[No. O-14016/459/84-G.P.]

का. आ. 4557.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : हालोल

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
धनसर	169	0	42	00
	168	0	28	87
	165	0	16	68
	178/पी	0	50	29

1	2	3	4	5
	179	0	18	95
	183	0	10	62
	187	0	04	80
	186	0	38	10
	188	0	13	50
	25/3	0	00	20
	25/2	0	20	90
	24	0	18	75
	25/1	0	16	05
	23	0	16	32
	26/2	0	15	10
	26/1/1	0	24	00
	21	0	22	20
	20	0	32	20
	14/2	0	10	56
	14/1	0	07	80
	14/3	0	12	44
	14/4	0	08	40
	6	0	53	65

[सं. O-14016/460/84-जी. पी.]

S. O. 4557.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Halol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Dhansar	169	0	42	00
	168	0	28	87
	165	0	16	68
	178/P	0	50	29
	179	0	18	95
	183	0	10	62
	187	0	04	80
	186	0	38	10
	188	0	13	50
	25/3	0	00	20
	25/2	0	20	90
	24	0	18	75
	25/1	0	16	05
	23	0	16	32
	26/2	0	15	10
	26/1/1	0	24	00
	21	0	22	20
	20	0	32	20
	14/2	0	10	56
	14/1	0	07	80
	14/3	0	12	44
	14/4	0	08	40
	6	0	53	65

[No. O-14016/460/84-G.P.]

का. आ. 4558.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य :—गुजरात जिला :—पंचमहल तालुका :—कालोल

गांव	सर्वे न.	हक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
मलाप	221/1/ए/30	0	19	00
	221/1/ए/41	0	02	00
	221/1/ए/51	0	32	00
	221/1/ए/61	0	12	00
	221/1/ए/60	0	21	00
	221/1/ए/71	0	34	00
	221/1/ए/70	0	10	00
	221/1/ए/81	0	15	00
	221/1/ए/80	0	16	00
	221/1/ए/83	0	08	00
	221/1/ए/91	0	05	00
	221/1/ए/79	0	01	00
	221/1/ए/90	0	19	00
	221/1/ए/99	0	17	00
	221/1/ए/98	0	03	00
	221/1/ए/106	0	01	00
	221/1/ए/105	0	21	00
	221/1/ए/112	0	22	00
	221/1/ए/111	0	00	60

1	2	3	4	5
मलाव (जारी)	221/1/ए/120	0	05	00
	221/1/ए/119	0	16	00
	221/1/ए/127	0	07	00
	221/1/ए/126	0	26	00
	221/1/ए/133	0	07	00
	221/1/ए/138	0	29	00
	221/1/ए/142/प	0	33	00
	221/1/ए/142/प	0	24	00

[सं. O.-14016/461/84-जी. पी.]

S. O. 4558.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira Bareilly to Jagdishpur
State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hec.	Are	Cent.
Malav	221/1/A/30	0	19	00
	221/1/A/41	0	02	00
	221/1/A/51	0	32	00
	221/1/A/61	0	12	00
	221/1/A/60	0	21	00
	221/1/A/71	0	34	00
	221/1/A/70	0	10	00
	221/1/A/81	0	15	00
	221/1/A/80	0	16	00
	221/1/A/83	0	08	00
	221/1/A/91	0	05	00
	221/1/A/79	0	01	00
	221/1/A/90	0	19	00
	221/1/A/99	0	17	00
	221/1/A/98	0	03	00
	221/1/A/106	0	01	00
	221/1/A/105	0	21	00
	221/1/A/112	0	22	00
	221/1/A/111	9	00	60
	221/1/A/120	0	05	00
	221/1/A/119	0	16	00
	221/1/A/127	0	07	00
	221/1/A/126	0	26	00
	221/1/A/133	0	07	00
	221/1/A/138	0	29	00
	221/1/A/142/P	0	33	00
	221/1/A/142/P	0	24	00

[No. O-14016/461/84-G.P]

का. आ. 4559.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।
राज्य : गुजरात जिला : पंचमहाल तालुका : देवगढ़ बारीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
गोलाव	893/पी	0	20	00
	892/पी	0	30	00
	887/पी	0	18	00
	889	0	25	00
	887/पी	0	05	00
	888	0	52	00
	881	1	46	00
	856	0	03	00
	857	0	46	00
	862/4	0	01	60
	880	0	41	00
	873	0	00	10
	872	0	65	00
	871	0	41	00
	870	0	32	00
	80/1/पी	3	00	00
	100	0	03	00
	101	0	13	00
	144	0	40	00
	134	0	02	00
	143	0	58	00
	142	0	38	00
	146/पी	0	06	00
	146/पी	0	10	00
	139/पी	0	15	00
	139/पी	0	13	00
	139/पी	0	03	00
	139/पी	0	14	00

1	2	3	4	5
गोलाव (जारी)	139/पी	0	05	00
	147/3	0	10	00
	147/2	0	14	00
	147/1	0	20	00
	167	0	26	00
	160	0	36	00
	159	0	20	00

[सं. O-14016/462/84-जी. पी]

S. O. 4559.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Hazira Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Devgadhbariya

Village	Survey No.	Hect.	Are	Cent.
1	2	3	4	5
Gollav	893/P	0	20	00
	892/P	0	30	00
	887/P	0	18	00
	889	0	25	00
	887/P	0	05	00
	888	0	52	00
	881	1	46	00
	856	0	03	00
	857	0	46	00
	862/4	0	01	60
	880	0	41	00
	873	0	00	10
	872	0	05	00
	871	0	41	00
	870	0	32	00
	80/1/P	3	00	00
	100	0	03	00
	101	0	13	00
	144	0	40	00
	134	0	02	00
	143	0	58	00
	142	0	38	00
	146/P	0	06	00
	146/P	0	10	00
	139/P	0	15	00
	139/P	0	13	00
	139/P	0	03	00
	139/P	0	14	00
Gollav (Contd.)	139/P	0	05	00
	147/3	0	10	00
	147/2	0	14	00
	147/1	0	20	00
	167	0	26	00
	160	0	36	00
	159	0	20	00

[No. O-14016/462/84-G.P.]

का. आ. 4560:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जन करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला: पंचमहल ता. : देवगढ़ बारिया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
उदावना	85/1/पी	0	43	00
	85/2/1	0	07	00
	85/2/पी	0	07	00
	85/3/पी	0	04	00
	101	0	00	70
	99/2	0	30	00
	99/7	0	01	44
	99/6	0	28	00
	99/5	0	00	75
	99/4	0	10	00
	103	0	24	00
	कोतार	0	28	00
	130	0	03	00
	129	0	77	00
	128	0	10	00
	127	0	41	00
	126	0	41	00
	125	0	62	00

[सं० O-14016/463/84-जी.पी.]

S. O. 4560.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Hazira-Barellly-Jagdishpur
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Devgadhbariya

Village	Survey No.	Hect.	Are	Cent
Udhavala	85/1/P	0	43	00
	85/2/1	0	07	00
	85/P/2	0	07	00
	85/3/P	0	04	00
	101	0	00	70
	99/2	0	30	00
	99/7	0	01	44
	99/6	0	28	00
	99/5	0	00	75
	99/4	0	10	00
	103	0	24	00
	Kotar	0	28	00
	130	0	03	00
	129	0	77	00
	128	0	10	00
	127	0	41	00
	126	0	41	00
	125	0	62	00

[No. O-14016/463/84-G.P.]

का. आ. 4561 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।
राज्य : गुजरात जिला—पंचमहाल तालुक—देवगढ़बारिया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
आवका	138	0	24	00
	126/1	0	09	00
	109/ए	0	24	00
	127/2+5	0	02	00
	127/1/ए	0	04	00
	127/2/1	0	07	00
	127/2/8	0	10	00
	130/1/3	0	32	00
	130/2/सी	0	22	00
	130/1/ए	0	14	00
	130/1/बी	0	15	00
	130/2	0	14	00
	131	0	41	00
	133/1	0	16	00
	133/2	5	38	00
	134	0	87	00
	136	0	40	00
	174/ए/पी	0	20	23
	174/पी	0	67	00
	174/ए	0	60	77
	174/ए/पी	0	48	00
	174/ए	0	23	00
	174/ए/पी	0	20	00
	193/पी	1	45	00
	193/पी	1	12	00
	193/पी	0	86	00
	175	0	05	00
	176/1	0	50	00
	176/2	0	13	00

[सं. O-14016/464/84-जी. पी.]

S. O. 4561.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exerise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of the notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Hazira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hect.	Are	Centiare
Bavaka	138	0	24	00
	126/1	0	09	00
	109/A	0	24	00
	127/2+5	0	02	00
	127/1/A	0	04	00
	127/2/1	0	07	00
	127/2/8	0	10	00
	130/1/3	0	32	00
	130/2/C	0	22	00
	130/1/A	0	14	00
	130/1/B	0	15	00
	130/2	0	14	00
	131	0	41	00
	133/1	0	16	00
	133/2	0	38	00
	134	0	87	00
	136	0	49	00
	174/A/P	0	20	23
	174/P	0	67	00
	174/A	0	60	77
	174/A/P	0	48	00
	174/A	0	23	00
	174/A/P	0	20	00
	193/P	1	45	00
	193/P	1	12	00
	193/P	0	86	00
	175	0	05	00
	176/1	0	50	00
	176/2	0	12	00

[No. O-14016/464/84-G.P.]

का. आ. 4562 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में पयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य-गुजरात जिला-पंचमहल तालूका-दाहोद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
नगरोला	141	0	46	00
	148	0	41	00
	149	0	00	50
	152	0	26	00
	154	0	49	00
	156	0	26	00
	137/1	0	02	00
	136/पी	0	57	00
	135/1	0	15	00
	135/2	0	15	00
	123/4	0	19	00
	123/2	0	27	00
	123/3	0	16	00
	124/1	0	11	00
	124/2	0	07	28
	129/7	0	05	00
	126/2/पी	0	26	00
	126/1/पी	0	13	70
	127/पी	0	37	00
	69/1	0	13	00
	69/2	0	04	00
	64	0	28	00
	63/1	0	03	00
	63/2	0	06	00
	65/1	0	22	00
	65/2	0	22	00
	60/8	0	31	00
	60/7	0	00	50
	60/4/ए 60/4/बी	0	25	00
	60/5	0	37	00
	53/ए	0	24	00
	52	0	16	50
	47/1	0	37	00
	47/2	0	29	00
	48	0	01	00

[सं० O-14016/465/84-जी. पी.]

S.O. 4562.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from HAJIRA-BAREILLY to JAGDISHPOR in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whrether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Hazira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hect.	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Nagrala	144	0	46	00
	148	0	41	00
	149	0	00	50
	152	0	26	00
	154	0	49	00
	156	0	26	00
	137/1	0	02	00
	136/P	0	57	00
	135/1	0	15	00
	135/2	0	15	00
	123/4	0	19	00
	123/2	0	27	00
	123/3/	0	16	00
	124/1	0	11	00
	124/2	0	07	28
	129/7	0	06	00
	126/2/P	0	26	00
	126/1/P	0	13	70
	127/P	0	37	00
	69/2	0	13	00
	69/2	0	04	00
	64	0	28	00
	63/1	0	03	00
	63/2	0	06	00
	65/1	0	22	00
	65/2	0	22	00
	60/8	0	31	00
	60/7	0	00	50
	60/4/A 60/4/B	0	25	00
	60/5	0	37	00
	53/A	0	24	00
	52	0	16	50
	47/1	0	37	00
	47/2	0	29	00
	48	0	01	00

[No. O-14016/465/84-G.P.]

का. आ. .... यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्‌पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्‌द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य–गुजरात जिला–पंचमहल तालुका–दाहोद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
भूटोडी	110	0	28	00
	99	1	00	00
	97	1	40	00
	90/पी	0	98	00
	96	1	08	00
	91	0	39	00
	94	0	18	00
	93	0	77	00

[सं. O-14016/466/84-जी. पी.]

S.O. 4563.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Bhutodi	110	0	28	00
	99	1	00	00
	97	1	40	00
	90/P	0	98	00
	96	1	08	00
	91	0	39	00
	94	0	18	00
	93	0	77	00

[No. O-14016/466/84-G.P.]

का.आ. सं. 4564—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतत्पश्चात् अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहल तालुका—दाहोद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
गमला	40	0	24	64
	39/1	0	14	70
	39/2	0	09	75
	42/1	0	10	90
	46	0	08	64
	47/3	0	41	52
	50	0	05	00
	53/1	0	02	50
	53/3	0	22	90
	53/2	0	02	64
	53/4	0	11	38
	52/1	0	24	60
	52/2	0	09	87
	86/1	0	24	36
	87	0	13	20
	88	0	21	90
	90/5	0	02	10
	93	0	15	32
	127/1	0	41	60
	127/2	0	03	45
	132/1	0	01	25
	134/1	0	05	98
	134/2	0	15	62
	135/3	0	24	30
	135/5	0	08	54
	135/6	0	09	80
	123/1	0	16	76
	123/2	0	12	93
	121/1	0	02	32
	121/2	0	13	53
	121/7	0	12	54
	121/8	0	12	12
	121/3	0	09	28
	121/5	0	14	64
	120/1	0	04	20
	120/2	0	15	00
	120/3	0	08	23
	121/12	0	17	25
	121/13	0	18	20
	117/1	0	22	88
	117/2	0	03	85
	117/3	0	18	45
	146	0	18	00
	147/1	0	08	10

[सं. O-14016/467/84-जी. पी.]

S.O. 4564.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Barelly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod

Village	Survey No. -	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Gamla	40	0	24	64
	39/1	0	14	70
	39/2	0	09	75
	42/1	0	10	90
	46	0	08	64
	47/3	0	41	52
	50	0	05	00
	53/1	0	02	50
	53/3	0	22	90
	53/2	0	02	64
	53/4	0	11	38
	52/1	0	24	60
	52/2	0	09	87
	86/1	0	24	36
	87	0	13	20
	88	0	21	90
	90/5	0	02	10
	93	0	15	32

1	2	3	4	5
	127/1	0	41	60
	127/2	0	03	45
	132/1	0	01	25
	134/1	0	05	98
	134/2	0	15	62
	135/3	0	24	30
	135/5	0	08	54
	135/6	0	09	80
	123/1	0	16	76
	123/2	0	12	93
	121/1	0	02	32
	121/2	0	13	53
	121/7	0	12	54
	121/8	0	12	12
	121/3	0	09	28
	121/5	0	14	64
	120/1	0	04	20
	120/2	0	15	00
	120/3	0	08	23
	121/12	0	17	25
	121/13	0	18	20
	117/1	0	22	88
	117/2	0	03	85
	117/3	0	18	45
	146	0	18	00
	147/1	0	08	10
गडोई-जारी	131	0	26	00
	132	0	28	00
	88	0	18	00
	89	0	54	00
	90	0	01	00
	93	0	25	00
	96	0	50	00
	98	0	68	00

[No. O-14016/467/84 G.P.]

[सं. O-14016/468/84-जी.पी.]

का. आ. 4565.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात; जिला—पंचमहाल; तालुका—हालोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे	सेन्टीयर
1	3	3	4	5
गडोई	139	3	58	00
	145	0	39	00
	146	0	22	00
	136	0	30	00
	135	0	62	00

S.O. 4565.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein .

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Gadoi	139	3	58	00
	145	0	39	00
	146	0	22	00
	136	0	30	00
	135	0	62	00
	131	0	26	00
	132	0	28	00
	88	0	18	00
	89	0	54	00
	90	0	01	00
	93	0	25	00
	96	0	50	00
	98	0	68	00

[No. O-14016/468/84-G.P]

का. आ. 4566.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार

ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण तथा देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहाल तालुका—लीमखेड़ा

गांव	सर्वे नं	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
टिम्बा	31	0	39	87
	29	0	59	16
	28/1/पी	0	00	90
	कोटार	0	22	86
	11/1	0	00	64
	12/2	0	06	39
	12	0	30	56
	12/1	0	12	92
	13/3/पी	0	17	00
	13/2/पी	0	14	40
	13/1	0	09	00
	13/4	0	01	86
	14	0	12	40
	15	0	12	18
	15	0	04	56
	16	0	64	35
	कोटार	0	18	48
	18	0	41	68
	19/1	0	02	55
	7/पी	1	99	97
	51/5	0	07	82
	53/1	0	09	45
	53/2	0	43	69
	56/1/पी	0	63	44
	56/2/पी	0	26	35
	57	0	57	00
	2	0	72	90
	3/1	0	22	00
	3/2	0	18	90
	3/3	0	19	35
	4/1	0	26	88
	5	0	07	72
	6/1	0	06	72
	6/9	0	16	00
	6/2	0	20	64
	6/3	0	10	00
	6/4	0	12	18
	6/5	0	88	00

[सं० O-14016/469/84-जी० पी०]

S.O. 4566.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Bareilly to Jagdishpur
State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Limkheda

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Timba	31	0	39	87
	29	0	59	16
	28/1/P	0	00	90
	Kotar	0	22	86
	11/1	0	00	64
	12/2	0	06	39
	12	0	30	56
	12/1	0	12	92
	13/3/P	0	17	00
	13/2/P	0	14	40
	13/1	0	09	00
	13/4	0	01	86
	14	0	12	40
	15	0	12	18
	15	0	04	56
	16	0	64	35
	Kotar	0	18	48
	18	0	41	68
	19/1	0	02	55
	7/P	1	99	97
	51/5	0	07	82
	53/1	0	09	45
	53/2	0	43	69
	56/1/P	0	63	44
	56/2/P	0	26	35
	57	0	57	00
	2	0	72	90
	3/1	0	22	00
	3/2	0	18	90
	3/3	0	19	35
	4/1	0	26	88
	5	0	07	72
	6/1	0	06	72
	6/9	0	16	00
	6/2	0	20	64
	6/3	0	10	00
	6/4	0	12	18
	6/5	0	88	00

[No. O-14016/469/84-G.P.]

का.आ. 4567.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहाल तालुका—लीमखेड़ा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
अम्बा	140	0	42	00
	81	3	54	87
	117	0	27	00
	143	0	46	02
	144	0	09	27
	137	0	43	01
	136	0	30	97
	135	0	33	60
	82	0	32	24
	83	0	50	75
	133	0	08	32
	122	0	21	76
	63	0	57	00
	62	0	36	79
	61	0	45	09

[सं. ओ-14016/470/84—जी. पी.]

S.O. 4567.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares, its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira to Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Limkheda

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Amba	140	0	42	00
	81	3	54	87
	117	0	27	00
	143	0	46	02
	144	0	09	27
	137	0	43	01
	136	0	30	97
	135	0	33	60
	82	0	32	24
	83	0	50	75
	133	0	08	32
	122	0	21	76
	63	0	57	00
	62	0	36	79
	61	0	45	09

[No. O-14016/470/84 G.P.]

का.आ. 4568.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों का बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहाल —लीमखेड़ा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर		सेन्टीयर
कयोलीया	36	0	00	34
	37/2	0	38	45
	39/1	0	09	10
	39/4	0	21	24
	38	0	40	47
	35	0	06	80
	34/1	0	24	28
	34/2	0	24	27
	33/3	0	01	01

1	2	3	4	5
कथोलिया—जार.	33/2	0	39	46
	33/1	0	26	30
	33/5	0	11	40
	33/6	0	11	40
	33/7	0	12	60
	30/1	0	16	19
	15	0	00	32
	14	0	32	37
	13/1	0	30	35
	13/2	0	33	38
	3	0	12	15
	4/3	0	32	37
	4/2	0	24	29
	5/1	0	24	29
	30	0	41	48
	कोटार	0	09	10
	5/2	0	13	50
	5/3	0	13	50
	119/1	0	60	00
	83	0	62	10
	83/7	0	26	40
	83/8	0	40	70
	कार्ट ट्रेक	0	05	00

[सं. O-14016/471/84-जी. पी.]

S.O. 4568.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Limkheda

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Katholiya	36	0	00	34
	37/2	0	38	45
	39/1	0	09	10
	39/4	0	21	24
	38	0	40	47
	35	0	06	80
	34/1	0	24	28
	34/2	0	23	27
	33/3	0	01	01
	33/2	0	39	46
	33/1	0	26	30
	33/5	0	11	40
Katholiy (Contd.)	33/6	0	11	40
	33/7	0	12	60
	30/1	0	16	19
	15	0	00	32
	14	0	32	37
	13/1	0	30	35
	13/2	0	33	38
	3	0	12	15
	4/3	0	32	37
	4/2	0	24	29
	5/1	0	24	29
	30	0	41	48
	Kotar	0	09	10
	5/2	0	13	50
	5/3	0	13	50
	119/1	0	60	60
	83	0	62	10
	83/7	0	26	40
	83/8	0	40	70
	Cart track	0	05	00

[No. O. 14016/471/84-G.P.]

का. आ 4569.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए,

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनें को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतत्पश्चाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात, जिला : पंचमहल तालुका : लीमखेडा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर. सेन्टीयर
पटवाण	64/पी	1	75 92
	91	0	22 00
	69/1	0	16 84
	68	0	01 00
	69/2	0	21 84
	65/1	0	10 44
	66	0	52 22
	67/2	0	00 70
	62	0	67 40
	76/1	0	00 50

[सं. O-14016/472/84-जी. पी.]

S.O. 4569.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Limkheda

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
PATVAN	64/P	1	75	92
	91	0	22	00
	69/1	0	16	84
	68	0	01	00
	69/2	0	21	84
	65/1	0	10	44
	66	0	52	22
	67/2	0	00	70
	62	0	67	40
	76/1	0	00	50

[No. O-14016/472/84—GP]

का. आ. 4570.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहल तालुका—दाहोद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
मातवा	201	0	00	18
	200	1	22	27
	208/2	0	00	49
	209/2/ऐ	0	05	46
	209/2/बी	0	06	06
	209/1/बी	0	01	12
	210/बी	0	32	29
	212	0	23	75
	213	0	26	60
	214	0	39	12
	215	0	38	80
	123	0	00	14
	122	0	58	14
	121	0	18	25
	118/ऐ	0	14	40
	119	0	34	55
	95	0	52	65
	143	0	54	52
	94	0	02	20
	58/ऐ	0	34	98
	63	0	00	60
	62	0	40	00
	61/ऐ	0	60	35
	61/बी	0	19	55
	64	0	21	18
	60	0	13	25
	54	0	07	00
	53	0	25	60
	52	2	72	15
	51	0	34	60

[सं. O-14016/473/84-जी. पी.]

S. O. 4570.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira—Bareilly—Jagdishpur
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
MATVA	201	0	00	18
	200	1	22	27
	208/2	0	00	49
	209/2/A	0	05	46
	209/2/B	0	06	06
	209/1/B	0	01	12
	210/B	0	32	29
	212	0	23	75
	213	0	26	60
	214	0	39	12
	215	0	38	80
	123	0	00	14
	122	0	58	14
	121	0	18	25
	118/A	0	14	40
	119	0	34	55
	95	0	52	65
	143	0	54	52
	94	0	02	20
	58/A	0	34	98
	63	0	00	60
	62	0	40	00
	61/A	0	60	35
	61/B	0	19	55
	64	0	21	18
	60	0	13	25
	54	0	07	00
	53	0	25	60
	52	2	72	15
	51	0	34	60

[No. O-14016/473/84-GP]

का. आ. 4571.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है,

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला —पंचमहल तालुका—दाहोद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
नानीखरज	6	0	09	00
	7	0	08	00
	कोटार	0	09	00
	9	0	44	00
	78	0	34	00
	74	0	45	00
	75	0	03	00
	81	0	03	00
	73	0	22	00
	67	0	38	00
	82	0	03	00

[सं. O-14016/474/84-जी. पी.]

S.O. 4571.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein .

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira — Bareilly— Jagdishpur
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hec—tare	Are	Cen-tiare
NANI KHARAJ	6	0	09	00
	7	0	08	00
	Kotai	0	09	00
	9	0	44	00
	78	0	34	00
	74	0	45	00
	75	0	03	00
	81	0	03	00
	73	0	22	00
	67	0	28	00
	82	0	03	00

[No. O-14016/474/84—GP]

का. आ. 4572.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी फाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पायद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : लीमखेडा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर.	सेन्टीयर
चोरवारिया	59	0	27	00
	58	0	53	00
	53	0	46	00
	51	0	46	00
	कोटार	0	08	00

[सं. O-14016/475/84-जी. पी.]
एम. एस. श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 4572.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Limkheda

Village	Survy No.	Hec. tare	Are.	Centi-are
Chorbariya	59	0	27	00
	58	0	53	00
	53	0	46	00
	51	0	46	00
	Kotar	0	08	00

[No. O-14016/475/84—GP]
S.S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1984

का. आ. 4573.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आ. सं. 1376 तारीख 7-4-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एस. एन. बी. सी. से एस. एन. एक्स. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

स्टेट —गुजरात जिला व तालुका —मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेअर	एआरई	सेण्टीयर
कसलपुरा	334	0	09	24
	कार्ट ट्रेक	0	00	60
	773	0	06	84
	772	0	06	36
	774	0	01	32
	776	0	08	40
	कार्ट ट्रेक	0	03	60
	942	0	01	68
	941	0	04	56
	कार्ट ट्रेक	0	05	88
	825	0	12	00

[सं. O-12016/20/84-प्रोड.]

New Delhi, the 10th December, 1984

S.O. 4573.—Whereas by publication of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 1376 dated 7-4-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from D.S. No. SNBC to SNX
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kasalpura	334	0	09	24
	Cart track	0	00	60
	773	0	06	84
	772	0	06	36
	774	0	01	32
	776	0	08	40
	Cart track	0	03	60
	942	0	01	68
	941	0	04	56
	Cart track	0	05	88
	825	0	12	00

[No. O-12016/20/84—Prod.]

का. आ. 4574.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं 2107 तारीख 14-6-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

के. डी. एफ. से जी. जी. एस. 7
राज्य —गुजरात तालुका व जिला – गांधी नगर

गांव	सर्वे सं.	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
उवारसद	1188/2/1	0	10	00
	1188/2/2	0	08	00
	1185	0	09	60
	1184/2	0	17	85

[सं. O-12016/47/84/ओ एन० जी-डी-4]

1211 GI/84—23

S.O. 4574.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2107 dated 14-6-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from KDF to GGS 7.
State : Gujarat Taluka & District : Gandhinagar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Uvarsad	1188/2/1	0	10	00
	1188/2/2	0	08	00
	1185	0	09	60
	1184/2	0	17	85

[No. O-12016/47/84—ONG-D.4]

का. आ. 4575.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 2392 तारीख 11-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

जे. आर. ई. से जे. आर. एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :— गुजरात जिला:— मेहसाना तालुका :— कड़ी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
मेरडा	1	0	02	00
	8	0	05	25
	11	0	31	56
	9	0	06	18
	228/1+2	0	07	65
	255/1	0	01	20
	254	0	07	20
	253/1	0	05	55
	253/2	0	07	70
	238	0	04	50
	239	0	04	50
	240	0	03	00
	247/1	0	01	00

[सं. O-12016/52/84/ओ एन जी-डी]

S.O. 4575.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2392 dated 11-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from JRE to JRF

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Merda	1	0	02	00
	8	0	05	25
	11	0	31	56
	9	0	06	18
	228/1+2	0	07	65
	255/1	0	01	20
	254	0	07	20
	253/1	0	05	55
	253/2	0	07	74
	238	0	04	50
	239	0	04	50
	240	0	03	00
	247/1	0	01	00

[No. O-12016/52/84-ONG-D-4]

का. आ. 4576—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 2526 तारीख 20-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ओ.एन.जी.सी. कॉलनी के लिये अंकलेश्वर बरोडा गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
सुरवाडी	175	0	15	34
	173	0	19	89
	172	0	00	91
	169/1	0	10	14
	170/1	0	10	45
	155	0	11	70
	156	0	02	60
	157	0	09	36
	160	0	01	95
	154	0	06	50
	149	0	07	41
	151/2	0	03	90
	145	0	11	70
	147	0	05	20
	144	0	14	95
	141/1	0	05	20
	140/3	0	10	92
	139	0	10	79
	136	0	09	49
	132	0	12	35
	129	0	03	69
	130	0	10	40
	117	0	06	50
	118	0	10	40

[सं. O-12016/80/84/ओ एन जी डी-4]

S.O. 4576.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2526 dated 20-7-84 under sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on the date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipe line from Ankleshwar Baroda Gas line to Conoly State Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Surwadi	175	0	15	34
	173	0	19	89
	172	0	00	91
	169/1	0	10	14
	170/1	0	10	40
	155	0	11	70
	156	0	02	60
	157	0	09	36
	160	0	01	95
	154	0	06	50
	149	0	07	41
	151/2	0	03	90
	145	0	11	70
	147	0	05	20
	144	0	14	95
	141/1	0	05	20
	140/3	0	10	92
	139	0	10	79
	136	0	09	49
	132	0	12	35
	129	0	03	64
	130	0	10	40
	117	0	06	50
	118	0	10	40

[No. O-12016/80/84/ONG-D-4]

का. आ. 4577,—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सोभासण-29 से सोभासण-15 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यहां यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइनों (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसी आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

सोभासण-29 से सोभासण-15 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाणा

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
कुकस	80	0	07	68
	81	0	00	75
	78	0	09	36
	76	0	01	44

[सं० O-12016/119/84/ओ एन जी-डी-4]

S.O. 4577.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Sobhasan-29 to Sobhasan-15 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SOB-29 to SOB-15.
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
KUKAS	80	0	07	68
	81	0	00	75
	78	0	09	36
	76	0	01	44

[No. O-12016/119/84/ONG-D-4]

का. आ. 4578:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस.बी.ए.ए. से सोभासण-44 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकर का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एस.बी.ए.ए. से सोभासण-44 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाणा

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
जगुदण	412	0	06	25
	325	0	01	00
	कार्ट ट्रेक	0	00	90
	413	0	06	10

[सं. 0-12016/130/84/ओ.एन.जी-डी.-4]

S.O. 4578.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from SBAA to Sob-44 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SBAA to SOB-44

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
JAGUDAN	412	0	06	25
	325	0	01	00
	Cart track	0	00	90
	413	0	06	10

[No. O-12016/130/84/ONG-D-4]

का. आ. 4579:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एम.के. 9 से एन.के. जी.जी.एस-1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एम.के. 9 से एम.के. जी.जी.एस.-1 तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाणा

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
मेमदपुरा	54	0	14	88
	कार्ट ट्रेक	0	01	32
	48	0	01	44
	53	0	12	96
	53	0	02	40

[सं. O-12016/131/84/आ एन जी-डी-4]

S.O. 4579.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NK-9 to NK GGS-I in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NK-9 to NK GGS-1

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
MEHMDPURA	54	0	14	88
	Cart track	0	01	32
	48	0	01	44
	53	0	12	96
	53	0	02	40

[No. O-12016/131/84/ONG-D-4]

का. आ. 4580:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस.बी.ए.सी. से सोभासण जी जी एस-1 तक पट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्‌पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करनेवाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस०बी०ए०सी० से सोभासण जी.जी.एस-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाणा

गांव	स.नं.	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
मेहसाणा	2004/170	0	10	44
	2004/171	0	06	84
	2004/163	0	12	36
	2004/161/2	0	14	52
	2004/156	0	15	00

[सं. O-12016/132/84-ओएनजी-डी-4]

S.O. 4580.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SBAC to Sob GGS-I in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SBAC to SOB. GGS 1

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
MEHSANA	2004/170	0	10	44
	2004/171	0	06	84
	2004/163	0	12	36
	2004/161/2	0	14	52
	2004/156	0	15	00

[No. O-12016/132/84/ONG-D-4]

का.आ. 4581:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 275 तारीख 9-1-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

अहमदाबाद-10 से अहमदाबाद-13 तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दसक्रोई

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
वांच	295	0	10	80
	296	0	07	20
	291	0	10	00
	286	0	07	05
	287	0	08	26
	284	0	11	55
	282	0	14	80
	278	0	04	50

[सं. O-12016/148/83/प्रोड]

पी.के. राजगोपालन, डेस्क अधिकारी

S.O. 4581.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 275 dated 9-1-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Ahmedabad-10 to Ahmedabad-13

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Survey No.	Hec-tare	Arc	Cen-tiare
WANCH	295	0	10	80
	296	0	07	20
	291	0	10	00
	286	0	07	05
	287	0	08	26
	284	0	11	55
	282	0	14	80
	278	0	04	50

[No. O–12016/148/83-Prod.]

P. K. RAJAGOPANAN, Desk Officer

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1984

का. आ. 4582.—केन्द्रीय सरकार, बहुएकक सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1942 (1942 का 6) की धारा 5ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(ii) तारीख 13 सितम्बर, 1983 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2368, तारीख 30 जुलाई, 1980 को, अधिक्रांत करते हुए, यह निदेश देती है कि अधिनियम के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां और प्राधिकार, नई बहुएकक सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों की उपविधियों का संशोधन करने और किसी सोसाइटी की उपविधियों में ऐसा संशोधन करने, जिसका प्रभाव उसे बहुएकक सहकारी सोसाइटी में परिवर्तित करने का हो, की शक्ति के सिवाय नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सहकारी सोसाइटियों के संबंध में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा भी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रयोक्तव्य होंगे, अर्थात् :—

निम्नलिखित सहकारी सोसाइटियों की बाबत इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियां और प्राधिकार उक्त अधिकारियों द्वारा केवल विवादों, अपीलों, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन के निपटाने और पंचाटों, विनिश्चय डिक्रियों और आदेशों के निष्पादन से संबंधित मामलों के संबंध में प्रयोक्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(1) नेशनल कोआपरेटिव लैण्ड डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश

(2) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र

(3) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली।

(4) नेशनल एग्रिकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली।

(5) नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड, दिल्ली।

(6) नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फेक्ट्रीज लिमिटेड, दिल्ली।

(7) नेशनल फेडरेशन आफ इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिवस लिमिटेड, दिल्ली।

(8) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड, दिल्ली।

(9) इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, दिल्ली।

(10) आल इण्डिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई।

(11) आल इंडिया इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, बंगलौर

(12) नेशनल कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।

(13) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली।

(14) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली।

(15) आल इंडिया हैंडलूम फब्रिक्स कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुम्बई।

(16) नेशनल फेडरेशन आफ अरबन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली।

(17) नेशनल फेडरेशन आफ फिशरमैन्स कोआपरेटिव लिमिटेड, मुम्बई।

(18) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, दिल्ली।

(19) नेशनल फेडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव, नई दिल्ली।

(20) नेशनल कोआपरेटिव टोबैको ग्रोअर्स फेडरेशन लिमिटेड, आणंद।

11. उपर्युक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट मामलों (अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन से भिन्न) के संबंध में इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने में उक्त अधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किए जाएं।

सारणी

सं०	अधिकारी	बहुएकक सहकारी सोसाइटियां
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी	ऐसी सभी बहु एकक सरकारी सोसाइटियां जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
	ii. सहकारी सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद का अपर रजिस्ट्रार II और अपर रजिस्ट्रार III	यथोक्त
	iii. रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के मुख्यालय के कार्यालय में स्थित संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी (प्रशासन)	यथोक्त
2.	असम सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन असम राज्य के लिये नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो असम राज्य में वास्तविक रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।

1	2	3
3.	बिहार और उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 6 के अधीन बिहार राज्य के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो बिहार राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है।
4	गुजरात सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन गुजरात राज्य के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाटियां जो गुजरात राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है
5.	हरियाणा राज्य में यथा प्रवृत्त पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1961 की धारा 3 के अधीन हरियाणा राज्य के लिये नियुक्ति रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो हरियाणा राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
6.	हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य के लिये नियुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो हिमाचल प्रदेश राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
7.	कर्नाटक सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1959 की धारा 2क के अधीन कर्नाटक राज्य के लिये नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां, जो राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है।
	(2) कर्नाटक सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1959 की धारा 2क के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य के लिए नियुक्त सहकारी लेखा परीक्षा के निदेशक।	ऐसी सभी बहु एकक सहकारी सोसाइटियां जो राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है, की लेखा परीक्षा से संबंधित मामले।
8.	केरल सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1969 की धारा 3 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के लिये नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो केरल राज्य में वास्तविक रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
9.	मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के लिये नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटी जो मध्य प्रदेश राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
10.	(1) महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अधीन महाराष्ट्र राज्य के लिये नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहु एकक सहकारी सोसाइटियां जो महाराष्ट्र राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
	(2) मण्डल संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी मुम्बई मंडल, मुम्बई।	
	(3) हथकरघा, विद्युत करघा और सहकारी वस्त्र निदेशक तथा अवर रजिस्ट्रार पदेन, सहकारी सोसाइटी महाराष्ट्र राज्य नागपुर।	
11.	मणिपुर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन मणिपुर के लिये नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सोसाइटियां जो मणिपुर में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या समझी गई हैं।"
12.	मेघालय द्वारा यथा अंगीकृत असम सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन मेघालय के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो मेघालय में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं, या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
13.	नागालैंड राज्य में यथा प्रवृत्त असम सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1949 की धारा 3 के अधीन नागालैंड राज्य के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो नागालैंड राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं, या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है।
14.	उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1962 की धारा 3 के अधीन उड़ीसा राज्य के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी	ऐसी सभी सहकारी सोसाइटियां, जो उड़ीसा राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है।
15.	पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन पंजाब राज्य के लिये नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां, जो पंजाब राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है।
16.	राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 की धारा 3 के अधीन राजस्थान राज्य के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां, जो राजस्थान राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है।
	(2) संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, भरतपुर मंडल, भरतपुर।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो राजस्थान के अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
17.	सिक्किम सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1978 की धारा 3 के अधीन सिक्किम राज्य के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी।	ऐसे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो सिक्किम राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
18.	(1) तमिलनाडु सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन तमिलनाडु राज्य के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां, जो तमिलनाडु राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
	(2) संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी (गहन कृषि-क्षेत्र कार्यक्रम) तमिलनाडु मद्रास।	
	(3) प्रादेशिक संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी तमिलनाडु मद्रास।	
	(4) प्रादेशिक संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी तमिलनाडु त्रिची।	

1	2	3
	(5) निदेशक, उद्योग और वाणिज्य, तमिलनाडु (6) संयुक्त निदेशक, उद्योग और वाणिज्य, तमिलनाडु।	
19.	त्रिपुरा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1974 की धारा 3 के अधीन त्रिपुरा के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहु एकक सहकारी सोसाइटियां जो त्रिपुरा में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
20.	उत्तर प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1965 की धारा 3 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो उत्तर प्रदेश में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
21.	(1) पश्चिमी बंगाल सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1973 की धारा 9 के अधीन पश्चिमी बंगाल राज्य के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी। (2) अपर रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी पश्चिमी बंगाल कलकत्ता। (3) संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता। (4) उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, केन्द्रीय जोन, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां, जो पश्चिमी बंगाल राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं। ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो पश्चिमी बंगाल के केन्द्रीय जोन में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
22.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन चण्डीगढ़ के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
23.	दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अधीन दिल्ली के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां, जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
24.	गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में लागू महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अधीन गोवा, दमन और दीव के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो गोवा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है।
25.	पांडिचेरी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 की धारा 3 के अधीन पांडिचेरी के लिए के अधीन रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
26	दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त गुजरात सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन दादरा और नगर हवेली के लिए, नियुक्त, रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां, जो दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।

[सं० एल०-11011/36/83-एल० एंड० एम०]

ए० आर० सुब्बैयया, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 22nd November, 1984

S.O. 4582.—In exercise of the powers conferred by section 5B of the Multi-Unit Cooperative Societies Act, 1942 (6 of 1942) and in supersession of the Government of India notification in the Ministry of Agriculture S.O. 2368 dated the 30th July, 1980 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii) dated the 13th September, 1980, the Central Government hereby directs that all the powers and authority exerciseable by the Central Registrar of Cooperative Societies under the Act, except the power of registration of a new multi-unit cooperative society, amendment of bye-laws of societies registered by the Central Registrar of Cooperative Societies appointed under sub-section (1) of section 4 of the said Act and amendment of bye-laws of a society which has the effect of converting it into a multi-unit cooperative society, shall in relation to the cooperative societies specified in column (3) of the Table below, be exerciseable also by the officers specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, subject to the following conditions namely :—

1. that the powers and authority so delegated shall, in respect of the following co-operative societies, be exerciseable by the said officers only in relation to matters pertaining to settlement of disputes, appeals, revision and review and execution of awards, decisions, decrees and orders, namely:—

(1) National Cooperative Land Development Banks Federation Limited, Hyderabad, Andhra Pradesh.

(2) National Federation of State Cooperative Banks Limited, Bombay, Maharashtra.

(3) National Cooperative Union of India Ltd. Delhi.

(4) National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, Delhi.

(5) National Cooperative Consumers' Federation Ltd. Delhi.

(6) National Federation of Cooperative Sugar Factories Limited. Delhi.

(7) National Federation of Industrial Cooperatives Limited, Delhi.

(8) National Cooperative Housing Federation Limited Delhi.

(9) Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. Delhi.

(10) All India Federation of Cooperative Spinning Mills Limited, Bombay.

(11) All India Industrial Cooperatipe Banks Federation Limited, Bangalore.

(12) National Cooperative Dairy Federation of India Ltd. New Delhi.

(13) Petrofils Cooperative Limited. New Delhi.

(14) National Heavy Engineering Cooperative Limited, New Delhi.

(15) All India Handloom Fabrics Cooperative Marketing Society Limited, Bombay.

(16) National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Limited, Delhi.

(17) National Federation of Fishermen's Cooperative Ltd. Bombay.

(18) Krishak Bharati Cooperative Limited. Delhi.

(19) National Federation of Labour Cooperative, New Delhi.

(20) National Cooperative Tobacco Growers Federation Ltd., Anand.

II. that in the exercise of the powers and authority so delegated in relation to the matters specified in paragraph I above (other than appeals, revision and review), the said officers shall comply with such directions, as may be issued by the Central Registrar of Cooperative Societies.

S. No.	Officers	Multi-unit co-operative Societies
(1)	(2)	(3)
1.	(i) Registrar of Cooperative Societies for the State of Andhra Pradesh appointed under Section 3 of the Andhra Pradesh Cooperative Societies Act, 1964.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Andhra Pradesh.
	(ii) Additional Registrar (II) and Additional Registrar (III) of Cooperative Societies Andhra Pradesh, Hyderabad.	-do-
	(iii) Joint Registrar of Co-operative Societies (Admn) at Headquarters Office of the Registrar of Cooperative Societies, Andhra Pradesh, Hyderabad.	-do-
2.	Registrar of Cooperative Societies for the State of Assam appointed under section 3 of the Assam Co-operative Societies Act, 1949	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Assam.
3.	Registrar of Cooperative Societies for the State of Bihar appointed under section 6 of the Bihar and Orissa Cooperative Societies Act, 1935.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Bihar.
4.	Registrar of Cooperative Societies for the State of Gujarat appointed under Section 3 of the Gujarat Cooperative Societies Act 1961	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Gujarat.
5.	Registrar of Cooperative Societies for the State of Haryana appointed under section 3 of the Punjab Co-operative Societies Act, 1961 as in force in the State of Haryana.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Haryana.
6.	Registrar of Cooperative Societies for the State of Himachal Pradesh appointed under section 3 of the Himachal Pradesh Cooperative Societies Act, 1968.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Himachal Psadesh.
7.	(i) Registrar of Cooperative Societies for the State of Karnataka appointed under section 2 A of the Karnataka Cooperative Societies Act, 1959.	All multi-nuit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Karnataka.
	(ii) Director of Cooperative Audit for the State of Karnataka appointed under Section 2AA of the Karnataka Cooperative Societies Act, 1959.	Matters relating to audit of all multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Karnataka.
8.	Registrar of Cooperative Societies for the State of Kerala appointed under section 3 of the Kerala Cooperative Societies Act, 1969.	All multi-unit cooperative scieties which actually are or are deemed to be registered in the State of Kerala.
9.	Registrar of Cooperative Societies for the State of Madhya Pradesh appointed under section 3 of the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act, 1960.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Madhya Pradesh.
10.	(i) Registrar of Cooperative Societies for the State of Maharashtra appointed under section 3 of the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Maharashtra.
	(ii) Divisional Joint Registrar of Cooperative Societies Bombay Division, Bombay.	
	(iii) Director of Handlooms Powerlooms and Cooperative Textiles and Ex-officio Additional Registrar of Cooperative Societies, Maharasthra State Nagpur.	
11.	Registrar of Cooperative Societies for Manipur appointed under section 3 of the Manipur Coop. Societies Act, 1976.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in Manipur.
12.	Registrar of Cooperative Societies for Maghalaya appointed under section 3 of the Assam Cooperative Societies Act, 1949, as adopted by Meghalaya.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in Meghalaya.
13.	Registrar of Cooperative Societies for the State of Nagaland appointed under section 3 of the Assam Cooperative Societies Act, 1949 as in force in Nagaland State.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Nagaland
14.	Registrar of Cooperative Societies for the State of Orissa appointed under section 3 of the Orissa Cooperative Societies Act, 1962.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Orissa.

1	2	3
15.	Registrar of Cooperative Societies for the State of Punjab appointed under section 3 of the Punjab Cooperative Societies Act, 1961.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Punjab.
16.	(i) Registrar of Cooperative Societies for State of Rajasthan appointed under section 3 of the Rajasthan Cooperative Societies Act, 1965.	All multi-unit cooperative societies which actually are deemed to be or are registered in the State of Rajasthan.
	(ii) Joint Registrar of Cooperative Societies, Bharatpur Division, Bharatpur.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in Alwar. Bharatpur and Swaimadhopur districts of Rajasthan.
17.	Registrar of Cooperative Societies for the State of Sikkim appointed under section 3 of the Sikkim cooperative Societies Act, 1978.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Sikkim.
18.	(i) Registrar of Cooperative Societies for the State of Tamil Nadu appointed under section 3 of the Tamil Nadu Cooperative Societies Act, 1961.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Tamil Nadu.
	(ii) Joint Registrar of Cooperative Societies (Intensive Agricultural Area Programme), Tamil Nadu, Madras.	
	(iii) Regional Joint Legistrar of Cooperative Societies, Tamil Nadu, Madras.	
	(iv) Regional Joint Registrar of Cooperative Societies Tamil Nadu, Trichy.	
	(v) The Director of Industries & Commerce, Tamil Nadu.	All multi-unit Industrial Cooperative Societies which actually are or deemed to be registered in Tamil Nadu.
	(vi) The Joint Director of Industries and Commerce, Tamil Nadu.	
19.	Registrar of Cooperative Societies for Tripura appointed under section 3 of the Tripura Coop. Societies Act, 1974.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in Tripura.
20.	Registrar of Cooperative Societies for the State of Uttar Pradesh appointed under section 3 of the Uttar Pradesh Cooperative Societies Act, 1965.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Uttar Pradesh.
21.	(i) Registrar of Cooperative Societies for the State of West Bengal appointed under section 9 of the West Bengal Cooperative Societies Act, 1973.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of West Bengal.
	(ii) Additional Registrar of Cooperative Societies, West Bengal, Calcutta.	
	(iii) Joint Registrar of Cooperative Societies West Bengal, Calcutta.	
	(iv) Deputy Registrar of Cooperative Societies, Central Zone, West Bengal, Calcutta.	All multi-unit Cooperativ societies which actuall are or are deemed to be registered in Central Zone in West Bengal.
22.	Registrar of Cooperative Societies for Chandigrarh appointed under section 3 of the Punjab cooperative Societies Act, 1961 as in force in the Union Territory of Chandigarh.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the Union Territory of Chandigarh.
23.	Registrar of Cooperative Societies for Delhi appointed under section 3 of the Delhi Cooperative Societies Act, 1972.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the Unio Territory of Delhi.
24.	Registrar of Cooperative Societies for Goa, Daman and Diu appointed under section 3 of the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 as applied to the Union Territory of Goa, Daman and Diu.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the Union Territory of Goa, Daman and Diu.
25.	Registrar of Cooperative Societies for Pondicherry appointed under section 3 of the Pondicherry Coop. Societies Act, 1965.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the Union Territory of Pondicherry.
26.	Registrar of Cooperative Societies for Dadra & Nagar Haveli appointed under section 3 of the Gujarat Cooperative Societies Act, 1961, as inforce in the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli.

[No. L—11011/36/83—L&M]
A.R. SUBBIAH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1984

शुद्धिपत्र

का० आ० 4583.—भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1235, तारीख 13 मार्च, 1984 में, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, तारीख 14 अप्रैल, 1984 के पृष्ठ 1090 पर प्रकाशित हुई थी, सारणी के स्तम्भ 1 में, भाग 2, साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' पद शीर्ष के अंतर्गत "संयुक्त निदेशक का कार्यालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, में सभी समूह घ' पद" के स्थान पर 'संयुक्त निदेशकों के कार्यालय, भारतीय वन सर्वेक्षण में सभी समूह 'घ' पद" रखें।

[सं. 7-17/82-एफ.ई.-2]
आर.एम. बिष्ट, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th November, 1984

S.O. 4583.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) No. S. O. 1235 dated the 13th March, 1984 published in the Gazette of India dated 14th April, 1984 in Part II, Section 3, at pages 1090 to 1091, in the Table, in column 1, under the heading Part-II General Central Service Group D posts, for "All Group 'D' posts in the office of Joint Director, Forest Survey of India, Dehra Dun", substitute "All Group 'D' posts in the Offices of Joint Directors, Forest Survey of India".

[No. 7-17/82-FE. II.]
R. S. BISHT, Under Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1984

का.आ. 4584—यत: भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या वी-11016/34/77-एम.पी.टी./एम.ई.(पी.) दिनांक 16 जून, 1984 द्वारा केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि चिकित्सा अर्हता "एम.बी.बी.एस." (न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय) आस्ट्रेलिया, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अर्हता मानी जाएगी।

और यत: डा. स्ट्रीटफील्ड आर्थर को, जो उक्त अर्हता रखते हैं, धर्मार्थ कार्य के लिए फिलहाल एलेन थोबर्न कोवन मेमोरियल अस्पताल, कोलार (कर्नाटक राज्य) से संबद्ध किया जाता है।

अत: अब उक्त अधिनियम के खण्ड 14, उपखण्ड (i) के परन्तुक के खण्ड-ग, के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करती है कि डा. स्ट्रीटफील्ड आर्थर की मैडिकल प्रैक्टिस की अवधि—

(1) दो वर्ष की अवधि अथवा

(2) जब तक वह उक्त एलन थोबर्न कोवन मेमोरियल अस्पताल, कोलार (कर्नाटक राज्य) से सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कमी हो, सीमित होगी।

[सं. वी- 11016/5/84-एम.ई.(पी.)]
रविन्दर नाथ तिवारी, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 10th December, 1984

S.O. 4584.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. V-11016/34/77-MPT/ME(P) dated the 16th June, 1978, the Central Government has directed that the medical qualification, "M.B.B.S. (University of New South Wales), Australia shall be recognised medical qualification for the purpose of the Indian Medical Concil Act, 1956 (102 of 1956);

And, whereas, Dr. Streatifield Arthur, who possesses the said qualification is for the time being attacked to the Ellen-Thoburn Cowen Memorial Hospital, Kolar (Karnataka State) for the purposes of charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a period of two years or,

(ii) the period during which Dr. Streatifiled Arthur is attached to the said Ellen Thoburn Cowen Memorial Hospital, Kolar (Karnataka State), whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V-11016/5/84-ME(P)]
R. N. TEWARI, Dy. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1984

का. आ. 4585 :—केन्द्रीय सरकार, नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खण्ड (घ) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण मे, भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 119 (अ) तारीख 17 फरवरी, 1976 का जिसे भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 17 फरवरी, 1976 में प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में स्तम्भ 1 में की प्रविष्टियों जहां "सेना सम्पदा अधिकारी (नगर भूमि अधिकतम सीमा)" शब्द आते है, उनके स्थान पर "रक्षा सम्पदा अधिकारी (नगर भूमि अधिकतम सीमा)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 4/3/84-यूसीयु]
एच. आर. गोयल, उप सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 27th November, 1984

S.O. 4585.—In pursuance of the provisions contained in clause (d) of section 2 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976.) the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, in the Ministry of Works and Housing No. S.O. 119(E) dated the 17th February, 1976, published in the Gazette of India Extraordinary Part II, section 3 of sub-section (ii) dated the 17th February, 1976, namely :—

In the said notification in the entries under column 1, for the words and brackets "Military Estate Officer (Urban Land Ceiling)" wherever they occur the words and brackets "Defence Estate Officer (Urban Land Ceiling)" shall be substituted.

[F. No. 4/3/84-UCU]
H. R. GOEL, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(सर्वे एंड सैटलमेंट यूनिट-1)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1984

का. आ. 4586 :- दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 की सं० 61) की धारा 22 की उपधारा (4) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भूमि आगे रुरल डवेल्पमैन्ट मन्त्रालय को भवन निर्माण के लिए को हस्तान्तरित करने के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा दी है :—

अनुसूची

लगभग 0.40 एकड़ (लगभग ——) माप का भूमि खण्ड जो एन. डी. एम. सी. बाजार, चाणक्यपुरी के साथ स्थित है, जिसका

स्थल 45 है और जो अधिसूचना सं. 1810 दिनांक 20-7-74 का आंशिक भाग है :-

उपर्युक्त भूमिखण्ड की सीमाएं निम्नलिखित हैं :

उत्तर में एन. डी. एम. सी. शौपिंग सैन्टर

दक्षिण में : रेलवे सीमाएं

पूर्व में : विनय मार्ग

पश्चिम में : मार्ग

[सं. एस. एण्ड एस. 33(1)84-ए. एस. ओ/2043]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey and Settlement Unit I)

New Delhi, the 30th November, 1984

S.O. 4586.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the Schedule below for placing it at the disposal of the land and Development Office, Ministry of Works and Housing, Government of India, New Delhi, for further transfer to the Ministry of Rural development for construction of a building for accommodating the Afro Asian Rural Reconstruction Organisatioan.

SCHEDULE

Piece of land measuring about 0.40 acres (about———) situated along N.D.M.C., Market, Chanakyapuri bearing plot No. ——— site No. 45 partly of Notification No. S.O. 1810 dated 20-7-74.

The above piece of land is bounded as follows :—

North : N.D.M.C. Shopping Centre

South : Railway Boundary.

East : Vinay Marg.

West : Road.

[No. S&S 33(1)/84/ASO (I)/2043]

का. आ. 4587:- दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 की सं. 61) की धारा 22 की उपधारा (4) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भूमि आगे हस्तान्तरित करने के लिये भूमि एवं विकास कार्यालय निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा दी है :-

अनुसूची

लगभग 2 एकड़ (लगभग दो एकड़) माप का भूमि खण्ड जो बाल भारती एवं डी. ए० वी. स्कूल, लोदी रोड के पीछे स्थित है, जिसका प्लान नं. ———स्थल 32 है और जो अधिसूचना सं. 1810 दिनांक 20-7-74 का समस्त भाग है।

उपर्युक्त भूमि खंड की सीमाएं निम्नलिखित हैं :

उत्तर में : आई. ए. एफ. बैरक्स

दक्षिण में : सड़क

पूर्व में : संस्थानिक क्षेत्र

पश्चिम में : गुजरांवाला आर्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय

[सं.-एस. एण्ड एस. 33(11)/83 ए.एस. ओ.(i)/2040]

S.O. 4587.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act. 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the Schedule below for placing it at the disposal of the Land and Development Office, Ministry of Works and Housing, Government of India, New Delhi, for further transfer

SCHEDULE

Piece of land measuring about 2.00 acres (about two acres) situated at the back of Bal Bharti School and D.A.V. School. Lodi Road bearing plot No. ——— Site No. 32 full of Notification No. S.O. 1810 dated 20-7-74.

The above piece of land is bounded as follows :—

North : I.A.F. Barracks

South : Road

East : Institutional Area

West . Gujranwala Arya H. S. School

[No. S&S 33(11)/83/ASO (I)/2040]

का. आ. 4588:- दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 की स. 61) की धारा 22 की उपधारा (4) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भूमि आगे दिल्ली पर्यटन विकास निगम को हस्तान्तरित करने के लिये भूमि एवं विकास कार्यालय निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा दी है :-

अनुसूची

लगभग 2.762 एकड़ (लगभग ———) माप का भूमि खण्ड जो ओबराय होटल एवं ब्लाईन्ड इन्स्टीट्यूट के मध्य में स्थित है, जिसका प्लाट नं. ———स्थल 36 है और जो अधिसूचना सं. 1810 दिनांक 20-7-74 का समस्त भाग है।

उपर्युक्त भूमि खण्ड की सीमाएं निम्नलिखित है :-

उत्तर में : ओबराय होटल

दक्षिण में : ब्लाईन्ड इन्स्टीट्यूट

पूर्व में : किचूल मार्ग

पश्चिम में : गोल्फ लिंक्स एरिया

[सं. एस. एण्ड एस. 33(14)/83 ए. ई. (1)/2046]

नाथू राम, सचिव

S.O. 4588.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the Schedule below for placing it at the disposal of the Land and Development Office, Ministry of Works and Housing, Government of India, New Delhi, for further transfer thereof to the Delhi Tourism Development Corporation.

SCHEDULE

Piece of land measuring about 2.762 acres (about ———) situated in between Oberoi Hotel and Blind Institute bearing Plot No. ——— Site No. 36 full of Notification No. S.O. 1810 dated 20-7-1974.

The above piece of land is bounded as follows :—

North : Oberoi Hotel.

South : Blind Institute.

East : Kitchloo Marg.

West : Golf Links area.

[No. S&S 33(14)/83-A.E. (I)/2046]

NATHU RAM, Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984

का. आ. 4589.—केन्द्रीय सरकार, ठेकाश्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट संकर्मों में जैसे देश के क्रोमाइट, मेगोसाइट, जिप्सम और अभ्रक खानों में ठेका श्रमिकों के नियोजन का तात्कालिक प्रभाव से निषेध करती है।

अनुसूची

1. क्रोमाइट खान
   (1) ऊपरि भारयुक्त उत्खनन और उसे हटाना;
   (2) वेधन और स्फोटन;
   (3) अयस्क निकालना, और
   (4) ऊपरिभार का डम्प तक और अयस्क का स्टाकिंग स्थल तक का परिवहन।
2. मैगनेसाइट खान
   (1) ऊपरिभार हटाना;
   (2) वेधन और स्फोटन; और
   (3) खनिज निकालना।
3. जिप्सम खान
   (1) ऊपरिभार हटाना; और
   (2) खनिज का खनन करना और निकालना।
4. अभ्रक खान
   (1) अभ्रक निकालना;
   (2) वेधन और स्फोटन;
   (3) खानों का जलरहित करना;
   (4) कार्बनी कर्दम हटाना; और
   (5) अभ्रक का प्रसंस्करण।

[सं. एस. 16025/22/84-एल. डब्ल्यू॰]
पी. बी. महीशी, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 20th November, 1984

S.O. 4589.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Board, herby prohibits the employment of contract laboure in the works specified in the Schedule annexed hereto, in the Chromite, Magnesite, Gypsum and Mica Mines in the country, with immediate effect.

SCHEDULE

1. CHROMITE MINES
   (i) Over burden excavation and removal ;
   (ii) Drilling and Blasting ;
   (iii) Raising of Ore and
   (iv) Transportation of over-burden to dumps and Ore to stocking sites.

2. MAGNESITE MINES
   (i) Over burden removal ;
   (ii) Drilling and Blasting; and
   (iii) Raising of Minerals.

3. GYPSUM MINES
   (i) Over burden removal ; and
   (ii) Mining/raising of Mineral.

4. MICA MINES
   (i) Raising of Mica ;
   (ii) Drilling and Blasting ;
   (iii) Dewatering of mines ;
   (iv) Muck removal ; and
   (v) Processing of mica.

[No. S-16025/22/84-LW]
P. B. MAHISHI, Dy. Secy.

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1984

का. आ. 4590.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इसके द्वारा इस विभाग की दिनांक 24 नवम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या–1 (16) वि. सेल/84–एस. एस. II (घ) द्वारा उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त पंजाब राज्य के सभी जिलों के उप आयुक्तों को निम्न शक्तियां सौंपता हूं :—

(1) अधिनियम की धारा 23 के अधीन अपीलों की सुनवाई की शक्तियां।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन पुनरीक्षण की सुनवाई की शक्तियां।

(3) उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन मामलों के हस्तान्तरण की शक्तियां।

[संख्या–1(16)/वि. सेल./84–एस. एस. II(ङ)]
गुरप्रताप सिंह साही, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 27th November, 1984

S.O. 4590.—In exercise of the powers conferred on me as Chief Settlement Commissioner by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (Act No. 44 of 1954) I hereby delegate to all the Deputy Commissioners in their respective Districts of Punjab State, appointed as Deputy Chief Settlement Commissioners, vide this Department's Notification No. 1(16)/Spl. Cell/84 SS. II (D), dated the 24th November, 1984, the following powers :—

(i) Powers to hear appeals under Section 23 of the Act.

(ii) Powers to hear revisions under Section 24 of the said Act.

(iii) Powers to transfer cases under Section 28 of the said Act.

[No. 1(16)/Spl. Cell/84-SS. II(E)]
GURPRATAP SINGH SAHI, Chief Settlement Commissioner

(श्रम मंत्रालय)

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1984

का. आ. 4591.—मैसर्स संगली अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, हारबहट रोड संगली, (एम. एच. /7208) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं

और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरिक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रामियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में से कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस. 35014/127/84-एस. एस-4]

DEPARTMENT OF LABOUR

New Delhi, the 1st December, 1984

S.O. 4591.—Whereas Messrs Sangli Urban Co-operative Bank Limited, Harbahat Road, Sangli, Maharashtra (MH/7208) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without, making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said to establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts; payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/127/84-SS-IV]

का. आ. 4592.—मैसर्स कुमारन मिल्स लिमिटेड, पीलीगुड, कम्बटूर, 641004, (तमिलनाडु/70) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरिक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रामियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में से कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एम.-35014/125/84-एस. एस.-4]

S.O. 4592.—Whereas Messrs. The Kumaran Mills Limited, Peelamedu, Coimbatore-641004 (TN/70) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without, making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts; payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/125/84-SS-IV]

का. आ. 4593.—मैसर्स एस्कोर्ट्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड, 11, सिंधी हाउस कनाट सर्कस, नई दिल्ली-1, (डी. एल./2676) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम की सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रामियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में से कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस.-35014/124/84-एस. एस.-4]

S.O. 4593.—Whereas Merrs. Escorts Tractors Limited 11, Scindia House, Connaught Circus, New Delhi-110001 (DL/2676) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without, making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts; payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the

interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[S-35014/124/84-S. S. IV]

का. आ. 4594.—मैसर्स थीरुवल्लूर परिवहन कारपोरेशन लिमिटेड, पल्लावन सलाई —मद्रास (तमिलनाडु) और उसकी 18 शाखाएं (टी. एन./9858) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों को नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार, नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस.-35014/130/84-एस. एस.-4]

अनुबन्ध

थिरुवल्लुवर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड

शाखाओं के नाम कोड नम्बर सहित

संख्या	शाखा का नाम	कोड नं.
1.	प्रधान कार्यालय, मद्रास	टी. एन. 9858
2.	टी. एच. डी. I, मद्रास-2	
3.	टी. एच. डी. II, मद्रास-2	
4.	टी. एच. डी. III मद्रास-2	
5.	टी. एच. डी. IV, मद्रास-2	
6.	सालेम डिपो, सालेम-7	
7.	कोयमबेटोर डिपो, कोयमबेटोर-30	
8.	त्रिची डिपो, त्रिची-20	
9.	मदुराई डिपो, मदुराई-7	
10.	टयुटीकोरिन डिपो, टयुटीकोरिन	
11.	नागेरकोएल डिपो, नागेरकोएल	
12.	कन्याकुमारी डिपो, कन्याकुमारी	
13.	तेन्जोर डिपो, तेन्जोर	
14.	नागापट्टीनम डिपो, नागापट्टीनम	
15.	पांडीचेरी डिपो, पांडीचेरी	
16.	शेनकोटाह डिपो, शेनकोटाह	
17.	लेखा अधिकारी, रेसीडुएरी वर्क्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मद्रास-10	टी.एन. 9859
18.	वर्क्स मैनेजर, रिजनल वर्कशाप, त्रिची।	टी. एन. 9867

S.O. 4594.—Whereas Messrs Thiruvalluvar Transport Corporation Limited, Pallavan Salai, Madras-600002 (TN/9858) including its branches/Units and list in the Annexure (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without, making separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as thee Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All exepnses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts; payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that the of employer.

12. Upon the death of the member, covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/130/84-SS-IV]

ANNEXURE

THIRUVALLUVAR TRANSPORT CORPORATION LIMITED

List of Branches with Code Numbers

Sl. No.	Name of the Branch	Code No.
1.	Head Quarter, Madras	TN/9858
2.	T.H.D.I., Madras.	
3.	T.H.D. II, Madras-2	
4.	T.H.D. III, Madras-2	
5.	T.H.D. IV, Madras-2	
6.	Salem Depot, Salem-7	
7.	Coimbatore Depot, Coimbatore-30	
8.	Trichy Depot, Trichy-20.	
9.	Madurai Depot, Madurai-7	
10.	Tuticorin Depot, Tuticorin	
11.	Nagercoil Depot, Nagercoil	
12.	Kanyakumari Depot, Kanyakumari	
13.	Tanjore Depot, Tanjore	
14.	Nagapattinam Depot, Nagapattinam	
15.	Pondicherry Depot, Pondicherry	
16.	Shenkottah Depot, Shenkottah	
17.	Accounts Officer, Residuary Works Transport Department Madras-10.	TN/9859
18.	Works, Manager, Regional Workshop, Trichy	TN/9867

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1984

का. आ. 4595.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 2031 दिनांक 7 जून, 1984 द्वारा सीमेंट उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 7 जून, 1984 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 7 दिसम्बर, 1984 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[फा. संख्या एस-11017/2/81-डी-I (ए)]

New Delhi, the 4th December, 1984

S.O. 4595.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursurance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour S.O. No. 2031 dated the 7th June, 1984 the cement industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 7th June, 1984;

And whereas, the Central Govt. is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utilty service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 7th December, 1984.

[No. S-11017/2/81-DI (A)]

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1984

का. आ. 4596.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 1859 दिनांक 23 मई, 1984 द्वारा सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 जून, 1984 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 दिसम्बर, 1984 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[फा. संख्या एस-11017/10/81-डी-I (ए)]

राम कानुगा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 1984

S.O. 4596.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour SO No. 1859 dated the 23rd May, 1984 the Security Paper Mill, Hoshangabad, to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 18th June, 1984 ;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 18th December, 1984.

[F. No. S-11017/10/81-DI(A)]

RAM KANUGA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1984

का. आ. 4597.—बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के उप नियम (2) और नियम 16 के साथ पठित, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ 1209, दिनांक 16 मार्च, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है जो 20 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र के भाग II-खण्ड 3, उप खंड (ii) के पृष्ठ संख्या 1209 पर प्रकाशित हुई थी ।

उक्त अधिसूचना में, क्रमांक 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

4. श्री खुर्शीद अहमद अनसारी,
विधान सभा सदस्य,
अमरोहा ।

[संख्या-यू-23018/6/81-एम-5/डब्ल्यू II]

कंवर राजिन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd December, 1984

S.O. 4597.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976), read with sub-rule (2) of rule 3 and rule 16 of Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification number S.O. 1209 dated 16 March, 1982 published at page 1209 of Part II-Section 3-sub-section (ii) of the Gazette of India dated 20th March, 1982 :—

In the said notification, against serial Number 4, the following shall be substituted namely:—

4.	Shri Khurshid Ahmed Ansari, Member Legislative Assembly, Amroha.

[No. U-23018/6/81-MV/WII]
KANWAR RAJINDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1984

का. आ. 4598.—मैसर्स ऊशोदया पब्लीकेशन्स, सोमाजी-गूडा, हैदराबाद, तथा विभिन्न शाखाएं, (ए.पी./5849) जैसा कि संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरिक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रामियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस.-35014/131/84-एस. एस.-4]

अनुबन्ध

मैसर्स ऊशोदया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड सोमाजीगुड़ा हैदराबाद की शाखाओं की सूची इस प्रकार है :—

1. मैसर्स उशोदया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, बिजग, कोड नं. ए. पी./5321 ।
2. मैसर्स इनाडू न्यूजपेपर, तिरुपति, कोड नं. ए. पी./5321/ए ।
3. मैसर्स इनाडू, विजयवाड़ा, कोड नं. ए. पी./6041 ।

New Delhi, the 4th December, 1984

S.O. 4598.—Whereas Messrs. Ushodaya Publications Private Limited, Somajiguda Hyderabad (AP/5849) and its branches as per annexure enclosed, (herein-after referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952). (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/131/84-SS-IV]

ANNEXURE

List of Branches of M/s. Ushodaya Publications Private Limited, Somajiguda, Hyderabad, are as follows :—

1. M/s. Ushodaya Pub. (P) Ltd. Vizag, Code No. AP/5321.
2. M/s. Eenadu News Paper, Triupati, Code No. AP/5321/A.
3. M/s. Eenadu Vijayawada, Code No. AP/6041.

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1984

का. आ. 4599.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मैरेथन शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड 75-सी, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता-16 और सिटी आफिस 13-इन्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-1 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017(102)/84-एस. एस.-II]

New Delhi, the 5th December, 1984

S.O. 4599.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Marathon Shipping Private Limited, 75-C, Park Street, Calcutta-16 including City Office at 13-India Exchange Place, Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952),) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/102/84/SS-II]

का. आ. 4560.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स श्री विद्यारान्या स्पोटस को-ओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नं. 876, दूसरा वार्ड होसपेट, बेलारी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (481)/84/एस. एस.-II]

S.O. 4600.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Srividyaranya Ryots Cooperative Society Ltd., No. 876, IInd Ward, Hospet, Billary Distt. Karnatak have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/481/84-SS-II]

का. आ. 4601.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जे एम. पोलीमर्स, बीस के. एम. मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (483)/84-एस. एस.-II]

S.O. 4601.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs J-M. Polymers, 20th K. M. Mathura Road, Faridabad, Haryana have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019/483/84-SS-II]

का. आ. 4602.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुगुमार टविस्टिंग फैक्टरी, 57, नाटकासलाईपेटाई, सैदापेट, आरनी, नार्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (484)/84/एस. एस.-II]

S.O. 4602.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sugumar Twisting Factory, 57, Natakasalaipettai, Saidapet, Arni, North Arcot District, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/484/84-SS-II]

का. आ. 4603.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए-2754, कुलालाकुंडु को-ऑपरेटिव मिल्क सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, कुलालाकुंडु पोस्ट (वाया) पालापति, निलाकोटाई तालुक, मदुराई-624231 तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (485)/84-एस. एस.-II]
ए. के. भट्टाराय, अवर सचिव

S.O. 4603.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A. 2754, Kullalakundu Co-operative Milk Supply Society Limited, Kullalakundu Post (Via) Pallapatti, Nilakkettai Taluk, Madurai-624231, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/485/84-SS-II]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

New Delhi, the 4th December, 1984

S.O. 4604.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Burragarh Colliery, Kustore Area of M/s. BCCL and their workman, which was received by the Central Government on the 30-11-84.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT:

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer

Reference No. 45 of 1983

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Burragarh Colliery, Kustore Area of Messrs Bharat Coking Coal Limited Post Office Kustore, District Dhanbad and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the employers.—Shri G. Prasad, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri S. P. Singh, General Secretary, Khan Mazdoor Congress.

STATE : Bihar INDUSTRY :

Dhanbad, the 26th November, 1984

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation, in exercise of the powers conferred on them under section 10(1)(d) if the I. D. Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(5)(83-D.IV(B), dated, the 3rd May, 1983.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of Burragarh Colliery, Kustore Area of M|s BCCL, P.O. Kustore, Distt. Dhanbad that Shri Prasadi Bhuia, Tyndal should be regularised on the post of Tyndal Jamadar w.e.f. 1-3-80 is justified ? If so, to what relief is the concerned workman entitled ?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Prasadi Bhuia was working permanently as Tyndal since long. Seeing his efficiency of work and controling capacity, the management authorised him to work as Tyndal Jamadar to supervise the Tyndal jobs with effect from 1-3-80. The Office Order to the above effect was issued by the Manager of Burragarh Colliery dated 13-3-80. It was further stated in the said order that the care of the concerned workmen will be considered for regularisation after 6 months of satisfactory performance. The job of Tyndal is in Cat. IV and the job of Tyndal Jamadar is in Cat. V of the Coal Mines Wage Board Recommendation which has been implemented by the management. After completing 6 months of work as Tyndal Jamadar the concerned workman approched the management for regularisation on the job of Tyndal Jamadar through his representation dated 4-9-80. His case was favourably recommended by all the concerned Officers. But no order was passed by the management and the concerned workman continued to work as Tyndal Jamadar. A policy decision was taken in the consulative committee of the union and the management on 6-7-76 that the worker working on higher posts continuously for 6 months will be regularised on the higher post but even inspite of the said policy decision of concerned workman was not regularised on the job of Tyndal Jamadar. The concerned workman has not been paid the difference of wages of the higher category to which he was authorised to work. An industrial dispute was raised by the union on behalf of the concerned workman before the ALC(C) on 20-12-82. The management participated in the conciliation proceeding but the conciliation ended in failure. Thereafter the present reference was made. The action of the management in not regularising the concerned workman as Tyndal Jamadar is illegal arbitrary and motivated.. He is entitled to be regularised as Tyndal Jamadar with effect from 13-9-80.

The case of the management is that the concerned workman is seeking promotion in the garb of demand for regularisation on the post of Tyndal Jamadar. Promotion cannot be claimed as a matter of right as the same is a function of the management. The concerned workman is working as Tyndal and he never worked as Tyndal Jamadar. The concerned workman does not have the requisite experience and qualifications for the post of Tyndal Jamadar. It is further submitted by the management that no retrospective effect can be given to an Award for any period prior to the date on which specific demand which resulted into the industrial dispute were made. The promotion of the concerned workman could not be considered by the management as he was not senior most amongst the Tyndals employed by the Colliery. The concerned workman is neither entitled to regularisation nor payment of difference of wages.

The only point for consideration is whether the concerned workmen can be regularised on the post of Tyndal Jamadar w.e.f. 1-3-80.

The workmen and the management have each examined one witness in support of their respective cases. The concerned workman have exhibited two documents and the management also has exhibited two documents.

There is not much of dispute left to be decided in this case in view of the Office Order Ext. W-1 dated 13-3-80 issued by the management of Burragarh Colliery. It will appear from this Office Order Ext. W-1 that the concerned workman was authorised to work as Tyndal Jamadar temporarily to supervise the Tyndal jobs from 1-3-1980 and that his case was to be considered only after observing his performance for atleast 6 months. MW-1 Shri A. Das who has come to depose on behalf of the management has identified the signature of the Manager on Ext. W-1 and as such the genuineness of Ext. W-1 cannot be doubted. Although MW-1 has denied that the concerned workman was working as Tyndal Jamadar since the date of authorisation i.e. from 1-3-80 but the evidence in the very next sentence of his will show that the concerned workman was recommended by the Colliery for regularisation in the job of Tyndal Jamadar. The fact that the case of the workman was recommended for regularisation clearly indicates that the concerned workman was actually working as Tyndal Jamadar and as such his name was recommended by the Colliery authorities for regularisation as Tyndal Jamadar. There is yet another document filed by the management themselves which is Office Order Ext. M-2 dated 14|17-10-84. It will appear from this Office Order that the concerned workman along with two others were promoted as Tyndal Jamadar in Cat. V with effect from 1-10-84. This Office Order was passed during the pendency of the present reference. Ext. W-2 is the representation of the concerned workman dated 4-9-80 to the General Manager Kustore Area within whose jurisdiction Burragarh Colliery lies. It will appear from Ext. W-2 that the concerned workman was authorised to work as Tyndal Jamadar and that he requested to change his designation and category. There is recommendation of the Executive Engineer and the Manager on this Ext. W-2. MW-1 has admitted that Ext. W-2 bears the signature of Shri M. K. Sinha, Executive Engineer and Shri S.B. Singh Manager. He has also stated that the case of the concerned workman was recommended by the Colliery for regularisation in the job of Tyndal Jamadar. Thus it is not denied that the authorities of Burragarh Colliery had not recommended for the regularisation of the concerned workman as Tyndal Jamadar. The Manager in his note on Ext. W-2 states "As the applicant is performing satisfactorily as Tyndal Jamadar during trial period, he may be promoted as Jamadar". It is clear from this note, therefore that the concerned workman was working as Tyndal Jamadar since the order of authorisation given vide Ext. W-1 and that his work was found to be satisfactory. Taking all these facts into consideration I hold that the concerned workman was authorised to perform the job of Tyndal Jamadar from 1-3-80 and as he was working as Tyndal Jamadar since then he was promoted as Tyndal Jamadar in Cat. V, with effect from 1-10-84.

The concerned workman has stated that although he was working as Tyndal Jamadar since 1-3-80 which is the job of Category V he was not being paid the wages of Cat. V and was being paid the wages of Tyndal which is in Cat. IV. As the concerned workman was working as Tyndal Jamadar since 1-3-80 regularly he is entitled to the difference of wages between Cat. IV and Cat. V.

Ext. W-1 will show that although he was authorised to work as Tyndal Jamadar from 1-3-1980 temporarily his case was to be considered after observing his performance for atleast 6 months. The order for his promotion was not passed till the order vide Ext. M-2 dated 14/17-10-84. It is true that promotion is the function of the management and the Tribunal cannot decide the question of promotion but the concerned workman is not claiming promotion in Cat. V, he is only claiming regularisation in Cat. V as he was already authorised to work as Tyndal Jamadar and was continuously working as Tyndal Jamadar since the date of authorisation. I have already held above that the concerned workman was working as Tyndal Jamadar since 1-3-1980 and as per Office Order Ext. W-1 he was to be regularised on his satisfactory performance as Tyndal Jamadar after 6 months of the authorisation. It will also appear from the evidence of MW-1 and the recommendation of the Colliery authorities on Ext. W-2 that the case of the concerned workman was recommended as he was performing his job satisfactorily. The concerned workman had regularly worked for more than 6 months by 1-9-1980 and as per Office Order Ext. W-1 he was fit to be regularised as Tyndal Jamadar with effect from 1-9-1980.

In view of the facts, evidence and circumstances discussed above I hold that the demand of the workman of Burragarh Colliery Kustore Area of M/s. B.C.C. Ltd. that Shri Prasadi Bhuia Tyndal should be regularised on the post of Tyndal Jamadar is justified with effect from 1-9-1980. The management is directed to pay the difference of wages between

Cat. IV and Category V from 1-3-1980 till the date of his promotion if the same has not been paid to him as yet.

This is my award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. 24012(5)/83-D.IV (B)]

S.O. 4605.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of DVC Mines, Bermo and their workmen which was received by the Central Government on the 30th November, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT .

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 70 of 1982

In the matter of Industrial iDsputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of DVC Mines, Bermo and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

On behalf of the Coalfields Labour Union—Shri B. L. Lath, Advocate.

On behalf of the D.V.C. workers Union (Impleaded as a party)—Shri Meghraj Singh, Secretary, D.V.C. Workers Union.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 27th November, 1984

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(6)/82-D. IV (B), dated, the 16th July, 1982.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of DVC Mines, Bermo that one dependent of the worker disabled permanently and that who meets with death while in service, should be employed by the management in their Mines is justified ? If so, to what relief the workman Shri Firat Ram, S/o Shri Late Dhani Ram, Coal Cutter of DVC Mines, Bermo entitled ?"

The Coalfield Labour Union had raised an industrial dispute in regard to the employment of the concerned workman Shri Firat Ram, dependent of late Dhani Ram, Coal cutter of D.V.C. Mines Bermo. Another union, namely, Koyala Mazdoor Union had made a complaint before the ALC (C) Hazaribagh in regard to the non implementation of clause 10.4.2 of the NCWA-II by the management of D.V.C. Mines Bermo and had requested for action against the management and the said complaint was taken to be an industrial dispute and on failure of conciliation the industrial dispute raised by the workmen of Coalfield Labour Union and Koyala Mazdoor Union were referred for adjudication in the present reference.

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Firat Ram is the son of late Dhani Ram, Coal Cutter of D.V.C Mines Bermo. The said Dhani Ram died due to personal injury caused to him by an accident arising out of and in the course of his employment. After the death of his father the concerned workman repeatedly demanded for providing employment to him in accordance with the clause 10.4.2 o fthe NCWA-II. The management, however, refused the demand of the workmen. Thereafter the matter regarding the employment of the concerned workman was taken up by the Coalfield Labour Union. But the management was not ready to give employment to the concerned workman on the plea that NCWA-II was not binding on the management. Thereafter the union raised an industrial dispute giving rise to the present reference on the ground that the NCWA-II covers all the Coal Mining Industry in the country and the management of D.V.C. Mines, although not being a formal party of NCWA-II, by its own deeds and action made itself liable to the said agreement inasmuch as the management implemented all the agreements of NCWA-II except clause 10.4.2 of NCWA-II. There is no reason as to why the management should not accept the case of the concerned workman who after the sudden death of his father was badly in need of employment. In similar circumstances, the management in compliance with the provisions of NCWA-II gave employment to one Shri Jogi Ram, dependent brother of late Puk Ram, Coal Cutter who died in the year 1979 while in service. The management has discriminated the case of the concerned workman. The management was not justified in refusing to provide employment to the concerned workman. Koyala Mazdoor Union which had raised the industrial dispute regarding the non implementation of clause 10.4.2 of NCWA-II by the management has not filed his W.S. but the D.V.C. Workers Union, Bermo Giridih has filed W.S. on being added as necessary party in the reference on the ground that the said industrial dispute was a matter which affected all the workman of D.V.C. Mines Bermo. The case of D.V.C. Workers Union is that, though the reference as made for employment of Firat Ram, the reference is not only in respect of an individual but it is for all the dependents of the workmen whose case comes under the clause 10.4.2 and 10.4.3 of NCWA-II which came into effect from 1-1-79. NCWA-II covers all categories of employees who are covered under the recommendation of the Central Wage Board. The workmen employed in D.V.C. Bermo Mines were also covered under Central Wage Board and NCWA-II. The management of DVC has implemented all provisions of the above agreement except the two clauses namely 10.4.2 and 10.4.3 of NCWA-II by which employment has to be given to one dependent of a workman who dies or is disabled while in service. The above issue was raised by the union before the management of D.V.C. Bermo Mines for implementation but the same has not been implemented. Thereafter the industrial dispute was raised before the ALCCC) Hazaribagh. The demand of the workers for employment of one dependent of the worker who dies or is disabled while in service is quite justified and legal.

The case of the management, on the other hand, is that none of the union raised any dispute directly with the management for employment of Shri Firat Ram and as such the present dispute was incompetent. A demand for employment is not an industrial dispute as defined in the Industrial Disputes Act and the present reference is incompetent in law. Late Dhani Ram was working as Over burden worker who died on 22-5-81. NCWA-II was a bipartite agreement and the terms contained therein are not legally binding on the D.V.C. Bermo Mines as D.V.C. Bermo Mines was neither party nor signatory to that agreement. The D.V.C. was not represented in that agreement. The D.V.C. Bermo Mines is a captive colliery of D.V.C. and the service conditions of the workmen are governed by the certified standing orders There are already surplus workmen and as such there is no scope for consideration of any further employment of the dependent of deceased employees. The management has not implemented clause 10.4.2 and clause 10.4.3 of NCWA-II Jogiram dependent brother of late Pukram, Coal cutter was not given employment under NCWA-II but was given employment on compassionate ground under the circular of D.V.C. On the above facts it is submitted on behalf of the management that the workmen are entitled to no relief.

Two questions arise for consideration in this case. The first question is whether one dependent of the workmen disabled permanently and who meet death while in service should be employed by the management in their mines and secondly it has to be decided whether Shri Firat Ram son of late Dhani Ram, Coal cutter of D.V.C. Mines Bermo is entitled to be employed after the death of his father.

Admittedly D.V.C. Mines Bermo was not a party to NCWA-II. WW-2 who is the Branch Secretary of D.V.C.

Workers Union has stated that D.V.C. Bermo Mines was not a party to NCWA-II or NCWA-I. Admittedly, NCWA-II was bipartite agreement in which D.V.C. was not represented and D.V.C. Bermo Mines was neither a party nor signatory to it. As such the terms contained in NCWA-II are not legally binding on the D.V.C. Bermo Mines. No doubt D.V.C. Bermo Mines has implemented most of the terms of NCWA-II but that in itself can not be used to force D.V.C. Bermo Mines to accept the terms in clause 10.4.2 and 10.4.3 of NCWA-II. There is no separate agreement between the management of D.V.C. Bermo Mines and the workmen to the effect that one dependent of deceased workman dying in harness will be given employment. However, there is one circular of D.V.C. which is Ext. M-1 in the present reference. Ext. M-1 dated 22-10-70 is an Office circular of D.V.C. issued under the signature of Director of Personnel regarding the appointment of persons on compassionate ground. It provides "Corporation has decided that henceforth appointment on compassionate ground will be considered in the case of sons/daughter or widows of D.V.C. employees who die while in service leaving their family in indigent circumstances and also leaving no earning member in the family, according to the order of priority indicated." So far this circular is concerned, the case of the concerned workman is not covered. It will appear from the evidence of WW-1 Firat Ram himself that his mother is still working in DVC Mines Bermo and that he along with his brothers and sisters reside with her. It appears from his evidence that his father late Dhaniram and his mother Surajmati both were working in D.V.C. Mines Bermo since before the death of Dhani Ram. As Surajmati mother of the concerned workman was already in employment of D.V.C. since before the death of his father, the circular Ext. M-1 is not applicable in the case of the concerned workman as his father died leaving Surajmati as earning member in the family of the concerned workman. Moreover, there is no evidence to the effect that the family of the concerned workman was in indigent circumstances. Thus the circular Ext. M-1 is not applicable in the case of the concerned workman and he cannot get employment under the said circular Ext. M-1.

The concerned workman WW-1 has stated in his cross-examination that in accordance with the circular of the D.V.C. a dependent employee of a deceased is given employment. I have already discussed above the circular of the D.V.C. and have found that the said circular cannot favourably be used by the concerned workman. WW-1 has stated that the management provides employment for atleast one of the dependent of the deceased workman if he dies while working and that on the death of Pukram his brother Jogiram was given employment by the management. MW-1 has stated that as per circular Ext. M-1 employment to the dependent of the deceased employee is given on compassionate ground and if any dependent of the deceased is working in the mines, his other dependents will not be considered for appointment on compassionate ground. He has further stated that as no family member of Pukram was in employment, his brother Jogiram was given employment on compassionate ground in his place. There is no evidence on behalf of the workmen that any dependent of Pukram was in employment when his brother Jogiram was given employment in place of Pukram on compassionate ground. Thus the example to which the workman have drawn the attention also does not show that the case of the concerned workman was similar to that of Pukram.

Thus on the evidence discussed above it will appear that neither NCWA-II nor the circular of D.V.C. Ex. M-1 covers the case of the workmen in respect of the two points which are involved for decision in the present reference.

The dispute in the schedule of the reference is whether the demand of the workmen of D.V.C. Mines Bermo that one dependent of the worker disabled permanently and that who meets with death while in service should be employed by the management in their mines is justified is a matter for decision which is not based on any law agreement or circular. The third schedule of the Industrial Disputes Act, 1947 deals with the matter which is within the jurisdiction of the Industrial Tribunal. The demand for employment is not the subject matter of any industrial dispute which is within the jurisdiction of the Industrial Tribunal under Third schedule of the Act and as such the decision of the said question of employment is not a matter within the jurisdiction of the Industrial Tribunal.

In view of the discussion made above I hold that the demand of the workmen of D.V.C. Mines Bermo that one dependent of the workmen disabled permanently and who meets with death while in service should be employed by the management in their mines is not justified. I further hold that the concerned workman Shri Firat Ram son of late Dhani Ram, Coal Cutter of D.V.C. Mines is not entitled to the employment or any other relief claimed by him.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-24012(6)/82-D.IV (B)]

New Delhi, the 5th December, 1984

S.O. 4606.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 3, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Nimcha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd December, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 69/82

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer

PARTIES :

Employers in relation to the management of Nimcha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Jaykaynagar (Burdwan).

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

For the Workmen.—Shri J. D. Lal, Advocate.

INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal

Dated, the 24th November, 1984

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19011(10)/82-D.IV (B) dated the 24th July, 1982.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen for supply of two Coal tubs per M.C. wagon loader in the Nimcha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., Dist. Burdwan is justified ? If so, to what relief the workmen concerned are entitled ?"

2. Though in the Reference the workmen have been described as M.C. wagon loaders but in fact they are M.C. loaders. Their case is that as per Wage Board recommendations at 1 cast two coal tubs were to be supplied to them by the employer, but in case of non-supply of two tubs they were to be allowed full back wages. It is also stated that the non-supply of two tubs for a considerable period is prohibited.

3. Their further case is that they have been working at full back wages for years together and inspite of their representation to supply 2 tubs the management did not pay heed to their demand and finally the matter was taken up which resulted in the present Reference. It is submitted that the non-supply of two tubs is illegal and the concerned workmen are entitled to the benefits in terms of money due to 'lead and lift'.

4. The defence of the management is that the Reference is not maintainable in as much as no demand was ever made by the workmen or the union for the matters in dispute and it is for the first time that such demand was made when the concerned workmen stopped work from the first shift of 13-3-82, which continued for 47 days.

5. It is stated that the Nimcha Colliery consists of the following mines :

(a) Nimcha 2, 3 and 4 Pits
(b) Nimcha 7 and 8 Pits
(c) Nimcha open-cast project
(d) Nimcha Incline.

6. All these mines now form part of Nimcha Colliery (R) and the present Reference admittedly relates to Nimcha 2, 3 and 4 Pits consisting about 500 loaders. It is alleged that suddenly and without any notice to the management and without making any demand the loaders went on strike from the first shift of 13-3-82 which continued upto 27-4-82. The said strike was illegal and subsequently at the intervention of A.L.C. the strike was called off. It is also stated that in Pit Nos. 2, 3 and 4 coal is won through the depillaring with hydraulic stowing and hence there is no scope for increasing the production beyond a certain level. There is also shrinkage of working faces and the management was trying to reduce the number of underground loaders but they were obstructed from transferring surplus workers to other collieries. It is also submitted that there is no shortage of two tubs per wagon loader but due to short production two tubs were not required for each labour and as there was no production to that extent. They have also given the quantity of production which is being carried on and it is submitted that the less production was not due to any fault of the management but it was due to less production for reasons beyond the control of the management and so the question of supply of two tubs did not arise at all. It is also submitted that there are surplus loaders in these three pits and the management wanted to transfer the surplus loaders but the union did not agree to the same. According to the management, however, the production has improved and the loaders are now being given adequate work. It is also their case that full back wages was given to the loaders when there was less production and the full back wages include the 'lead and lift' but in this colliery there is no lift nor any lead.

7. The point for consideration is as to whether the demand of the workmen for supply of 2 coal tubs per wagon loader is justified. If so, to what relief the workmen concerned are entitled.

8. It is admitted that the dispute relates to Pit Nos. 2, 3 & 4. MW-1 is Sri R. C. Roy working as First Class Asstt. Colliery Manager concerned with Pit Nos. 2, 3 & 4. He has stated that these pits are very old and in 1975 the production was 35000 tonnes per month but now it is only 15000 tonnes per month. In 1975 there were six sections, 4 depillaring and 2 development but now work is being carried on only in 3 and half sections. He has further stated that Pit No. 3 is completely exhausted and no work is done there and Pit No. 2 is being worked in limited areas as it is disturbed area. There are three depillaring sections in Pit No. 4 but the management is retreating from the boundary as there is no scope for further development. According to him there is no shortage of tubs in these pits but coal is not available and that further there are excess loaders and inspite of efforts by the management to transfer the surplus loaders the union did not agree to it and hence the management had no alternate but to pay full back wages to the loaders.

9. Most of these facts are admitted by WW-1 who is Asstt. Secretary of the Central Executive. It is admitted by him that the tub position has improved now but according to him the workers have suffered loss earlier. It is admitted by him that depillaring with hydraulic stowing is going on in these pits and that the production has decreased. In paragraph 19 of his cross-exam. it is admitted by him that there is difficulty of working faces for winning more coal and that no lift is required in these pits. His demand is that whatever may be the cause of low production the workers are entitled to get two tubs per day. From the evidence of the management as also the documents filed by the management marked Exts. M-13 to M-13/3 it will appear that the production has decreased considerably and that the man-power is in excess. It will also appear from Ext. M-10 to M-12 that several transfer orders were made by the management but the union did not agree to these transfers. WW-1 has admitted that Ext. M-8 would show that the union did not agree for transfer of the excess loaders. Ext. M-8 is the minutes of the meeting held on 1-4-82 between the management and the union in which the position was explained by the management and it was stated that the mine was shrinking and there was no scope for employment of 400 loaders and at least 100 loaders should be transferred from this mine, but the union did not agree to the transfer and demanded full back wages which is being paid to them. The other documents filed on behalf of the management is Ext. M series which would show that the loaders went on strike which continued for 47 days and both the parties places their cases before the R.L.C. and the strike was called off. Ext. M-1 is the demand put up by the union before the R.L.C. and it is dated 20-3-83. For the first time by this demand letter demand for supply of two tubs was made. It may be stated that WW-2 has stated that Rs. 500 was paid as compensation in lieu of 'lead and life' when strike was called off But this fact is also not correct. Ext. M-9 is the minutes of discussion held between the union and the management on 27-4-82 in which certain agreement was made between the parties. It was agreed that the strike will immediately be withdrawn and the issue relating to payment of full back-wages will be referred to the arbitration of Sri V. D. Kamble, R.L.C. Asansol and the terms of Reference for arbitration will be jointly prepared and finalised by the union and the management. It was also agreed that an advance of Rs. 500 will be paid to the loaders which shall be realised later on, on receipt of award of the Arbitrator. Thus this agreement clearly shows that Rs. 500 was to be realised from the workers and that the matter was to be referred to an Arbitrator. But instead of referring the matter to the Arbitrator the present Reference was made at the instance of the workmen.

10. All these documents and evidence discussed above thus clearly indicate that there was no fault of the management for less production and because there was less production question of supply of two tubs did not arise and the management was fully justified in paying full back wages.

11. I accordingly hold that the demand of the workmen is unjustified and they are not entitled to any relief.

12. The award is passed accordingly.

J. N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19011(10)/82-D. IV(B)]

S.O. 4607.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sodepur Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Sunderchak (Burdwan) and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd December, 1984.

CENTRAL GOVERNMEN INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 57 of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sodepur Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, P. O. Sunderchak, District Burdwan.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh.—Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Management —Mr. B. N. Lala, Advocate.

On behalf of Workmen.—Mr. N. N. Sinha, vice president of the Union.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal.

AWARD

By Order No. L-19012(32)|83-D.IV(B) dated 6th December 1983, the Government of india, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour), referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of Sodepur Colliery, P. O. Sunderchak (Burdwan) not to allow Shri Ram Sarup Pasman, Casual Wagon Loader to resume his duty with effect from March, 1989, is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?".

2. The case is called for hearing today. The parties appeared and filed a compromise petition and prayed for an award in terms of the said petition. I have gone through the compromise petition and I find it reasonable and for the benefit of the parties. I therefore, accept the same and pass 'Award' in terms of the said compromise petition which will form part of this Award as Annexure 'A'.

M. P. SINGH, Presiding Officer
[No. L-19012(32)/83-D. IV(B)]
S. S. MEHTA, Desk Officer

Dated, Culcutta,
26th November, 1984.

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA.

In the matter of Reference No. 57 of 1983

PARTIES :

Employers in relation tothe management of Sodepur Colliery of Eastern Coalfields Ltd.

AND

Their Workmen.

Joint petition of compromise

The humble petition of both the parties, herein concerned, most respectfully sheweth :

1. That the above matter is pending before the Hon'ble Tribunal and the matter has not been heard as yet.

2. That the Union herein concerned approached the employers for an amicable settlement of the instant matter and the both the parties after mutual discussions agreed to settle the instant dispute.

3. That, without prejudice to the respective contentions made in the written statement, the parties settled the instant matter on the following terms :—

(i) That the employers will allow Shri Ram Sarup Paswan, Casual Wagon Loaders to resume duties as Casual Wagon Loader within 7 days from the date of this settlement takes effect.

(ii) That both the parties agree that the wirkman concerned shall have no claim, whatsoever for any wages or benefits whatsoever for any period prior to the date he resume, duty as per this settlement as casual workman.

(iii) By this settlement, the instant matter is fully and finally settled and this settlement shall be effective as from the date, the Hon'ble Tribunal accepts this settlement as fair and proper and is pleased to pass as award in terms of this settlement.

4. That both the parties pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this settlement as fair and proper and may be further pleased to pass and Award in terms of this settlement.

And for this act of kindness, both the parties as in duty bound shall ever pray.

Dated this the 26th, day of November, 1984

Sd/- Illegible
For and on behalf of the workman.

Sd/- Illegible
For and on behalf of
the employers

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1984

आदेश

का.आ. 4608.—वैस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के वैकुंठपुर क्षेत्र के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कामकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फैडरेशन, चिरिमिरी करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (3) के के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को जो उसे 22 नवम्बर, 1984 को मिला था, एतदद्वारा प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री जे.के. घोष, कार्मिक, प्रबंधक, वैस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, डा. वैकुंठपुर, जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री बी.पी. दुबे, संयुक्त महा सचिव, मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फैडरेशन चिरिमिरी, जिला सरगुजा।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एच.जी. भावे, उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय :—

"क्या कटकोना कोलियरी के सर्वश्री आर.सी. पाण्डे, अशोक पाण्डे, ठाकुर प्रसाद और गोरा सिंह की 27-2-1982 से सेवा समाप्ति न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण : क. वैस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, कटकोना कोलियरी, वैकुण्ठपुर क्षेत्र।

ख. संयुक्त महा सचिव, एम.पी. कोलियरी वर्कर्स फैडरेशन चिरिमिरी, जिला सरगुजा, (एम.पी.)

3. कर्मकारों के नाम प्रश्न नहीं उठता।

4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या 4 (चार)

5. विवाद द्वारा प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या 4 (चार)

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्ध कर होगा ।

मध्यस्थ अपना पंचाट छह मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाएगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जाएगा और पक्षकार नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : हस्ता/—
(जे.के. घोष) कार्मिक प्रबन्ध
डब्ल्यू.सी.एल., बैकुण्ठपुर क्षेत्र,
दिनांक 14-7-1984

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : हस्ता/—
(बी.पी. दूबे)
संयुक्त महा सचिव, एम.पी. कोलियरी वर्कर्स फैडरेशन, दिनांक 14-7-1984

साक्षी : 1. ह./—
2. ह./—
3. ह./—

मध्यस्थ की सहमति

कोटकोना कोलियरी के सर्वश्री आर.सी. पांडे, अशोक पांडे, ठाकुर प्रसाद और गोरा सिंह की 27-2-1982 से अभिकथित गलत सेवा समाप्ति से संबंधित विवाद में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन मैं मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की सहमति देता हूं।

एच.जी. भावे, उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)
नई दिल्ली और मध्यस्थ

[सं. एल-22013(1)/84-डेस्क-5]
एस. एस. मेहता, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 12th December, 1984

ORDER

S. O. 4608.—Whereas the industrial dispute exists between the employers in relation to the Management of Baikunthpur Area of Western Coal fields Limited and their workmen represented by Madhya Pradesh Colliery Workers Federation, Chirimiri;—

And, Whereas, the said employees and their workmen have by a written agreement under Sub Section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement.

Now, therefore, in persuance of sub Section (3) of Section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on the 22nd November, 1984.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the I.D. Act, 1947)

BETWEEN

Name of the parties:

Representing employer : Shri J.K. Ghosh, Personnel Manager, Western Coalfields Limited, P.O. Baikunthpur, Distt. Surguja (M.P.)

Representing workmen : Shri B.P. Dubey, Jt. Genl. Secretary, Madhya Pradesh Colliery Workers Federation, Chirimiri Distt. Surguja.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri H.G. Bhave, Dy. Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour & Employment, New Delhi.

1. Specified matter in dispute:—

"Whether the termination of services of Sarva Shri R.C. Pandey, Ashok Pandey, Thakur Prasad and Goura Singh of Katkona Colliery with effect from 27-2-82 is justified or not. If not, what relief the concerned workmen are entitled to?"

2. Details of parties : (a) Western Coalfields Limited, Katkona Colliery, Baikunthpur Area.
(b) Joint General Secretary, M.P. Colliery Workers' Federation, Chirimiri Distt. Surguja (M.P.)

3. Name of the workmen : does not arise.

4. Total No. of workmen employed in the undertaking affected : 4 (Four)

5. Estimated number of workmen affected : 4 (Four)

We further agree that the decision of the arbitration shall be binding on us.

The arbitrator shall make his Award within a period of six months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the Award is not made within the period aforesaid the reference to Arbitrator shall stand automatically cancelled and the parties shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signatures of the parties:

Representing employer.	Representing workmen;
Sd/-	Sd/-
(J.K. Ghosh)	(B.P. Dubey)
Personnel Manager, WCL Baikunthpur Area	Joint General Secretary, M.P. Colliery Workers' Federation
dt. 14-7-84	Dt. 14-7-84

Witnesses : (1) Sd/- (2) Sd/- (3) Sd/-

CONSENT FOR THE ARBITRATOR

I hereby give my consent to act as an Arbitrator under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 in the dispute relating to alleged wrongful termination of services of S/Shri R.C. Pandey, Ashok Pandey, Thakur Prasad and Gaura Singh of Katkona Colliery with effect from 27-2-1982.

H.G. BHAVE, Deputy Chief Labour Commissioner (C)
New Delhi and Arbitrator

[No. L—22013(1)/84-Desk V]
S.S. MEHTA, Desk Officer

New Delhi, the 12th December, 1984

S.O. 4609.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of North Chirimiri Colliery of Western Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th December 1984.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, 1417, WRIGHT TOWN, JABALPUR (M. P.).

Case No. CGIT/LC (R) (28)/1979.

PARTIES :

Employers in relation to the management of North Chirimiri Colliery of Western Coalfields Limited Post Office Gelhapani, District Surguja and their workman, Shri K. P. Choudhary, Assistant Draughtsman, represented through the M. P. Khan Mazdoor Congress, North Chirimiri Colliery Branch, P. O. Gelhapani, District Surguja (M. P.).

APPEARANCES :

For Union.—Shri L. N. Mahotra, Advocate.

For Management.—Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Coal DISTRICT : Surguja (M.P.).

AWARD

Dated, the 26th November, 1984

The Central Government in exercise of its powers under Sec. 10 of the Industrial Disputes Act 1947 referred the following dispute for adjudication, vide Notification No. L-22012(8)/79-D. IV(B) dated 28th September, 1979 :—

"Whether the demand of the M. P. Mazdoor Congress (NLO) P. O. Gelhapani, District Surguja for the regularisation of Shri K. P. Choudhary, Assistant Draughtsman of North Chirimiri Colliery of Western Coalfields Limited to the post of Draughtsman is justified. If yes, to what relief is the concerned workman entitled ?".

2. Shri K. P. Choudhary was initially appointed as a mazdoor in Category I. He was appointed as a Trainee Apprentice in May 1968. He was doing the work of preparing drawings, plans of the building, plots were surveyed by him. In about 15-8-1973 he was appointed as a Tracer in the scale of Rs. 180-273. He was then placed in the scale of Rs. 330-450 with effect from 1-1-1975. Subsequently on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee he was promoted to the post of Assistant Draughtsman in the scale of Rs. 378-614 by an order dated 23-7-1977. The contention of the Union is that Choudhary was doing the duties of a Draughtsman and therefore became entitled to the emoluments of a Draughtsman with effect from the date he was appointed as a Tracer. The management has denied his claim in toto and contends that they do not have any post of a Draughtsman in the colliery. Therefore it is not possible to put him on the post of a Draughtsman. Choudhary, however, has produced one certificate given by the management of the Colliery to the effect that Choudhary is working in the North Chirimiri Colliery since 1973 as a Draughtsman and in his capacity he is doing all sorts of plotting work and tracing work and making estimation of the building. This certificate is dated 17-7-1978 and is signed by the Manager North Chirimiri Colliery. The workman, therefore, contends that he is entitled to the emoluments of a Draughtsman since 1973. The main question now that arises for consideration is whether there is a post of a Draughtsman in the North Chirimiri Colliery and secondly even if there is no such post of a Draughtsman could Choudhary be appointed as a Draughtsman and become entitled to the salary of a Draughtsman with effect from the year 1973.

3. The evidence of Shri V. K. Tripathi who was the Manager from 1975 to 1978 would reveal that Choudhary was appointed as a Tracer in the Colliery and in the year 1978 he was selected as an Assistant Draughtsman. He was never appointed as a Draughtsman and the certificate given by him (Ex. W/1) was under pressure from the Union whose office bearer Shri Choudhary had been. The certificate was given with a view to help Choudhary to secure better job elsewhere. Mr. G. G. Sachdeva who was the Assistant Manager in the North Chirimiri Colliery from 1969 to 1976 stated that till 1973 the set up had not been defined but thereafter it had been defined and there was a man power budget. He, however, cannot say whether there was a post of a Draughtsman in the budget or not. The Manager had the final word in the question of set up of colliery before 1973. But no wit is the General Manager who controls this. According to this witness Choudhary was working as a Tracer and then was promoted as an Assistant Draughtsman. The Colliery was a small one producing about 14000 Tonnes of coal and no post of a Draughtsman was kept in the colliery. Shri Tripathi said that it being a small colliery there was no work for a Draughtsman in it. Now if there was no post of a Draughtsman it is difficult to see how Choudhary could be appointed on a post which did not exist. The circumstances would also show that first he was appointed as a Tracer in 1973 and then he was selected as an Assistant Draughtsman. Unless there is a post of a Draughtsman Choudhary could not be appointed to such post. It is not anybody's case that the mine was surreptitiously not appointing Draughtsman to save expenses and was taking the work of a Draughtsman from Choudhary. The budgeting and the posts in the colliery to be manned by different officers are clearly executive functions within the discretion of the management and they are the best judge to see which post be necessary for the best interest of the management. The duties of an Asstt. Draughtsman and a Draughtsman may or may not be the same. But it appears that the responsibilities of a Draughtsman would be greater. There is nothing to show that post of a Draughtsman had been kept in the colliery before its nationalisation when it was in the hands of M/s. Thapar Group or subsequently. I, therefore, find that the post of a Draughtsman was not created in the year 1973, and therefore the question of anybody being placed on that post did not arise. It may be that Choudhary was highly qualified or even competent but unless there was a post of Draughtsman he would not become entitled to the emoluments of a Draughtsman as he was not holding that post. It is quite often that even highly qualified persons hold a subordinate post and the qualifications cannot determine that he was holding a superior post.

4. The question then arises whether in the circumstances of the case Choudhary became entitled to the emoluments of a Draughtsman as some of the duties he was doing were that of a Draughtsman. As already indicated that the present work or the assessment of the post of the civil works could be done by an Asstt. Draughtsman as also by a Draughtsman. The matter may have been open to doubt if the colliery had the post of a Draughtsman as also that of an Assistant Draughtsman. But since there was no post of Draughtsman there is no question of the emloments being given as payable to a Draughtsman. In my opinion, this industrial dispute was raised because of the certificate issued by the Manager when Choudhary was merely a Tracer and not even an Assistant Draughtsman. Choudhary clearly wants to take advantages of this, Shri Tripathi has explained the circumstances under which the certificate was given and how he has been pressurised. I do not think that such certificate could bind the management to pay Choudhary higher emoluments of a Draughtsman. It may then be that Choudhary was doing the work of a Draughtsman and therefore the Manager had given him the above certificate (Ex. W/1). But what is material is that the management did not envisage a post of a Draughtsman, nor did they appoint Choudhary as a Draughtsman any time. Therefore he cannot get the employments of the post of a Draughtsman. I, therefore, render this award accordingly holding that the colliery set up did not envisage a Draughtsman in 1973 and any time afterwards. Therefore Choudhary could not get the emoluments of a Draughtsman. He had not been appointed as a Draughtsman. This reference is answered in favour of the management. There shall, however, be no order as to costs in the peculiar circumstances of the case.

Dated : 26-11-1984.

K. K. DUBE, Presiding Officer

[No. L-22012(8)/79-D. IV (B)/D. V

S.O. 4610.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mahakali Colliery of Western Coalfields Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th December, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I AT BOMBAY

PRESENT :

Dr. Justice R. D. Tulpule Esq.,

Presiding Officer.

Reference No. GCIT-I of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Mahakali Colliery of Western Coalfields Limited.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the employer.—Mr. P. S. Nair, Advocate.

For the workmen.—Mr. R. R. Pillai, Advocate.

INDUSTRY : Mining. STATE : Maharashtra.

Bombay, the 24th August, 1984

AWARD

This is a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, relating to 116 discharged workman and their right to re-employment with the employer, M/s. Western Coalfields Limited, Chandrapur. The terms of the reference are worded as follows :—

"Whether the management of Mahakali Colliery of Sub-Area No. 3 of Messrs Western Coalfields Limited, Chandrapur is justified in denying work to the listed 116 workmen in view of the fact that they had worked in the Colliery ? If not, to what relief the concerned workmen are entitled to ?".

A statement of claim was filed by the Union appearing for the workmen, viz. Rashtriya Vidarbha Coal Employee's Union (hereinafter referred to as "the Union") in which it is contended that the Union raised a dispute in relation to "reinstatement of 116 workmen in the Mahakali Colliery with back wages and permanent cadre". That these workmen listed in the schedule were in the employment of the Mahakali Colliery with, according to the Union, casual break in service and were held on the rolls of the employment till July 1981. The Union then refers to the agreement dated 4th May 1980 and complained that this agreement that this agreement has not been implemented even though the workmen have put in service to the extent of seven months or so and they were denied an opportunity to work in the Colliery from 4th May.

2. The statement then said that the workmen at Sl. Nos. 7 to 14 have been retained in the employment on piece-rated basis but their claim regarding back wages and permanency in service remains to be adjudicated. According to the Union the chart showing the attendance of the workmen for the period produced by the Colliery is not correct and that the muster rolls produced will show the real state of affairs.

3. The substance of the contention of the Union is that the work which they were doing is not of casual nature but they were underground mine workers and the work is of a permanent nature. Their continuation on jobs from time to time indicates that their services were required but were discontinued from time to time only with a view to deny them an opportunity to complete 190 days required for permanency. While these workmen were discontinued the Colliery has not only retained a number of juniors in the same cadre but also recruited over 1000 persons in the Colliery. The Union then referred to Section 25H of the Industrial Disputes Act and claimed that such workmen have a right to re-employment. It reiterated that the employees have put in more than 190 days. As the employees were utilised for raising coal from the underground they are entitled to be absorbed in service.

4. The Western India Coal Fields (hereinafter referred to as "the Company") filed as many as six statements in reply. They filed these six statements separately mainly to deal with the case of workmen mentioned therein who have put in certain periods of service and to distinguish them from others. Otherwise, the main substance of their contention is uniform in all incompetent as there is really no dispute that the reference is incompetent as there is really no dispute between the employer and the employees. It also questioned the right of the Union to raise this dispute as the employees are not members of that Union. The reference has, according to it, been made without proper application of mind and is incompetent. Further, according to the Company, casual labour, and employment of casual labour, is to meet temporary requirement and casual needs caused on account of excess work and absenteeism. In order to overcome this contingency casual labour has to be employed. The agreement dated 4th May 1980 has been completely implemented. According to it the Colliery is in such a condition and its potential has gone down to such a level that continuation of employees and become impossible. The target of production is going down and the sanctioned strength has also been brought down to 949 from 1173. No additional hands or new people could be employed.

5. It then pointed out that the employees were employed purely on casual basis and to meet with absenteeism and were clearly given to understand the circumstances of their employment. Mere casual employment on this count on some occasion does not create a right of permanent employment unless 190/240 days work has been performed for regular employment with the Company. In other words, according to it, it was agreed by the Union and the Union cannot put forward fresh demands contrary to the terms of the settlement.

6. According to the practice followed by the Company, the procedure for employment of workers in the colliery is that the person is sponsored by the Employment Exchange. Only then he can be selected and employed as a worker. The employees concerned in this reference did not approach the Company and were not sponsored by the Employment Exchange. During the last three years some of them have not even worked for a day and some have not even worked for 100 days in a year. The number of days attended by each of the workmen out of the listed workmen is mentioned against than in each of the statements filed separately by the Company, except in the case of workmen Ramavtar and others where the number of days were not mentioned. Presumably they have not worked at all in the Colliery. The names of the 14 workmen who were employed from out of the scheduled list is also given in one of the statement.

7. After the statement of claim was filed a rejoinder was filed on behalf of the Company which denies specifically that the scheduled employees were on the muster rolls of the management till July 1981. It also denied that any break in service is given deliberately and none of the workmen gave details of attendance, date of appointment and period of service and other details. It also pointed out that there is no reference to back wages and permanency in respect of the 14 employees and that question is not referred to the Tribunal. It also pointed out that reference to Section 25H is unjustified and also stated that an additional 18 persons from the list were employed and filed a list of them.

8. As could be seen fro mthe terms of reference extracted above there is no reference to back wages or permanency of these employees. The reference therefore does not survive in respect of these 14 employees. It also does not survive in respect of these 18 employees listed in the rejoinder filed

by the Company. That leaves the question of remaining 84 employees and their right to work and the relief to which they may be entitled to.

9. As I pointed out from the written statement of the Company some of the workmen have not worked at all. They presumably are from the group Ramavtar Drawka and 8 others mentioned in one of the statement. In their case the circumstances that they had worked in the Mahakali Colliery does not exist and the question of any right to relief to them does not exist. For the purposes of this reference I will assume that the remaining workers did work for some time or the other. It is not pointed out as to how merely because a person is employed in a casual temporary or emergent work, a right of re-employment arises. The reference to Section 25H which is really an off-shoot of Section 25F is entirely misplaced. Section 25H is attracted only where there is a retrenchment under Section 25H. Besides, when these employees were employed as casual employees and were terminated, their termination did not amount to retrenchment.

10. The Union has not disputed the position that in order to acquire a right to employment the employees must work for 190/240 days above ground in a year. The statistics produced by the Company was attempted to be disputed during the course of the evidence but was not substantiated. It was suggested that the lamp register will go to show the number of days actually worked by the employees. No such register was called for. On the other hand the Union relied upon the muster roll. The muster rolls do not show that the employees worked for the period longer than the period required to be worked for the purpose of permanency or for a period longer than as shown by the company. Under the circumstances and since none of the employees had actually been sponsored by the Employment Exchange they could not be considered. As their employment was casual, there is no question of termination in their case. They were employed for the occasion and with the end of the occasion and reason their employment came to an end. It was not shown with reference to any settlement, award or rule or law that merely when a person works in a colliery even for a single day he is entitled to be continued and must be absorbed as a permanent worker. Such a proposition does not exist. None was shown. Consequently the 84 workmen would not be entitled to any relief.

11. This matter was heard and was adjourned for arguments on the 27th July. On that day Union representatives were not present. It was agreed earlier that if the Union representative wants to advance any argument and were not able to send any written arguments also the matter will be decided. A notice was therefore sent to them on the 17th August. On 17th both the parties were present but did not present any written or oral arguments. On the other hand the Union representative wanted an adjournment. Though the application was rejected they were given time to submit written arguments till 24th. No written arguments were filed till 24th. On the 25th after the award was dictated. Written arguments were filed by the Company and no arguments were sent by the Union.

12. In view of what I have stated above, the reference must be answered in negative and it must be held that these 84 workmen have no right to re-employment and hence no relief can be granted.

13. Award accordingly.

R. D. TULPULE, Presiding Officer

[No. L-22011(22)/82-D.III-B/D. V]

S.O. 4611.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ena Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. Post Office Dhansar, Distt. Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th December, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha,

Presiding Officer.

Reference No. 49 of 1983

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Ena Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Dhansar, District Dhanbad and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri G. Prasad, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri S. P. Singh, General Secretary, Khan Mazdoor Congress.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 29th November, 1984

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(6)/83-D. IV(B) dated the 27th May, 1983.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Ena Colliery, Kustore Area of Messrs Bharat Coking Coal Limited, District Dhanbad in refusing employment to Shri Shyam Deo Beldar, Dumper Khalasi with effect from 3-10-1982 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?".

The case of the management is that the concerned workman Shyamdeo Beldar was appointed Miner/Loader as piece rated. From time to time he was engaged in time rated jobs. There was no prescribed designation of Dumper Khalasi in the Coal Mines and the concerned workman never worked as Dumper Khalasi. Under the Coal Wage Board Recommendations Lorry Cleaner is placed in Cat. II and it is a time rated job. Since the concerned workman had been working as a General Mazdoor in Cat. I for over a year he was placed in Cat. I as a General Mazdoor. He never worked as a Dumper Khalasi. The assertion made in the schedule of the reference that the concerned workman was refused employment as Dumper Khalasi with effect from 3-10-82 is not correct. He was absenting from duty since 30-9-82 without leave/permission or intimation to the competent authority. A chargesheet dated 22-10-82 was issued to him under the certified standing orders of the Colliery. The concerned workman received the aforesaid chargesheet and also replied to the chargesheet which was received by the management on 30-11-82. The reply of the concerned workman was found to be unsatisfactory and as such a domestic enquiry was held against him. The concerned workman was informed of the dates of the departmental enquiry from time to time vide letters dated 8-12-82, 25-3-83 and 20-4-83. The concerned workman received letter dated 8-12-82 and thereafter prayed for an adjournment on 16-12-82. His request for adjournment was allowed and thereafter he was informed about the next date of the enquiry. Inspite of several opportunities given to the concerned workman he did not appear in the Enquiry proceeding and he was avoiding and absenting from duty. The concerned workman never reported for duty since he absented from 30-9-82 and also did not appear at the enquiry. The concerned workman himself absented from duty and the management had not refused employment with effect from 3-10-82 as alleged by the concerned workman. The departmental enquiry is still

pending against the concerned workman and he is still on the rolls of the colliery. The services of the concerned workman has not been terminated and it is incorrect to say that there has been an illegal termination of his services. As he is still in employment, the question of his reinstatement does not arise at all.

The case of the workmen is that the concerned workman was originally appointed as Miner/Loader and was transferred along with others to Ena Colliery to work as time rated worker through Office Order dated 25-12-80, and he was allowed to work as Dumper Khalasi which is a time rated job. He was doing his duties of Dumper Khalasi satisfactirily. All of a sudden when he was on duty on 1-10-82 Mr. Kumar Incharge of the Section came and stopped his work and asked him to go out and as such the concerned workman had to leave the place of work. The concerned workman made an enquiry from Mr. Kumar as to why his work was being stopped to which he replied that it was the order of the Office. The concerned workman met several officers who told him they will enquire into the matter but nothing was done. After about a month when the management did not give any justice he wrote a letter to the management on 1-11-82 against his illegal stoppage. The union also represented his case before the Colliery Manager through Regd. Letter with A/D requesting the management to allow the concerned workman to resume his duties but no reply was given by the management. Thereafter the union raised an industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad on 12-11-82. The management participated in the conciliation proceeding before the ALC(C) and submitted written comment and rejoinder. During the conciliation proceeding the management sent a chargesheet dated 22-10-82 through a worker named Satan Pasi and the said Satan Pasi handed over the said chargesheet to B dal Bauri a neighbour of the concerned workman on 29-11-82. The concerned workman replied to the said chargesheet on 30-11-82 denying the charges. The said chargesheet was subsequently framed and was an after thought to cover up the illegal action of the management. The conciliation proceeding failed and thereafter the present reference was made. The concerned workman was illegally stopped from his work without observing the legal formalities as required under the Certified Standing Orders of the Colliery and as such the said illegal stoppage amounts to illegal termination of service of the permanent worker. The management was sending the notice very late making it impossible for the concerned workman to attend the enquiry on the date fixed. It was an attempt by the employer to evade enquiry as it was fully known that the management cannot prove the charge framed against him. The concerned workman has prayed for his reinstatement on his post of Dumper Khalasi with full back wages.

The question to be determined is whether the management was justified in refusing employment to the concerned workman with effect from 3-10-82.

The management and the workmen have each examined two witnesses in support of their cases. Both the parties have filed some documents which have been exhibited.

It is the admitted case of the parties that originally the concerned workman was appointed as Miner/loader which is a piece rated job. It is also admitted that the concerned workman along with others were transferred to Ena Colliery to work as time rated worker through the Office Order dated 25-12-80 to which the concerned workman has no grievance.

The case of the concerned workman is that while he was working as Dumper Khalasi on 1-10-82 Mr. Kumar Incharge of the section stopped him from work and thereafter inspite of several requests made to the management he was not allowed to work. The case of the management, on the other hand, is that the concerned workman had not been stopped from work rather he had absented from duty since 30-9-82 without any information and for that purpose chargesheet was submitted against the concerned workman and the said proceeding is still pending against the concerned workman. The case of the management further is that the concerned workman is still on the rolls of the management and that he has not been stopped from work. The workman WW-1 Shyamdeo Beldar has stated that he had gone to attend duties on 30-9-82 and on 1-10-82 when the Foreman Kumar Sahib told him on those days that he has been stopped from work. From this evidence it appears that the concerned workman was stopped from work on 30-9-82 and also on 1-10-82 while he was working. Thus if his evidence is correct then he must have been marked present in the attendance register on 30-9-82 and on 1-10-82 because according to his case he was stopped from work on 1-10-82 while he was working. Now let us look to the attendance Register Ext. M-14/1 which has been produced by the management. In the attendance for the week commencing from 30-9-82 ending 2-10-82 it will appear that the concerned workman Shyamdeo Beldar was present on 28th & 29th of October, 1982 but he was absent on 30-9-82, 1-10-82 and 2-10-82. Thus the assertion of the concerned workman that he was present on 1-10-82 and 30-9-82 is not correct. Attendance register shows that the concerned workman had absented from 30-9-82. MW-2 Shri T. D. Banerjee is a Time Keeper of Ena Colliery. He has stated that the concerned workman did not attend the duties after he had absented. He has produced the attendance register which I have already discussed above to show that the concerned workman was absent from 30-9-82. He has denied that the concerned workman was not allowed to work. Ext. M-2 dated 21-10-82 was sent to the management under the signature of MW-2. He has stated that the Time Keeper reports about absence of the workmen to the Manager of the Colliery after watching for some days and that the report is not made soon after the workman absents. It was on the basis of his report Ext. M-2 that the management had framed chargesheet against the concerned workman vide Ext. M-1 dated 22-10-82. MW-1 Shri D. P. Roy, Manager of Ena Colliery has stated that the concerned workman was chargesheeted by him and he has proved his signature on the chargesheet Ext. M-1. He has stated that the chargesheet was framed on the basis of the report Ext. M-2 of the Time Keeper. MW-1 has stated that he had issued the chargesheet by Regd. Post to the concerned workman but the letter was returned unserved and the said unserved Regd. letter is Ext. M-3 in this case. He has also proved the Office copy of the Enquiry notices Ext. M-4 dated 8-12-82. The concerned workman had received the chargesheet and thereafter he had filed his reply dated 30-11-82 which is Ext. M-5. Ext. M-6 is another letter of the concerned workman which was received by the management on 16-12-82 in which the concerned workman had prayed for fixing another date in the enquiry proceeding. Then there are enquiry notices Ext. M-7 dated 17-12-82, M-8 dated 25-3-83, M-10 dated 20-4-83 M-11 dated 6-7-84 to show that the concerned workman had been given several notices regarding the date of the enquiry proceeding. Inspite of the fact that the concerned workman had come to know of the enquiry pending against him, he had never cared to appear before the Enquiry Officer and he also did not report for duty. It was the duty of the concerned workman to appear before the Enquiry Officer when he had received the notices. But the fact that he never appeared before the Enquiry Officer shows that the concerned workman was avoiding the Enquiry Proceeding.

The concerned workmen has given no reason as to why his work was stopped by the management. On the Contrary, the management has stated that the concerned workman had absented from 30-9-82 without any information for which chargesheet had been framed against him and this case of the management appears to have been substantiated by the Attendance Register showing the absence of the concerned workman from 30-9-82 and also from the evidence of MW-2 and his report of absence of the concerned workman vide Ext. M-2. To me it appears that the workman had not been stopped from work and that actually chargesheet had been framed against him for his absence without intimation for over 10 days and that the concerned workman was avoiding the proceeding by raising a false plea that he had been stopped from work on 1-10-82. The attendance Register Ext. M-14 further shows that the name of the concerned workman is still continuing on the roll of the management and that he has not been stopped from work. It was not on the part of the management to inform the concerned workman to come and join his duties. It was for the concerned workman to report for duty and the

concerned workman cannot take advantage on the plea that the management had not asked him to join his duties.

As discussed above, it will appear that an enquiry into the charge for absenting without permission for over 10 days is pending against the concerned workman. It is also admitted by the management that the concerned workman is still on the roll and he has not been removed from service. If the charge against the concerned workman is false and baseless he could face the domestic enquiry and falsify the allegations made against him and unless the enquiry is gone into the charges it is not possible for this Tribunal to hold that the charge against the concerned workman is false.

In view of the discussions made above, I hold that the management has not refused employment to the concerned workman with effect from 3-10-82 and on the contrary it will appear from the evidence that the concerned workman had absented from duty with effect from 30-9-82 for over 10 days and as such the concerned workman was chargesheeted under clause 29(16) of the Certified Standing Orders of Ena Colliery and that the concerned workman himself had not reported for duty. In the above view of the matter the concerned workman is entitled to no relief. It is open to him to appear in the Enquiry Proceeding and report for duty.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-24012(6)/83-D. IV (B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer

New Delhi, the 5th December, 1984

S.O. 4612.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Govindpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited. and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd December, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD.

Reference No. 7/83.

PRESENT :

Shri J. N. Singh,
Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Govindpur Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., Dhanbad.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri G. Prasad, Advocate.
For the Workman.—Shri D. Mukherjee, Advocate.

INDUSTRY : Coal. STATE : Bihar.

Dated, the 28th November, 1984

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act. 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(49)/83-D. III(A) dated the 18th May, 1983.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Govindpur Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., Dhanbad in not regularising Sri Ranghua Hari, Sweeper in Govind pur Dispensary as a Ward Boy/Mid Boy, though he has worked as a dresser in the said dispensary for more than a year is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled and from what date ?".

2. The case of the workman Sri Ranghua Hari is that he was original appointed as a permanent sweeper in Govindpur Dispensary on 1-1-1955 and he has worked continuously as such since then. It is alleged that he is an active member of Bihar Colliery Kamgar union against which the management is very much biased and hence though he is working for the last several years his designation or grade has not been changed.

3. It is further stated that some interested officers of the management appointed one Sri Suresh Prasad as sweeper knowing fully well that he was not in a position to work as a sweeper nor Sri Suresh Prasad worked as a sweeper even for a single day and thereafter Sri Prasad was promoted as a Ward boy/Mid boy superseding the claim of the concerned workman who is much senior to him. The concerned workman protested to the above discriminatory and illegal act of the management and raised an industrial dispute which resulted in the present reference. It is submitted that the management was not justified in regularising or promoting Sri Suresh Prasad as a Ward boy/Mid boy superseding the claim of the concerned workman.

4. The defence of the management is that in fact the claim of the workman is for promotion which is management's function and such dispute cannot be raised under the Industrial Disputes Act. It is further stated that sweeper is a daily rated Category I worker while a Ward boy is under Grade H and is a monthly rated staff. According to the management the concerned workman has been working as a sweeper in Govindpur dispensary and he never worked as a Dresser or Ward boy there. It is also stated that promotion can be given only through Promotion Committee and as the concerned workman has got no requisite qualification of a Ward boy there is no question of promoting him to the said post. On the above grounds it is prayed that the Reference be decided in favour of the management.

5. The point for consideration is as to whether the action of the management in nor regularising the concerned workman as a Ward by/Mid by though be worked as Dresser in the said dispensary for more than a year is justified. If not, to what relief is he entitled.

6. The management has filed the attendance as well as bonus register Exts. M-1 & M-2 series to show that the concerned workman has been designated as a sweeper. MW-1 is Sri Mathura Prasad, Medical Officer's Clerk who has stated that the concerned workman is all along doing the work of a sweeper and he never performed the duties of a Dresser or Ward boy. According to him certain certificates are required for working as a Dresser which the concerned workman does not possess. It is, however, admitted by him that Sri Suresh Prasad was appointed as a sweeper in the dispensary on 23-10-79. So admittedly he is much junior to the concerned workman. It is also admitted by the management that subsequently Suresh Prasad was designated as a Ward boy and then at present he is working as an Ambulance Khalasi. It is in evidence that Suresh Prasad is not a Mehtar or Hari by cast fast is a Kurmi. MW-2 is Sri Bhanu Pratap Singh, Medical Officer, Govindpur Colliery Dispensary. He joined this dispensary in January, 1984 and so he cannot say anything about Sri Suresh Prasad but he stated that Ranghua Hari worked as a sweeper. According to him no Ward boy is required in the dispensary as there are no indoor beds and the duty of Ward boy is to clean beds etc. It is, however, admitted by him that there are two sweepers in the dispensary and either of them prepare slides in the Pathological Department of the dispensary where pathological test is done by the Lab. Technicians.

7. As against this WW-1 is the concerned workman who has stated that besides doing the sweeper's work he is performing the work of dresser and Ward boy and is working in the Pathological Section. He has stated that Suresh Prasad was originally appointed as a sweeper but he was subsequently designated as a Ward boy in the same dispensary though

he is much junior to him. WW-2 is Sri Ramapati Saran, Laboratory Technician in this very dispensary. He has stated that the concerned workman is working in his section since before 1978 and he examined urine, prepares stool slides for testing, sterilises surgical instruments and does dressing work also. According to him there are six beds in the dispensary. He has further stated that Suresh Prasad never worked in the Pathological section of the dispensary. He is an employee of the management fully acquainted with the working of the dispensary and there is no reason to disbelieve his testimony. Exts. W-2 & W-4 are the certificates granted to the concerned workman by the Ex-Medical Officer of the dispensary to show that the concerned workman has got keen interest and knowledge for dressing bandage and that he is working as a dresser. It may be that a dresser may posses some qualification and certificates but the Coal Wage Board recommendation does not prescribe any qualification for a Mid boy/Ward boy. Further the contention of the management that there is no post of Ward boy/Mid boy in Govindpur dispensary is falsified from the document of the management themselves. As stated earlier Sri Suresh Prasad was admittedly appointed original as a sweeper. He is much junior to the concerned workman. Ext. W-1 is the Office Order dated 29-6-81 which shows that Suresh Prasad was working as Laboratory Sweeper at Govindpur dispensary was designated as a Ward boy to work at Gvondpur dispensary in Grade II. This clearly indicates that there was a post of Ward boy in the Govindpur dispensary and Suresh Prasad was designated as such though he was much junior to the concerned workman. It will also appear from Ext. W-3 a letter dated 26th/27th November, 1983 of the Superintendent of the Colliery that Suresh Prasad was subsequently taken in as Ambulance Khalasi. Thus the post of Ward boy became vacant and is still vacant as there is no evidence that this post has been filled up by anybody or not. It has also been seen that the Coal Wage Board recommendation does not require any requisite qualification for working as a Ward boy. The concerned workman is working in the dispensary for the last several years and he is doing miscellaneous works in the dispensary and so the management should have no difficulty in designating him as a Ward boy as the post is still vacant. It is well established that social justice or natural justice should be done in industrial cases to maintain harmonious relationship between the management and the workmen. Evidently the management designated a junior sweeper to the post of Ward boy is superseding the claim of the concerned workman and this action of the management must be held to be unjustified.

8. Considering the evidence and circumstances of the case, I hold that the action of the management in no regularising the concerned workman as a Ward boy is not justified.

9. The next question is regarding the relief the workman is entitled. As stated earlier Suresh Prasad was working as a Ward boy in this very dispensary has been appointed as an Ambulance Khalasi and the post of Ward boy is lying vacant. The concerned workman in the circumstances of the case should be designated as Ward Boy within a month from the date of publication of the award and he should be paid the grade and salary of a Ward Boy with effect from that date. He will, however, not be entitled to claim any back wages.

10. The award is passed accordingly.

J. N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-20012(49)/83-D. III(A)]

S.O. 4613.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhurkunda Colliery of Messrs Central Coalfields Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd December, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 3/83

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhurkunda Colliery of M/s. Central Coalfields Ltd.

AND

Their workman

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

For the Workman—Shri J. D. Lal, Advocate.

INDUSTRY : Coal. STATE : Bihar

Dated, the 28th November, 1984

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012 (476)/82-D.III(A) dated the 17th/21st May, 1983.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bhurkunda Colliery of M/s. Central Coalfields Ltd., is not promoting Shri Jagdish Mahto as C.C.M. Driver when he was adjudged as competent to work as C.C.M. Driver in January, 1965, is justified and reasonable ? If not, to what relief is the workman entitled ?".

2. After several dates fixed for hearing of the case Shri J. D. Lal, Advocate for the Union submitted on 23-11-84 in presence of the management's Advocate Sri R. S. Murthy that the union is not taking any interest in the case and that they are not interested in the dispute and hence a 'no dispute' award be passed.

3. In the circumstances a 'no dispute' award is passed.

J. N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-20012(476)/82-D.III(A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1984

का. आ. 4614—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री के. एम. राघवन, जन सम्पर्क अधिकारी, मद्रास को 1-12-1984 से श्री सी. एम. बालाकृष्णन के स्थान पर उत्प्रवास संरक्षी, मद्रास के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या ए-22012/3/84-उत्प्रवास-II]

आर. नारायणस्वामी, उप सचिव

New Delhi, the 6th December, 1984

S.O. 4614.—In exercise of the powers conferred by subtion 3 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby appoints Shri K. M. Raghavan, Public Relations Officer, Madras to be the Protector of Emigrants, Madras with effect from the 1st December, 1984 vice Shri C. M. Balakrishnan.

[No. A-22012/3/84-EMIG.II]

R. NARAYANASWAMI, Dy. Secy.

New Delhi, the 12th December, 1984

S.O. 4615.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Govern-

ment Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Therepeutics Chemical Research Corporation, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th November, 1984.

BEORE THIRU K. S. GURUMURTHY, B.A., B.L.,
PRESIDING OFFICER,
INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMILNADU,
MADRAS

(Constituted by the Central Government)
Wednesday, the 14th day of November, 1984.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 45 of 1981

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Therapeutics Chemical Research Corporation, Madras—600 001.).

Between
The workmen represented by
The General Secretary,
Madras Harbour Workers Union,

No. 204, Bhagat House, Broadway, Madras—600 001.

AND

The Manager,

Therapeutics Chemicals Research Corporation,
Rustom Mahal, 2nd Line Beach,
Madras—600 001.

Reference : Order No. L-33011(2)|81.D.IV.A., Ministry of Labour, dated 22-5-1981, Government of India, New Delhi.

**

This dispute coming on for final hearing on Tuesday, the 18th day of September, 1984 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru R. Ganesen, Advocate appearing for the workmen and of Thiruvalargal Meenakshisundaram and Dwarakanathan, Advocates, appearing for the Management, and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :

AWARD

The Government of India by its order No. L-33011(2)|81. D.IV.A, dated 22-5-1981, Ministry of Labour, has referred the following dispute for adjudication under Section 7-A and Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by this Tribunal. The dispute is as follows :

"Whether the demands of the workmen for revision of the existing scales of pay, grant of fixed Dearness Allowance and variable Dearness Allowance and weightage increment on the basis of the length of service rendered are justified ? If so, to what relief and from what date are the concerned workmen entitled ?"

(2) After notice, the parties have appeared and the Union has filed the claim statement raising the following grounds in support of its demand : The Respondent-Management is engaging in the business of Research, Analytical Research, Biochemical, Bactriological, Pharmacological, Metallurgical, Analytical and Standardisation of Foods, Drugs and Chemicals etc. Oils, Oil seeds and Oil cakes etc., Fats, Soaps and Detergents etc., Sugars, Salts and Starches etc., Pulses, Spices and Gums etc., Ores, Minerals and Alloys etc., Steel, Non-ferrous Metals and Scraps etc., Coals, Colours, Petroleum Products etc., Paints Pigments and Waters etc., Fertilisers, Insecticides and Pesticides etc., Industrial, Commercial and Agricultural Produce commodities etc. The Respondent is— Cargo Superintendent and Surveyor, Analyser and Sampler.

(3) The Respondent has its business operations all over the country. The workmen employed by it come under the various categories of employees under the Dock Labour Scheme and as such they are entitled to wage scales and allowances and all other benefits, privileges, etc. in terms of the agreements|settlements governing Dock Labour all over the country. The only contention of the respondent is lack of capacity. The Respondent has raised such a plea only to frustrate the just, reasonable and legitimate claims of the workmen. The demands originally placed by the Union were eight in number. A Memorandum set out under Section 12(3) of the Industrial Disputes Act was entered into on 2-4-1981 in respect of certain of the demands. The demand in relation to revision of scales of pay as per the recommendations of the Wage Revision Committee for Port and Dock Workers with retrospective effect from 1-1-1974, weightage in the scales of pay taking into account the past service by the workmen and fitment in respect of each workman in the revised scales of pay were issues in respect of which there was no settlement.

(4) The demands referred to for adjudication to this Honourable Tribunal are not new or fresh demands but will have to be construed as an extension and consequence of the Arbitration Award dated 3-4-1971. The Arbitrator at paragraph 64 of his Award held that the employees employed by the Respondent at Madras were covered by the recommendations of the Wage Board. The Arbitrator made a specific and pointed reference to the Respondent and held that it would not be difficult for the Respondent to meet the higher cost of labour for implementing the recommendations of the Wage Board. The Arbitrator's finding was that the Management should be given adequate time to adjust itself and that the Management in course of time was bound to implement the recommendations of the Wage Board and bring the wage scale and allowances and other emoluments of its workmen on par with other workers of port and Docks who had been given the benefit of wage scales recommended by the Board. The Respondent did not, even after the lapse of 10 years, implement the recommendations of the Wage Board or wage Revision Committee fully in respect of its employees at Madras. The failure of the Management to do so even after the lapse of 10 years has led to the present disptue.

(5) The Respondent has diverse and diversified interest covering all branches of analytical research and surveying, sampling etc. The Respondent is also authorised to deal as Cargo Superintendent and Surveyor and Analyser and Sampler. The Respondent has more than the adequate capacity to meet the claims of the workmen in terms of the demands formulated by the Union. The award of the Arbitrator dated 3-4-1971 effectively and totally estops the Respondent from contending that the Wage Board's recommendations are not applicable to it. Any further adjudication as to the applicability or otherwise of the Wage Board's recommendations in relation to the Respondent and its employees does not arise. The Honourable Tribunal may be pleased to direct the Respondent to implement the scales of pay, Dearness Allowance and variable Dearness Allowance to all categories of employees as per the recommendations of the Wage Revision Committee for Port and Dock Workers with retrospective effect from 1-1-1974. The scales of pay and emoluments presently applicable to the employees are most unfair and grossly depressed. Annexure-I to the claim statement sets out the scales of pay demanded by the Union, along side the existing scales in relation to each employee. The scales of pay demanded in respect of each employee are in strict confirmity with Wage Review Committee.

(6) The demand of the Union for weightage at the rate of one increment for every block of two years of past service is, eminently reasonable and is also quite just and proper. The Honourable Tribunal should be pleased to grant weightage to the employees at the rate of one increment per each block of two years of past service and also to award the revised scales of pay and the revised fitment as per the demands of the Union in Annexure I and II, and in confirmity with the recommencations of the Wage Revision Committee. The demands should become effective retrospectively from 1-1-1974.

(7) The Management resists the claims of the Union on the following grounds: The reference made by the Government of India to the Honourable Tribunal is not valid in law since the Central Government is not the appropriate Government in respect of the Respondent and its workmen. The Petitioners in this reference are not Dock workers within the meaning and definition of dock workers under

the Dock Workers Employment Regulation Act, 1948. The Respondent has no office within what is called the port and dock area and the work of sampling requisitioned by bulk exporters is not an activity either incidental to or connected within port work. The Respondent has no concern with the Dock Labour Board.

(8) Of the 17 persons named in the Annexure to the claim statement serial No. 2 is deceased Serial Nos. 3 and 5 have resigned from the Company and Serial Nos. 15, 16 and 17 have disassociated themselves from the Union in its demands long ago. The reference is effectively in respect of 11 persons. The workmen employed by the Respondent are in no way employed on dock work. Their visit to the port was to collect samples as part of the work. It would not be proper or correct to consider the workmen of the Respondents as "dock workers" since their association with docks is only for the duration of their having to collect samples. They are not connected with loading or unloading operations in any manner. The Company is a small—a sampling agency who does sampling of cargo and other items as per the requirements of its clients in and outside the city. The prayer in the claim petition is outside the terms of reference which are for "revision of existing scales" etc. It is incorrect to say that there is no dispute with regard to the applicability of Dock Labour Scheme to the Petitioners but only with regard to lack of capacity of the Respondent to pay.

(9) There was an agreement between the parties on Tea Allowance, Reimbursement of Medical Expenses, staff loan, encashment of privilege leave, and two of the demands relating to overtime wages and promotion of one employee were dropped. In terms of the Reference this Honourable Tribunal will have to consider whether the demands of the workmen for revision of existing scales of pay, grant of fixed Dearness Allowances and variable Dearness Allowance and weightage increment on the basis of length of service rendered are justified. The Respondent Corporation was one of the small analysers and during 1975 the position of the Corporation took such an adverse turn that a receiver was appointed by Court and he took over the Management from 1-3-1975. The clients of the Respondent STC, MMTC and others stopped giving sampling work to the Corporation. This together with financial squeeze resulting in the work of the Corporation coming to a grinding halt entailing disconnection of telephone, freezing of bank accounts and accumulation of even statutory liabilities. The financial position and capacity of the Company is very precarious and any burden than that already in existence will result in the failure of the enterprise. The existing scales of pay have been in vogue for a long time and it is in keeping with the industry and regional practice and comparable with those of other comparable undertakings. It is not explained as to how the scales mentioned in Annexure-I are the ones applicable to the 11 employees. The claims of the Union for service weightage or weightage increment on the basis of length of service rendered at one increment for every two years of service is wholly untenable.

(10) The submission of the Union that the award of the Arbitrator estops the Respondent is naive and affords no absolution to the Union from discharging its responsibility and duty to this Honourable Tribunal to make out and justify its demands. The Respondent had not so far made any payments under the recommendations of Wage Board for Port and Dock Workers. The Arbitrator in 1971 thought it fit and proper not to award the revised scales of pay of the Board with retrospective effect. There is no indication whatsoever in the award that the Respondent should adjust itself and give full benefits of recommendation of Wage Board at any subsequent date. This Honourable Tribunal may be pleased to hold in limine that the reference is not valid in law and that the Petitioners are not dock workers within the meaning of Dock Workers Regulation of Employment Act also hold on merits that the claims made are not justified.

(11) M.W.1, W.W.1 and W.W.2 were examined. Exs.W-1 to W-18 and M-1 to M-6 were marked. I have heard the learned counsel for the Petitioner-Union and the learned counsel for the Respondent-Management.

(12) The point for consideration is whether the revision of the scales of pay, Dearness Allowance, variable Dearness Allowance and weightage increment claimed by the Union are justified.

(13) The main objection raised by the learned counsel for the Respondent-Management was that the employees employed by this Respondent-Management cannot brought within the definition of the term 'dock worker' and therefore the recommendations of the Wage Revision Committee contained in Ex. W-3 will not be applicable to these workers. It therefore becomes necessary to consider whether the work done by the employees under the Respondent-Management will bring them within the term "dock worker" as defined in the Dock workers (Regulation of Employment) Act, 1948. The term 'dock worker' is defined to mean, a person employed or to be employed in, or in the vicinity of, any port on work in connection with the loading unloading, movement or storage of cargoes, or work in connection with the preparation of ships or other vessels for the receipt or discharge of cargoes or leaving port. Therefore if the employees are employed on work in connection with the loading, unloading, movement of storage of cargoes, or work in connection with the preparation of ships or other vessels for the receipt or discharge of cargoes or leaving port, then they will fall within the meaning of the term "dock worker". The evidence in this case in my view convincingly proves that the employees of this Respondent-Management are dock workers.

(14) M.W.1, the Manager of the Respondent at Madras admitted that the employees are deputed to harbour for taking samples of minerals for the purpose of analysis. He admitted that this Company does stock verification work at the harbour and occasionally does test weighment whenever required by the parties. The brochure admittedly issued by this Company Ex. W-4 indicates that this Company undertakes Cargo Superintendence, surveying work and the work of supervising loading, weighing of various commodities exported from or imported into India. M.W.1 admitted that this Company has done cargo superintending service. Ex. W-5 is signed by this M.W.1 and Ex. W-6 is a letter from this Company. Both Exs. W-5 and W-6 demonstrate that this Company is doing marine work. It inspects Ship's tanks regarding their cleanlines to receive and carry oils in bulk. It supervises the loading and discharge operations. It inspects the Ships Cargo holds to see fitness of the ships to carry cargo. The Company attends to marine surveying also. In fact Ex. W-8, a letter by this Company addressed to the South India Corporation (Agencies) Private Limited Madras-1 says that it does marine surveying and it attends to cargo loading and supervises the discharge of cargo. Ex. W-10 letter shows that this company attends to the discharge and delivery of Newspring Reels imported. Ex. W-15 clinches the fact that the nominees of this Company or the employees of this Company boarded the vessel and examined the cargo like "Steel Channels". WW-2 in his evidence asserted that this Respondent-Company has got its main work only in the Port, and the Company used to check the weight of imported minerals. In the light of such evidence it is impossible to say that the employees of this Respondent Company are not doing work in connection with the loading, unloading, movement or storage of cargoes in the Port. I have no hesitation to conclude that the evidence proves conclusively that the employees of this Respondent-Company do their work in connection with the loading, unloading, movement or storage of cargoes or work in connection with the preparation of ships or other vessels for the receipt or discharge of cargoes.

(15) It is pertinent to refer to the Arbitration Award Ex.M-1. According to the evidence of W.W. 1 this award happened to be passed by the Arbitrator on a reference made by the parties. The present Petitioner-Union and the present Respondent-Management were parties to this Arbitration Ex.M-1. The Management has raised the objection that the Arbitrator should deal with the question of fact namely whether the workers under the present Respondent-Management are covered by the Wage Board recommendations and whether the workers are dock workers as defined in the Act. This particular question has been specifically answered by the Arbitrator in the Award at page 35 of Ex. M-1 in favour of the workers. The award specifically states that the Arbitrator was of the opinion that the employees employed by the Respondent-Management at Madras are

engaged in the work in the Madras Harbour and they are covered by the recommendations of the Wage Board. It is now clear from the evidence that neither party had taken any steps to set aside this award or modify the award. The award binding on both parties will bind the Respondent-Management in so far as the finding that the workers employed by the Respondent-Management are dock workers is concerned. It will not be out of place to mention that the Supreme Court in the case reported in 1976-II—L.L.J. page 186 (Mumbai Kamgar Sabha vs. Abdulbhai Faizullabhai and others) has observed that the industrial litigation is no exception to the general principle underlying the doctrine of res judicate.

(16) The learned counsel appearing for the Management relied upon the decision of the Bombay High Court reported in 1984-I-L.L.J. page 56 (General Superintendence Company of India Ltd. vs. General Secretary, Goa Dock Labour Union and others) and contended that the workmen employed by the Respondent-Management will not fall within the meaning of the term "dock worker". I am afraid that the facts involved in that case are entirely different. As a matter of fact in that Bombay judgement case, it was found that the workmen who were deputed for taking samples had nothing to do with the loading or unloading operations, nor their work had any connection with the movement or storage of cargoes. But in this case, on evidence it has been found that the workmen employed by the Respondent-Management have everything to do with the loading and unloading operations at the Madras Port and their work has everything to do with the movement or storage of cargoes. Therefore that authority will not apply to the fact of this case. Hence the first objection of the learned counsel for the Management that these employees will not be covered by the term "dock worker' has got to be repelled and it is accordingly repelled. The reference of the dispute for adjudication by the Central Government is competent and valid.

(17) Now coming to the claim of the Union that the workers employed by the Respondent-Management should be paid as per the scale recommended by the Wage Board, the evidence indicates that this Management started paying the scales of pay according to the Wage Board recommendation. W.W. 1 in his evidence stated that as per the Award Ex. M-1 of the Arbitrator deciding the question that the workers employed by this Respondent must be paid salary on the basis of the Wage Board recommendation, Wages and Dearness Allowance were paid by the Management and the wages and Dearness Allowance were modified on 1-1-1974. W.W. 1 asserted that again the wages and dearness allowance were modified as per Ex. M-3 on 1-8-1977, but the Management did not pay the changed wages, house rent allowance and dearness allowance. It is because the Management declined to pay the changed Dearness Allowance, House Rent Allowance and Wages, the Union had put forth its demand as per Ex. M-4. Though there was an agreement on certain aspects of the claim of the Union according to W.W. 1 there was no agreement regarding the wage revision and therefore the dispute was raised by the Union through the labour authorities and the Government has referred the matter to this Tribunal. W.W. 1 has asserted that this Respondent-Management has got the financial capacity and the annual income to pay the workers, wages, dearness allowance and house rent allowance according to the recommendations of the Wage Revision Committee. It should be mentioned that there is no whisper by M.W. 1 about the financial incapacity of the Respondent-Company to pay the wages, house rent allowance and dearness allowance as recommended by the Wage Revision Committee. The Respondent-Management has not placed documents to show its financial position and its annual income. W.W. 2 in his evidence asserted that the Wage Board's report is Ex. W-3. The Management paid only the Tea Allowance. Ex. M-3 is a letter addressed by the Union to the Management and in Ex. M-3 they have given a statement of rates at which the fixed Dearness Allowance and variable Dearness Allowance are paid to the Port and Dock Workers of India on the basis of the recommendations of the Wage Revision Committee and they have also indicated the modified scales which came into effect from 1-8-1977. The Union had made it clear that the workmen under this Respondent are also entitled to claim wages, Dearness Allowance and variable Dearness Allowance on the basis of the recommendations of the Wage Revision Committee. In fact Ex. M-5 is the notice of proposed strike given by the Union to the Respondent-Management on the ground that the demands made by the Union to pay the workmen, the pay scales, Dearness Allowance, variable Dearness Allowance at the rates recommended by the Wage Revision Committee were not granted. Of course, there were other demands by the workmen which are enumerated in the Annexure to Ex. M-5. But in this reference, we are only concerned with the pay scales, fixed Dearness Allowance and variable Dearness Allowance and weightage increment. Therefore it is clear that there had been a demand by the Union on the Management to pay the workmen employed by the Respondent-Management, the pay scales, Dearness Allowance and variable Dearness Allowance on the basis of the Wage Revision Committee's recommendation. The Management has however declined to accede to the claim of the Union.

(18) The learned counsel appearing for the Union filed a statement indicating the existing pay scale of the employees of the Respondent-Management and the revised scale of pay according to the Wage Revision Committee's recommendation. The learned counsel appearing for the Management admitted that this statement is correct excepting for the employees indicated as items 12, 13 and 14. So far as these individuals under items 12 13 and 14 are concerned their existing pay scales had been correctly mentioned in the statement. When these scales of pay are checked up with the revision suggested by the Wage Revision Committee in Ex. W-3, it is clear that the revision shown in the statement filed by the Union is correct. On the evidence I find that the Respondent has the financial capacity to pay the revised pay scales, Dearness Allowance and variable Dearness Allowance. Therefore the workmen employed by the Respondent are entitled to the revision of pay scales, and they are entitled to get the Dearness Allowance and variable Dearness Allowance as recommended by the Wage Revision Committee.

(19) The next aspect that remains for consideration is from what date the workmen are entitled to claim the revision of wages, Dearness Allowance and the variable Dearness Allowance. The annexure to Ex. M-5, the strike notice given by the Union to the Management makes it clear that these workmen claimed the payment of pay scales, Dearness Allowance and variable Dearness Allowance to all the workmen with effect from 1-1-1974. In the claim statement also, the Union has confined its claim for the above items for the period from 1-1-1974. Therefore all the workmen employed by the Respondent-Management are entitled to claim the pay scales, Dearness Allowance and variable Dearness Allowance recommended by the Wage Revision Committee from 1-1-1974.

(20) So far as the weightage increment is concerned, the Union has mentioned in page (8) of its claim statement that the basis must be taken as on 1-1-1970 and the employees must be fitted on stage-to-stage basis from that date and the demand of the Union for weightage at the rate of one increment for every block of two years of past service is reasonable, just and proper. In support of the Statement, the Union has not let in any evidence. The learned counsel appearing for the Union has not drawn my attention to any of the portions of the Wage Revision Committee's Report providing the criteria for fixing the weightage increment. In fact, the Wage Revision Committee's Report Ex. W-3 at page 108, states that the rates of increments in the proposed pay scales should reflect the increases in price levels since 1969. The rates of increments should bear some reasonable proportion to the basic pay. On this aspect, no evidence has been let in by the Union. Therefore this Tribunal is not able to express its opinion nor is able to pass an order in favour of the Union on this respect.

(21) It has been made clear by the learned counsel appearing for the Management that out of the employees whose cause the Union espoused in this dispute, No. 2 died on 18-4-1981. That should be long prior to the Government of India referred the dispute by its Order dated 22-5-1981. Therefore the benefits of the award will not accrue to him. It is indicated that No. 5 resigned the job on 1-6-1984. Therefore this No. 5 will be entitled to the benefit of this award upto the date of his resignation. No. 3 is stated to have resigned the job on 1-4-1981 long before the reference was made by

the Government of India. Therefore the benefit of the award will not accrue to him. No. 16 is stated to have resigned on 29-8-1982 which is after the reference of the dispute was made by the Government of India and therefore the benefit of the award will accrue to him upto the date of his resignation.

(22) In the result, it is held that the workmen employed by the Respondent-Management are "dock workers" within the meaning of the term in the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948; that the workmen are entitled to claim the pay scales, Dearness Allowance and variable Dearness Allowance recommended by the Wage Revision Committee and found in Ex. W-3 from 1-1-1974.

(23) An award is passed in the above lines. There will be no order as to costs.

Dated, this 14th day of November, 1984.

(Sd.) K. S. Gurumurthy,
Industrial Tribunal

WITNESSES EXAMINED

For Workmen :

W.W.1—Thiru P. Prakasan.

WW-2—Thiru N. Shanmugam.

For Management :

MW.1—Thiru M. G. Oka.

EXHIBITS MARKED

For Workmen :

W-1—Statement regarding scale of pay etc. of ITALAB for 1983.

W-2—Settlement between the Government of India of the Shipping and Transporting Department and All India Port and Dock Workers' Federation etc. for 1-1-1984.

W-3/January, 1977—Report of the Wage Revision Committee for Port and Dock Workers on Major Ports.

W-4—Book issued by the Management regarding the function etc. of the Management.

W 5/19-11-81—Copy of letter from the Management to M/s. D.B. Madan & Co., Madras

W-6/7-1-82—Copy of letter from the Management to the D.B. Madan & Co., Madras.

W-7/25-4-83—Copy of letter from the Management to the T.N.C.S.C., Madras.

W-8/27-4-83—Copy of letter from the Management to the South India Corporation Agencies P. Ltd., Madras.

W 9/25-4-83—Copy of letter from the Management to the State Trading Corporation of India, New Delhi.

W10/14-5-81—Copy of letter from the Management to the S.T.C. and Shaik Mohammed Rowther Shipping Agencies P. Ltd., Madras.

W-11/11-9-81—Copy of letter of the Management of the Survey report in Misc. 15/81.

W-12/1-5-82—Copy of letter of appointment of Mr. S. Mantheram.

W-13/23 6-82—Xerox copy of letter from the Management to the Central Industrial Security Force, Madras Port Trust, Madras-1.

W-14/26-2-83—Xerox copy of appointment letter of Capt. Subhas Kumar by the TCRO Surveyors and Assessors.

W-15/14-5-81—Copy of Survey Report No. 7/81 of the Manager.

W-16/22 7-81—Copy of survey report No. 12/81 of the Management.

W-17/18-7-81—Copy of Survey Report No. 11/81 of the Management.

W-18/21-8-81—Copy of Survey Report No. 14/81 of the Management.

For Management :

M-1/30-4-71—Typed copy of Arbitration Award of the D C.L. between the Union and the Management.

M-2/4-6-80—Letter from the Union to the Management. (typed copy).

M-3/27-1-80—Typed copy of letter from the Union to the Management.

M 4/25-3-80—Typed copy of letter from the Union to the R.L.C., Madras-6.

M-5/1-1-81—Typed copy of letter from the Union to the Management.

M-6/8-4-81—Typed copy of memo of settlement u/s. 12(3) of the I.D. Act.

K. S. GURUMURTHY, Presiding Officer
[No. L-33011/1/81/D-IV(A)]

S.O. 4616.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. II, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Vinsons, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th November, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 BOMBAY

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/45 of 1983

PARTIES :

Employer in relation to the Management of Messrs Vinsons, Bombay.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer—Shri A. C. Kotwani, Advocate

For the workmen—Shri S. R. Wagh, Advocate

Industry : Ports and Docks State : Maharashtra

Bombay, dated the 13th November, 1984

AWARD

(Dictated in the open Court)

By order No. L-31012(3)/83-D.IV(A) dated 23-12-1983 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 which matter was contested by the parties and issues have also been framed :—

"Whether the action of the management of M/s Vinsons, Bombay, in dismissing Shri J. D Trivedi, Customs Clerk, from service is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

2. However, today by consent of the parties and their Advocates the following terms were arrived at in pursuance of which the award is passed.

(1) The Employers shall pay Rs 15 000 (fifteen thousand only) to the workman in full and final settlement of

the claim arising out of the alleged termination of his service and on payment of this amount there shall be no further liability in this regard.

3. It is stated that the employee has borrowed some amount by way of personal loan which is alleged to be outstanding. The parties shall try to settle the said claim, in case no settlement is arrived at, the employers are at liberty to approach the legal forum for recovery of those dues. The personal loan does not include the amount alleged to due under I. O. U. account, which is taken into consideration while arriving at the figure of Rs. 15,000 and therefore while settling the claim of personal loan, this amount under the alleged I.O.U. account shall be kept out of consideration. Some amount is lying with the Provident Fund authorities, which the employees shall be entitled to claim from those authorities. For the said purpose the employes shall issue requisite certificate and help the employee in getting the said amount.

4. The amount of Rs. 15,000 includes all the claim arising out of service like bonus, arrears of pay, overtime etc. and on receipt of Rs. 15,000 the employee shall not be entitled to claim anything from the employers. The amount of Rs. 15,000 shall be paid within one month from today.

Award accordingly.

Dated : 16-11-1984.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-31012/3/83-D-IV (A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984